




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



झारखण्ड सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**झारखण्ड सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 2**

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-1		
प्रस्तावना		
बजट की रूपरेखा	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग	1.1.2	2
सतत् बचतें	1.1.3	2
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधि	1.1.4	3
भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान	1.1.5	3
लेखापरीक्षा का योजना निर्माण एवं संचालन	1.1.6	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण	1.1.8	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.9	6
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.1.10	7
अध्याय-2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान	2.1	9
श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
झारखण्ड में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों की स्थापना एवं उन्नयन	2.2	33
मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा)		
झारखण्ड में राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	50
वन एवं पर्यावरण विभाग		
“धनबाद समूह सहित धनबाद जिला में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.4	85
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग		
झारखण्ड में बालिकाओं के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन	2.5	99
गृह विभाग		
‘अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.)’ की तत्परता पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.6	120
मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
जनजातीय उपयोजना (शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.7	135
ऊर्जा विभाग		
झारखण्ड में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	2.8	150

अध्याय-3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन नहीं	3.1	173
पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग		
अनियमित व्यय	3.1.1	173
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
आधिक्य भुगतान	3.1.2	175
औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरुद्ध व्यय	3.2	176
पथ निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	3.2.1	176
ट्रांजिचुक/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता	3.3	178
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
निष्क्रिय व्यय	3.3.1	179
निष्फल व्यय	3.3.2	180
कला, संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.3	182
ग्रामीण विकास विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.4	184
अपव्यय	3.3.5	186
भवन निर्माण विभाग		
निष्फल व्यय	3.3.6	188
सतत एवं व्यापक अनियमितताएँ	3.4	190
ग्रामीण कार्य विभाग		
सड़क का अधूरा निर्माण	3.4.1	190
सरकारी धन की वसूली न होना	3.4.2	192
अपूर्ण सड़कों पर निष्फल व्यय	3.4.3	194
पथ निर्माण विभाग		
निरर्थक व्यय	3.4.4	195

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी एवं संबद्ध राशि	1.1.7	199
1.1.2	लंबित कंडिकाओं में अनियमितता के प्रकार को दर्शाती विवरणी	1.1.7	200
2.1.1	2009-14 के दौरान नमूना - जाँचित जिलों में कम उपयोग और असमान उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण	2.1.7.1 एवं 2.1.7.3	202
2.1.2	भौतिक सत्यापन का परिणाम	2.1.9.4	203
2.1.3	रोकड़ बही और बैंक शेष के बीच विसंगतियों को दर्शाती विवरणी	2.1.15.1	205
2.1.4	असमायोजित अग्रिमों की विवरणी	2.1.15.2	206
2.1.5	14 आई.ए.पी. जिलों में कम प्रावधानों की विवरणी	2.1.15.3	207
2.2.1	म.आई.टी.आई. में संयत्रों और उपकरणों की कमी	2.2.8.2 (ब)	208
2.2.2	नमूना-जाँचित तीन म.आई.टी. संस्थाओं का स्वीकृत एवं कार्यरत बल	2.2.8.3	209
2.2.3	नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में स्वीकृत व्यवसायों और व्यवसायों का परिचालन नहीं किए जाने का विस्तृत विवरणी	2.2.9.1	210
2.2.4	नमूना-जाँचित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन एवं रिक्त सीटों का ब्यौरा	2.2.9.2	210
2.2.5	एस.सी.भी.टी. के साथ संबद्धता में चल रहे व्यवसाय	2.2.9.3	211
2.2.6	राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों में मशीन एवं उपकरण की कमी	2.2.12.3	212
2.2.7	नमूना-जाँचित तीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों में दाखिला के विरुद्ध स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन एवं उनके प्लेसमेंट	2.2.13	213
2.2.8(अ)	ए.आई.सी.टी.इ. के मानदंडों के अनुसार, जुलाई 2014 तक राज्य स्तर के शिक्षण संवर्ग के आवश्यक स्वीकृत पद, कार्यरत बल और कमी का ब्यौरा	2.2.13.1	215
2.2.8(ब)	जुलाई 2014 तक राज्य स्तर के जी.डब्ल्यू.पी. में गैर शैक्षणिक/सहयोगी कर्मचारी संवर्ग के आवश्यक स्वीकृत पद, कार्यरत बल और कमी का ब्यौरा	2.2.13.2	216
2.3.1	नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4	217
2.3.2	बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंदरी से कम परीक्षा शुल्क जमा को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.7.4	218
2.3.3	संग्रहित राशि नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.7.5	219
2.3.4	विनोबा भावे विश्वविद्यालय अन्तर्गत नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी	2.3.11.1	220
2.3.5	विनोबा भावे विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता का कम उपयोग किए जाने का विवरण	2.3.11.2	221
2.3.6	संग्रहित राशि के नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी (नी.पी.वि.)	2.3.15.4	222
2.3.7	नी.पी.वि. के अन्तर्गत नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी	2.3.18.1	223
2.3.8	नी.पी.वि. के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा पंजीकृत/अन्तर्ग्रहण की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का विवरण	2.3.18.2	224

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.3.9	संग्रहित राशि के नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी (कोल्हान विश्वविद्यालय)	2.3.22.4	225
2.3.10	कोल्हान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी	2.3.25.1	226
2.3.11	कोल्हान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा पंजीकृत/अन्तर्ग्रहण की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का विवरण	2.3.25.2	227
2.4.1	संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित इकाईयों का विवरण	2.4.5	228
2.4.2	धनबाद कार्य योजना के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियाँ	2.4.6	230
2.4.3	(क) केन्द्रीय प्रटूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्धारित जल की गुणवत्ता मानक	2.4.7	231
	(ख) दामोदर नदी के जल की गुणवत्ता का वर्षवार विवरणी		
2.4.4	धनबाद में एस.पी.एम. तथा आर.एस.पी.एम की माप	2.4.8.1	232
2.5.1 ए	20 नमूना-जाँचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की सूची	2.5.5	233
2.5.1 बी	100 आँगनबाड़ी केंद्रों की सूची	2.5.5 एवं 2.5.7	233
2.5.2	आवंटित, अभ्यर्पित/व्यपगत एवं बैंक खातों में अवरुद्ध राशि का विवरण	2.5.6.3, 2.5.6.4 एवं 2.5.6.5	236
2.5.3	विभाग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की कमी की स्थिति	2.5.10.2	237
2.6.1	(अ) भा.स. द्वारा निधि की विमुक्ति	2.6.6	238
	(ब) झा.स. द्वारा निधि की विमुक्ति		
	(स) भा.स. तथा झा.स. द्वारा विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय		
2.6.2	विभिन्न गतिविधियों को एस.आई. के द्वारा दर्शाती विवरणी	2.6.7	239
2.6.3	कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत राज्य विशेष अतिरिक्त क्रियाओं को दर्शाती विवरणी	2.6.7 (पाद- टिप्पणी-6)	240
2.6.4	एस.आई. के सहायता-डेस्क के द्वारा शिकायत-निराकरणों की नमूना-स्थिति	2.6.7.3	241
2.6.5	रिक्त सामान्य दैनिकी संख्या एवं तिथि के कुछ उदाहरण	2.6.9.1	242
2.6.6	एफ.आइ.आर.- रजि.-संख्या में उत्पन्न वर्ष कोड के साथ बेमेल एफ.आइ.आर. वर्ष के मामले	2.6.9.2	243
2.6.7	एक ही थाने में विभिन्न प्राथमिकियों के लिये एक ही एफ.आइ.आर. क्रम-संख्या तथा एफ.आइ.आर. वर्ष के मामले	2.6.9.2	244
2.6.8	सामान्य दैनिकी तिथियों में पाये गये रिक्ति के कुछ उदाहरण	2.6.9.3	245
2.7.1	जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना चयन की सूची	2.7.5	246
2.7.2	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि एवं जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत व्यय	2.7.6	248

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.7.3	जनजातीय उपयोजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि	2.7.6	249
2.7.4	प्रतिरक्षण आच्छादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति	2.7.10	249
2.7.5	नमूना-जाँचित प्रखण्डों में लोक एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसरणों की स्थिति	2.7.11	250
2.8.1	(अ) एस.पी.जी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय (ब) सौर जल ताप कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय (स) दूरस्थ ग्राम विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय	2.8.7	252

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम संकलित हैं जिसमें (i) कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले, (ii) भवन निर्माण, (iii) पेयजल एवं स्वच्छता, (iv) ऊर्जा, (v) वन एवं पर्यावरण, (vi) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, (vii) मानव संसाधन विकास, (viii) गृह, (ix) श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण, (x) योजना एवं विकास, (xi) पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल), (xii) पथ निर्माण, (xiii) ग्रामीण विकास, (xiv) ग्रामीण कार्य, (xv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं (xvi) समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो 2013-14 की अवधि के लिए हुए नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में जानकारी में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में उजागर हुए, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण आवश्यकतानुरूप जोड़े गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन है। इस प्रतिवेदन का अध्याय दो आठ निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा के जाँच परिणामों से संबंधित है तथा अध्याय तीन विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के जाँच परिणाम सम्मिलित हैं जिसका कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 445.66 करोड़ है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन, सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशेष लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। सरकार के दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं और अनुशंसाएँ की गई हैं। प्रमुख लेखापरीक्षा के जाँच परिणामों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. कार्यक्रमों/कार्यकलापों/विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने खुले में शौच की आदत को खत्म करने के व्यापक उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने हेतु समुदाय आधारित एक व्यापक कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को वर्ष 1999 में प्रारंभ किया। कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, पूर्णतः स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों के लिए उपलब्धि उपरांत एक पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना (एन.जी.पी.) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में 2003 में प्रारंभ किया गया। एन.जी.पी. की सफलता से उत्साहित होकर 01 अप्रैल 2012 से टी.एस.सी. को निर्मल भारत अभियान नाम दिया गया था। एन.बी.ए. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन में तेजी लाना था ताकि ग्रामीण समुदाय को पूर्णतः आच्छादित करते हुए 2022 तक निर्मल भारत के सपनों को साकार किया जाय।

योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कार्यान्वयन अभिकरणों को स्थापित करने में विशेष रूप से देरी हुई। 2009-14 के दौरान कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) कुल उपलब्धि निधि (₹ 449.25 करोड़) में से केवल 58 प्रतिशत (₹262.65 करोड़) का उपयोग कर सका। वास्तविक मांग/सेवाओं की आवश्यकता तथा आधारभूत संरचना के आकलन के लिये आवश्यक प्रारंभिक या आधारभूत सर्वेक्षण के बगैर ही पी.एम.यू. द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। ग्राम पंचायत/प्रखंड से कोई

सूचना प्राप्त किये बिना जिला स्तर पर वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ (ए.आई.पी.) तैयार की गई थी। मार्च 2014 तक केवल 22 प्रतिशत (5.84 लाख) बी.पी.एल और सात प्रतिशत (1.75 लाख) ए.पी.एल. घरों में कार्यरत शौचालय थे। पी.एम.यू. 2012-14 के दौरान निर्धारित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलापों का केवल 18 प्रतिशत ही संपन्न कर पाया, जो स्वच्छता सुविधाओं की मांग को बढ़ा सकता था। लेखा तथा अंकेक्षण के निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन हुआ जिसके कारण प्रतिवेदित तथा वास्तविक आकड़ों में भिन्नता आई। प्रत्येक स्तर पर आवश्यक अनुश्रवण का अभाव था। एन.बी.ए. के कार्यान्वयन में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। राज्य समीक्षा मिशन द्वारा राज्य में टी.ए.सी./एन.बी.ए. के प्रभाव की समीक्षा अभी की जानी थी।

(कंडिका 2.1)

(ii) झारखण्ड में राजकीय महिला आई.टी.आई. एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों की स्थापना और उन्नयन

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति सम्माननीय रोजगार हासिल करने में उन्हें मदद करने के लिए सभी सामाजिक समूहों को विशेष रूप से महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के लिए कौशल विकास के समान अवसर प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यू.आई.टी.आई.) और राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों (जी.डब्ल्यू.पी.) की स्थापना की गई थी। डब्ल्यू.आई.टी.आई. और जी.डब्ल्यू.पी. के मुख्य उद्देश्य कुशल श्रमिकों का उद्योग के लिए निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना था। झारखण्ड में राजकीय डब्ल्यू.आई.टी.आई. और जी.डब्ल्यू.पी. की स्थापना और उन्नयन का निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से सितम्बर 2014 के बीच किया गया।

यह अवलोकन किया गया कि डब्ल्यू.आई.टी.आई. को कई कमियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि (i) डब्ल्यू.आई.टी.आई. राँची और जमशेदपुर में मौजूदा व्यवसाय को उत्क्रमित नहीं किया गया था; (ii) डब्ल्यू.आई.टी.आई. में कुछ अलोकप्रिय व्यवसायों को संचालित किया जा रहा था जबकि स्वीकृत व्यवसाय परिचालन में नहीं थे; (iii) राज्य परिषद् द्वारा वोकेशनल प्रशिक्षण (एस.सी.भी.टी.) के लिए सफल प्रशिक्षुओं को जो वोकेशनल प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वे अस्थायी प्रकृति के थे, क्योंकि एस.सी.भी.टी. को किसी भी व्यवसाय की संबद्धता देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। (iv) जी.डब्ल्यू.पी. का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका था और वहाँ उपकरणों की कमी बनी हुई थी। इसके अलावा, नमूना-जाँचित यूनिटों में आधारभूत संरचना का अभाव, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों, औजार और संयंत्रों की कमी थी।

(कंडिका 2.2)

(iii) झारखण्ड में राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप

आयोजन तथा वित्तीय प्रबंधन, शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति, आधारभूत संरचना की पर्याप्ता तथा मानव संसाधन प्रबंधन एवं अनुश्रवण तंत्र की जाँच हेतु झारखण्ड के तीन विश्वविद्यालयों-विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेट्रिनोनगर एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा तथा इनके अधीन सोलह अंगीभूत महाविद्यालयों पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा “झारखण्ड में राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप” संचालित की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों द्वारा कुल ₹ 101.23 करोड़ अनुदान राशि का कम उपयोग किया गया था। योजनामद की ₹ 19.14 करोड़ की राशि निदेशालय के व्यक्तिगत निक्षेप खाता में पड़ी हुई थी। ₹ 17.13 करोड़ का अग्रिम विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारी के विरुद्ध बकाया था। शुल्क एवं फार्मों की बिक्री से ₹ 3.48 करोड़ कम की वसूली की गयी। गैर-उपयोग/देर से उपयोग किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को ₹ 6.21 करोड़ की अनुदान राशि विमुक्त नहीं की गयी। विज्ञान एवं मानविकी में स्नातकोत्तर तथा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात क्रमशः 1:10 एवं 1:15 तथा 1:25 एवं 1:30 के विरुद्ध स्नातकोत्तर विभागों तथा नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में यह अनुपात क्रमशः 1:15 से 1:113 तथा 1:41 से 1:722 के बीच पायी गयी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता का अल्पोपयोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 2 से 71 प्रतिशत के बीच, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में 16 से 95 प्रतिशत के बीच तथा कोल्हान विश्वविद्यालय में 24 से 100 प्रतिशत के बीच पाया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ₹ 5.70 करोड़ की लागत से तैयार की गयी आधारभूत संरचना 10 से 55 महीनों तक अनुपयुक्त पड़ी हुई थी। स्थापना के पाँच वर्ष से अधिक के बाद भी दोनों नव निर्मित विश्वविद्यालय- नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय तथा कोल्हान विश्वविद्यालय का अपना परिसर नहीं था। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी क्रमशः 22.47 से 62.50 तथा 38.08 से 62.81 प्रतिशत के बीच पायी गयी। अधिषद और अभिषद की बैठकें निर्धारित संख्या में नहीं हुई और विश्वविद्यालय/इन विश्वविद्यालयों द्वारा पेश कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद/राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी गयी।

(कंडिका 2.3)

(iv) धनबाद समूह सहित धनबाद जिला में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

धनबाद समूह सहित धनबाद शहर में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की जाँच के लिए एक समीक्षा की गयी। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए विभिन्न अधिनियमों और नियमों का अनुपालन अपर्याप्त था। पेयजल (पारंपरिक उपचार के बिना लेकिन कीटाणु शोधन के बाद) का बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड

(बी.ओ.डी.) का स्तर 2 मि.ग्रा./लीटर अथवा कम होना चाहिए, लेकिन धनबाद के तीन स्थलों तेलमच्चो, डोमागढ़ और जामाडोबा में 2009-14 के दौरान अधिकतम स्तर 2.5 मि.ग्रा./लीटर से 8.2 मि.ग्रा./लीटर के बीच था। धनबाद कार्य योजना में चिन्हित गतिविधियों का कार्यान्वयन नहीं किया गया। जैव चिकित्सा अवशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम के अनुसार नहीं हुआ तथा झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पर्यावरण नियमों का अनुश्रवण एवं प्रवर्तन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया।

(कंडिका 2.4)

(V) झारखण्ड में बालिकाओं के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन

भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने बालिकाओं के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं यथा किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.), राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला), मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (मु.क.यो.) और मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (मु.ल.ला.यो.) का शुभारंभ किया। इन सभी योजनाओं का निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 के अवधि को आच्छादित करते हुए यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हुई।

निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्घटित हुआ कि के.एस.वाई. एवं सबला योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजना के अलावे किसी भी दूसरे विभाग के योजनाओं के साथ योजनाबद्ध अभिसरण एवं अग्रेतर संयोजन नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वार्षिक कार्ययोजना को जमा नहीं किये जाने के कारण के.एस.वाई. के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 2009-10 एवं 2012-13 में कोई निधि विमुक्त नहीं की गई। 2009-10, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान के.एस.वाई. अन्तर्गत किशोरी किट उपलब्ध नहीं कराया गया। सबला योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण किट 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 में उपलब्ध नहीं कराये गये। विभाग द्वारा नमूना-जाँचित चार के.एस.वाई जिलों में 2009-14 अवधि के दौरान एवं दो सबला जिलों में 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के स्वास्थ्य जाँच हेतु किशोरी स्वास्थ्य मेला/किशोरी दिवस का आयोजन नहीं कराया गया। नियमानुसार सबला के पोषाहार घटक के तहत आवंटित निधि नामांकित बालिकाओं को वर्ष में 300 दिनों का टी.एच.आर. उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त नहीं थी। मु.क.यो. के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं उनके रद्द किये जाने से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं थे। मु.ल.ला. योजना के अन्तर्गत 2011-14 के दौरान संस्थागत प्रसव कम होने के कारण लाभार्थियों का आच्छादन प्रतिशत 18 से 28 के बीच रहा। के.एस.वाई., सबला एवं मु.ल.ला. योजनाएँ 2009-14 के दौरान ज्यादातर गैर-अनुश्रवित रहीं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संरचनाओं एवं मानव बल की कमी थी।

(कंडिका 2.5)

(vi) अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली की तत्परता पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा पुलिस की परिचालन क्षमता बढ़ाने तथा नागरिक सेवा में सुधार की दृष्टि से सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित करने के लिए अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) परियोजना का ढाँचा तैयार किया गया (मई 2008) जिसे मार्च 2012 तक पूर्ण करना था। झारखण्ड में परियोजना को प्रायोगिक चरण के सफलतापूर्वक समाप्ति के बिना ही लागू (फरवरी 2013) कर दिया गया तथा राज्य में परियोजना की शुरुआत (फरवरी 2010) से चार वर्ष की समाप्ति के बाद भी 'गो-लाइव' नहीं किया जा सका।

परियोजना कार्यान्वयन की कई गतिविधियाँ अर्थात् साइट तैयारी, हार्डवेयर संधारण, नेटवर्क संयोजन आदि को सभी चिन्हित स्थानों पर पूरा नहीं किया जा सका तथा प्रणाली को थाना स्तर पर आंशिक रूप से स्टेशन डायरी तथा प्राथमिकि के पूर्व-दिनांकित प्रविष्टि के लिये उपयोग में लाया जा रहा था। विरासत/ऐतिहासिक आँकड़ों को डिजिटाइज्ड किया गया था परंतु उच्च-प्रभावी त्रुटियों के कारण इनका उपयोग नहीं हुआ। अपराध की जांच तथा अपराधियों की खोज के लिए अपराध एवं अपराधियों का राष्ट्रीय आँकड़ा-संग्रह बनाने का उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सका क्योंकि डिजिटाइज्ड आँकड़ों को सी.सी.टी.एन.एस. आँकड़ा संग्रह में शामिल नहीं किया जा सका।

कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कैस) का राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन तथा विन्यास नहीं किया गया। विकसित विस्तार मॉड्यूलों को कैस के साथ एकीकृत नहीं किया गया। तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण, लेखापरीक्षा तथा प्रणाली की सुरक्षा तथा नियंत्रण पहलुओं का प्रमाणीकरण नहीं करने के कारण, कैस एप्लीकेशन में सत्यापन नियंत्रणों की कमी थी। चार थानों (राँची जिला पुलिस में कोतवाली, डोरण्डा एवं पिठोरिया तथा खूंटी जिला पुलिस में तोरपा) के वर्ष 2013 से संबंधित आँकडे संस्करण-नियंत्रण तथा प्रलेखित बैकअप और पुनर्स्थापन नीति के अभाव में स्थायी रूप से नष्ट हो गए।

(कंडिका 2.6)

(vii) जनजातीय उपयोजना (शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र)

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और समाज के अन्यों के बीच विकासात्मक दूरी को कम करने के लिए जनजातीय उपयोजना की नीति को प्रारंभ किया जिसमें कम से कम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में योजना संसाधनों को आवंटित किया जाना है।

आठ स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित योजनाएँ जिसमें जनजातीय उपयोजना के घटक हैं, को समीक्षा के लिए चयनित किया गया क्योंकि ये मानव संसाधन विकास को केन्द्रित हैं। शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित योजनाएँ थे (i) सर्वशिक्षा अभियान (स.शि.अ.), (ii) मध्याहन भोजन योजना और (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(रा.मा.शि.अ.) तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत (i) प्रतिरक्षण, (ii) फ्लेक्सीपुल, (iii) आधारभूत संरचना संधारण योजना (आई.एम.एस.)¹, (iv) कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग और हृदयाधात के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) और (v) बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखरेख हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) योजनाएँ थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अवधि के लिए किये गए थे।

हमने पाया कि संबंधित योजनाओं के जनजातीय उपयोजना अवयव के लिए अलग से योजनाकरण नहीं किया गया था। जनजातीय उपयोजना के घटकों के अन्तर्गत विमुक्त निधियों के लिए अलग से अभिलेख भी संधारित नहीं किए गए थे तथा जनजातीय उपयोजना के व्यय को पृथक और पता करने के लिए तंत्र की कमी थी। रा.शि.अ. योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से के निधि को विलम्ब से विमुक्त किया गया था। योजना निर्देशों के विपरीत, स्थानीय भाषाओं (कुडुख, संथाली, खड़िया, मुंडारी और हो) में पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया गया था और स.शि.अ. के अंतर्गत जनजातीय बच्चों में नहीं बाँटे गए थे। स.शि.अ. के अन्तर्गत 2011-12 और 2013-14 के दौरान छात्रों को निःशुल्क पोशाक नहीं बाँटे गए थे और 2012-13 में देर से बाँटे गये थे। मध्याहन भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (वा.का.यो.एवं ब.), विद्यालय स्तर पर वास्तविक जरूरतों को बिना विचार किए तैयार किए गये थे जिससे खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत पर कम आवंटन किया गया था।

बच्चों के प्रतिरक्षण के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध कम उपलब्धि प्राप्त हुई थी। एन.पी.सी.डी.सी.एस. और एन.पी.एच.सी.ई. के कार्यान्वयन के लिए 2011-13 में वार्षिक योजनाएँ नहीं बनाई गई थीं और अस्पताल में पर्याप्त जगह की अनुपलब्धता तथा मेडिकल और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं करने के कारण कार्यक्रम के अंतर्गत बताए गए निर्धारित सेवाएँ लाभार्थियों को प्रदान नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.7)

(viii) झारखण्ड में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

राज्य में पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2001 में झारखण्ड रिन्यूएवल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ज्रेडा) की स्थापना राज्य के प्रधान अभिकरण के रूप में हुई। राज्य में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों यथा सौर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रमों, सौर ताप कार्यक्रम तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक विद्युत नहीं था या अनियमित था को पारंपरिक विद्युत उपलब्ध कराने तथा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत कार्यालयों में ई-गवर्नेंस के लिए विद्युत बैंकअप प्रदान करने हेतु किया गया था।

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि ज्रेडा ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक उपलब्ध राशि ₹ 223.42 करोड़ में से ₹ 121.36 करोड़

व्यय किया। आगे, वर्ष 2009-12 तथा 2013-14 के दौरान् सौर जल ताप प्रणालियों के अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण ज़ेडा ₹ 2.66 करोड़ के केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विफल रहा। राज्य में 18,000 मेगावाट के सौर क्षमता के विरुद्ध मात्र 17 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना की जा सकी। वर्ष 2011-14 के दैरान सौर ऊर्जा के कम उत्पादन के कारण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व के 275.62 मिलियन इंकार्ड के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। आगे, ग्राम पंचायतों में 4,423 सौर विद्युत संयंत्रों (एस.पी.पी.) में से 2,576 के पूरा नहीं करने के कारण ग्रीड-असम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों के द्वारा ई-गवर्नेंस सेवा हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक संधारण संविदा अवधि के भीतर ज़ेडा ने अधिष्ठापित सौर ऊर्जा प्रणालियों की मरम्मति एवं संधारण को सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 2.8)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने विवेचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों (तेरह कंडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख टिप्पणीयों नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा तथा अपर्याप्त तर्कसंगत व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक/शासन की विफलता से संबंधित हैं। कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- विभाग से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना, अनुमोदित कार्य क्षेत्र के बाहर ग्रेड-I और ग्रेड-II ग्रामीण पथ के साथ गार्डवाल का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 64.98 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.1)

- राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दर की अनदेखी कर दैनिक मजदूरों को ₹ 28.66 लाख का अधिक्य भुगतान।

(कंडिका 3.1.2)

- मूल आकलन में बिट्रूमिनस मैकाडम (बी.एम.) और सेमी डेन्स बिट्रूमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के प्रावधान नहीं किये जाने और नक्सल समस्या के आधार पर ठेकेदारों के निवेदन पर उच्च दर से उनके परवर्ती समावेश के परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

- विद्युत नियमावली 1956 के तदनुरूप विभाग द्वारा स्थल उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विफलता और तदुपरान्त 33 के.वी. विद्युत तार नहीं हटाए जाने के कारण

चिकित्सकों/कर्मचारियों का आवास अनावासित रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.1)

- प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण/उन्नयन में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का निष्फल व्यय

(कंडिका 3.3.2)

- मेगा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स से संबंधित कार्य समय पर नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 3.3.3)

- पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण के फलस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का आवंटन नहीं हुआ तथा कार्य अपूर्ण रहा जिससे ₹ 3.49 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

(कंडिका 3.3.4)

- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.म.ग्रा.से.यो.) के अंतर्गत बियरगारा नदी पर निम्न स्तरीय और अपूर्ण निर्माण के कारण ₹ 2.18 करोड़ का अपव्यय।

(कंडिका 3.3.5)

- निर्माण के लिए अनुपयुक्त भूमि का प्रावधान, अनुमानित व्यय के संशोधन में विलम्ब तथा संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब के परिणामस्वरूप उप-कारा के अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹ 1.61 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 3.3.6)

- प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि की उपलब्धता के बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के कारण ₹ 1.49 करोड़ का खर्च होने के बाद भी चार वर्षों से अधिक समय से कार्य अपूर्ण रहा एवं इसके अलावा ₹ 91.48 लाख का दायित्व सृजित हुआ।

(कंडिका 3.4.1)

- संवेदक को अधिक्य भुगतान तथा दण्ड/परिसमापन क्षति की उगाही नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.4.2)

- ससमय कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपूर्ण सङ्कों पर ₹ 1.87 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 3.4.3)

- कर्मचारियों को कार्य प्रदान नहीं करने और उनकी सेवा का लाभदायी उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों पर ₹ 8.28 करोड़ का निर्थक व्यय साथ ही ₹ 1.71 करोड़ के यंत्र एवं संयंत्र निष्क्रिय पड़े रहे।

(कंडिका 3.4.4)

अध्याय-१

प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 43 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरुद्ध वास्तविक व्यय **तालिका-1.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका -1.1.1: 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	7052.77	6605.36	5877.15	6990.80	7866.66	7845.56	8556.05	8696.49	9870.51	9959.36
सामाजिक सेवाएँ	7314.86	5610.30	6730.03	6707.30	9524.39	7287.03	11611.28	8308.59	12405.63	8215.34
आर्थिक सेवाएँ	3844.87	2912.38	3943.26	4246.47	6646.17	5858.99	7632.67	6394.79	8158.69	5297.19
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.45	0.20	0.45	0.17	0.55	0.00	0.55	0.00	0.25	0.00
कुल (1)	18212.95	15128.24	16550.89	17944.74	24037.77	20991.58	27800.55	23399.87	30435.08	23471.89
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	3530.66	2703.04	3826.02	2664.30	6352.73	3159.37	6856.83	4218.43	6466.40	4722.50
संवितरित क्रृष्ण एवं अग्रिम	439.26	319.98	415.01	307.56	1328.02	217.10	829.37	600.81	838.40	221.91
लोक क्रृष्ण का प्रतिदान	809.50	1190.21	1505.67	1299.43	1403.18	1639.01	1627.05	2183.06	1809.02	1996.92
अंतरराज्यिक भुगतान						75.40		100.00	0.00	50.00
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण*	7332.05	7290.30	9065.67	7399.85	11762.85	9727.77	18519.83	13416.31	13929.71	14094.33
अंतिम रोकड़ शेष		757.13		(-0.41)		116.85		704.75	0.00	1285.48
कुल (2)	12111.47	12260.66	14812.37	11670.73	20846.78	14935.50	27833.08	21223.36	23043.53	22371.14
सकल योग (1+2)	30324.42	27388.90	31363.26	29615.47	44884.55	35927.08	55633.63	44623.23	53478.61	45843.03

(स्रोत: राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं बजट का स्पष्टीकरण ज्ञापन)

* रोकड़ शेष निवेश एवं विभागीय शेष को छोड़कर

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

कुल बजट के ₹ 43,122 करोड़¹ के विरुद्ध 2013-14 में राज्य के समेकित निधि में ₹ 30,413 करोड़ का कुल व्यय² हुआ। राज्य का कुल व्यय 2009-10 से 2013-14 के दौरान 57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 19,341 करोड़ से ₹ 30,413 करोड़ तक बढ़ गया और राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 15,128 करोड़ से 2013-14 में 55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 23,472 करोड़ हो गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय 51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 11,370 करोड़ से ₹ 17,184 करोड़ तक बढ़ा एवं पूँजीगत व्यय 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹ 2,703 करोड़ से ₹ 4,722 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय में से राजस्व व्यय 77 से 81 प्रतिशत था एवं पूँजीगत व्यय 12 से 16 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 11.98 प्रतिशत था, जबकि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 14.67 प्रतिशत चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से बढ़ी।

1.1.3 सतत् बचतें

16 मामलों (15 विभागों) में, पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक मामले में 10 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचतें हुईं, जैसा कि तालिका-1.1.2 में वर्णित है:

तालिका-1.1.2: 2009-14 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदान की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व दत्तमत						
1	1-कृषि एवं गन्जा विकास विभाग	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)
2	2-पशुपालन विभाग	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)
3	17- वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	3.79 (11)	8.27 (17)	11.24 (18)	27.17 (38)	8.18(13)
4	18-खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	98.68 (28)	84.27 (13)	168.00 (15)	307.90 (28)	570.55(50)
5	19- बन एवं पर्यावरण विभाग	61.60 (23)	68.35 (23)	52.20 (19)	48.17 (15)	60.50(18)
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)
7	23- उद्योग विभाग	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)	120.80 (41)
8	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	162.39 (23)	148.44 (19)	193.07 (23)	232.43 (25)	308.12(30)
9	35- योजना एवं विकास विभाग	72.02 (82)	14.00 (46)	291.78 (58)	594.38 (88)	533.61(32)
10	40-राजस्व एवं भू-सुधार विभाग	47.00 (17)	27. 94 (11)	79.15 (24)	77.17 (23)	125.67(32)
11	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)
12	49- जल संसाधन विभाग	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)
13	51- कल्याण विभाग	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)	247.96(28)

¹ मूल अनुदान ₹ 39,549 करोड़ एवं अनुप्रकृत अनुदान ₹ 3,573 करोड़ सम्मिलित है।

² कुल व्यय में, लोक लेखा संवितरण एवं अंतर्राजिक भुगतान सम्मिलित नहीं हैं।

पूँजीगत दत्तमत						
14	10- उर्जा विभाग	383.67 (61)	132.56 (32)	1130.05 (87)	252.30 (32)	591.54(77)
15	41- सड़क निर्माण विभाग	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)	174.55(10)	348.68(16)
16	49- जल संसाधन विभाग	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

कोष्ट में दिए गए अंकों पूर्ण अनुदान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत बतलाया गया है

1.1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरित निधि

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के माध्यम के बिना, सीधे ₹ 2,601.80 करोड़ स्थानान्तरित किया। राज्य में ऐसा कोई भी अभिकरण नहीं जो भारत सरकार (भा.स.) द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरित निधियों की निगरानी करे तथा निधि का किसी वर्ष विशेष में सर्वप्रमुख योजनाओं एवं अन्य प्रमुख योजनाओं पर कितना व्यय किया गया, जिनका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों एवं वित्त-पोषण सीधे केन्द्र सरकार (भा.स.) द्वारा किया जा रहा है, इसके तैयार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के कंडिका 1.2.2 (पृष्ठ 10) में इसका विवरण दिया गया है।

1.1.5 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.1.3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर योजना अनुदान	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	982.97	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83
केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	55.05	8.62	66.87	30.81	28.28
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए अनुदान	633.28	990.24	1235.16	914.05	1150.96
कुल	2816.63	4107.25	5257.41	4822.21	4064.98
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में वृद्धि	33	46	28	(-8)	(-16)
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	18.63	21.87	23.45	19.47	15.55

1.1.6 लेखापरीक्षा का योजना निर्माण एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैया के आधार पर जोखिम आकलन एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के साथ शुरू होती हैं। इस जोखिम आकलन के आधार पर,

लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ सौंपा जाता है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाएँगे। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए कार्रवाई की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के गवर्नर को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2013-14 में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा राज्य के 331 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और 24 स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। साथ ही, आठ निष्पादन लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं एवं महत्वपूर्ण लेखा-संबंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगाने पर यदि कार्य स्थल पर इसे सुलझाया नहीं जाता है तो, ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अद्वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, 31 मार्च 2014³ तक लंबित 2,917 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित कुल 18,277 प्रेक्षण तालिका-1.1.4 में दिये गए हैं:

³ 30 सितम्बर 2013 तक निर्गत नि.प्र. एवं कंडिकाएं जो 31 मार्च 2014 तक लंबित, सम्मिलित हैं।

तालिका-1.1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	संबद्ध राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	2032	13375	10335.33
2.	सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	885	4902	11181.5
	कुल	2917	18277	21516.83

2013-14 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 27 बैठकें हुई जिनमें 26 नि.प्र. एवं 586 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

सितम्बर 2013 तक 33 विभागों से संबंधित 1,590 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2014 को 2,917 नि.प्र. से संबंधित ₹ 21,516.83 करोड़ के वित्तीय मूल्यांकन के 18,277 कंडिकाएँ लंबित थे। इन 2,917 नि.प्र. एवं 18,277 कंडिकाओं के लंबित मामलों की वर्ष-वार स्थिति **परिशिष्ट-1.1.1** एवं अनियमितताओं के प्रकार **परिशिष्ट-1.1.2** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा नि.प्र. का संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहे फलस्वरूप उत्तरदायित्व का हास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार इन मामलों में रुचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वविवेक से कार्रवाई (व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ) प्रारंभ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उन पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई या लिए जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई को इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित जाँच कर विस्तृत टिप्पणी भी प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2013 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के संबंध में 31 अगस्त 2014 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका-1.1.5** में दिया गया है:

तालिका-1.1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या	विभागों से अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या
सिविल/ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर पी.एस.यू. क्षेत्र)	2008-2009 तक		227	137	90
	2009-2010	29.08.2011	23	9	14
	2010-2011	06.09.2012	21	5	16
	2011-2012	27.07.2013	39	1	38
	2013-2014	05.08.2014	19	-	-
कुल			329	152	158
राज्य वित्त	2008-2009 तक		12	1	11
	2009-2010	29.08.2011	12	1	11
	2010-2011	06.09.2012	16	5	11
	2011-2012	27.07.2013	13	1	12
	2013-2014		10	-	10
कुल			63	8	55

1.1.8.1 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना

झारखण्ड विधान सभा, कार्य एवं प्रक्रिया के नियम 315(2) के अन्तर्गत स्थाई आदेश संख्या 41(1) के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा किए गए अनुशंसाओं को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के छ: माह के भीतर विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समस्त की गई कार्रवाई की नोट (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना था।

यह देखा गया कि लोक लेखा समिति, झारखण्ड ने वर्ष 1999-2000 से 2011-2012 के लिए आठ कंडिकाएँ एवं 11 उप कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की थी। लेकिन दिसम्बर 2014 तक विभागों से उपरोक्त कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं पर कोई ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुआ।

1.1.9 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित आंतरिक नियंत्रण के गुणवत्ता में कमी पर लेखापरीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखापरीक्षा नागरिकों को सेवा प्रदेयता को सुधारने तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर ध्यान दिया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर अपना प्रत्युत्तर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए छ: सप्ताह के भीतर भेजना है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि झारखण्ड विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के कंडिकाओं को

शामिल करने की संभाव्यता के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रधान महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गई।

प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबद्ध अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसरित भी किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संबद्ध प्रशासनिक सचिवों को आठ निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं 13 प्रारूप कंडिकाएँ अग्रसरित की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित सभी मामले एवं प्रारूप कंडिकाओं के केवल दो मामलों पर सरकार के जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन देनों, परिचालन संबंधी गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें (डी.पी.सी.) की धारा 19(3) के अनुसार राज्य में तीन स्वायत्त निकायों⁴ के लेखाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं का समर्पण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने एवं इनका विधान मंडल में प्रस्तुतिकरण को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया। सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(3) के अंतर्गत रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौंपा गया जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। यद्यपि, सक्रिय अनुनय के बावजूद फरवरी 2015 तक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक लेखे नहीं जमा किए गए।
- (ii) झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के लिए नवम्बर 2013 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) निर्गत किया गया था। राज्य विधान मंडल में उनके प्रस्तुतिकरण को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए सुपुर्दगी प्राप्त नहीं की गयी है (फरवरी 2015)।

⁴ (i) रिम्स, (ii) झालसा एवं (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)।

(iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूरा कर वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. निर्गत किए गए। यद्यपि, वर्ष 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए राज्य विधान मंडल में उनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति के विषय में नवम्बर 2013 तक सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2015)।

अध्याय-2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-2

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

2.1 संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

कार्यकारी सांराश

भारत सरकार ने खुले में शौच की आदत को खत्म करने के व्यापक उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने हेतु समुदाय आधारित एक व्यापक कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को वर्ष 1999 में प्रारंभ किया। कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, पूर्णतः स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों के लिए उपलब्धि उपरांत एक पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना (एन.जी.पी.) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में 2003 में प्रारंभ किया गया। एन.जी.पी. की सफलता से उत्साहित होकर स्वच्छता आच्छादन में तेजी लाते हुए सभी ग्राम पंचायतों (जी.पी.) के साथ 2022 तक निर्मल भारत के वृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से टी.एस.सी. को 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) का नाम दिया गया। झारखण्ड में इस योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-10 से 2013-14 (पाँच वर्षों) की अवधि को शामिल करते हुए मई 2014 और सितम्बर 2014 के बीच की गई। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुछ की चर्चा नीचे की गयी है:

- कार्यकारी अभिकरणों की स्थापना में महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ तथा टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन की संस्थागत व्यवस्था योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित संस्थागत व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी।

(कंडिका 2.1.6)

- कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) 2009-14 के दौरान अपने पास उपलब्ध कुल निधियों (₹ 449.25 करोड़) में से केवल 58 प्रतिशत (₹ 262.65 करोड़) का ही उपयोग कर सका था। वर्षवार निधियों का उपयोग 10 से 32 प्रतिशत के बीच रहा। पी.एम.यू. ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को निधि विमुक्त करने में 31 से 226 दिनों की देरी की।

(कंडिका 2.1.7.1 एवं 2.1.7.2)

- पी.एम.यू. ने सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक माँग/जरूरत का आकलन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक एवं आधारभूत सर्वेक्षण के बिना ही लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। वार्षिक कार्यान्वयन की योजनायें (ए.आई.पी.) जी.पी./प्रखंड से कोई सूचना प्राप्त किये बिना जिला स्तर पर तैयार की गयी और इस प्रकार माँग आधारित वृष्टिकोण के साथ योजना कार्यान्वयन की मूल अवधारणा विफल हो गई।

(कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

- 2009-14 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों के लिए 6.60 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) निर्मित किये गये जो लक्ष्य (28.72 लाख आई.एच.एच.एल.) का 23 प्रतिशत था। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले (ए.पी.एल.) परिवारों के मामले में 25.74 लाख आई.एच.एच.एल. के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 1.51 लाख आई.एच.एच.एल. (छ: प्रतिशत) था।

(कंडिका 2.1.9.1)

- मार्च 2014 तक केवल 22 प्रतिशत (5.84 लाख) बी.पी.एल. परिवारों और सात प्रतिशत (1.75 लाख) ए.पी.एल. परिवारों के पास कार्यरत शौचालय थे। आगे, 2012-13 के आधारभूत सर्वेक्षण के दौरान, बी.पी.एल. परिवारों के 8.99 लाख आई.एच.एच.एल. की पहचान ध्वस्त शौचालय के रूप में की गई। इस प्रकार, इन ध्वस्त शौचालयों पर कम से कम ₹ 44.93 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान व्यर्थ गया।

(कंडिका 2.1.9.1)

- पी.एम.यू. 2012-14 के दौरान निर्धारित सूचना, शिक्षा और प्रसार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का केवल 18 प्रतिशत ही क्रियान्वित कर सका।

(कंडिका 2.1.11)

- वास्तव में पूर्ण स्वच्छता आच्छादन प्राप्त किए बिना ही ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से/के लिए पुरस्कृत/चिन्हित किया गया।

(कंडिका 2.1.14)

- लेखा और अंकेक्षण के निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदित और वास्तविक आँकड़ों में भिन्नता थी। विभिन्न अधिकारियों के पास ₹ 4.34 करोड़ का अग्रिम 16 से 100 महीनों से लंबित था।

(कंडिकाएँ 2.1.15.1 एवं 2.1.15.2)

- राज्य से ग्राम स्तर तक के कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निर्धारित बैठकों के संचालन में कमी थी। एन.बी.ए. के कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया था। राज्य समीक्षा मिशन द्वारा राज्य में टी.एस.सी./एन.बी.ए. के प्रभाव की समीक्षा अभी की जानी थी।

(कंडिकाएँ 2.1.17.1, 2.1.17.2 एवं 2.1.17.4)

2.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने खुले में शौच की आदत को खत्म करने के व्यापक उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने हेतु समुदाय आधारित एक व्यापक कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को वर्ष 1999 में प्रारंभ किया।

टी.एस.सी. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन में तेजी लाकर 2017 तक सभी को शौचालय उपलब्ध कराना था। टी.एस.सी. माँग आधारित योजना थी तथा सूचना, शिक्षा और प्रसार (आई.ई.सी.), क्षमता निर्माण और आदत में प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए साफ-सफाई की शिक्षा पर जोर देती थी। रुरल सेनेटरी मार्ट (आर.एस.एम.) एवं उत्पादन केन्द्र (पी.सी.) के समर्थन से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.), स्कूल शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.), आँगनबाड़ी शौचालय इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं।

कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों के लिए उपलब्धि उपरान्त एक पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.), एक प्रोत्साहन योजना के रूप में 2003 में प्रारंभ की गई थी। एन.जी.पी. की सफलता से उत्साहित होकर 01 अप्रैल 2012 से टी.एस.सी. को निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। एन.बी.ए., संतृप्त परिणामों के लिए पूरे समुदाय को आच्छादित कर निर्मल ग्राम पंचायतों को बनाने की परिकल्पना करती है। एन.बी.ए. का उद्देश्य व्यापक रूप से ग्रामीण समुदाय को आच्छादित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन में तेजी लाना था ताकि देश के सभी ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति की प्राप्ति के साथ 2022 तक निर्मल भारत की दृष्टि प्राप्त करना और सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत आच्छादित नहीं किए गए शेष स्कूलों को तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों को अच्छादन करना था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्ल्यू.एस.डी.), झारखण्ड सरकार नोडल विभाग है। टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (पी.एम.यू.), एक निबंधित सोसाइटी, की स्थापना जुलाई 2004 में हुई थी। सचिव, डी.डब्ल्यू.एस.डी., पी.एम.यू. के प्रमुख हैं और उन्हें मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक (सी.ई.ई.डी.), पी.एम.यू. सहयोग करते हैं। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) जिला स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है। प्रमुख, जिला परिषद् डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अध्यक्ष होते हैं जो कि उपायुक्त (कार्यकारी अध्यक्ष) एवं सदस्य सचिव सह कार्यपालक अभियन्ता, डी.डब्ल्यू.एस. प्रमंडल के द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। प्रखंड जल एवं स्वच्छता समिति (बी.डब्ल्यू.एस.सी.) जिसके प्रधान प्रखंड प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति (जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी.) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (भी.डब्ल्यू.एस.सी.) जिसके प्रधान ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, प्रखंड, ग्राम पंचायत (जी.पी.) एवं ग्राम स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

एन.बी.ए. की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित किया गया कि:

- आयोजना प्रक्रिया प्रभावी था और योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निधियों का आवंटन, लेखांकन एवं उपयोग किया गया;
- लाभार्थी का चयन पारदर्शी था और बुनियादी ढांचे का निर्माण/उन्नयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था;
- सूचना, शिक्षा और प्रसार रणनीति स्वच्छता की मांग पैदा करने में प्रभावी था;
- अन्य कार्यक्रमों के साथ एन.बी.ए. के अभिसरण को प्रभावी ढंग से हासिल किया गया था; तथा
- कार्यक्रम का अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा मानक निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए मानक के अनुरूप तय किये गये:

- 2007-2012 के बीच जारी किए गए टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशानिर्देश;
- आई.ई.सी. के दिशानिर्देश और अन्य अधिसूचनाएँ, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य द्वारा जारी किए गए परिपत्र और आदेश, और
- राज्य सरकार के लागू वित्तीय नियम।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

टी.एस.सी./एन.बी.ए. की निष्पादन लेखापरीक्षा, 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के लिए मई और सितम्बर 2014 के बीच की गई। लेखापरीक्षा, पी.एम.यू., 24 में से छ.¹ डी.डब्ल्यू.एस.एम., 74 में 17² प्रखण्डों तथा 330 में से 101³ ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में की गयी। 101 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में 1,115 लाभुकों का सर्वेक्षण तथा निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन संयुक्त दल

¹ धनबाद, दुमका, गुमला, गढ़वा, रामगढ़ और राँची का चयन प्रोबैबिलिटी प्रोपोरशनेट टू साइज विथ रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा किया गया जहाँ कुल अनुमोदित परियोजना लागत को साइज का आधार माना गया।

² धनबाद: बलियापुर और गोविन्दपुर, दुमका: जामा और जरमुण्डी: गुमला, भरनो, घाघरा और गुमला; गढ़वा: मेराल, मझागाँव, नगर उटारी और गढ़वा; रामगढ़: मांडू और पतरातू; और राँची: चान्हों, माण्डर, नामकुम और सिल्ली।

³ धनबाद: 15, दुमका: 13, गुमला :14, गढ़वा: 19, रामगढ़: 20 और राँची :20 सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड द्वारा चयनित।

(लेखापरीक्षा दल के सदस्य और कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारी/ प्रतिनिधि) द्वारा किया गया।

पी.एम.यू. के मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक के साथ मई 2014 को एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं पद्धति तथा नमूनों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा के लिए सचिव, डी.डब्ल्यू.एस.डी. के साथ फरवरी 2015 में एक समापन सम्मेलन आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग के उत्तर को प्रतिवेदन में समुचित तरीके से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

टी.एस.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरे विभागों/योजनाओं के साथ समन्वय और अभिसरण प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव/विकास आयुक्त के नेतृत्व में तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) बनाया जाना था। राज्य स्तर पर टी.एस.सी. के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ-साथ आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए एस.डब्ल्यू.एस.एम. के समर्थक इकाई के रूप में प्रसार एवं क्षमता विकास इकाई (सी.सी.डी.यु.) को स्थापित किया जाना था। जिला स्तर पर जिला पंचायत (जिला पंचायत के अभाव में डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को टी.एस.सी. का कार्यान्वयन करना था।

एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2012) के अनुसार चार स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र यथा राज्य स्तर पर एस.डब्ल्यू.एस.एम. और राज्य योजना स्वीकृति समिति (एस.एस.सी), जिला स्तर पर डी.डब्ल्यू.एस.एम., प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्र और ग्राम स्तर पर भी.डब्ल्यू.एस.सी. को स्थापित किया जाना था। जल एवं स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) जिसका विलय सी.सी.डी.यु. के साथ होना था, जिला योजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम.यु) तथा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) को कार्यान्वयन ऐजेन्सियों के समर्थक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना था।

हमने पाया कि:

- झारखण्ड सरकार ने टी.एस.सी. के कार्यान्वयन के लिए नीतियाँ बनाने हेतु दिसम्बर 2000 में विभिन्न विभागों के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय उच्च निकाय का गठन करने का संकल्प लिया था। हालाँकि, 2009-14 के दौरान यह उच्च निकाय कार्यरत नहीं था।
- विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एस.डब्ल्यू.एस.एम. के गठन के बदले सचिव, डी.डब्ल्यू.एस.डी. के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) राज्य में टी.एस.सी./एन.बी.ए. का कार्यान्वयन कर रही थी। एस.डब्ल्यू.एस.एम. का गठन

जुलाई 2013 में जाकर हुआ, हालाँकि, यह अकार्यरत रहा और पी.एम.यू. लगातार योजना को कार्यान्वित कर रहा था। चूंकि पी.एम.यू. के पास संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व नहीं था जैसा कि एस.डब्ल्यू.एस.एम. के गठन में प्रस्तावित था, योजना को कार्यान्वित करने में संबंधित विभागों के बीच समन्वय का अभाव था। इस समन्वय के अभाव के कारण, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के तहत बनाए गए आवासों में टी.एस.सी./एन.बी.ए. के तहत प्राथमिकता के आधार पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.9.3 में की गई है।

- जल और स्वच्छता समर्थन संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) को नवंबर 2009 में स्थापित किया गया लेकिन डी.पी.एम.यू. के बल की स्वीकृति में विलम्ब एवं डी.पी.एम.यू./बी.आर.सी. में कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी के कारण दूसरी समर्थन इकाईयाँ अर्थात् जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयाँ (डी.पी.एम.यू.) और प्रखंड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) ने नमूना-जाँचित छ: जिलों में तीन साल से अधिक देरी से (2013-14 से) कार्यकलाप शुरू किया।
- झारखण्ड में पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.) के अभाव में, उपायुक्त (डी.सी.) 2011-12 तक डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अध्यक्ष थे। राज्य में पी.आर.आई. के अस्तित्व में आने के बाद, पंचायती राज के सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ डी.डब्ल्यू.एस.एम. का पुर्नगठन 2011-12 में हुआ तथा डी.डब्ल्यू.एस.एम. की कार्यकारी समिति के रूप में जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी.) का गठन हुआ। डी.डब्ल्यू.एस.एम. जिले के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.)/वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए.आई.पी.) के अनुमोदन के लिए जिम्मेवार था। हालाँकि, योजना के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल सभी छ: नमूना-जाँचित जिलों में डी.डब्ल्यू.एस.एम के स्थान पर डी.डब्ल्यू.एस.सी., पी.आई.पी./ए.आई.पी. का अनुमोदन कर रही थी।

इस प्रकार, टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था, योजना के निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं था और योजना कार्यान्वयन अभिकरणों की स्थापना में भी उल्लेखनीय विलम्ब हुआ था। यह स्वच्छता सुविधाओं के लक्ष्यों के धीमी प्राप्ति के कारणों में से एक था।

विभाग ने कार्यान्वयन अभिकरणों की स्थापना/क्रियाकलाप में देरी को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और कहा कि इन अभिकरणों को जल्द ही क्रियाशील किया जाएगा।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

2.1.7.1 निधि का कम खर्च

टी.एस.सी./एन.बी.ए. एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। एस.डब्ल्यू.एस.एम. को विमुक्त योजना निधि में घटकवार केन्द्रीय अंश, राज्यांश और परिवारों/ जी.पी. से योगदान (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के मामले में) शामिल

रहता है। आई.एच.एच.एल. के निर्माण की इकाई लागत को एन.बी.ए. के अन्तर्गत संशोधित किया गया था तथा टी.एस.सी. के तहत क्रमशः ₹ 1,500 और ₹ 4,000 के विरुद्ध इसको क्रमशः सामान्य क्षेत्र के लिए ₹ 5,500 और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के लिए ₹ 6,000 तक बढ़ाया गया था।

2009-10 से 2013-14 के दौरान पी.एम.यू. को विमुक्त राशि, व्यय और अव्ययित शेष राशि को तालिका-2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.1: 2009-14 के दौरान टी.एस.सी./एन.बी.ए. के तहत निधि का प्रवाह

वर्ष	आंतरिक शेष	प्राप्तियाँ (ब्याज सहित)	उपलब्ध राशि	व्यय		अंतर्शेष
				राशि	प्रतिशत	
2009-10	90.77	121.93	212.70	58.50	28	154.20
2010-11	154.20	71.02	225.22	71.88	32	153.34
2011-12	153.34	95.76	249.10	24.21	10	224.89
2012-13	224.89	61.52	286.41	27.89	10	258.52
2013-14	258.52	8.25	266.77	80.17	30	186.60
योग		358.48	449.25 ⁴	262.65		

(स्रोत: 2009-13 के लिए पी.एम.यू. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 2013-14 का व्यय प्रतिवेदन)।

जैसा कि तालिका-2.1.1 में दिखाया गया है, 2009-14 के दौरान पी.एम.यू. अपने पास उपलब्ध राशि में से केवल 58 प्रतिशत (₹ 262.65 करोड़) का ही उपयोग कर सका। आगे, वर्षवार निधियों का उपयोग 10 से 32 प्रतिशत के बीच रहा। 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित छ: जिलों (**परिशिष्ट-2.1.1**) में निधि का उपयोग ₹ 76.82 करोड़ था जो कि उपलब्ध निधि का 50 प्रतिशत था। इस प्रकार, निधि की उपलब्धता के बावजूद, शौचालय निर्माण के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में धीमी प्रगति, आई.ई.सी. गतिविधियों और मानव बल के प्रशिक्षण पर कम व्यय के कारण कार्यान्वयन अभिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन पर खर्च नहीं कर सके।

उत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि व्यय और कार्य के प्रगति में सुधार के प्रयास किए जा रहे थे।

2.1.7.2 कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों की विमुक्ति में देरी

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एस.डब्ल्यू.एस.एम. को केंद्रीय अनुदान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के हिस्से के साथ-साथ केन्द्रीय अनुदान को डी.डब्ल्यू.एस.एम. को विमुक्त करना था। उसी तरह डी.डब्ल्यू.एस.एम. को निधि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इसे ग्राम पंचायतों/भी.डब्ल्यू.एस.सी. को विमुक्त करना था। हमने देखा कि:

- राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान ₹ 130 करोड़ का अपना हिस्सा, केंद्रीय अनुदान की विमुक्ति के बाद 235 से 302 दिनों की देरी के साथ पी.एम.यू. को

⁴ अप्रैल 2009 में ₹ 90.77 करोड़ का आंतरिक शेष + 2009-14 के दौरान ₹ 358.48 करोड़ की प्राप्ति।

विमुक्ति किया। आगे, पी.एम.यू. ने डी.डब्ल्यू.एस.एम. को निधि विमुक्ति करने में 31 से 226 दिनों की देरी की।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2015) कि केन्द्रीय हिस्से के विमुक्ति के पश्चात प्रक्रिया और निकासी में देरी के कारण विमुक्ति में देरी हुई और भविष्य में समय से जिलों में धनराशि स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उक्त कारणों को दो से नौ महीने की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- 2009-12 के दौरान, टी.एस.सी. के विभिन्न घटकों को गैर सरकारी संगठन और विभागीय अधिकारी कार्यान्वित कर रहे थे और कार्य की प्रगति के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया। 2012-13 से, भी.डब्ल्यू.एस.सी. ने एन.बी.ए. के घटकों का कार्यान्वयन किया और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भी.डब्ल्यू.एस.सी. को निधि विमुक्ति करना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भी.डब्ल्यू.एस.सी. को उनके द्वारा प्रस्तुत माँग के आधार पर निधि विमुक्ति किए गया था।
- पी.एम.यू. द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं करने की वजह से भारत सरकार ने 2013-14 के दौरान अपना हिस्सा विमुक्ति नहीं किया। विभाग ने भी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा यू.सी. समर्पित नहीं किये जाने को इसका वजह ठहराया (फरवरी 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा निधि हस्तांतरण में योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.7.3 वृद्धित यू.सी. का प्रस्तुतीकरण

उच्च अधिकारियों को वृद्धित यू.सी. समर्पित किया गया।

हमने पाया कि नमूना-जाँचित जिलों ने 2009-14 (**परिशिष्ट-2.1.1**) के दौरान पी.एम.यू. को वृद्धित यू.सी. प्रस्तुत किया। आगे, पी.एम.यू. ने ₹ 27.89 करोड़ के वास्तविक व्यय के विरुद्ध भारत सरकार को यू.सी. के माध्यम से 2012-13 के दौरान ₹ 49.66 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया। इस प्रकार, पी.एम.यू. ने ₹ 21.77 करोड़ का वृद्धित यू.सी. प्रस्तुत किया।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि जिलों द्वारा प्रस्तुत यू.सी. के आधार पर भारत सरकार को ₹ 49.66 करोड़ का यू.सी. प्रस्तुत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यू.सी. अंकेक्षित विवरणी के अनुसार नहीं था।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2.1.8 शुरूआती गतिविधियाँ

2.1.8.1 आवश्यक सर्वेक्षण नहीं किया गया

विभाग ने वास्तविक माँग एवं जरूरत की पहचान के लिए आवश्यक प्रारंभिक या आधारभूत सर्वेक्षण किये बिना लक्ष्य निर्धारित किया।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के कंडिका 5 और 18 के अनुसार, जिला स्तर पर टी.एस.सी. के योजना प्रस्तावों की तैयारी के लिए, परियोजना की शुरूआत एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के साथ होना था जिसमें स्वच्छता और सफाई आदि की स्थिति, सफाई के प्रति लोगों के व्यवहार तथा स्वच्छता में सुधार के लिए माँग आदि का आकलन करना था। जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) की तैयारी, प्रारंभिक अभिविन्यास और मानवबल के प्रशिक्षण के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण (बी.एल.एस.) भी किया जाना था।

हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों (फरवरी 2000 और जुलाई 2008 के बीच) के आधार पर विभाग कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा था। हालाँकि, नमूना-जाँचित जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार स्वच्छता सुविधाओं की वास्तविक माँग का आकलन करने के लिए कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था। एन.बी.ए. की शुरूआत (अप्रैल 2012) के बाद, गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के ऐसे परिवारों की पहचान करने जो एन.बी.ए. के तहत पात्र थे तथा निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) की स्थिति के आकलन के लिए जिले के अभिकरणों द्वारा एक आधारभूत सर्वेक्षण 2012-13 के दौरान किया गया।

विभाग ने समापन सम्मेलन में प्रारंभिक सर्वेक्षण नहीं होने की बात स्वीकार की (फरवरी 2015)।

सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की वस्तविक माँग/जरूरत की सूक्ष्म पहचान के लिए विभाग को प्रारंभिक /आधारभूत सर्वेक्षण कराना चाहिए।

2.1.8.2 वार्षिक कार्यान्वयन योजना को तैयार करना

जी.पी. स्तर पर ए.आई.पी. नहीं बनाया गया जो कि माँग आधारित अवधारणा के विरुद्ध था।

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छता आच्छादन की प्रत्याशित प्रगति के आधार पर वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए.आई.पी.) सबसे पहले जी.पी. स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। जी.पी. की योजना को प्रखण्ड कार्यान्वयन योजना में समेकित किया जाना चाहिए। डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रखण्ड योजनाओं को समुचित रूप से समेकित करते हुए जिला कार्यान्वयन योजना तैयार करनी चाहिए।

हमने पाया कि जी.पी./प्रखण्ड से कोई सूचना प्राप्त किये बिना जिला स्तर पर ए.आई.पी. तैयार किया गया। जमीनी स्तर पर ए.आई.पी. की तैयारी के अभाव में डी.डब्ल्यू.एस.एम. तथा पी.एम.यू. का ए.आई.पी. केवल एक लक्ष्य आधारित योजना दस्तावेज था जिसमें लाभुकों की सूचनाएँ शामिल नहीं थी। इस तरह से, योजना को

कार्यान्वित करने की मूलभूत अवधारणा जो कि माँग आधारित होनी चाहिए थी, विफल रही।

2.1.8.3 अस्तित्वविहीन आई.एच.एच.एल. के कारण एन.बी.ए. के अंतर्गत पी.आई.पी. के लक्ष्यों में संशोधन

राज्य के संशोधित पी.आई.पी. (2014) के अनुसार, 51.60 लाख ग्रामीण परिवार थे। इनमें से 15.82 लाख परिवारों को पहले ही मार्च 2012 तक टी.एस.सी. के तहत आच्छादित किया गया था। अतः शेष 35.78 लाख (51.60 लाख-15.82 लाख) परिवारों को एन.बी.ए. के अंतर्गत अप्रैल 2012 से आई.एच.एच.एल. निर्माण से आच्छादित करना था। हालाँकि, यह देखा गया कि एन.बी.ए. के अन्तर्गत आई.एच.एच.एल. के लिए 35.78 लाख परिवारों के लक्ष्य के बजाय 37.13 लाख परिवारों का लक्ष्य तय किया गया। लक्ष्य में 1.35 लाख (37.13 लाख-35.78 लाख) आई.एच.एच.एल. का अधिक पुनरीक्षण इस तथ्य के कारण था कि 2012-13 के आधारभूत सर्वेक्षण में केवल 14.47 लाख घर शौचालययुक्त पाये गये। इस प्रकार, 1.35 लाख आई.एच.एच.एल. जिनको यद्यपि मार्च 2012 तक निर्मित करने का दावा किया गया था, अस्तित्वविहीन थे।

1.35 लाख अस्तित्वविहीन आई.एच.एच.एल. में से 1.12 लाख आई.एच.एच.एल. बी.पी.एल. घरों⁵ में निर्मित प्रतिवेदित किये गये, जिसमें कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 5.60 करोड़⁶ का प्रोत्साहन भुगतान सम्मिलित था। अस्तित्वविहीन 1.12 लाख बी.पी.एल. आई.एच.एच.एल. के लिए भुगतित प्रोत्साहन राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि पी.आर.आई./भी.डब्ल्यू.एस.सी. के आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया। विभाग ने अस्तित्वविहीन आई.एच.एच.एल. के संबंध में विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

2.1.8.4 पी.आई.पी. में एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिए अपर्याप्त लक्ष्य

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्ण एवं स्थायी स्वच्छता के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) परियोजनाओं का प्रावधान करना था।

हमने देखा कि नमूना-जाँचित छ: जिलों में से दो (रामगढ़ और राँची) जिलों में 2014 के संशोधित पी.आई.पी. में आवश्यक 446 एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजनाओं के

⁵ 1.35 लाख अस्तित्वविहीन आई.एच.एच.एल. में से 1.34 लाख बी.पी.एल आई.एच.एच.एल. था। आगे, 22,497 अस्तित्वविहीन बी.पी.एल आई.एच.एच.एल. धनबाद जिला में थे जिसे पुनरीक्षित पी.आई.पी. में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों को 2009 में धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मान्यता दी गयी। इस प्रकार, 22,497 आई.एच.एच.एल. को अलग करते हुए लेखापरीक्षा में गणना को 1.12 लाख आई.एच.एच.एल. (1.34 लाख-0.22 लाख) तक सीमित रखा गया है।

⁶ न्यूनतम प्रोत्साहन राशि ₹ 500 प्रति शौचालय की दर से 1.12 लाख शौचालयों के लिए गणना की गई है।

छिलाफ 345 एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजनाओं के लिए ₹ 69 करोड़⁷ का प्रावधान किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और कहा कि खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) करने वाले शेष ग्राम पंचायतों को आवश्यक एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजनाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

2.1.9 आई.एच.एच.एल. का निर्माण

2.1.9.1 आई.एच.एच.एल. निर्माण की भौतिक प्रगति

संशोधित पी.आई.पी. के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों के लिए 26,26,849 आई.एच.एच.एल. इकाईयों तथा ए.पी.एल. परिवारों के लिए 26,68,203 आई.एच.एच.एल इकाईयों का लक्ष्य⁸ निर्धारित था। इनमें से बी.पी.एल. के लिए 14,83,327 आई.एच.एच.एल इकाईयों (56 प्रतिशत) तथा ए.पी.एल. के लिए 2,32,122 आई.एच.एच.एल इकाईयों (नौ प्रतिशत) का निर्माण राज्य में वर्ष 2013-14 तक किया गया था। 2013-14 के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार इन निर्मित शौचालयों में से बी.पी.एल. लाभुकों के 8.99 लाख आई.एच.एच.एल. तथा ए.पी.एल. लाभुकों के 0.57 लाख आई.एच.एच.एल. ध्वस्त हो गये थे। इस प्रकार, मार्च 2014 तक बी.पी.एल. परिवारों के पास केवल 22 प्रतिशत (5.84 लाख) तथा ए.पी.एल. परिवारों के पास केवल सात प्रतिशत (1.75 लाख) उपयोगी शौचालय थे। पुनः ध्वस्त शौचालयों में सन्निहित कम से कम ₹ 44.93 करोड़⁹ के नगद प्रोत्साहन का भुगतान व्यर्थ गया।

वर्ष 2009-14 के दौरान आई.एच.एच.एल. निर्माण का भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि तालिका-2.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.2: 2009-14 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	बी.पी.एल. के लिए आई.एच.एच.एल.		ए.पी.एल. के लिए आई.एच.एच.एल.	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	538000	270839 (50)	शून्य	64753
2010-11	704352	264958 (38)	662991	31720 (5)
2011-12	1014201	41458 (4)	1233423	12021 (1)
2012-13	392968	39702 (10)	355359	8798 (2)
2013-14	222754	43327 (19)	322497	33491 (10)
कुल	2872275	660284 (23)	2574270	150783 (6)

स्रोत: ए.आई.पी. और एम.आई.एस. डाटा। कोण्ठ में दिए गए अंक प्रतिशत इंगित करते हैं।

⁷ रामगढ़ :143 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 125 एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिए ₹ 25 करोड़ और राँची: 303 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 220 एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिए ₹ 44 करोड़।

⁸ मार्च 2012 तक की उपलब्धि जोड़ संशोधित पी.आई.पी. (जुलाई 2014) में प्रस्तावित शेष लक्ष्य।

⁹ बी.पी.एल. परिवारों के 8.99 लाख ध्वस्त शौचालयों के लिए न्यूनतम प्रोत्साहन ₹ 500 प्रति शौचालय की दर से गणना किया गया है।

तालिका-2.1.2 से देख सकते हैं कि बी.पी.एल. कोटि में आई.एच.एच.एल. निर्माण की प्रगति पिछले तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) में धीमी थी तथा लक्ष्य का चार से 19 प्रतिशत के बीच थी। उसी तरह ए.पी.एल. कोटि में आई.एच.एच.एल. निर्माण की प्रगति पिछले चार साल में एक से 10 प्रतिशत के बीच थी। पुनः वर्ष 2011-12 से आई.एच.एच.एल. निर्माण के लक्ष्य को घटाया गया, जो कार्यकलापों में कमी को दर्शाता था। कार्यकारी अभिकरणों के गठन में देरी, टी.एस.सी. के तहत ए.पी.एल. परिवारों के लिए नगद प्रोत्साहन राशि का अभाव और अपर्याप्त आई.इ.सी. कार्यकलापों का संचालन जो स्वच्छता की माँग को बढ़ा सकते थे, आई.एच.एच.एल. निर्माण की कम उपलब्धि के मुख्य कारण थे जैसा कि कंडिका 2.1.6 और 2.1.11 में वर्णित था।

विभाग के कहा (फरवरी 2015) कि ध्वस्त शौचालय वैसी इकाईयाँ थीं जिसने अपना उपयोगी जीवन काल पूरा कर लिया था। जवाब यह इंगित करता है कि स्थायी स्वच्छता सुविधा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। कम उपलब्धि के बारे में कहा गया कि काम में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा था।

2.1.9.2 निर्माण में लाभुकों की गैर-भागीदारी

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार आई.एच.एच.एल. का निर्माण परिवारों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति एवं जरूरत के अनुसार मूल्य संवर्धन या बुनियादी इकाई का विस्तार करने में योगदान कर सकें।

हमने देखा कि 2009-12 के दौरान बी.पी.एल. परिवारों में आई.एच.एच.एल. निर्माण या तो गैर सरकारी संगठनों या विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया। भी.डब्ल्यू.एस.सी. के माध्यम से टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के बाद भी 2012-14 के दौरान आई.एच.एच.एल. का निर्माण या तो गैर सरकारी संगठनों या भी.डब्ल्यू.एस.सी. के माध्यम से किया जा रहा था। लाभुक सर्वेक्षण के दौरान बहुत कम लाभुकों ने कहा कि उनको आई.एच.एच.एल. निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। शौचालय निर्माण में लाभुकों की गैर भागीदारी के कारण लाभुक शौचालय के निर्माण के बाद उनके रख-रखाव और निर्मित शौचालयों के उन्नयन से दूर रहे जिसके कारण निर्मित आई.एच.एच.एल. में से 60 प्रतिशत (15.82 लाख¹⁰ में से 9.56 लाख) मार्च 2012 तक ध्वस्त हो गये।

विभाग ने जवाब (फरवरी 2015) दिया कि पी.आर.आई/भी.डब्ल्यू.एस.सी. के माध्यम से शौचालय निर्माण में लाभुकों की भागीदारी के लिए प्रयास किया जा रहा था।

हम अनुशंसा करते हैं कि स्वच्छता और शौचालय के रख रखाव के लाभों के बारे में लाभुकों को जागरूक रखने के लिए, शौचालयों के निर्माण में लाभुकों की भागीदारी को सुनिश्चित की जानी चाहिए।

¹⁰ 2012-13 का बेसलाईन सर्वे।

2.1.9.3 इंदिरा आवास योजना के घरों में शौचालयों के कम प्रावधान

ग्रामीण विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश जारी (मई 2011 से जुलाई 2012) किए कि इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के मकानों को प्राथमिकता के आधार पर टी.एस.सी. के तहत आच्छादित किया जाए।

हमने पाया कि पी.एम.यू. ने आई.ए.वाई. के तहत 2013 में बनने वाले मकानों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया। जबकि, 2013 के पहले आई.एच.एच.एल. के बिना निर्मित आई.ए.वाई. के मकानों को ध्यान में नहीं रखा गया। 18,687 के लक्ष्य के विरुद्ध, नमूना-जाँचित छ: में से चार¹¹ जिलों ने मार्च 2014 तक केवल 14,130 शौचालयों के निर्माण को प्रारंभ किया था। इस प्रकार इंदिरा आवास योजना के मकानों को एन.बी.ए. के तहत पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं किया गया था। विभाग ने इंदिरा आवास योजना के मकानों को पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं होने का कारण संबंधित विभागों के साथ समन्वय में कमी बताया (जनवरी 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि एन.बी.ए. के तहत प्राथमिकता के आधार पर आई.ए.वाई. के मकानों को पूर्णरूपेण आच्छादित करने के लिए संबंधित एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए।

2.1.9.4 संयुक्त भौतिक सत्यापन में पायी गई अनियमितताएँ

17 प्रखण्डों तथा 101 ग्राम पंचायतों में संबंधित कनीय अभियंताओं, जिला समन्वयकों तथा मुखिया/जल सहिया के साथ 1,115 लाभुकों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित तथ्य पता चला:

- कुल 1,115 आई.एच.एच.एल. में से केवल 339 आई.एच.एच.एल. (30 प्रतिशत) का उपयोग किया जा रहा था, 657 आई.एच.एच.एल. (60 प्रतिशत) ध्वस्त पाये गये, 62 आई.एच.एच.एल. अस्तित्वविहीन थे, 47 अधूरे थे (यद्यपि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान इनका निर्माण शुरू किया गया) और 10 निर्मित आई.एच.एच.एल. का लाभुकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था (परिशिष्ट-2.1.2)। हालाँकि, 47 अर्द्धनिर्मित शौचालयों के लिए ₹ 1.16 लाख के प्रोत्साहन राशि (42 आई.एच.एच.एल. के लिए ₹ 93,575 तथा 5 आई.एच.एच.एल. के लिए ₹ 23,000) का भुगतान एजेंसियों को किया गया था।

¹¹ दुमका, गढ़वा, गुमला और रामगढ़।



इसके जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि भी.डब्ल्यू.एस.सी. को राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था और कार्य प्रगति पर था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित अभिश्रवों से खुलासा हुआ कि प्रोत्साहन का भुगतान एजेंसियों को 47 अद्विनिमित शौचालय के लिए किया गया था।

- राँची जिला के सिल्ली प्रखण्ड में, 33 बी.पी.एल. लाभुकों का चयन आवश्यक बी.पी.एल संख्या के बजाय यूनिक पहचान (यू.आई.डी.)/राशन कार्ड संख्या के आधार पर किया गया। इस प्रकार लाभुकों के बी.पी.एल. होने की सत्यता को स्थापित नहीं किया जा सका। पुनः 29 लाभुकों के लिए आई.एच.एच.एल. का निर्माण एक ही बी.पी.एल. संख्या के विरुद्ध दो या अधिक आई.एच.एच.एल. को दिखाते हुए केवल 13 बी.पी.एल. संख्या के विरुद्ध दिया गया था।

विभाग ने जवाब (फरवरी 2015) दिया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यू.आई.डी. और राशन कार्ड वैध दस्तावेज थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यू.आई.डी. और राशन कार्ड पहचान सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बी.पी.एल. लाभार्थी की पहचान के लिए मान्य नहीं थे।

2.1.10 घरेलू शौचालय के अलावे अन्य का लक्ष्य एवं उपलब्धि

राज्य स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. के तहत घरेलू शौचालय के अलावे 2009-14 के दौरान अन्य घटकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों को तालिका-2.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.3: अन्य घटकों के लक्ष्य एवं उपलब्धि

घटक	2009-14 के दौरान लक्ष्य	2009-14 के दौरान उपलब्धि	2009-14 के दौरान वर्ष वार उपलब्धि का प्रतिशत
स्कूल शौचालय	14859	9809 (66)	23 से 60
आँगनबाड़ी शौचालय	13826	5842 (42)	11 से 45
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	2464	232 (9)	5 से 15
तरल एवं ठोस कचड़ा प्रबंधन	8998	217 (2)	0 ¹² से 5

तालिका-2.1.3 से देख सकते हैं कि वर्ष 2009-14 के दौरान, स्कूल शौचालयों/आँगनबाड़ी शौचालयों/सामुदायिक स्वच्छता परिसर/तरल एवं ठोस कचड़ा

¹² धनबाद, गढ़वा, गुमला तथा रामगढ़ में कोई उपलब्धि नहीं।

प्रबन्धन के लक्ष्य के विरुद्ध वर्षवार उपलब्धि शून्य से 60 प्रतिशत के बीच थी। विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि कार्य में प्रगति के लिए प्रयास किया जा रहा था।

2.1.10.1 स्कूल शौचालय

अधीक्षण अभियंता, जल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद ने ₹ 1.63 करोड़ की अनुमानित लागत से 443 स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए निविदाएँ आमंत्रित (नवंबर 2007) की। 293 इकाई शौचालयों के निर्माण के लिए ₹ 1.13 करोड़ का नौ एकरारनामा किया गया (दिसंबर 2007)। इनमें से ठेकेदारों द्वारा ₹ 72.94 लाख के व्यय पर केवल 182 इकाई शौचालयों का ही निर्माण किया गया और शेष 111 शौचालय अभी भी अधूरे (मार्च 2014) थे। जबकि डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सभी 293 इकाईयों को पूर्ण दिखाया गया था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि शेष काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा था।

2.1.10.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सी.एस.सी. का निर्माण केवल अनुमोदित लक्ष्य के आधार पर लिया गया था न कि

आई.एच.एच.एल. कि निर्माण की असंभावना के आधार पर।

टी.एस.सी. के दिशानिर्देशों (जून 2010) के कंडिका 5 के अनुसार, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) का निर्माण केवल तब किया जाना चाहिए जब घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए गाँव में जगह की कमी हो। हमने पाया कि:

- डी.डब्ल्यू.एस.एम., राँची ने ₹ 77.80 लाख की अनुमानित लागत पर 39 जी.पी. में 39 सी.एस.सी. के निर्माण के लिए ₹ 56.49 लाख का अग्रिम भी.डब्ल्यू.एस.सी. को दिया (जुलाई 2009 से मार्च 2012 के बीच)। हालाँकि, इन जी.पी. का चयन सी.एस.सी. के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं था, क्योंकि बाद में इन ग्राम पंचायतों के लिए आई.एच.एच.एल. अनुमोदित किये गये। पुनः हमने देखा कि मार्च 2014 तक केवल 18 सी.एस.सी. पूर्ण हुए थे, जबकि शेष 21 सी.एस.सी. प्रथम अग्रिम दिये जाने के 25 से 57 महीने से अधिक बीतने के बाद भी अधूरे थे। डी.डब्ल्यू.एस.एम., राँची को निर्मित सी.एस.सी. की संचालन स्थिति और रखरखाव के बारे में भी पता नहीं था। विभाग ने जवाब (फरवरी 2015) दिया कि अधूरे सी.एस.सी. के लिए भी.डब्ल्यू.एस.सी. को नोटिस निर्गत किया गया था।
- गढ़वा जिला में विभिन्न उच्च विद्यालयों में ₹ 37.81 लाख¹³ के व्यय पर 19 सी.एस.सी. का निर्माण किया गया। गढ़वा प्रखण्ड के तीन स्कूलों¹⁴ के भौतिक सत्यापन में पता चला कि सी.एस.सी. उपयोग में नहीं थे।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि यह डी.डब्ल्यू.एस.सी., गढ़वा के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन स्कूल परिसर

¹³ एक सी.एस.सी. की अनुमानित लागत ₹ 1.99 लाख के आधार पर गणना की गई।

¹⁴ गोविन्द इंटर हाई स्कूल, राम साहू हाई स्कूल और राजकीय गल्लस हाई स्कूल।

में सी.एस.सी. के निर्माण से सामुदायिक शौचालय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी।

2.1.11 सूचना शिक्षा और प्रसार गतिविधियाँ

पी.एम.यू. ने 2012-14 के दौरान ₹ 76.72 करोड़ के अनुमानित व्यय पर सूचना, शिक्षा और प्रसार (आई.ई.सी.) की 3,92,731 गतिविधियों¹⁵ का लक्ष्य तय किया। इसके विरुद्ध ₹ 8.68 करोड़ के व्यय पर केवल 72,033 (18 प्रतिशत) गतिविधियों का संचालन किया जा सका। दीवार लेखन, होर्डिंग, मेलों का आयोजन और आई.ई.सी. सामग्री का वितरण संचालित गतिविधियों के मुख्य हिस्से थे तथा अन्य गतिविधियों जैसे द्वार-द्वार प्रचार प्रसार, दृश्य और प्रिंट मीडिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इस प्रकार पी.एम.यू. और नमूना-जाँचित जिलों में तय आई.ई.सी. गतिविधियों का संचालन नहीं हो सका जबकि उनके पास पर्याप्त निधि उपलब्ध थी।

विभाग ने जवाब (फरवरी 2015) दिया कि शौचालयों का कम निर्माण कम आई.ई.सी. होने का कारण था तथा बहुत से जिलों में घर-घर आई.ई.सी. हुआ था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.ई.सी. गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य शौचालय की माँगों को बढ़ाना था और इस प्रकार कम शौचालय का निर्माण कम आई.ई.सी. गतिविधियों का कारण नहीं होना चाहिए था।

2.1.12 ग्रामीण स्वच्छता मार्ट और उत्पादन केन्द्र

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)/गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा ग्रामीण स्वच्छता मार्ट¹⁶ (आर.एस.एम.) और उत्पादन केंद्रों¹⁷ (पी.सी.) को संचालित किया जाना था। डी.डब्ल्यू.एस.एम. को आर.एस.एम. और पी.सी. के साथ समझौता (एम.ओ.यू.) करने के साथ संयुक्त निगरानी की एक प्रणाली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उत्पादन आयोजना के साथ सही दिशा में थे, विकसित करना था।

पी.एम.यू. की रिपोर्ट के अनुसार नमूना-जाँचित जिलों में मार्च 2014 तक 121 आर.एस.एम. और 179 पी.सी. कार्यरत थे। हालाँकि, इस प्रतिवेदन के प्रतिकूल हमने पाया कि ये आर.एस.एम. और पी.सी. अकार्यरत थे और भी.डब्ल्यू.एस.सी. स्वच्छता सामग्रियों की खरीद स्थानीय बाजारों या कहीं और से कर रहे थे।

¹⁵ गीत और नाटक, दीवार पेंटिंग, होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक, मेले, चित्र, समूह बैठकें, स्कूल ऐलियाँ, प्रदर्शनियाँ, रेडियो स्पॉट, ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, कार्यशाला, ग्रामीणों की बैठकें, अंतर व्यक्तिगत संचार, द्वार-द्वार प्रचार प्रसार, आई.ई.सी. सामग्री का वितरण आदि।

¹⁶ सामग्री, शौचालयों, सोखता और खाद गड्ढे, वाशिंग प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए हार्डवेयर और आवश्यक डिजाइन तथा अन्य स्वच्छता और सफाई के सामान आदि से संबंधित एक वाणिज्यिक आउटलेट।

¹⁷ स्थानीय स्तर पर प्रभावी लागत और स्स्ती स्वच्छता सामग्री का उत्पादन करने के लिए।

इस प्रकार, नमूना-जाँचित जिलों ने शौचालयों के निर्माण के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति शृंखला बनाए रखने के लिए आर.एस.एम./पी.सी. की स्थापना/निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया था जो कि योजना के तहत निम्न उपलब्धि के कारणों में से एक था।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि जी.पी. स्तर पर राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था जो शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ आपूर्ति शृंखला बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। हालाँकि, राजमिस्त्री आपूर्ति शृंखला को कैसे सुनिश्चित करते, इस पर उत्तर मौन रहा।

योजना के दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार विभाग को शौचालयों के निर्माण के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति शृंखला स्थानीय बजार में बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.13 परिक्रामी निधि का उपयोग न होना

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 50 लाख¹⁸ का इस्तेमाल परिक्रामी निधि के रूप में किया जाना था और इसे विश्वसनीय सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूह को (i) आर.एस.एम./पी.सी. के संचालन के लिए, (ii) ए.पी.एल. परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए और (iii) वैसे निजी मकान मालिकों को जहाँ आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे थे, को कम लागत वाले वित्त के रूप में उपलब्ध कराया जाना था।

हमने देखा कि नमूना-जाँचित जिलों के पास परिक्रामी निधि के लिए अलग खाते नहीं थे। हालाँकि, शौचालय निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों, भी.डब्ल्यू.एस.सी. और विभागीय अधिकारियों को प्रदत्त अग्रिम परिक्रामी निधि से अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि परिक्रामी निधि के लिए अलग खाते की कोई जरूरत नहीं थी और अग्रिम माँग के अनुसार दिए गए थे। उत्तर टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल था जो ऊपर वर्णित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिक्रामी निधि की स्थापना की वकालत करती थी।

2.1.14 निर्मल ग्राम पुरस्कार

एन.जी.पी. के लिए जी.पी. की पहचान बिना उनके वास्तव में पूर्ण स्वच्छता आच्छादन के किया गया।

टी.एस.सी. को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों की सम्पूर्ण स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रयासों का पहचान करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) की शुरूआत की। हमने देखा कि:

¹⁸ टी.एस.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार वैकल्पिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित राशि के पाँच प्रतिशत के प्रतिबंध के साथ ₹ 50 लाख की राशि और एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला परियोजना परिव्यय के पाँच प्रतिशत, अधिकतम ₹ 50 लाख तक।

- नमूना-जाँचित राँची जिले के ग्यारह ग्राम पंचायतों¹⁹ को 2012-13 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालाँकि, 2012-13 के आधारभूत सर्वेक्षण (बी.एल.एस.) के अनुसार, इन ग्राम पंचायतों (जी.पी.) में से आठ²⁰ जी.पी. में 36 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं थे और 43 फीसदी परिवारों के शौचालय ध्वस्त थे।
- तीन जिलों²¹ के 44 नमूना-जाँचित जी.पी. में से 16 जी.पी. की पहचान 2012-13 में निर्मल ग्राम पंचायत के रूप में की गई। लेकिन 2013-14 के संशोधित पी.आई.पी. के अनुसार, इन जी.पी. में 16,445 परिवार थे जिनमें से 11,822 परिवारों (72 प्रतिशत) के पास शौचालय नहीं था। इस प्रकार, जी.पी. को वास्तव में पूर्ण स्वच्छता प्राप्त किए बिना ही निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि 2012-13 में राँची जिले के किसी जी.पी. को एन.जी.पी. के रूप में सम्मानित नहीं किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन.जी.पी. प्रदान किए जाने से संबंधित जानकारी डी.डब्ल्यू.एस.एम., राँची के अभिलेखों में उपलब्ध था।

2.1.15 योजनाओं के क्रियान्वयन में अन्य अनियमितताएं

2.1.15.1 निर्धारित लेखा और अंकेक्षण प्रक्रियाओं से विचलन

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी लेन-देन के लिए एक ही बचत बैंक खाते का संधारण करना था। एस.डब्ल्यू.एस.एम./डी.डब्ल्यू.एस.एम. की वार्षिक लेखा का सालाना अंकेक्षण एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाना था। हमने पाया कि:

- नमूना-जाँचित छ: जिलों में से, धनबाद और गढ़वा क्रमशः दो और चार बैंक खातों का संधारण कर रहे थे।
- नमूना-जाँचित छ: में से चार²² जिलों में कार्यान्वयन अभिकरणों ने रोकड़ बही शेष और बैंक शेष का मिलान नहीं किया था। रोकड़ बही के अनुसार मार्च 2014 को शेष ₹ 5.13 करोड़ अधिक था (*परिशिष्ट-2.1.3*)। विभाग ने दुमका जिले में ₹ 1.06 करोड़ की विसंगति को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और आगे बताया कि अन्य संबंधित प्रमण्डलों से विसंगतियों पर जवाब माँगा गया था।
- पी.एम.यू. के 2012-13 के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2013 को विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पास ₹ 21.77 करोड़ का अग्रिम बकाया था। इसमें से, नमूना-जाँचित छ: जिलों में अग्रिम के रूप में ₹ 14.42 करोड़ बकाया था। हालाँकि,

¹⁹ बेड़ो: मालती और तुतला, काँके: जयपुर, रातु: रातु पश्चिम, अनगड़ा: अनगड़ा, बुण्ड़: ताउ, बुढ़मू: गुरगाई, चान्हो: तरंगा, अड़की: अड़की, औरमांझी: चकला और तमाड़: तमाड़।

²⁰ तीन जी.पी. का बी.एल.एस. डाटा लेखापरीक्षा के पास प्रस्तुत नहीं किया गया था।

²¹ धनबाद, रामगढ़ और राँची।

²² धनबाद, दुमका, गढ़वा और राँची।

नमूना-जाँचित जिलों के रोकड़ बहियों के अनुसार मार्च 2013 को बकाया अग्रिम केवल ₹ 3.47 करोड़ था।

- पी.एम.यू. की 2012-13 की सी.ए. की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जिलों के पास अंतर्शेष (बैंक शेष और अग्रिम) के अलावा ₹ 27.68 करोड़ जमा के रूप में दिखाया गया था। हालाँकि, वे जिले जहाँ ये जमा थे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं थे। आगे नमूना-जाँचित छ: जिलों के अभिलेखों में इस अतिरिक्त निधि का लेखांकन कहीं भी नहीं मिला। सरकार भी इस मामले को स्पष्ट नहीं कर सकी।

हम अनुशंसा करते हैं कि विसंगतियों से बचने के लिए निधि का उचित लेखांकन/अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.15.2 अग्रिमों का समायोजन

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 के साथ जारी निर्देश (नवंबर 1985) के अनुसार, अग्रिम को उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि विभिन्न अधिकारियों²³ के विरुद्ध ₹ 4.34 करोड़ (**परिशिष्ट-2.1.4**) का अग्रिम लंबित था जिसे 2005-06 से 2012-13 के दौरान व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, आई.ई.सी. गतिविधियों और स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए दिया गया था। इस प्रकार ये अग्रिम 16 से 100 महीने से लंबित था जो कि लेखा संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि बकाया अग्रिमों को समायोजित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

विभाग को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर ही अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.15.3 अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं किया जाना

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) जिलों अर्थात् वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में शौचालय निर्माण के लिए, अतिरिक्त प्रोत्साहन²⁴ स्वीकार्य था।

हमने पाया कि, झारखण्ड के 14 आई.ए.पी. जिलों में निर्मित शौचालयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की न तो योजना बनाई गई और न ही भुगतान किया गया। इसके अलावा, पी.एम.यू. द्वारा भारत सरकार को जुलाई 2014 में प्रस्तुत संशोधित पी.आई.पी. में भी आई.ए.पी. जिलों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 14 आई.ए.पी. जिलों (**परिशिष्ट-2.1.5**) में शौचालय के लिए ₹ 99.69 करोड़ के भारत सरकार का हिस्सा सहित ₹ 102.20 करोड़ का कम प्रावधान किया गया।

²³ जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सहायक/कनीय अभियंता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और गैर सरकारी संगठन।

²⁴ व्यक्तिगत शौचालय: ₹ 500, स्कूल शौचालय: ₹ 3,500 और आँगनबाड़ी शौचालय: ₹ 2,000।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और कहा कि इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार को एक पत्र भेजा जाएगा।

2.1.15.4 एम.आई.एस. और अंकेश्वित प्रतिवेदनों के आँकड़ों में विसंगतियाँ

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार ने एन.बी.ए./टी.एस.सी. के लिए एक ऑनलाइन पर्यवेक्षण प्रणाली यथा मैनेजमेंट इन्फार्मेसन सिस्टम (एम.आई.एस.) विकसित किया। सभी प्रोजेक्ट जिलों को इस ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना था।

हमने पाया कि हर वित्तीय वर्ष (2009-13) के अंत में एम.आई.एस. और ऑडिट रिपोर्ट में दिखाए गये अव्यवहृत शेष में विसंगतियाँ थी। मार्च 2013 को ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अव्यवहृत शेष ₹ 258.52 करोड़ था जबकि एम.आई.एस. के अनुसार यह ₹ 211.44 करोड़ था। इस प्रकार, एम.आई.एस. के आँकड़ों की विश्वसनीयता को बुनियादी अभिलेखों का एम.आई.एस. आँकड़ों के साथ-साथ प्रतिपरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं दिया।

2.1.16 मानव बल प्रबंधन

2.1.16.1 मानव बल की स्थिति

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त मानव बल²⁵ के साथ डब्ल्यू.एस.एस.ओ., डी.पी.एम.यू. और बी.आर.सी. को स्थापित करना था। हमने पाया कि:

- राज्य स्तर पर, 44 कर्मचारी तैनात थे जो निर्धारित 17 पद की तुलना में 27 अधिक थे और उनको एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी./एन.बी.ए. की निधि से भुगतान किया गया था।
- प्रति जिला छ: समन्वयकों के निर्धारित पद के खिलाफ राँची जिले को छोड़कर, जहाँ जिला समन्वयक के सात पद स्वीकृत थे, नमूना-जाँचित पाँच जिलों के डी.पी.एम.यू. में दो से तीन समन्वयकों के पद स्वीकृत थे। पुनः, नमूना-जाँचित छ: में से चार²⁶ जिलों में स्वीकृत 14 पद के खिलाफ केवल आठ जिला समन्वयक पदस्थापित थे (मार्च 2014)।

²⁵ एक निदेशक, आठ सलाहकार/समन्वयक, पाँच सहायक राज्य समन्वयक, एक लेखाकार और दो डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ डब्ल्यू.एस.एस.ओ., छ: सलाहकार/समन्वयक, एक लेखाकार और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ डी.पी.एम.यू. और प्रखंड और क्लस्टर (तीन से चार ग्राम पंचायतों का समूह) समन्वयकों के साथ बी.आर.सी।

²⁶ धनबाद: तीन के खिलाफ दो, दुमका: दो के खिलाफ एक, रामगढ़: दो के खिलाफ एक, राँची: सात के खिलाफ चार।

- नमूना-जाँचित छ: में से चार²⁷ जिलों के 31 प्रखंडों में प्रखंड समन्वयकों की नियुक्ति नहीं की गई थी (2009-13)।
- नमूना-जाँचित छ: में से तीन²⁸ जिलों में कोई समर्थक कर्मचारी (लेखापाल या डी.ई.ओ.) नहीं थे।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी पदस्थापित किए गए थे और रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। तथ्य यह है कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई जिसकी पुष्टि नमूना-जाँचित डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा की गई।

2.1.16.2 तय मानव संसाधन विकास गतिविधियों की अप्राप्ति

टी.एस.सी. के दिशानिर्देशों (जून 2010) के अनुसार, वर्ष के दौरान किए जाने वाले मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को दिखाते हुए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए.आई.पी.) तैयार किया जाना था।

हमने पाया कि, पी.एम.यू. ने 2012-14 के दौरान ₹ 7.17 करोड़ के अनुमानित व्यय पर 27,657 मानव संसाधन विकास गतिविधियों²⁹ का लक्ष्य तय किया था जिसके विरुद्ध ₹ 1.32 करोड़ के व्यय के साथ केवल 3,241 (12 प्रतिशत) गतिविधियों को ही आयोजित किया जा सका। विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के अलावा, साथी एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, जी.एस.एफ., डब्ल्यू.एस.पी.-एस.ए. और के.आर.सी. के द्वारा भी प्रशिक्षण गतिविधियों को आयोजित किया गया और उनके खाते में दिखाया गया था। तथ्य यह है कि ए.आई.पी. के अनुसार प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

2.1.17 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

2.1.17.1 निर्धारित बैठकों का नहीं होना

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों और डी.डब्ल्यू.एस.डी. के निर्देशों के अनुसार, टी.एस.सी./एन.बी.ए. के आयोजना और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर कार्यकारी अभिकरणों को बैठक करनी थी। हमने देखा कि :

- पी.एम.यू. के पास एस.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों से संबंधित अभिलेख नहीं था यद्यपि इसे छ: माह में एक बार मिलना था।
- हर साल अपेक्षित चार बैठकों के खिलाफ, नमूना-जाँचित जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष एक या दो बार ही बैठकें की। नमूना-जाँचित जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.सी. ने भी हर साल निर्धारित 12 बैठकों के

²⁷ धनबाद: छ: प्रखंड, दुमका: 10 प्रखंड, गुमला: 11 प्रखंड, और रामगढ़: 4 प्रखंड।

²⁸ धनबाद, गुमला और रामगढ़।

²⁹ राज्य से प्रखंड स्तर के अधिकारियों, भी.डब्ल्यू.एस.सी., पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य (आशा) कार्यकर्त्ताओं, राज मिस्त्री आदि को प्रशिक्षण और बाल संसद आयोजित करना।

विरुद्ध प्रतिवर्ष (2011-14) केवल एक से आठ बैठकें आयोजित की। नमूना-जाँचित छ: जिलों में से चार³⁰ जिलों में डी.डब्ल्यू.एस.एम./डी.डब्ल्यू.एस.सी. ने कुछ वर्षों (2009-14) में एक भी बैठक नहीं किया।

- प्रखंड जल एवं स्वच्छता समिति (बी.डब्ल्यू.एस.सी.) और ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति (जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी.) को त्रैमासिक और भी.डब्ल्यू.एस.सी. को मासिक बैठक करनी थी और बैठकों की कार्यवाही डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत करनी थी। इन निकायों द्वारा आयोजित बैठकों की कार्यवाही नमूना-जाँचित जिलों में नहीं पाई गई। नमूना-जाँचित जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी./ भी.डब्ल्यू.एस.सी. ने बैठकों का आयोजन केवल लाभुकों के चयन और ग्राम सभा से उनके अनुमोदन के लिए किया।

बैठकों के संचालन में कमी यह इंगित करता था कि टी.एस.सी./एन.बी.ए. की आयोजना/कार्यान्वयन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि सभी निकायों की बैठकें आवश्यकतानुसार हुई थी। उत्तर में तथा पी.एम.यू. और नमूना-जाँचित जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों में विरोधाभास था।

विभाग को कार्यक्रम की आयोजना/कार्यान्वयन पर उचित ध्यान देने के लिए हर स्तर पर आवश्यक बैठकों को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.17.2 सामाजिक अंकेक्षण

निरंतर एवं व्यापक लोक सतर्कता के तौर पर “सामाजिक अंकेक्षण” के प्रावधान हेतु एन.बी.ए. की मार्गदर्शिका (पारा-17) में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत (जी.पी.) प्रत्येक माह में एक दिन “स्वच्छता दिवस” मनायेगा तथा प्रत्येक छ: माह में “ग्राम स्वच्छता सभा” (जी.एस.एस.) का आयोजन करेगा। इसका उपयोग एन.बी.ए. के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, सहभागिता, परामर्श एवं स्वीकृति, जवाबदेही तथा शिकायत निराकरण के तत्वों के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। इन बैठकों की कार्यवाही, डी.डब्ल्यू.एस.एम. को दी जानी थी।

हमने देखा कि नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता दिवस या जी.एस.एस. का आयोजन नहीं किया। नमूना-जाँचित डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने भी ग्राम पंचायतों को कभी भी निर्धारित बैठकों को बुलाने के लिए निर्देशित नहीं किया। इन बैठकों के अभाव में एन.बी.ए. के कार्यान्वयन में समुदायों की सहभागिता नहीं हो सकी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि “स्वच्छता दिवस” तथा “ग्राम स्वच्छता सभा” का आयोजन एन.बी.ए. के आवश्यकतानुसार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज ना तो नमूना-जाँचित जिलों में ना ही ग्राम पंचायतों में पाये गये।

³⁰ धनबाद: 2012-13 और 2013-14, गढ़वा: 2013-14, गुमला: 2012-13 और राँची: 2013-14।

2.1.17.3 शिकायत निवारण

हमने देखा कि शिकायत पंजीया या प्राप्त शिकायतों की संख्या, शिकायत की प्रकृति, शिकायतों का स्रोत, शिकायतों का निपटान, निपटान की अवधि आदि का अभिलेख पी.एम.यू. नमूना-जाँचित, डी.डब्ल्यू.एस.एम. या जी.पी. स्तर के कार्यकारी अभिकरणों द्वारा संधारित नहीं किया गया था। शिकायतों आम तौर पर उच्च अधिकारियों के भ्रमण के दौरान या डी.सी. के पास दर्ज कराई जाती थी जो निपटारे के लिए डी.डब्ल्यू.एस.एम. को अग्रेषित किए जाते थे।

इस प्रकार, टी.एस.सी./एन.बी.ए. के तहत एक व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र राज्य में स्थापित नहीं किया गया था।

उत्तर में विभाग ने कहा कि राज्य स्तर पर दो टॉल फ्री नंबर संचालित किये जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शिकायतों और उनके निष्पादन की स्थिति का उचित प्रलेखन पी.एम.यू. में नहीं हो रहा था।

2.1.17.4 आवधिक मूल्यांकन

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य को कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा टी.एस.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करवाना चाहिए। इसके अलावा, विशिष्ट क्षेत्र/ऑनसाइट सुरक्षित और किफायती अपशिष्ट निपटान, प्रौद्योगिकी के लिए सुधार अध्ययन/अनुसंधान किये जाने थे।

हमने देखा कि डी.डब्ल्यू.एस.डी. ने सचिव, डी.डब्ल्यू.एस.डी. की अध्यक्षता में लाइन विभागों³¹ के सदस्यों के साथ एक राज्य समीक्षा मिशन (एस.आर.एम.) का गठन केवल 2013 में किया था। एस.आर.एम. को अभी तक अपना मूल्यांकन अध्ययन शुरू करना था। इस प्रकार, विभाग विशिष्ट क्षेत्र/क्षेत्र के किफायती निपटान के लिए नई तकनीक को नहीं अपना सका।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि पी.एम.यू. ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची के माध्यम से प्रभाव आकलन किया था जिसने अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी थी। हालाँकि, मसौदा रिपोर्ट पर कार्रवाई अभी शुरू किया जाना था और एस.आर.एम. द्वारा अभी मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया जाना था।

2.1.18 निष्कर्ष

- टी.ए.सी./एन.बी.ए. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार कार्यान्वयन एजेंसियों के स्थापना में अत्यधिक विलम्ब हुआ। राज्य में टी.ए.सी./एन.बी.ए. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एस.डब्ल्यू.एस.एम. जिसमें विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व हो के बदले पी.एम.यू. जिसके अध्यक्ष सचिव, डी.डब्ल्यू.एस.डी. थे कर रहा था।

³¹ ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और मानव संसाधन विकास विभाग के उप निदेशक।

- 2009-14 के दौरान पी.एम.यू. ₹ 262.65 करोड़ का उपयोग कर सका जो उपलब्ध निधि का केवल 58 प्रतिशत था। पी.एम.यू. ने भारत सरकार को ₹ 21.77 करोड़ का वृद्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया।
- वास्तविक माँग/सेवाओं की जरूरत का आकलन करने के लिए आवश्यक लाभुकों की प्रारंभिक या आधारभूत सर्वेक्षण के बिना डी.डब्ल्यू.एस.डी. लक्ष्य तय कर रहा था। ए.आई.पी. को जमीनी स्तर से तैयार नहीं किया गया था। जिला स्तरीय ए.आई.पी. केवल एक लक्ष्य आधारित उच्च स्तरीय योजना दस्तावेज था जिसमें लाभुकों की सूचनाओं का समावेश नहीं था।
- 2009-14 के दौरान 6.60 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों के लिए किया गया, जो कि अपने निर्धारित लक्ष्य (28.72 लाख आई.एच.एच.एल.) का 23 प्रतिशत था। गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों के संबंध में, उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य 25.74 लाख आई.एच.एच.एल. के विरुद्ध 1.51 लाख आई.एच.एच.एल. (छ: प्रतिशत) थी। पुनः, 2011-12 के उत्तरार्द्ध के वर्षों में आई.एच.एच.एल. निर्माण अपने निर्धारित लक्ष्य से कम हो गया, जो कि कार्यकलापों में हास को दर्शा रहा था।
- केवल 22 प्रतिशत (5.84 लाख) बी.पी.एल. परिवारों और सात प्रतिशत (1.75 लाख) ए.पी.एल. परिवारों के शौचालय मार्च 2014 को कार्यशील थे। पुनः 2012-13 के आधारभूत सर्वेक्षण में बी.पी.एल. परिवारों के 8.99 लाख आई.एच.एच.एल. ध्वस्त पाये गये। अतः, ध्वस्त शौचालयों पर भुगतान किये गये ₹ 44.93 करोड़ की प्रोत्साहन राशि बेकार हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की माँग को बढ़ाने के लिए पी.एम.यू. द्वारा प्रर्याप्त आई.ई.सी. क्रियाकलापों को नहीं किया गया क्योंकि 2012-14 के दौरान पी.एम.यू. ने निर्धारित आई.ई.सी. कार्यकलापों का केवल 18 प्रतिशत ही संचालित कर पाया।
- मार्च 2014 को कार्यकारी एजेंसियों के पास ₹ 4.34 करोड़ का असमायोजित अग्रिम था। पी.एम.यू. ने 14 आई.ए.पी. जिलों में शौचालय के लिए ₹ 99.69 करोड़ भारत सरकार के अंश के साथ ₹ 102.20 करोड़ के कम राशि का प्रावधान किया।
- क्षेत्र में मानव बल की कमी थी जबकि राज्य स्तर पर अधिक मानव बल लगाये गये थे। पी.एम.यू. 2012-14 के दौरान निर्धारित एच.आर.डी. कार्यकलापों में केवल 12 प्रतिशत ही कर सका था।
- राज्य से ग्राम स्तर तक के कार्यकारी अभिकरणों के निर्धारित बैठकों में कमी पायी गई। एन.बी.ए. कार्यान्वयन में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। राज्य पुनरीक्षण मिशन द्वारा राज्य में टी.ए.सी./एन.बी.ए. के प्रभाव की समीक्षा अभी की जानी थी।

श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

2.2 झारखण्ड में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों की स्थापना एवं उन्नयन

कार्यकारी सारांश

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति समाज के वंचित वर्गों के लिए कौशल विकास के बराबर पहुँच के लिए सभी समाजिक समूहों को विशेष रूप से महिलाओं को सम्मानित रोजगार हासिल करने में उन्हें सहायता प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए राज्य में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (रा.म.आई.टी.आई.) एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों (रा.म.पो.) की स्थापना की गई थी। रा.म.आई.टी.आई. और रा.म.पो. का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना था। झारखण्ड में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों की स्थापना और उन्नयन की निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से सितम्बर 2014 के बीच आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा निम्नलिखित है:

राजकीय महिला आई.टी.आई.

- मार्च 2012 के अंत तक स्थापित किये जाने वाले 16 नए म.आई.टी.आई. में से सिर्फ 10 म.आई.टी.आई. भवनों को पूर्ण किया जा सका। इन 10 म.आई.टी.आई. में से कोई भी आज तक परिचालन में नहीं थे।

(कंडिका 2.2.7)

- ₹ 5.15 करोड़ की धनराशि की उपलब्धता के बावजूद, म.आई.टी.आई. जमशेदपुर और राँची में नए व्यवसायों को खोलने और मौजूदा व्यवसायों के उन्नयन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। दोनों म.आई.टी.आई. में नियमित प्राचार्यों का पदस्थापन नहीं होने के कारण तथा प्रभारी प्रचार्यों को उन्नयन कोष से व्यय करने की शक्ति नहीं थी।

(कंडिका 2.2.8. 1 (अ))

- म.आई.टी.आई. हजारीबाग के लिए निर्मित भवन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा वर्ष 2000 से कब्जा कर लिया गया था, और म.आई.टी.आई. हजारीबाग सामान्य आई.टी.आई. में चल रहा था। फलस्वरूप सामान्य आई.टी.आई. और म.आई.टी.आई. के विद्यार्थी एक ही समय में एक ही कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, जिससे म.आई.टी.आई. की अलग स्थापना के उद्देश्य से वंचित रह गये।

(कंडिका 2.2.8.2 (अ))

- म.आई.टी.आई. हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची में जारी विभिन्न व्यवसायों में 39 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के बीच औजार एवं उपकरण (संयंत्र) की कमी थी।

(कंडिका 2.2.8.2 (ब))

- छ: म.आई.टी.आई. में 67 प्रतिशत शिक्षण कर्मियों और 71 प्रतिशत गैर-शिक्षण कर्मियों की कमी थी।

(कंडिका 2.2.8.3)

- वर्ष 2009-14 के दौरान म.आई.टी.आई. हजारीबाग और जमशेदपुर में स्वीकृत व्यवसायों का 29 से 80 प्रतिशत परिचालित नहीं थे। म.आई.टी.आई. हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची में विभिन्न व्यवसायों में 33 से 86 प्रतिशत स्वीकृत सीटें रिक्त थीं, जिसका कारण इन संस्थानों में अलोकप्रिय व्यवसायों को पढ़ाया जाना था।

(कंडिका 2.2.9.1 और 2.2.9.2)

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक

- सभी तीनों रा.म.पो. के अपग्रेडेशन के लिए ₹ 3.20 करोड़ की निधि सितम्बर 2010 और अगस्त 2013 के बीच प्राप्त हुई, जिसमें ₹ 2.41 करोड़ अनुपयोगी रहा। रा.म.पो. उन्नयन के लिए अनुपयोगी निधि के परिणामस्वरूप कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं में संयंत्रों और उपकरणों की कमी थी। प्रयोगशाला में 54 से 100 प्रतिशत एवं कार्यशालाओं में 42 से 98 प्रतिशत के बीच संयंत्रों और उपकरणों की कमी थी।

(कंडिका 2.2.12.2. और 2.2.12.3)

- सभी तीनों राजकीय म.पो. के प्राचार्यों के पद रिक्त थे। इसके अलावे, नमूना जाँचित तीनों रा.म.पो. में स्वीकृत बल के 42 शिक्षण पदों में से सिर्फ 22 पद भरे गये थे।

(कंडिका 2.2.13.1)

2.2.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों को पूरा करने, जो सभी सामाजिक समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को कौशल विकास के लिए समान अवसर, सम्मानित रोजगार प्राप्त करने में सहायता करती है। उद्योग उत्पादन और विकास के लिए कुशल मानव संसाधन पर निर्भर करते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) और राजकीय पॉलिटेक्निक क्रमशः श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के तहत स्थापित किए थे। आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निकों का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों का एक सतत प्रवाह सुनिश्चित करना था।

झारखण्ड में, 29 आई.टी.आई. (प्रशिक्षु लड़के और लड़कियाँ के लिए) में कुल 11,546 प्रशिक्षुओं को अन्तर्ग्रहण करने की क्षमता थी। इसमें से छ: राजकीय महिला आई.टी.आई.¹ (म.आई.टी.आई.) के सात व्यवसायों में 1,061 प्रशिक्षुओं को अन्तर्ग्रहण करने की क्षमता थी। राज्य सरकार ग्यारहवीं ने पंचवर्षीय योजना (2007-12) में, 16 नए म.आई.टी.आई.² स्थापित करने के लिए लोक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रणाली पर चलाने की योजना बनाई थी।

13 राजकीय पॉलिटेक्निकों में 2,760 विद्यार्थियों को अन्तर्ग्रहण करने की क्षमता हैं, जिसमें राज्य के तीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों³ (रा.म.पो.) के तीन तकनीकी पाठ्यक्रमों में 648 लड़कियों के अंतर्ग्रहण होने की क्षमता शामिल हैं।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

म.आई.टी.आई. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं जिसका मुखिया प्रधान सचिव हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्राचार्य म.आई.टी.आई. के प्रशासनिक प्रधान हैं। राज्य में पॉलिटेक्निक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, जिसका प्रधान अपर मुख्य सचिव हैं। संस्थागत स्तर पर, प्राचार्य पॉलिटेक्निक के प्रशासनिक प्रधान हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा गठित राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.भी.टी.), एक सलाहकार निकाय जो शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं उपकरण, आधारभूत संरचना के परिमाण, आई.टी.आई. में प्रशिक्षण की विधि एवं पाठ्यक्रमों की अवधि का मानक निर्धारित किया। एन.सी.भी.टी. द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नीति लागू करने में राज्य सरकार को सलाह देने और राज्य भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन करने के लिए राज्य अभिकरण के रूप में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.भी.टी.) संचालित था।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- राजकीय म.आई.टी.आई. एवं राजकीय म.पो. (जी.डब्ल्यू.पी.) में व्यवसायों/पाठ्यक्रमों के उन्नयन के लिए योजना, अनाच्छादित जिलों में नया म.आई.टी.आई. की स्थापना एवं निधियों का आबंटन एवं उसकी उपयोगिता दक्ष एवं प्रभावी थे;
- म.आई.टी.आई. और राजकीय म.पो. में मानव संसाधन प्रबंधन एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दक्ष एवं प्रभावी थे; एवं

¹ राजकीय म.आई.टी.आई. चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, लातेहार एवं राँची।

² बोकारो, डालटेनगंज, धनबाद, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताडा, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ और सिमडेगा।

³ रा.म.पो. बोकारो, जमशेदपुर एवं राँची।

- म.आई.टी.आई. एवं राजकीय म.पो. में अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रतिस्थापित एवं पर्याप्त थे।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष हेतु निम्नलिखित मापदण्ड उपयोग में लाए गये थे:

- कौशल विकास से संबंधित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं एन.सी.भी.टी. के मापदण्डों;
- झारखण्ड वित्तीय नियमों एवं झारखण्ड कोषागार संहिता;
- भारत सरकार द्वारा निर्गत किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण मैनुअल एवं
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा (फरवरी से सितम्बर 2014) छ: म.आई.टी.आई. में से तीन म.आई.टी.आई. (हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची) एवं सभी तीनों रा.म.पो. (बोकारो, जमशेदपुर एवं राँची) के वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अभिलेखों का नमूना जाँच की गई। 16 नव निर्मित/निर्माणाधीन में से चार म.आई.टी.आई. (बोकारो, खूंटी, लोहरदगा एवं रामगढ़) को निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु चयन⁴ किया गया, जिसे पी.पी.पी. प्रणाली के तहत चलाया जाना था। इसके अलावा, निदेशालय स्तर पर म.आई.टी.आई. एवं रा.महिला पो. के भी क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक के साथ प्रारंभिक बैठक फरवरी 2014 को हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड तथा पद्धति पर चर्चा किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए समापन बैठक सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ क्रमशः दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 को आयोजित की गई। समापन बैठक के दौरान सभी अनुशंसाओं को दोनों विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सरकार के जवाबों को समुचित रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

⁴ नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति के द्वारा चयन किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकीय महिला आई.टी.आई.

2.2.6 वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने छ: म.आई.टी.आई. को अवधि 2009-14 के दौरान प्रशासन ("वेतन" के उप-शीर्ष के तहत) के लिए राशि ₹ 8.37 करोड़ आवंटित किए। राज्य सरकार द्वारा निधियों का आबटंन एवं उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय **तालिका-2.2.1** में दिए गए हैं। भारत सरकार ने भी 16 नए म.आई.टी.आई. भवनों के निर्माण के लिए राज्य योजना के तहत ₹ 12.91 करोड़ (पी.पी.पी. प्रणाली के अधीन चलाने के लिए) स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध ₹ 12.36 करोड़ का व्यय जून 2014 तक किया गया।

तालिका-2.2.1: छ: म.आई.टी.आई. के लिए अवधि 2009-14 के दौरान आवंटन के विरुद्ध व्यय।

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचतें (प्रतिशत)
2009-10	2.02	0.77	1.25(62)
2010-11	2.28	0.49	1.79(79)
2011-12	1.30	0.94	0.36(28)
2012-13	1.31	1.04	0.27(21)
2013-14	1.46	1.19	0.27(18)
योग	8.37	4.43	

(स्रोत: निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि 18 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच बचतें थी। नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. ने बचतों का कारण स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्ति को बताया।

2.2.7 नए म.आई.टी.आई. की स्थापना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में परिकल्पित किया गया कि जिन जिलों में आई.टी.आई. नहीं हैं, उनमें राज्य योजना के तहत आई.टी.आई की स्थापना की जाएगी। तदनुसार, 2008-09 की अवधि में 16 नए म.आई.टी.आई. भवनों के निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित लागत ₹ 12.91 करोड़ स्वीकृत की गई। निर्माण कार्य योजना अवधि के अंत यानि 31 मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना था। बाद में, राज्य सरकार द्वारा इन म.आई.टी.आई. को पी.पी.पी. प्रणाली पर चलाने का निर्णय (जुलाई 2012) लिया गया।

16 नए महिला आई.टी.आई. में से 10 महिला आई.टी.आई. भवनों का निर्माण ₹ आठ करोड़ के लागत से जून 2014 तक पूर्ण किया गया, परन्तु उनका परिचालन नहीं हो सका।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के बीच कुल निधियाँ ₹ 12.91 करोड़ को संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवंटित कर दिया। 16 म.आई.टी.आई. में से 10 म.आई.टी.आई. भवन का निर्माण आठ करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया। शेष छ: म.आई.टी.आई. के निर्माण में ₹ 4.36 करोड़ खर्च किया गया था, जिसका कार्य जून 2014 तक प्रगति पर था। इस प्रकार, इन म.आई.टी.आई. को पूर्ण होने में निर्धारित तिथि से दो वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ। उप विकास आयुक्त द्वारा

जमीन की उपलब्धता एवं निधि को निर्गत किए जाने में विलम्ब होने के कारण भवनों को निर्माण कार्य में देरी हुई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे उदघटित हुआ कि छः⁵ नए पूर्ण म.आई.टी.आई. के परिचालन हेतु निजी भागीदार के साथ समझौता जापन (एम.ओ.यू.) जून और दिसम्बर 2013 के बीच किया गया। चार⁶ अन्य पूर्ण म.आई.टी.आई. के लिए एम.ओ.यू. पर जून 2014 तक हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। जबकि हमने पाया कि छः म.आई.टी.आई. के मामले में समझौता जापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद भी उनका परिचालन नहीं किया जा सका।

समापन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने कहा (दिसम्बर 2014) कि पी.पी.पी. के तहत परिचालन होने वाले सभी नए म.आई.टी.आई. को शीघ्र ही परिचालित किया जायेगा।

हमने अनुशंसा की कि सरकार को सभी 16 नए म.आई.टी.आई. परिचालित करने के लिए शीघ्र ही उपाय करना चाहिए।

2.2.8 मौजूदा आई.टी.आई. में आधारभूत संरचना की स्थिति

2.2.8.1 मौजूदा आई.टी.आई. का उन्नयन

भारत सरकार ने पी.पी.पी. प्रणाली के माध्यम से '1,396 मौजूदा सरकारी आई.टी.आई. के उन्नयन' के लिए एक योजना अप्रैल 2009 में लागू किया, जिसके लिए प्रत्येक म.आई.टी.आई. को ₹ 2.50 करोड़ ब्याज मुक्त क्रृण के रूप में प्रदान किया जाना था जिसे 30 वर्षों में वापस किया जाना था।

इस योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित किया गया कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं औद्योगिक भागीदार के बीच त्रिपक्षीय समझौता जापन (एम.ओ.ए.) प्रत्येक आई.टी.आई. के साथ होना था। औद्योगिक भागीदार की अध्यक्षता में संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) का गठन होना था। प्राचार्य, आई.टी.आई. को आई.एम.सी. के पदेन सचिव होना था। आई.एम.सी. अगले पाँच वर्षों के लिए संस्थान विकास योजना (आई.डी.पी.) को विकसित करने एवं वर्तमान व्यवसायों की समीक्षा कर अलोकप्रिय व्यवसायों को खत्म करने के लिए उत्तरदायी होगा। आई.टी.आई. द्वारा नये व्यवसायों का चालू किया जाना था जिसके लिए आई.डी.पी. के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों में आधारभूत संरचना का विकास करना था।

नमूना-जाँचित तीन म.आई.टी.आई. में से दो महिला आई.टी.आई. राँची एवं जमशेदपुर में यह योजना लागू की गयी। राँची और जमशेदपुर में क्रमशः फरवरी 2010 एवं जून 2011 में आई.एम.सी. का गठन किया गया था। भारत सरकार ने ₹ 2.50 करोड़ क्रमशः मार्च 2010 तथा जून 2011 में प्रत्येक म.आई.टी.आई. राँची एवं जमशेदपुर को निर्गत किया। आई.एम.सी. द्वारा विकसित आई.डी.पी. के अनुसार, महिला

⁵ म.आई.टी.आई बोकारो, देवघर, धनबाद, जामतारा, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

⁶ म.आई.टी.आई. गोड्डा, गुमला, खूंटी एवं लोहरदगा।

आई.टी.आई. राँची में मौजूदा पाँच⁷ व्यवसायों में से दो⁸ तथा महिला आई.टी.आई. जमशेदपुर में मौजूदा सात⁹ में चार¹⁰ को एक यूनिट (21 सीटें) से बढ़ाकर दो यूनिट करने की परिकल्पना की गई।

इसके अलावा, आई.डी.पी. में म.आई.टी.आई. राँची में मौजूदा आशुलिपिक (हिन्दी), आशुलिपिक (अंग्रेजी) तथा कटिंग एवं टेलरिंग (सी. एण्ड टी.) के प्रत्येक एक यूनिट को विलोपित करने का प्रस्ताव तथा पाँच¹¹ नए व्यवसायों की शुरूआत करना भी परिकल्पित था। आगे दोनों म.आई.टी.आई. के आई.डी.पी. के अनुसार सफल प्रशिक्षुओं के 40 प्रतिशत को रोजगार देने के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए म.आई.टी.आई. में प्लेसमेंट कोषांग को स्थापित किया जाना था।

हमने निम्नलिखित अवलोकन किया:

(अ) नए व्यवसायों का प्रारंभ और मौजूदा व्यवसायों का गैर-उन्नयन

म.आई.टी.आई. राँची में प्रस्तावित पाँच नए व्यवसायों को प्रारंभ करने के विरुद्ध, वर्ष 2012-13 के दौरान सिर्फ दो व्यवसाय, कोपा एवं आई.टी. लागू किए गए थे। जबकि अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वर्ष 2013-14 में व्यवसाय बंद कर दिए गये थे। इसी प्रकार म.आई.टी.आई. जमशेदपुर में चार व्यवसायों के प्रस्तावित उन्नयन के विरुद्ध, जुलाई 2014 तक किसी भी व्यवसाय का उन्नयन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, म.आई.टी.आई. जमशेदपुर और राँची में, निधि (अर्जित ब्याज सहित ₹ 2.62 करोड़ जमशेदपुर में एवं ₹ 2.53 करोड़ राँची में) की उपलब्धता के बावजूद नए व्यवसायों का प्रारंभ एवं मौजूदा व्यवसायों का उन्नयन कार्य नहीं किया गया था। दोनों म.आई.टी.आई. में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना न करने एवं प्रभारी प्राचार्यों को उन्नयन निधि का व्यय करने की शक्ति नहीं होने के कारण ऐसा था।

(ब) अलोकप्रिय व्यवसायों का विलोपन नहीं किया जाना

म.आई.टी.आई. में प्रत्येक तीन व्यवसायों में से एक यूनिट का विलोपन जुलाई 2014 तक नहीं किया गया था।

⁷ कटिंग एण्ड टेलरिंग (सी. एण्ड टी.), मेकेनिकल जेनरल इलेक्ट्रोनिक्स, मेकेनिक रेडियो एण्ड टी.भी. (एम.आर.एण्ड टी.भी.), आशुलिपिक (हिन्दी), एवं आशुलिपिक (अंग्रेजी)

⁸ मेकेनिकल जेनरल इलेक्ट्रोनिक एवं एम.आर.एण्ड टी.भी.

⁹ मेकेनिकल जेनरल इलेक्ट्रोनिक्स, मेकेनिक रेडियो एण्ड टी.भी. (एम.आर.एण्ड टी.भी.), आई.टी. कोपा, आशुलिपिक (हिन्दी), आशुलिपिक (अंग्रेजी) एवं सी.एण्ड टी.भी.

¹⁰ कटिंग एण्ड टेलरिंग (सी. एण्ड टी.), कम्प्यूटर आपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), आशुलिपिक (हिन्दी) एवं आशुलिपिक (अंग्रेजी)।

¹¹ कोपा, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), हेयर एण्ड स्कीन केयर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं खाद्यान्न एवं सब्जियों का बचाव।

(स) सफल प्रशिक्षुओं का प्लेसमेंट नहीं होना

म.आई.टी.आई. राँची में अगस्त 2013 एवं म.आई.टी.आई. जमशेदपुर में मई 2014 में प्लेसमेंट कोषांग का गठन किया गया। म.आई.टी.आई. में प्लेसमेंट कोषांग के विलंब से स्थापित होने के परिणामस्वरूप कोई भी सफल प्रशिक्षुओं का कैम्पस प्लेसमेंट नहीं हो पाया।

इसके जबाव में, सचिव ने कहा (दिसम्बर 2014) कि म.आई.टी.आई. जमशेदपुर में आई.डी.पी. के अनुसार मौजूदा व्यवसायों का उन्नयन करने पर ₹ 6.79 लाख व्यय किया गया था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि मौजूदा व्यवसायों में से किसी को भी उन्नत नहीं किया गया था। आगे, सचिव ने कहा कि म.आई.टी.आई. राँची में कोपा और आई.टी. व्यवसायों के लिए अनुदेशकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। शेष तीन नए व्यवसायों को आई.डी.पी. के अनुसार, आने वाले वर्षों में प्रारंभ किया जाएगा एवं प्रभारी प्राचार्यों को भी वित्तीय अधिकार प्रदान करने हेतु कार्रवाई जारी थी।

2.2.8.2 बुनियादी ढाँचे में कमियाँ

म.आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कक्षाओं, कार्यशालाओं आदि के रूप में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु एन.सी.भी.टी. ने विशिष्ट मानदंडों को निर्धारित किया था। म.आई.टी.आई. में अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि म.आई.टी.आई. में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चा की गयी है:

(अ) भवन की अपर्याप्तता

म.आई.टी.आई. हजारीबाग सामान्य आई.टी.आई. के भवन में चल रहा था चुंकि म.आई.टी.आई. के लिए निर्मित भवन 2000 से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। म.आई.टी.आई. सामान्य आई.टी.आई. के भवनों में संचालित हो रहा था जो स्वयं बुनियादी सुविधाओं के मामले में आपरिपूर्ण था और जिसे शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए अतिरिक्त 18 कक्षाओं और प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। प्राचार्या, म.आई.टी.आई. द्वारा अनेकों बार पत्राचार के बावजूद भी भवन जून 2014 तक खाली नहीं कराया जा सका था। परिणामस्वरूप, सामान्य आई.टी.आई. तथा म.आई.टी.आई. के विद्यार्थी एक ही साथ अद्ययन कर रहे थे, इस कारण म.आई.टी.आई. के अलग स्थापना का उद्देश्य से वंचित था।

समापन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने जवाब (दिसम्बर 2014) दिया कि म.आई.टी.आई. हजारीबाग की भवन को सी.आर.पी.एफ. के कब्जे से खाली कराने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(ब) उपकरणों और संयंत्रों की कमी

म.आई.टी.आई. राँची में 39 से 78 प्रतिशत, म.आई.टी.आई. हजारीबाग में 59 से 100 प्रतिशत एवं म.आई.टी.आई. जमशेदपुर में 43 से 87 प्रतिशत संयंत्रों और उपकरणों की कमी थी।

म.आई.टी.आई. के संबंधित व्यवसायों के पाठ्यक्रम में निर्धारित संयंत्रों और उपकरणों के मानक सूची के अनुसार संयंत्रों और उपकरणों का संधारण करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में अवलोकन से पता चला कि निर्धारित मानक सूची के संदर्भ में म.आई.टी.आई. राँची में 39 से 78 प्रतिशत, म.आई.टी.आई. हजारीबाग में 59 से 100 प्रतिशत एवं म.आई.टी.आई. जमशेदपुर में 43 से 87 प्रतिशत के बीच संयंत्रों और उपकरणों की विभिन्न व्यवसायों में कमी थी जैसाकि परिशिष्ट-2.2.1 में को वर्णित किया गया है। आगे लेखापरीक्षा में जाँच से पता चला कि म.आई.टी.आई स्तर पर न तो आवश्यक संयंत्रों और उपकरणों को उपलब्ध कराया गया था और न ही क्रय करने के लिए निधि आवंटित की गयी थी।

समापन सम्मेलन के दौरान सचिव ने उत्तर (दिसम्बर 2014) दिया कि म.आई.टी.आई. के लिए संयंत्रों और उपकरणों का क्रय निर्धारित पाठ्यक्रम के मानदंडों के अनुसार शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि म.आई.टी.आई. में संबंधित व्यवसायों/शाखाओं के मानदंडों के अनुसार संयंत्रों और उपकरणों को प्रदान करना चाहिए।

2.2.8.3 मानव बल प्रबंधन

वर्ष 2009-14 के दौरान छ: म.आई.टी.आई. में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्वीकृत पद और कार्यरत बल की स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा तालिका-2.2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2.2: राज्य के सभी छ: म.आई.टी.आई. में स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल का जुलाई 2014 तक की स्थिति।

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
1	प्राचार्य	6	0	6(100)
2	मुख्य अनुदेशक	2	0	2(100)
3	अनुदेशक	51	21	30(59)
4	कार्यशाला अटेन्डेन्ट	4	0	4(100)
	योग	63	21	42(67)
5	भंडारपाल	2	0	2(100)
6	लिपिक	15	5	10(67)
	योग	17	5	12(71)

(स्रोत: निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण)

सभी छ: म.आई.टी.आई. में 71 प्रतिशत गैर-शिक्षण कर्मचारी तथा 67 प्रतिशत शिक्षण कर्मचारी की कमी थी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि शिक्षण कर्मियों यथा प्राचार्य, मुख्य अनुदेशक, अनुदेशक, कार्यशाला अटेन्डेन्ट की 67 प्रतिशत कमी थी और गैर-शिक्षण कर्मियों की 71 प्रतिशत कमी थी। किसी भी म.आई.टी.आई. में प्राचार्य का पदस्थापन नहीं किया गया था। नियमित प्राचार्य के अभाव में सभी छ: म.आई.टी.आई. में अनुदेशक को

प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया था। प्राचार्य के पदस्थापन नहीं होने से दो म.आई.टी.आई. में उन्नयन कार्यक्रम प्रभावित था जैसा कि कंडिका 2.2.8.1 में वर्णित है।

वर्ष 2009-14 के दौरान तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मियों के संबंध में स्वीकृत बल और कार्यरत बल का ब्यौरा **परिशिष्ट-2.2.2** में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा जाँच के क्रम में पाया गया कि म.आई.टी.आई. हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची में शिक्षण कर्मचारियों की कमी थी, वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत बल 10, 16 और 11 के विरुद्ध कार्यरत बल क्रमशः चार, छः और पाँच थे।

हमने अनुशंसा किया कि स्वीकृत बल के अनुसार सभी म.आई.टी.आई. में शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। सचिव ने अनुशंसा को स्वीकार किया।

2.2.9 शैक्षणिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2.2.9.1 स्वीकृत व्यवसायों में प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जाना

म.आई.टी.आई. हजारीबाग और जमशेदपुर में 29 से 80 प्रतिशत स्वीकृत व्यवसाय, परिचालन में नहीं थे।

वर्ष 2009-10 के दौरान तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में 13 व्यवसायों में 357 सीटें स्वीकृत थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान 17 व्यवसायों में 441 सीटें को बढ़ा दिया गया था जबकि इन म.आई.टी.आई. में वर्ष 2009-10 के दौरान 231 तथा 2013-14 के दौरान 210 सीटें परिचालन में थीं। इन म.आई.टी.आई. (**परिशिष्ट-2.2.3**) के स्वीकृत/परिचालन सीटों के संबंध में ब्यौरा के विश्लेषण से पता चला कि म.आई.टी.आई. हजारीबाग और जमशेदपुर में 29 से 80 प्रतिशत स्वीकृत व्यवसाय परिचालन में नहीं थे। अपरिचालित व्यवसायों का मुख्य कारण अनुदेशकों की कमी थी जैसा कि कंडिका 2.2.7.3 में चर्चा किया गया है।

2.2.9.2 सीटों का रिक्त रहना

झारखण्ड संयुक्त अभियंत्रण प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (जे.सी.ई.सी.बी.) द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (आई.टी.आई.) के वार्षिक मेधा सूची के आधार पर म.आई.टी.आई. में नामांकन किया जाता है। नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में वर्ष 2009-14 के दौरान परिचालित व्यवसायों में स्वीकृत सीटों उनके विरुद्ध नामांकन एवं रिक्त सीटों का ब्यौरा **परिशिष्ट-2.2.4** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में वर्ष 2009-14 के दौरान 33 से 86 प्रतिशत सीटें खाली थीं और इस अवधि में पलायन शून्य से 35 प्रतिशत था।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव द्वारा इसे स्वीकार किया गया कि म.आई.टी.आई. में परिचालित व्यवसायों में विद्यार्थियों की रुचि नहीं रहने के कारण सीटें रिक्त रह गयी थीं। इसके आगे यह भी सूचित किया गया कि नामांकन

सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में चल रहे अलोकप्रिय व्यवसायों के स्थान पर नए व्यवसायों को शुरू किया जायेगा।

2.2.9.3 राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.भी.टी.) द्वारा असंबद्धता

एन.सी.भी.टी. मापदंड के अनुसार, सभी आई.टी.आई. में सफल हुए प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य के लिए एन.सी.भी.टी. से संबद्धता लेनी पड़ती है। महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) मैनुअल के अनुसार, राज्य द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नीति को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए और पूरे राज्य में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.सी.भी.टी.) में समन्वय करने के लिए राज्य में एक राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.भी.टी.) का गठन किया जाना था।

तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि स्वीकृत 17 व्यवसायों में से, सात व्यवसाय एन.सी.भी.टी. से संबद्ध थे एवं दस व्यवसाय राज्य परिषद् के लिए राज्य परिषद् व्यवसायिक प्रशिक्षण (एस.सी.भी.टी.) के साथ संबद्धता के तहत संचालित किये जा रहे थे। हालाँकि डी.जी.ई.टी. मैनुअल के अनुसार राज्य परिषद् किसी भी व्यवसाय को संबद्ध करने के लिए अधिकृत नहीं था।

एस.सी.भी.टी. से संबद्ध व्यवसायों में कुल उपलब्ध 710 सीट (परिषिष्ट-2.2.5) के विरुद्ध 121 प्रशिक्षुओं (17 प्रतिशत) वर्ष 2009-13 में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए। इन प्रशिक्षु को सिर्फ एस.सी.भी.टी. व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किए गए जो अस्थायी प्रकृति के थे जो उनके उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता था।

इसके अलावा, शिक्षुता अधिनियम 1961 के दिशानिर्देश के अनुसार, वैसे प्रशिक्षु जिनके पास एन.सी.भी.टी. प्रमाण पत्र नहीं था, उद्योगों के साथ शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं थे। परिणामस्वरूप, एस.सी.भी.टी. से मान्यता प्राप्त दस पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षु, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं थे जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा था।

सचिव ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2014) किया और उत्तर दिया कि एन.सी.भी.टी. से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

2.2.10 अनुश्रवण

सभी तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

डी.जी.ई.टी. मैनुअल के अनुसार, नियोजन एवं प्रशिक्षण के निदेशालय के पदाधिकारी को प्रायः उनके प्रभार के आई.टी.आई. का निरीक्षण करना चाहिए जबकि वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित तीनों म.आई.टी.आई. में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया। अनुश्रवण के अभाव के कारण म.आई.टी.आई. के कार्यान्वयन में कमी आई जिनका वर्णन पूर्ववर्ती कंडिका में किया गया है।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक

राज्य में तीन तकनीकी पाठ्यक्रमों में 648 छात्राओं के अंतर्ग्रहण क्षमता के साथ तीन महिला पॉलिटेक्निक बोकारो, जमशेदपुर और रांची में हैं। इन सरकारी महिला पॉलिटेक्निक (जी.डब्ल्यू.पी.) के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती कंडिका में चर्चित है।

2.2.11 वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार वर्ष 2009-14 के दौरान तीनों जी.डब्ल्यू.पी. के प्रशासन के लिए (वेतन उप-शीर्ष के अधीन) ₹ 16.99 करोड़ आवंटित किया। वर्षवार आबंटन और उनके विरुद्ध व्यय तालिका-2.2.3 में दिए गए हैं। इन पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए सितम्बर 2010 से अगस्त 2013 के दौरान भारत सरकार ने भी ₹ 3.20 करोड़ स्वीकृत किया।

तालिका-2.2.3: वर्ष 2009-14 के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के आबंटन, व्यय एवं बचतें की विवरणी

वर्ष	आबंटन	व्यय	बचतें (प्रतिशत)
2009-10	2.95	1.86	1.09 (37)
2010-11	2.86	2.19	0.67 (23)
2011-12	3.52	3.18	0.34 (10)
2012-13	4.01	3.70	0.30 (8)
2013-14	3.65	2.20	1.45 (40)
कुल	16.99	13.13	

(स्रोत: निदेशालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान बचतें क्रमशः 37, 23 एवं 40 प्रतिशत थीं। वर्ष 2009-11 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल में कमी के कारण वेतन शीर्ष में बचतें थीं।

जवाब में विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा अधिक मांगे प्रस्तुत करने के कारण बचतें हुईं।

2.2.12 पॉलिटेक्निक का बुनियादी ढाँचा

2.2.12.1 पॉलिटेक्निक का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण नहीं किया जाना

पॉलिटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ए.ए.पी. में 2009-14 के दौरान ₹ नौ करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

¹² ₹ 1.50 करोड़ (2009-10), ₹ 2.50 करोड़ (2010-11), ₹ 2,00 करोड़ (2011-12) ₹ 1.00 करोड़ (2012-13) एवं ₹ 2.00 करोड़ (2013-14)

जा सका क्योंकि संबंधित वर्षों के लिए विभागीय बजट में राशि प्रदान नहीं की गई थी।

ए.ए.पी. में परिकलिपत इस योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सभी तीन महिला पॉलिटेक्निकों में उपकरणों की कमी बनी रही।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि योजनाओं को योजना विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चुना गया था। हालाँकि वर्ष 2015-16 से इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.2.12.2 पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए भारत सरकार के निधियों का उपयोग नहीं होना

सितम्बर 2010 और अगस्त 2013 के दौरान पॉलिटेक्निकों की उन्नयन योजना के लिए निधि ₹ 3.20 करोड़ में से ₹ 2.41 करोड़ उपयोग नहीं हो सका।

भारत सरकार का पॉलिटेक्निक उन्नयन योजना के तहत नवीनतम विशिष्टताओं के साथ उपकरण, नवीनतम संस्करण के सॉफ्टवेयर, प्रयोगशालाओं/ कार्यशालाओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का क्रय किया जाना था। रा.म.पो. बोकारो, जमशेदपुर एवं राँची ने दो किस्तों में क्रमशः ₹ 1.20 करोड़, ₹ 1.10 करोड़ एवं ₹ 0.90 करोड़ सहायता अनुदान सितम्बर 2010 और अगस्त 2013 के दौरान प्राप्त किये। झारखण्ड सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि की स्वीकृति की मंजूरी के अनुसार जी.डब्ल्यू.पी. को विभाग के मार्गदर्शन एवं क्रय समिति के सिफारिश पर निधि का उपयोग किया जाना था।

उपलब्ध निधि में से पुस्तकों के क्रय के लिए जी.डब्ल्यू.पी. बोकारो, जमशेदपुर और राँची द्वारा क्रमशः ₹ 19.46 लाख, ₹ 35.28 लाख एवं ₹ 27.49 लाख व्यय किए गए थे। जुलाई 2014 तक क्रमशः जी.डब्ल्यू.पी. बोकारो, जमशेदपुर और राँची के बैंक खाते में ₹ 1.02 करोड़ (85 प्रतिशत), ₹ 76.38 लाख (69 प्रतिशत) तथा ₹ 62.66 लाख (70 प्रतिशत) ब्याज सहित अव्यवहृत थे, यद्यपि निर्गत की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान को उपयोग कर लेना था। जी.डब्ल्यू.पी. के उन्नयन के लिए निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं में औजारों एवं उपकरणों की कमी थी।

हमने पाया कि प्राचार्या जी.डब्ल्यू.पी. जमशेदपुर ने मशीन/उपकरण की आवश्यकता के बारे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बताया था (दिसम्बर 2011) लेकिन विभागीय क्रय समिति की सिफारिश प्राप्त नहीं होने के कारण इनका क्रय नहीं किया जा सका।

जबाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2014) कि निविदा की प्रक्रिया जारी थी।

2.2.12.3 जी.डब्ल्यू.पी. में संयंत्रों एवं उपकरणों की कमी

जी.डब्ल्यू.पी. को संबंधित शाखाओं के पाठ्यक्रमों की आवश्यकतानुसार संयंत्रों और उपकरणों को संधारण करने की आवश्यकता थी। हमने पाया कि तीनों जी.डब्ल्यू.पी.

के कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं में वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में संयंत्रों और उपकरणों की भारी कमी थी जैसा कि तालिका-2.2.4 में सारांशित है।

तालिका 2.2.4: वर्ष 2009-14 के दौरान तीनों जी.डब्ल्यू.पी. में संयंत्रों और उपकरणों की आवश्यकता, वास्तविक उपलब्धता और कमी की संक्षिप्त विवरणी

शाखा	प्रयोगशाला/कार्यशाला	मात्रा की आवश्यकता	मात्रा की उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)
इलेक्ट्रिकल	प्रयोगशाला	1145	287	858(75)
	कार्यशाला	1551	784	767(49)
इलेक्ट्रोनिक	प्रयोगशाला	1415	644	771(54)
	कार्यशाला	1232	710	522(42)
मेकनिकल	प्रयोगशाला	17	शून्य	17(100)
	कार्यशाला	206	05	201(98)
कम्प्यूटर	प्रयोगशाला	620	196	242(68)

(स्रोत: संबंधित जी.डब्ल्यू.पी.)

तीन नमूना-जाँचित जी.डब्ल्यू.पी. के प्रयोगशाला में 54 से 100 प्रतिशत और कार्यशालाओं में 42 और 98 प्रतिशत के बीच मशीन एवं उपकरणों की कमी थी।

प्रत्येक जी.डब्ल्यू.पी. (परिशिष्ट-2.2.6) में मशीनों और उपकरणों के विश्लेषण से पता चला कि मशीनों और उपकरणों की भारी कमी थी। तीन नमूना-जाँचित जी.डब्ल्यू.पी. के प्रयोगशालाओं में 42 से 98 प्रतिशत और कार्यशालाओं में 54 से 100 प्रतिशत के बीच मशीन एवं उपकरण की कमी थी। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बावजूद थी कि जी.डब्ल्यू.पी द्वारा भारत सरकार के पॉलिटेक्निक उन्नयन योजना के तहत ₹ 2.41 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त कर अव्यवहृत रखा गया था जैसा कि कंडिका 2.2.12.2 में वर्णित हैं।

जवाब में विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि औजार एवं उपकरण का क्रय प्रक्रिया के अधीन थी।

हमने अनुशंसा किया कि सरकार को जी.डब्ल्यू.पी. में संबंधित व्यवसायों शाखाओं के मानदंडों के अनुसार संयंत्रों और उपकरणों को प्रदान करना चाहिए।

2.2.13 शैक्षणिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

जी.डब्ल्यू.पी. में वार्षिक नामांकन जे.एस.ई.सी.बी. द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (पॉलिटेक्निक) मेधा सूची के आधार पर करना था। पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्षों की थी। वर्ष 2009-14 के दौरान सभी तीन जी.डब्ल्यू.पी. में प्रारंभ एवं पूर्ण किए गए बैचों में स्वीकृत सीटें, छात्रों का नामांकन और सफल हुए छात्रों की जुलाई 2014 तक की स्थिति परिशिष्ट-2.2.7 में दिए गए हैं और संक्षिप्त स्थिति तालिका-2.2.5 में दिए गए हैं।

तालिका-2.2.5: वर्ष 2009-14 के दौरान तीन नमूना जाँचित जी.डब्ल्यू.पी. में स्वीकृत सीटें, छात्रों का नामांकन, सफल हुए और उनके स्थानन की विवरणी

क्र.सं.	बैच	स्वीकृत सीटें	नामांकन	उत्तीर्ण	अनुन्तीर्ण/पलायन	कैम्पस प्लेसमेन्ट
1	2009-12	517	500	447	53	0
2	2010-13	633	597	480	117	5
3	2011-14	648	622	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए

(स्रोत: संबंधित जी.डब्ल्यू.पी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

हमने पाया कि वर्ष 2009-12 से 2011-14 के बैचों में सीटों का उपयोग सभी जी.डब्ल्यू.पी. में संतोष जनक था, केवल जी.डब्ल्यू.पी. जमशेदपुर में अर्किटेक्चरल अस्सिटेंटशिप (ए.ए.एस.) को छोड़कर जहाँ खाली सीटों की प्रतिशतता 12 से 28 प्रतिशत के बीच थी।

वर्ष 2009-14 में तीन जी.डब्ल्यू.पी. में 927 सफल हुए छात्रों में से सिर्फ 5 छात्रों की ही कैम्पस प्लेसमेंट मिला।

जबकि 2009-12 और 2010-13 के बैचों से 927 सफल हुए छात्रों में से सिर्फ पाँच को ही कैम्पस प्लेसमेंट मिला था। किसी भी जी.डब्ल्यू.पी. में ऑफ कैम्पस प्लेसमेंट से संबंधित आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। प्लेसमेंट कोषांग का विलम्ब से गठन होने से सफल हुए छात्रों का प्लेसमेंट नहीं होने में योगदान रहा, जिसका गठन जी.डब्ल्यू.पी. बोकारो में अभी किया जाना था और राँची में इसका गठन मई 2012 में किया गया था।

जनशक्ति प्रबंधन

2.2.13.1 शिक्षण कर्मियों की कमी

ए.आई.सी.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संकाय और अन्य सहयोगी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता थी।

सभी तीन जी.डब्ल्यू.पी. में प्राचार्यों और विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता के संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. के अनुसार आवश्यक पदों, स्वीकृत पदों और कार्यरत बलों की जुलाई 2014 तक का ब्यौरा परिशिष्ट-2.2.8 (अ) में दिए गए हैं।

हमने पाया कि:

- वर्ष 2009-14 के दौरान सभी तीन जी.डब्ल्यू.पी. में प्राचार्यों के पद रिक्त थे। नियमित प्राचार्यों की अनुपस्थिति में सभी जी.डब्ल्यू.पी. प्रभारी प्राचार्यों द्वारा संचालित थे।
- ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के तुलना में, तीन जी.डब्ल्यू.पी. में विभाग के प्रधान (एच.ओ.डी.)/वरिष्ठ व्याख्याता/ व्याख्याता संवर्ग में 48 से 78 प्रतिशत कम पद की स्वीकृति हुई थी। इसके सिवाय 42 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 22 कार्यरत बल थे। जी.डब्ल्यू.पी., बोकारो में शिक्षण कर्मियों की कमी स्वीकृत बल के विरुद्ध 76 प्रतिशत और ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के विरुद्ध 88 प्रतिशत थी।

जबाब में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सभी जी.डब्ल्यू.पी. में नियमित प्राचार्यों, विभगाध्यक्षों और व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए मांग की गयी है।

2.2.13.2 अनुदेशकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की कमी

शिक्षण कर्मियों के अलावा, गैर-शिक्षण कर्मी यथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर, अनुदेशकों, फोरमैन और प्रयोगशाला सहायक भी छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2014 तक गैर-शिक्षण/सहयोगी कर्मचारियों

के मामले में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं उनके विरुद्ध कमी का ब्यौरा
परिशिष्ट-2.2.8 (ब) में दिए गए हैं।

यह अवलोकन किया गया कि इन तीनों जी.डब्ल्यू.पी. में कम्पयूटर प्रोग्रामर्स/एनालिस्ट्स के सभी चार पद रिक्त थे। जी.डब्ल्यू.पी. बोकारो और जमशेदपुर में अनुदेशकों (15 पदों) और फोरमैन (4) के मामले में 100 प्रतिशत की रिक्तियाँ थीं वहीं जी.डब्ल्यू.पी., राँची में अनुदेशक संवर्ग में 50 प्रतिशत की रिक्तियाँ थीं। गैर-शिक्षण/सहयोगी कर्मचारी की रिक्तियों के साथ प्रयोगशाला और कार्यशाला में मशीनों और उपकरणों की कमी से छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जबाब में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि गैर-शिक्षण तकनीकि कर्मचारी का भर्ती नियम बनाया गया है और नियुक्ति के लिए संबंधित संस्थानों से रिक्तियों की स्थिति जानने के बाद झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु माँग की जायेगी।

2.2.14 अनुश्रवण

वर्ष 2009-14 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा नमूना-जाँचित जी.डब्ल्यू.पी. में निरीक्षण नहीं किया गया था। जी.डब्ल्यू.पी. राँची ने सूचित किया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-14 के दौरान 11 निरीक्षण किए गए। जबकि निरीक्षण के समर्थन में लेखापरीक्षा को निरीक्षण टिप्पणी की कोई भी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई। अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप जी.डब्ल्यू.पी. के कार्यकलाप में कमी रही जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

इसके जवाब में विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा (नवम्बर 2014) और कहा कि जी.डब्ल्यू.पी. के अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।

2.2.15 निष्कर्ष

राजकीय महिला आई.टी.आई.

- अनाच्छादित जिलों में 16 नए म.आई.टी.आई. का परिचालन, म.आई.टी.आई. के निमार्ण में विलम्ब और निजी भागीदार के साथ एम.ओ.यू. का हस्ताक्षर नहीं होने/विलम्ब के कारण, नहीं हो सका।
- ₹ 5.15 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद म.आई.टी.आई., राँची एवं जमशेदपुर में नए व्यवसायों को प्रारंभ करने और मौजूदा व्यवसायों के उन्नयन कार्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। दोनों म.आई.टी.आई में नियमित प्राचार्यों का पदस्थापन नहीं होने एवं प्रभागी प्राचार्य को उन्नयन कोष से व्यय करने के वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण ऐसा था।

- म.आई.टी.आई में जनशक्ति, औजार और उपकरणों की गंभीर कमी थी। छ: म.आई.टी.आई में 71 प्रतिशत गैर-शिक्षण कर्मचारी और 67 प्रतिशत शिक्षण कर्मचारी की कमी थी। आगे, म.आई.टी.आई हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची में विभिन्न व्यवसायों को चलाने में 39 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच औजार और उपकरणों की कमी थी।
- तीन नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई में 29 से 80 प्रतिशत के बीच व्यवसाय परिचालित नहीं थे। वर्ष 2009-14 के दौरान परिचालित व्यवसायों में 33 से 86 प्रतिशत सीटों का उपयोग नहीं किया गया।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक

- वर्ष 2009-14 के दौरान ए.ए.पी. में परिकल्पित पॉलिटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विभागीय बजट में निधि का प्रावधान नहीं होने के कारण क्रियान्वित नहीं था।
- तीन राजकीय म.पो. बोकारो, जमशेदपुर और राँची के पॉलिटेक्निकों को उन्नयन योजना के तहत ₹ 3.20 करोड़ प्राप्त हुआ पर विभागीय क्रय समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2.41 करोड़ अनुपयोगी रहा।
- सभी तीन जी.डब्ल्यू.पी. में सफल हुए छात्रों का कैम्पस प्लैसमेंट निराशाजनक था। जी.डब्ल्यू.पी., बोकारो में प्लैसमेंट कोषांग नहीं बनाया गया था।
- जी.डब्ल्यू.पी. में जनशक्ति, औजार और संयंत्रों की कमी थी जिससे इन संस्थानों द्वारा गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में बाधा हो रही थी।

मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा)

2.3 झारखण्ड में राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड राज्य में पाँच राजकीय विश्वविद्यालय, 65 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 53 संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालय हैं। झारखण्ड में राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के तहत तीन विश्वविद्यालयों यथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर तथा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा तथा इनके अन्तर्गत 16 अंगीभूत महाविद्यालय शामिल हैं। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

- 2001-02 से 2010-11 के दौरान कोषागार से आहरित योजना निधि की राशि ₹ 13.17 करोड़ में से आधारभूत संरचना के विकास (₹ 8.58 करोड़), छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (₹ 2.42 करोड़), एवं संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालय को अनुदान (₹ 1.57 करोड़) इत्यादि निदेशालय द्वारा संधारित पी.एल. खाते में पड़ा हुआ था। विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँचित छ: महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 12.35 करोड़ का अग्रिम मार्च 2014 तक बकाया था।

(कंडिकाएँ 2.3.7.2 तथा 2.3.7.3)

- विश्वविद्यालय द्वारा बिरसा अभियंत्रण संस्थान, सिंदरी से निर्धारित दर से परीक्षा शुल्क नहीं वसूले जाने के कारण ₹ 3.20 करोड़ कम वसूले गए।

(कंडिका 2.3.7.4)

- ₹ 5.70 करोड़ की लागत से निर्मित विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना जैसे अतिथिशाला, महिला छात्रावास, सम्मेलन कक्ष एवं डे केयर सेन्टर, 10 से 55 महीनों की अवधि तक विश्वविद्यालय में बेकार पड़ा रहा।

(कंडिका 2.3.10)

- विज्ञान और मानविकी में स्नातकोत्तर विषयों के लिए निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 तथा 1:15 और स्नातक विषयों में 1:25 और 1:30 के विरुद्ध स्नातकोत्तर विभाग तथा नमूना-जाँचित अंगीभूत महाविद्यालयों में अनुपात क्रमशः 1:15 से 1:31 और 1:47 से 1:722 था। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी स्वीकृत बल का क्रमशः 22.47 प्रतिशत एवं 38.08 प्रतिशत थी।

(कंडिकाएँ 2.3.11.1 तथा 2.3.12.1)

- अधिषद, जो विश्वविद्यालय का सर्वोच्चशासी निकाय है की निर्धारित कम से कम दस बैठकों के विरुद्ध केवल तीन बैठकें हुईं। पुनः किसी भी बैठक में अधिषद के

प्रमुख सदस्य जैसे कुलाधिपति, आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा, निदेशक, उच्च शिक्षा तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा मौजूद नहीं थे।

(कंडिका 2.3.13.1)

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

- राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान, विश्वविद्यालय को ₹ 119.43 करोड़ का अनुदान निर्गत किया जिसमें से ₹ 33.61 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँचित चार महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 1.86 करोड़ का अग्रिम मार्च 2014 तक बकाया थे।

(कंडिका एँ 2.3.15.1 तथा 2.3.15.3)

- विश्वविद्यालय के स्थापना के पाँच वर्षों से अधिक समय के पश्चात भी उनका अपना परिसर नहीं था।

(कंडिका 2.3.17)

- विज्ञान और मानविकी में स्नातकोत्तर विषयों के लिए निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 तथा 1:15 और स्नातक विषयों में 1:25 और 1:30 के विरुद्ध स्नातकोत्तर विभाग तथा नमूना-जाँचित अंगीभूत महाविद्यालयों में अनुपात क्रमशः 1:19 से 1:79 और 1:41 से 1:539 था। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी क्रमशः 62.50 प्रतिशत एवं 62.81 प्रतिशत थी।

(कंडिका एँ 2.3.18.1 तथा 2.3.19.1)

- विश्वविद्यालय के अधिषद की निर्धारित कम से कम दस बैठकों के विरुद्ध 2009-14 की अवधि के दौरान एक भी बैठक नहीं हुई।

(कंडिका 2.3.20.1)

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

- राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान, विश्वविद्यालय को ₹ 254.56 करोड़ का अनुदान निर्गत किया जिसमें से ₹ 45.91 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। योजना निधि की राशि ₹ 2.86 करोड़ निदेशालय द्वारा संधारित पी.एल. खाते में पड़ा हुआ था।

(कंडिका एँ 2.3.22.1 तथा 2.3.22.2)

- विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँचित तीन महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 2.92 करोड़ का अग्रिम मार्च 2014 तक बकाया थे।

(कंडिका 2.3.22.3)

- विश्वविद्यालय की स्थापना के पाँच वर्षों से अधिक समय के पश्चात भी उनका अपना परिसर नहीं था।

(कंडिका 2.3.24)

- विज्ञान और मानविकी में स्नातकोत्तर विषयों के लिए निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 तथा 1:15 और स्नातक विषयों में 1:25 और 1:30 के विरुद्ध स्नातकोत्तर विभाग तथा नमूना-जाँचित अंगीभूत महाविद्यालयों में अनुपात क्रमशः 1:30 से 1:113 और 1:52 से 1:318 था। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी क्रमशः 50.95 प्रतिशत एवं 39.18 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.3.25.1 तथा 2.3.26.1)

- अधिषद की निर्धारित कम से कम दस बैठक के विरुद्ध केवल एक बैठक हुई। पुनः किसी भी बैठक में अधिषद के प्रमुख सदस्य जैसे कुलाधिपति, आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा तथा निदेशक, तकनीकी शिक्षा मौजूद नहीं थे।

(कंडिका 2.3.27.1)

2.3.1 प्रस्तावना

राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना शिक्षा की ऐसी विधाओं में अनुदेश प्रदान करना जो उचित प्रतीत हो जिसमें पेशागत शिक्षा प्रदान करना एवं तकनीकी अनुसंधान, उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए, परीक्षा संचालन के लिए, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक महत्ता प्रदान करने के लिए अंगीभूत महाविद्यालय की स्थापना, संचालन तथा प्रबंधन और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित नहीं होने वाले संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालय को मान्यता देने के लिए की गयी। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की उच्च शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर मानव संसाधन विभाग, मंत्रालय (मा.सं.वि.म.) के प्रतिवेदन (नवम्बर 2013) के अनुसार झारखण्ड में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात¹ (स.ना.अ.) राष्ट्रीय औसत 19 प्रतिशत के विरुद्ध 8.1 प्रतिशत है। राज्य सरकार का लक्ष्य स.ना.अ. को क्रमशः 12वीं (2012-17) एवं 13वीं (2017-22) पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रमशः 25.2 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत प्राप्त करना है।

झारखण्ड में पाँच राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें राँची विश्वविद्यालय सबसे पुराना (जुलाई 1960 में स्थापित) है। तीन विश्वविद्यालयों अर्थात् विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, तथा कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा, राँची विश्वविद्यालय से क्रमशः सितम्बर 1992, जनवरी 2009 और अगस्त 2009 में अलग होकर बना था। सिद्ध कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (एकीकृत बिहार) से

¹ सकल नामांकन अनुपात छात्रों की संख्या का अनुपात जो उस क्षेत्र के उन छात्रों के लिए जिन्होंने विशेष गुणवत्ता स्तर के लिए अहर्ता प्राप्त की है।

अलग हो कर जनवरी 1992 में बना था। इन पाँच विश्वविद्यालयों के अधीन 65 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 53 संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालय हैं।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

तीनों विश्वविद्यालयों अर्थात् विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर तथा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के निष्पादन लेखापरीक्षा का चयन इन उद्देश्यों के आकलन के लिए किया गया:

- क्या विश्वविद्यालय के पास अभीष्ट कार्य को मितव्ययी दक्षता एवं प्रभावकारी तरीके से पूरा करने की उचित योजना एवं वित्तीय प्रबंधन था;
- शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की स्थिति;
- क्या विश्वविद्यालयों के पास प्रर्याप्त संरचना थी जिसका उपयोग प्रभावकारी तरीके से किया गया था; और
- क्या सक्षम मानव संसाधन प्रबंधन एवं अनुश्रवण तंत्र मौजूद था।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से अपनाये गए थे:

- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (झा.रा.वि.) अधिनियम, 2000; झारखण्ड वित्तीय नियमावली (झा.वि.नि.); और झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.);
- विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये संविधि; और
- यू.जी.सी., मानव संसाधन विकास विभाग (मा.सं.वि.वि.), झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश/परिपत्र/निर्देश।

2.3.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वि.भा.वि.), नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय (नी.पी.वि.) तथा कोल्हान विश्वविद्यालय (को.वि.) के 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन मई से अक्टूबर 2014 के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय, इन विश्वविद्यालयों और 65 अंगीभूत महाविद्यालयों में से सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेशमेन्ट मेथड के आधार पर चुने गये 16 महाविद्यालयों के अभिलेखों और संचिकाओं की नमूना जाँच की गई (परिशिष्ट-2.3.1)।

24 अप्रैल 2014 को संयुक्त सचिव, मा.सं.वि. विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ प्रविष्टि सम्मेलन की गई जहाँ निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा पद्धति पर चर्चा की गई। सचिव, मा.सं.वि.वि., झारखण्ड सरकार के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को समापन सम्मेलन में चर्चा की गई। दिसम्बर 2014 में विभाग से प्राप्त जवाब को यथासम्भव प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

2.3.5 प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य के राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं जबकि प्राचार्य अंगीभूत एवं संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधान होते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, (झ.रा.वि.) अधिनियम, 2000 के ढाँचा के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

तीनों विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का लेखापरीक्षा निष्कर्ष को तीन खण्डों में बताया गया है: खण्ड-क (विनोबा भावे विश्वविद्यालय), खण्ड-ख (नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय) तथा खण्ड-ग (कोल्हान विश्वविद्यालय) और प्रत्येक खण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इंगित करता है।

खण्ड क-विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 17 सितम्बर 1992 को, 1990 के अधिनियम 3 के द्वारा बिहार विधानसभा में संकल्प पारित कर राँची विश्वविद्यालय से अलग कर बनाया गया था। इसके क्षेत्राधिकार में उत्तरी छोटानागपुर का एक वृहत् क्षेत्र जिसमें बोकारो, धनबाद, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले सम्मिलित हैं। यह झारखण्ड के संस्कृत, होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को भी नियंत्रित करता है।

विश्वविद्यालय, नौ संकायों यथा मानविकी, समाजिक विज्ञान, वाणिज्य, यांत्रिक, कानून, चिकित्सा, आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं शिक्षा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर के 22 विभागों का प्रबंधन एवं संचालन करती है।

इसके क्षेत्राधिकार में 19 अंगीभूत महाविद्यालय, 27 संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालय, एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय और छः संस्कृत महाविद्यालय हैं।

अवधि 2009-14 के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये विभिन्न परीक्षाओं में 6,25,511 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे जिसमें 4,30,312 विद्यार्थी (69 प्रतिशत) सफल घोषित किये गये।

2.3.6 आयोजन

2.3.6.1 परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया जाना

झ.रा.वि. अधिनियम, 2000 की संविधि 29 के अनुसार, महाविद्यालयों के उचित आयोजन एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय में एक महाविद्यालय विकास परिषद की स्थापना करना था। महाविद्यालय विकास परिषद को विकास एवं नये महाविद्यालयों को प्रारंभ करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना था ताकि विश्वविद्यालयों एवं राज्य शिक्षा प्राधिकारियों को महाविद्यालयों की

विश्वविद्यालय द्वारा
परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं
की गई थी।

योजना एवं विकास के लिए दीर्घकालिक निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सके। यद्यपि हमने पाया कि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

2.3.7.1 वित्तीय स्थिति

विद्यार्थी से शुल्क, यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार से अनुदान विश्वविद्यालय के प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं। वेतन, रख-रखाव खर्च, पूँजीगत व्यय और कर्मचारी पैशान, खर्च का मुख्य संघटक हैं। अवधि 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय के आवंटन एवं खर्च की स्थिति तालिका-2.3.1 में दिखायी गयी है:

तालिका-2.3.1: 2009-14 के दौरान आवंटन एवं खर्च की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि
2009-10	शुन्य	शुन्य	-	75.29	59.80	15.49
2010-11	1.90	0.74	1.16	92.48	100.02	(-)7.54
2011-12	1.75	1.87	(-) 0.12	84.89	85.01	(-)0.12
2012-13	10.63	3.08	7.55	116.76	117.32	(-)0.56
2013-14	11.70	3.16	8.54	113.61	116.60	(-)2.99
कुल	25.98	8.85	17.13	483.03	478.75	4.28

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि वि.भा.वि. ने 2009-14 के दौरान, गैर-योजना अनुदानों का 99.11 प्रतिशत उपयोग किया था जबकि योजना अनुदान का उपयोग केवल 34.06 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा में योजना अनुदान का कम उपयोग के कारण का पता नहीं चल सका।

हम अनुसंशा करते हैं कि विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करे।

2.3.7.2 निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत निष्पेक्ष खातों (पी.एल.) में निधियों का संचय

हमने देखा कि योजना निधि की राशि ₹ 13.17 करोड़, जो आधारभूत संरचना का विकास (₹ 8.58 करोड़), छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (₹ 2.42 करोड़), संबंधता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान (₹ 1.57 करोड़) से संबंधित था, 2001-02 से 2010-11 के दौरान कोषागार से आहरित कर उच्च शिक्षा निदेशालय के पी.एल. खाते में पड़ा हुआ था (मई 2014)। निदेशालय का कहना था कि निधियों का संचय विश्वविद्यालय द्वारा योजना प्रस्ताव और पिछले अनुदानों की लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र को समर्पित नहीं किये जाने के कारण थे।

समाप्त सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने कहा कि वित्त विभाग से पत्राचार किया जाना था कि पी.एल. खाते से विश्वविद्यालयों की राशि निर्गत करने की अनुमति दी जाए।

2.3.7.3 अग्रिम

31 मार्च 2014 तक
शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक
कर्मचारियों के विरुद्ध^१
₹ 12.35 करोड़ की अग्रिम
का समायोजन लंबित था।

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 611 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को विभागीय एवं संबद्ध उद्देश्यों के लिए स्वीकृत अग्रिमों को सरकारी कर्मचारी के जिम्मेवारी और रसीद पर आहरित की जाए बशर्ते कि अभिश्वरों द्वारा समर्थित विस्तृत खातों या प्रत्यपर्ण द्वारा, जैसा आवश्यक हो, समायोजन हो।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय/ नमूना-जाँचित महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा आहरित अग्रिम ₹ 12.35 करोड़ एक से 21 वर्षों तक मार्च 2014 को लंबित थे, जैसा कि तालिका-2.3.2 में दिया गया है।

तालिका-2.3.2: बकाया अग्रिमों की विवरणी

(₹ लाख में)

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के नाम	बकाया अग्रिम (31.3.14 तक)	अग्रिमों से संबंधित सबसे पुरानी अवधि
विश्वविद्यालय मुख्यालय	1130.19	1992-93
बी.एस.सिटी महाविद्यालय, बोकारो	0.64	2008-09
पी.के.आर. मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद	24.03	2006-07
रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़	15.60	2004-05
के.बी. महिला महाविद्यालय, हजारीबाग	57.50	2004-05
मार्खम वाणिज्य महाविद्यालय, हजारीबाग	0.98	2012-13
जे.जे. महाविद्यालय, झुमरी तिलैया	6.55	2012-13
कुल	1235.49	

हमने आगे देखा कि दूसरे और उसके बाद के अग्रिमों को बिना पूर्व के लंबित अग्रिमों के समायोजन के स्वीकृत किया गया था।

वर्ष 1992-93 से 1995-96^२ तक की बैंक पुस्तिकाओं^३ की संवीक्षा से उद्घटित होता है कि उक्त अवधि के दौरान ₹ 1.41 करोड़ विभिन्न कर्मचारियों/व्यक्तियों को अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जिसे लेखा वर्ष 1996-97 के अग्रिम खाता में दर्ज नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इन अग्रिमों के समायोजन/वसूली से संबंधित वास्तविक स्थिति को पता नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, समायोजन पर उचित निगरानी के अभाव के कारण ₹ 12.35 करोड़ की अग्रिम गैर-वसूली /गैर समायोजन योग्य बन गयी।

² जैसा कि वि.भा.वि द्वारा उत्तर (नवम्बर 2014) दिया गया कि अग्रिम खाता 1992-93 से 1995-96 की अवधि में संधारित नहीं था।

³ वि.भा.वि द्वारा बनाए गए रोकड़ पुस्तिका को बैंक पुस्तिका के नाम से जाना जाता था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में असमायोजित अग्रिमों को गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अग्रिमों को यथाशीघ्र समायोजित करने का निर्देश दिया।

2.3.7.4 परीक्षा शुल्क की कम वसूली

अप्रैल 2011 से पहले बी.टेक. और एम.टेक. से परीक्षा शुल्क प्रति छात्र ₹ 1500 वसूल करने थे जिसे 9 अप्रैल 2011 में बढ़ाकर ₹ 2500 कर दिया गया था।

बिरसा अभियंत्रण संस्थान, सिंदरी से परीक्षा शुल्क के ₹ 3.20 करोड़ की कम वसूली को लेखापरीक्षा ने जाना

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि बिरसा अभियंत्रण संस्थान (बी.आई.टी), सिंदरी से अधिसूचित परीक्षा शुल्क ₹ 1,500/ ₹ 2,500 के विरुद्ध ₹ 800/ ₹ 1,500 प्रति छात्र की दर से वसूले गए थे। परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान ₹ 3.20 करोड़ कम परीक्षा शुल्क वसूले गए (परिशिष्ट-2.3.2)।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में सचिव, मा.सं.वि.वि. ने कहा कि आगे से सभी संस्थाओं से एक ही दर से शुल्क वसूला जायेगा।

2.3.7.5 संग्रह राशि का नहीं/कम जमा होना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 7 के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा राजस्व लेखा में प्राप्त सभी राशि बिना देर किए बैंक में जमा करनी चाहिए। पुनः झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 45 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था और विभाग के विरुद्ध प्राप्त सभी राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा होनी चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वि.भा.वि. के 18 स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों में कुल ₹ 16.85 लाख की राशि शुल्कों, प्रवेश/पंजीयन/परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री से संग्रहित किया गया था जिसे संबंधित कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं किया गया था (परिशिष्ट-2.3.3)। संग्रहित राशि का विश्वविद्यालय कोष में नहीं/कम जमा होना निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि स्नातकोत्तर विभाग द्वारा राशि को जमा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संग्रहित राशियाँ बिना देर किये विश्वविद्यालय कोष में तुरन्त जमा हों।

2.3.8 वार्षिक लेखाओं की तैयारी/प्रस्तुति में विलंब/ कमियाँ

झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 44 के अनुसार एक विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे पर प्रतिवेदन विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है लेकिन उनकी तैयारी/प्रस्तुति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा
वार्षिक लेखा काफी विलंब
से तैयार किया गया।

हमने देखा कि विश्वविद्यालय सामान्य निधि, पेंशन एवं उपादान निधि, पुस्तकालय निधि, यू.जी.सी. निधि, विकास निधि, सुरक्षित निधि, परीक्षा निधि इत्यादि का संधारण कर रहा था। जबकि केवल सामान्य निधि के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे तैयार कर रहा था। किसी भी निधि का आय-व्यय लेखा और तुलन-पत्र तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में विश्वविद्यालय के वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। हमने आगे देखा कि केवल सामान्य निधि से संबंधित वार्षिक लेखे वर्ष 2009-10 और 2010-11 में तैयार किये गये थे वह भी क्रमशः 13 तथा 23 माह विलंब से।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मलेन (दिसम्बर 2014) में कहा कि भविष्य में वार्षिक लेखे समय से तैयार किये जाएंगे। निदेशालय द्वारा इसकी पुष्टि (नवम्बर 2014) की गई थी कि अब तक किसी भी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि वार्षिक लेखों को समय पर विधान मंडल में प्रस्तुति हेतु समयसूची तैयार की जाए।

2.3.9 यू.जी.सी. से अनुदान का उपयोग

उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्ययों की विवरणी (ग्यारहवीं योजना) विलंब से जमा करने के कारण वि.भा.वि. को यू.जी.सी. से ₹ 6.21 करोड़ विमुक्त नहीं किये गये।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्तर्गत यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए ₹ 15.56 करोड़ आवंटित किया, जिसके विरुद्ध केवल ₹ 9.35 करोड़ उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्ययों का विवरण को 27 से 63 महीनों के विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विमुक्त किया गया। स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध विश्वविद्यालय का वास्तविक खर्च ₹ 12.14 करोड़ था। तथापि ₹ 2.97 करोड़ अधिक व्यय के विरुद्ध यू.जी.सी. से अब तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2014)। इस प्रकार, अनुदान का उपयोग नहीं करने और निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्ययों की विवरणी जमा करने में विफल रहने के कारण वि.भा.वि., यू.जी.सी. से आगे अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह गया।

आगे संवीक्षा में देखा गया कि विश्वविद्यालय ने कम/नहीं उपयोग के कारण ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत विशिष्ट आयोजन अनुदान के ₹ 1.18⁴ करोड़ यू.जी.सी. को जुलाई 2013 में वापस कर दिया। इस ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर वि.भा.वि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि ग्यारहवीं योजना अवधि के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बाद यू.जी.सी. से आवंटन प्राप्त हुआ और योजना अवधि के अंदर निधियों का उपयोग करने का बहुत कम समय था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि आवंटित निधियों को विमुक्ति के वित्तीय वर्ष में उपयोग करना था।

पुनः हमने पाया कि यू.जी.सी. ने बारहवीं योजना (2012-17) के तहत सामान्य अनुदान के रूप में ₹ 14.57 करोड़ आवंटित किया इसके विरुद्ध ₹ 5.68 करोड़ विमुक्त

⁴ ग्यारहवीं योजना (मिश्रित योजना)- ₹ 1.06 करोड़ एवं ग्यारहवीं योजना (जी.डी.ए.)- ₹ 0.12 करोड़।

किया गया (सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013), जिसमें से ₹ 5.06 करोड़ विश्वविद्यालय में अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (जुलाई 2014)।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान आश्वासन दिया कि निधियों का उपयोग किया जायेगा, उनके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा किया जायेगा और भविष्य में निधि के प्रत्यर्पण से बचा जायेगा।

2.3.10 ₹ 5.70 करोड़ मूल्य का आधारभूत ढाँचा का निष्क्रिय पड़ा रहना

हमने पाया कि वि.भा.वि. में ₹ 5.70 करोड़ की लागत से सृजित विश्वविद्यालय परिसर की आधारभूत संरचना जिन कारणों से उपयोग नहीं लायी गई थी तालिका-2.3.3 में दर्शायी गई है।

तालिका-2.3.3 वि.भा.वि. में निष्क्रिय पड़ी आधारभूत ढाँचे को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

बहुत पहले से पूर्णता के बावजूद विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना की सुविधाएँ निष्क्रिय पड़ी थी।

परियोजना का नाम	कुल व्यय	सौंपने की तिथि	निष्क्रिय रहने की अवधि (जुलाई 2014 तक)	अनुपयोगी रहने के लिए बताया गया कारण
अतिथिशाला	2.33	अक्टूबर 2009	4 वर्ष 7 महीना	भोजन प्रबन्ध एवं अन्य व्यवस्थाएँ अब तक नहीं की जा सकी।
महिला छात्रावास	1.02	सितम्बर 2011	2 वर्ष 10 महीना	छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति के पश्चात आरंभ होना था।
सम्मेलन कक्ष	2.33	सितम्बर 2013	10 महीना	सुसज्जीकरण एवं बैठने की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाई थी।
डे केयर सेन्टर	0.02	नवम्बर 2012	1 वर्ष 8 महीना	तलघर के चारों ओर भवन निर्माण सामग्री हटाने के बाद चालू करना है।

इस प्रकार आधारभूत संरचना लंबे समय से व्यर्थ पड़ी रही तथा निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि सृजित आधारभूत संरचना के उपयोग में लाने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृजित आधारभूत संरचना की सुविधाओं को यथा उपयोग में लाना चाहिए।

2.3.11 शैक्षिक क्रियाकलाप

विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, अनुसंधान करने, ज्ञान का प्रसार, परीक्षाओं का संचालन इत्यादि में निर्देश प्रदान करना है। शैक्षिक क्रियाकलापों के संचालन में पाई गई कमियाँ जिसे नीचे वर्णित किया गया हैं।

2.3.11.1 शिक्षक-छात्र अनुपात

यू.जी.सी. द्वारा तय मानदंडों के अनुसार विज्ञान और मानविकी में शिक्षक छात्र अनुपात क्रमशः स्नातकोत्तर में 1:10 और 1:15 तथा स्नातक में 1:25 और 1:30 होना चाहिए।

हमने पाया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षक-छात्र अनुपात 2009-2014 अवधि के दौरान निर्धारित मानदण्डों की तुलना में काफी कम था और विज्ञान में 1:15 से 1:18 तथा मानविकी में 1:27 से 1:31 के बीच था।

आगे हमने पाया कि मा.सं.वि. विभाग द्वारा 19 स्नातकोत्तर विभागों में से 13 विभागों के लिए शैक्षणिक पद स्वीकृत नहीं था, यद्यपि यू.जी.सी. मानदंड के अनुसार एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरर प्रति पाठ्यक्रम आवश्यक थे। विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों से शिक्षक उक्त स्नातकोत्तर विभागों में प्रतिनियुक्त थे। 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित सात महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:47 से 1:722 के बीच था जैसा कि परिशिष्ट-2.3.4 में अंकित है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय शिक्षक-छात्र अनुपात के तय मानदंडों के पालन में असफल रहा जिससे शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित हुआ।

समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने बताया कि मामले के निवारण के लिए आवश्यक कारबाई की जाएगी।

2.3.11.2 अन्तर्ग्रहण क्षमता का अल्पोपयोग

झा.गा.वि. अधिनियम, 2000 के धारा 61(2) के तहत राज्य सरकार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में नामांकन हेतु सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकती है।

सरकार द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता की स्वीकृति के समर्थन में कोई भी अभिलेख विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग काफी कम हुआ जो कि 2 से 71 प्रतिशत था (परिशिष्ट-2.3.5)।

समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने बताया कि अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता के उपयोग के लिए आवश्यक कारबाई की जाएगी।

2.3.11.3 निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया

यु.जी.सी. ने एक वर्ष के 185 दिनों को समायोजित (प्रवेश, परीक्षा, सार्वजनिक अवकाश तथा रविवार के लिए) करने के उपरांत 180 शैक्षणिक दिवसों का मानक निर्धारित किया।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 180 शैक्षणिक दिवसों की विरुद्ध 122 से 139 शैक्षणिक दिवसों का ही अनुपालन किया गया।

परीक्षाफल के प्रकाशन में 1 से 123 दिनों का विलम्ब हुआ।

महाविद्यालयों को आवेदन, भौतिक एवं आर्थिक संरचना में कमी के बावजूद संबद्धता प्रदान की गई।

हमने पाया कि समीक्षा अवधि के दौरान, विश्वविद्यालयों ने यु.जी.सी. मानक का उल्लंघन कर, निर्धारित सार्वजनिक अवकाश से अधिक अवकाश स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप कैलेन्डर वर्ष 2009-13 के दौरान 122 से 139 शैक्षणिक दिवसों का उपयोग हुआ।

समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालयों को यु.जी.सी. मानदंडों के पालन के लिए निर्देश दिए गए थे।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का कड़ाई से अनुपालन करें।

2.3.11.4 परिणाम के प्रकाशन में विलम्ब

झा.रा.वि. अधिनियम, 2000 की धारा 30 के अनुसार परीक्षा की तिथियों को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित करवाना है तथा परीक्षा संपन्न होने के साठ दिनों के भीतर परिणाम प्रकाशित होने चाहिए जिसे अगले साठ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसका कारण लिखित रूप में दर्ज हो।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परीक्षा की तिथियों को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था। आगे, अंतिम परीक्षा की तिथि से 60 दिनों के बाद भी परीक्षाफल के प्रकाशन में 1 से 123 दिनों का अधिक विलम्ब हुआ।

समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने बताया कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की कमी के कारण परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब हुआ। सचिव ने पुनः आश्वासन दिया कि विलम्ब को भविष्य में टाला जायेगा।

2.3.11.5 संबद्धता प्रदान करने में अनियमित्ताएँ

झा.रा.वि. अधिनियम, 2000 की धारा 30 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार की स्वीकृति से स्थायी/अस्थायी तौर पर विश्वविद्यालय का एक या अधिक संकाय वाला महाविद्यालय के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि घनश्याम मेहता इवनिंग महाविद्यालय तथा जे.एम. महाविद्यालय भुरकुण्डा को संबद्धता प्रदान करने में निम्नलिखित अनियमित्ताएँ पायी गयी।

- इन महाविद्यालयों के पास मात्र पाँच एकड़ भूमि है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों के लिए 10 एकड़ भूमि निर्धारित है।
- राज्य सरकार के पास इन महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने का सिफारिश भेजने के पहले शिक्षा परिषद् से परामर्श लेना चाहिए एवं अधिषद् की अनुमति ली जानी चाहिए। परन्तु इसका पालन नहीं किया गया था।

- दोनों महाविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता निर्धारण संबंधी कोई सूचना नहीं थी।
- इवनिंग महाविद्यालय के मामले में यह देखा गया कि इसका संबद्धता प्रदान करने संबंधी आवेदन अपूर्ण था क्योंकि इसमें प्रस्तावित पाठ्यक्रम का निर्देश, महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा नहीं था और यह अभिषद के दो सदस्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं था जैसा आवश्यक था।

हमने आगे पाया कि श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग तथा गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग को वि.भा.वि. द्वारा तीन वर्षों (2013-16) का विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई जबकि मा.सं.वि. विभाग ने इन महाविद्यालयों को संबद्धता विस्तार एक वर्ष (2013-14) के लिए दिया था।

समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं बताया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, निदेशालय/विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने संबंधी प्रावधानों में छील दी गयी।

अनुशंसा की जाती है कि निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर ही संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जानी चाहिए।

(i) अपूर्ण आधारभूत संरचना के कारण स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संस्थानों की मान्यता वापस लेना

तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् (एन.सी.टी.ई.) ने निर्धारित मानदण्डों एवं मानकों के अनुपालन करने के शर्तों पर महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए मान्यता प्रदान किया। हमने पाया कि एन.सी.टी.ई. ने बोकारो स्टील सिटी महाविद्यालय, बोकारो द्वारा प्रस्तावित बी.एड. पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से निम्नलिखित कारणों से वापस लेने का निर्णय (सितम्बर 2014) लिया:

- शैक्षणिक सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना दोनों का ही महाविद्यालय में अभाव था;
- महाविद्यालय ने विभागीय प्रमुख का नियमित नियुक्ति नहीं किया एवं अध्यापकों की नियुक्ति संविदा आधार पर की गयी जो अपेक्षित मानदंड का उल्लंघन था; और
- ₹ पाँच लाख की सावधि जमा रसीद महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी परिषद् (पू.क्षे.प.) एन.सी.टी.ई., भुवनेश्वर के संयुक्त नाम से नहीं था।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने आश्वासन दिया कि एन.सी.टी.ई. मानदण्डों के अंतर्गत उपचरात्मक कार्रवाई की जायेगी।

एन.सी.टी.ई. ने बोकारो स्टील सिटी महाविद्यालय, बोकारो के बी.एड. पाठ्यक्रमों की मान्यता अपेक्षित मानदंड का पालन नहीं करने के कारण वापस ली।

सरकार को सुनश्चित करना चाहिए कि एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता, नियमित शिक्षण कर्मी एवं अन्य प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति एवं दान व सुरक्षित निधि को ई.आर.सी. भुवनेश्वर के संयुक्त खाते में रख रखाव किया जाय।

2.3.12 मानव संसाधन प्रबंधन

2.3.12.1 शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी

31 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के स्वीकृत बल के साथ कार्यरत बल का पूर्ण विश्लेषण (उनके अधीन महाविद्यालयों सहित) तालिका-2.3.4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-2.3.4: शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी की विवरणी

स्वीकृत बल		कार्य बल		रिक्ति		रिक्ति की प्रतिशतता	
शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक
850	1468	659	909	191	559	22.47	38.08

विश्वविद्यालय/
महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की आरी कमी थी।

हमने पाया कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मी की कमी क्रमशः 22.47 से 38.08 प्रतिशत था। कर्मियों की कमी के परिणामस्वरूप शिक्षक-छात्रों का अनुपात अधिक होना, परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब होना, वार्षिक लेखा तैयार करने में देरी, रोकड़ बही का अनियमित संधारण होना था।

सचिव, मानव संसाधन विभाग ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गयी थी।

सरकार को रिक्त पदों को भरने हेतु नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

2.3.12.2 वेतन एवं भत्ते के भुगतान में अनियमित्ताएँ

हमने महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान में निम्न अनियमित्ताएँ पायी:

(i) अस्वीकृत पदों पर शिक्षकों का योगदान

निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालय को अनुदेश (अक्टूबर 2009) दिया कि ऐसे कर्मियों को तुरंत सेवा से हटाये जो अस्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे थे और यह भी अनुदेश दिया कि ऐसे कर्मियों को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाए।

हमने पाया कि मार्खम वाणिज्य महाविद्यालय, हजारीबाग में निदेशालय के निर्देश का उल्लंघन कर सात शिक्षक अस्वीकृत पद पर कार्य कर रहे थे और 2009-14 के दौरान वेतन एवं भत्ते मद में ₹ 83.03 लाख का भुगतान किया गया।

(ii) मकान किराया भत्ता का अनियमित भुगतान

मकान किराया भत्ता नियम 1980 के अनुसार किसी भी कर्मी को जिसे राज्य सरकार/केंद्र सरकार या इनके उपक्रमों द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया हो, मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

₹ 31.48 लाख का भुगतान वैसे शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों को किया गया जिन्हें भारत सरकार के उपक्रम द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया था।

बोकारो स्टील सिटी महाविद्यालय, के वेतन भुगतान विपत्र की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2009-14 के दौरान ₹ 31.48 लाख के मकान किराया भत्ता का भुगतान वैसे शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों को किया गया जिन्हें बोकारो स्टील लिमिटेड (बी.एस.एल.), बोकारो द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया था जो भारत सरकार की एक अधिनस्थ उपक्रम है। अयोग्य कर्मियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा सरकार के नियमों/निर्देशों के पालन में पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि मामले की जाँच की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन एवं भत्ताओं का भुगतान नियमों एवं निर्देशों के तहत होनी चाहिए।

2.3.13 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

2.3.13.1 अधिषद और अभिषद की बैठक

अधिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय है और अभिषद एक विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् है। झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अधिषद की कम से कम 2 बैठकों और अभिषद की 12 बैठकें होंगी।

अवधि 2009-14 के दौरान हमने पाया कि:

- अधिषद की कम से कम 10 बैठकों के विरुद्ध केवल तीन बैठकें हुईं। हमने यह भी पाया कि बैठक में अधिषद के प्रमुख सदस्य जैसे कुलाधिपति; आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा; निदेशक, उच्च शिक्षा एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा अधिषद के किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे।
- अभिषद की केवल 28 हुई जबकि कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए थी। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों जैसे आयुक्त सह सचिव, उच्च शिक्षा या उनके प्रतिनिधि एवं निदेशक, उच्च शिक्षा अभिषद के किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे।

इस ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर, वि.भा.वि. ने उत्तर दिया कि अधिषद बैठक तर्कसंगत कारणों से नियमित रूप से नहीं हुआ और 2014-15 से बैठक नियम के अनुसार किया जा रहा था।

2.3.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का नहीं होना

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 53(1) के अनुसार अभिषद द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक के रूप में योग्य लेखाकार द्वारा प्रत्येक महाविद्यालयों के वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा करने का प्रावधान करता है।

विश्वविद्यालय द्वारा
आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं
कराया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि ना ही आंतरिक लेखापरीक्षा विंग अस्तित्व में था और ना ही विश्वविद्यालय द्वारा योग्य लेखाकारों को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों यथा प्राप्तियों की कम वसूली, संग्रहित राशि का लेखाकरण नहीं होना, अग्रिम पंजी का संधारण नहीं होना, अनियमित नियुक्ति इत्यादि का पता नहीं चला।

सचिव द्वारा समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का सृजन किया जायेगा।

2.3.13.3 वस्तुसूची का सत्यापन नहीं किया जाना

झारखण्ड वित्तीय नियम 138 यह अपेक्षा करता है कि स्थायी परिसंपत्तियों की वस्तुसूची को वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित करना आवश्यक है तथा सत्यापन के निष्कर्ष को संबंधित पंजी में अभिलिखित किया जाए।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में पुस्तकालय के पुस्तकों सहित, संपत्तियों का भौतिक सत्यापन जैसा निर्धारित था, नहीं किया गया।

सचिव, म.स.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.13.4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन बोर्ड (एन.बी.ए.) द्वारा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों का मूल्यांकन नहीं किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बारहवीं योजना (2012-17) में विकास अनुदान के लिए सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा दो बैचों को पास करने या स्थापना के छः वर्षों के बाद से मूल्यांकन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे, एन.बी.ए. की स्थापना सभी सहभागी संस्थाओं के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु मदद करने के साथ-साथ डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों के कार्यक्रमों के लिए मापदंड स्थापित करने के लिए किया गया।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एन.ए.ए.सी. द्वारा नहीं किया गया था। एन.बी.ए. द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं कराया गया था। मूल्यांकन नहीं होने के कारण संस्था अपनी ताकत, कमियाँ तथा अवसर को सूचित समीक्षा प्रक्रिया से जानने में विफल रही तथा डिप्लोमा/स्नातक/

विश्वविद्यालय/
महाविद्यालयों के द्वारा
परिसंपत्तियों का भौतिक
सत्यापन नहीं कराया
गया।

राष्ट्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं
प्रत्यायन परिषद के द्वारा
विश्वविद्यालय का प्रत्यायन
नहीं किया गया।

स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयों के कार्यक्रम का निर्धारित मानदण्डों पर प्रदर्शन के आकलन करने में विफल रही।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय तथा शेष महाविद्यालयों⁵ के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी थी।

2.3.13.5 संबद्ध महाविधालयों द्वारा प्रतिवेदन/विवरणी उपलब्ध नहीं किया जाना

दक्षता के आकलन के लिए संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रतिवेदन, विवरणियाँ तथा अन्य सूचनाएँ अनुपलब्ध थीं।

झा.रा.वि. अधिनियम, 2000 की धारा 56(1) के तहत प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालयों को, जैसा अधिष्ठ द्यो आवश्यकता हो, के अनुसार, प्रतिवेदन, विवरणी तथा अन्य सूचना प्रेषित करना आवश्यक था, ताकि महाविद्यालय की दक्षता का मूल्यांकन किया जा सके। वि.भा.वि. ने सूचित किया (नवम्बर 2014) की संबद्ध महाविद्यालयों से शायद ही कभी ऐसा प्रतिवेदन अधिष्ठ द्यो आवश्यक था।

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण-तंत्र को लागू करने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिष्ठ और अधिष्ठ की बैठक प्रावधानानुसार हो, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं वस्तुसूची संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल में हो, संस्थाओं का मूल्यांकन एन.ए.ए.सी. एवं एन.बी.ए. से हो, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ठीक रखने के लिए आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी प्रेषित किया जाए।

खण्ड-ख (नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय)

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय से अलग होकर 17 जनवरी 2009 को बना था जो पलामु, गढ़वा और लातेहार जिलों के इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के द्वारा तीन संकायों के अंतर्गत जैसे मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा के 18 स्नातकोत्तर विभागों का संचालन एवं प्रबंधन करती है। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में चार अंगीभूत महाविद्यालय और पाँच संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय हैं।

अवधि 2009-14 के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये विभिन्न परीक्षाओं में 31,321 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे जिसमें 29,929 विद्यार्थी (96 प्रतिशत) सफल घोषित किये गये।

2.3.14 आयोजन

2.3.14.1 परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया जाना

पूर्व कंडिका 2.3.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, परिप्रेक्ष्य योजना नी.पी.वि. द्वारा तैयार नहीं किया गया था। कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण बुनियादी संरचना एवं अन्य संस्थागत आवश्यकताओं के साथ राज्य

विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया गया था।

⁵ एन.ए.ए.सी. के द्वारा वि.भा.वि. के अन्तर्गत पाँच महाविद्यालयों को मूल्यांकित किया गया था।

में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विस्तृत समयावधि तैयार करने में विश्वविद्यालय असफल रहा।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया जाएगा।

सरकार को विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार/उत्थान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.15 वित्तीय प्रबंधन

2.3.15.1 वित्तीय स्थिति

विद्यार्थीयों से शुल्क एवं राज्य सरकार से अनुदान, विश्वविद्यालय के प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं। वेतन, रख-रखाव खर्च, पूँजीगत व्यय और कर्मचारियों के पेंशन, खर्च का मुख्य संघटक हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े के अनुसार अवधि 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय के प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति नीचे की तालिका-2.3.5 में दिखाया गया है:

तालिका-2.3.5: 2009-14 के दौरान बजट आवंटन खर्च को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	11.09	7.80	3.29
2010-11	0.81	Nil	0.81	12.75	14.86	(-) 2.11
2011-12	2.73	2.73	0	23.40	20.59	2.81
2012-13	5.00	0	5.00	18.33	16.32	2.01
2013-14	24.39	2.11	22.28	20.93	21.11	(-) 0.18
कुल	32.93	4.84	28.09	86.50	80.68	5.82

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने 2009-14 के दौरान, गैर-योजना अनुदान का 93.27 प्रतिशत ही उपयोग किया था जबकि योजना अनुदान का उपयोग केवल 14.70 प्रतिशत था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में कहा कि योजना अनुदान का उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध निधियों का अधिकतम उपयोग हो।

2.3.15.2 निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत निक्षेप खातों (पी.एल.) में निधियों का संचय

हमने देखा कि योजना निधि का ₹ 3.11 करोड़⁶ जो आधारभूत संरचना के विकास, छात्राओं को निशुल्क शिक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, कम्पयुटरीकरण एवं ई-पुस्तकालयों की स्थापना, से संबंधित राशि को 2009-10 से 2010-11 की अवधि में कोषागार से आहरण कर सरकार के कोषागार में संधारित उच्च शिक्षा निदेशालय के पी.एल. खाते में पड़ा हुआ (मई 2014) था।

पूछे जाने पर (जुलाई 2014), निदेशालय का कहना था कि निधियों का संचय विश्वविद्यालय द्वारा योजना प्रस्ताव और पिछले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को समर्पित नहीं किए जाने के कारण था।

सरकार को आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.15.3 अग्रिम

पूर्व कंडिका 2.3.7.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय और नमूना-जाँचित महाविद्यालयों द्वारा अग्रिमों की स्वीकृति हेतु प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था क्योंकि प्राचार्य/शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के विरुद्ध भारी अग्रिम लंबित थे जिसका समायोजन एक से चार वर्षों की अवधि तक लंबित था।

31 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय और नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में अग्रिमों की स्थिति तालिका-2.3.6 में दिखाया गया है।

तालिका-2.3.6 बकाया अग्रिमों की विवरणी

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय के नाम	बकाया अग्रिम (31.3.14 तक)	अवधि जब से अग्रिम बकाया थे
विश्वविद्यालय मुख्यालय	136.71	2009-10
जे.एस. महाविद्यालय, मेदिनीनगर	8.53	2009-10
वर्ड.एस.एन. महिला महाविद्यालय मेदिनीनगर	1.53	2009-10
जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेदिनीनगर	36.96	2009-10
एस.एस.जे.एन. महाविद्यालय, गढ़वा	2.17	2010-11
कुल योग	185.90	

31 मार्च 2014 तक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 1.86 करोड़ की अग्रिम समायोजन हेतु कोई तंत्र का अस्तित्व में न होना भी कमज़ोर आंतरिक नियंत्रणों का संकेत था।

⁶ योजना राशि आधारभूत संरचना- ₹ 2.19 करोड़, निशुल्क शिक्षा- ₹ 0.60 करोड़, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने- ₹ 0.10 करोड़, कम्पयुटरीकरण- ₹ 0.17 करोड़ एवं ई-पुस्तकाल की स्थापना- ₹ 0.02 करोड़ से संबंधित।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण को गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को अग्रिमों को यथाशीघ्र समायोजित करने का निर्देश दिया।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिमों का समायोजन वसूली पर निगरानी के लिए अग्रिम पंजी को नियमित रूप से संधारित एवं अद्यतन किया जाय।

2.3.15.4 संग्रह राशि का नहीं/कम जमा होना

महाविद्यालय कोष/बैंक में
संग्रहित राशि ₹ 3.58
लाख जमा नहीं किया
गया।

कंडिका 2.3.7.5 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, नी.पी.वि. के अंतर्गत नमूना-जाँचित दो महाविद्यालयों द्वारा संग्रहित राशि को बैंक में प्रेषण नहीं किया जा रहा था क्योंकि छात्रों से शुल्क के मद में संग्रहित कुल ₹ 3.58 लाख (परिशिष्ट-2.3.6) को महाविद्यालय कोष/बैंक में जमा नहीं किया गया था और संग्रहकर्मी/ रोकड़पाल द्वारा अनियमित रूप से रख लिया गया।

इस प्रकार संबंधित महाविद्यालयों द्वारा संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करने से संग्रहित राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं हो पायी।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा राशि जमा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संग्रहित राशियाँ महाविद्यालय कोष/बैंक में अगले कार्य दिवस को अवश्य जमा करवाया जाए।

2.3.16 वार्षिक लेखाओं की तैयारी/प्रस्तुति में विलंब/ कमियां

विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक लेखे नौ से 33 माह विलंब से तैयार किये गये थे।

कंडिका 2.3.8 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विश्वविद्यालय सामान्य निधि, पैशन एवं उपादान निधि, विकास निधि, परीक्षा निधि, ग्रुप जीवन बीमा योजना कोष तथा कर्मचारी कल्याण कोष इत्यादि का संधारण कर रहा था। जबकि केवल सामान्य निधि एवं परीक्षा निधि के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे तैयार कर रहा था। तथापि सामान्य निधि एवं परीक्षा निधि का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार किया जा रहा था। किसी भी निधि का आय- व्यय लेखे और तुलन पत्र तैयार नहीं किया गये थे जिसके अभाव में विश्वविद्यालय के वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। हमने आगे देखा कि केवल वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए सामान्य निधि एवं परीक्षा निधि के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे क्रमशः 9, 26 तथा 33 माह विलंब से तैयार किये गये थे।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में कहा कि भविष्य में वार्षिक लेखों को समय से तैयार किया जाएगा। निदेशालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी (नवम्बर 2014) कि अब तक विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि वार्षिक लेखों को समय पर विधान मंडल में प्रस्तुति हेतु समयसूची तैयार की जाए।

2.3.17 आधारभूत सुविधाओं का अभाव

विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के पश्चात भी अपना परिसर नहीं था।

हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा ₹ 20.81 करोड़ जारी किये जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण जुलाई 2014 तक उसका अपना परिसर नहीं था और विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन मेदनीनगर, जिला परिषद गेस्ट हाउस में कार्य कर रहा था। पुनः परीक्षा अनुभाग किराये के भवन में काम कर रहा था तथा 22 स्वीकृत स्नातकोत्तर विभागों में से 18 विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित हो रहे थे।

सचिव, मा.सं.वि.वि. समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान तथ्यों को मानते हुए कहा कि नी.पी.वि. के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन था।

सरकार को नवनिर्मित विश्वविद्यालयों को यथाशीघ्र भूमि की उपलब्धता/समुचित आधारभूत सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

2.3.18 शैक्षिक क्रियाकलाप

2.3.18.1 शिक्षक-छात्र अनुपात

पी.जी. विभागों में शिक्षक-छात्र अनुपात विज्ञान तथा मानविकी में 1:10 से 1:15 के विश्वविद्यालय क्रमशः 1:19 से 1:79 के बीच था।

पूर्व कंडिका 2.3.11.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, शिक्षक-छात्र अनुपात का पालन विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँचित महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया जैसा कि हमने पाया, 2009-14 की अवधि के दौरान अनुपात, निर्धारित मानदण्डों की तुलना में काफी कम था और जो विज्ञान में 1:19 से 1:39 तथा मानविकी में 1:36 से 1:79 था जैसा कि तालिका-2.3.7 में अंकित है।

तालिका-2.3.7: शिक्षक-छात्र अनुपात में विभिन्नता की विवरणी

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विज्ञान	1:19	1:22	1:27	1:39	1:36
मानविकी	1:36	1:66	1:79	1:79	1:46

(स्रोत: विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

आगे हमने पाया कि 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित चार महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:41 से 1:539 के बीच था जैसा कि परिशिष्ट-2.3.7 में अंकित है।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि समस्या शिक्षकों की कमी के कारण थी तथा मामले के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को संस्थानों में शिक्षण कर्मचारियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा उच्च और एकसमान हो।

2.3.18.2 अन्तर्ग्रहण क्षमता का अल्पोपयोग

स्नातकोत्तर विभागों के अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग में कमी का प्रतिशत 16 से 95 के बीच था।

स्नातकोत्तर विभाग: पूर्व कंडिका 2.3.11.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता की स्वीकृति संबंधी कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से उद्घटित हुआ कि अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग काफी कम हुआ जो कि 16 से 95 प्रतिशत के बीच था (*परिशिष्ट-2.3.8*)।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता के उपयोग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा किया किया जाए।

2.3.18.3 निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया

विश्वविद्यालय द्वारा 180 शैक्षणिक दिवसों के विरुद्ध 126 से 144 शैक्षणिक दिवसों का उपयोग किया गया।

पूर्व कंडिका 2.3.11.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, एक वर्ष में शैक्षणिक दिवसों के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करना है, हमने पाया कि समीक्षा अवधि के दौरान नी.पी.वि. ने यु.जी.सी. मानक का उल्लंघन कर, निर्धारित सार्वजनिक अवकाश से अधिक अवकाश स्वीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 126 से 144 शैक्षणिक दिवसों⁷ का उपयोग हुआ।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि विश्वविद्यालयों को यु.जी.सी. मानदंड के पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

2.3.18.4 परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब

परीक्षाफल के प्रकाशन में 14 से 271 दिनों का अनियमित विलम्ब हुआ।

पूर्व कंडिका 2.3.11.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की तिथियों को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया और अंतिम परीक्षा की तिथि से 60 दिनों के बाद भी परीक्षाफल के प्रकाशन में 14 से 271 दिनों का अत्यधिक विलम्ब हुआ।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की कमी के कारण परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब हुआ। यद्यपि यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी देरी को टाला जाएगा।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाफल का प्रकाशन निर्धारित समय के अन्दर हो।

⁷ 2009-126; 2010-132; 2011-133; 2012-134; 2013-144.

2.3.18.5 बी.एड. पाठ्यक्रम पेश करने वाली संस्थाओं की मान्यता एन.सी.टी.ई. द्वारा वापस लिया जाना

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्, एन.सी.टी.ई. द्वारा जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेदिनीनगर के बी.एड. पाठ्यक्रमों की मान्यता अपेक्षित मानदंड का पालन नहीं करने से वापस ले लिया गया।

पूर्व कंडिका 2.3.11.5 (i) में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्, एन.सी.टी.ई. ने जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेदिनीनगर का प्रस्तावित बी.एड. पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से मान्यता निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन नहीं करने के कारण निम्नलिखित कारणों से वापस लिया गया:

- बी.एड. विभाग का अपना परिसर, अपना बहुदेशीय हॉल, विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए समुचित कमरा, खेल का मैदान और कला एवं शिल्प केंद्र नहीं थे जो कि बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए जरुरी थे।
- शैक्षणिक पदाधिकारियों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा संविदा के आधार पर ग्यारह महीनों के लिए किया गया था और उनकी सेवाएं संविदा अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाता था जो एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के विरुद्ध था।
- एन.सी.टी.ई. के अपेक्षित मानदंड के अनुसार संस्थान ने दान एंव सुरक्षित निधि का रख रखाव पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्, एन.सी.टी.ई., भुवनेश्वर के साथ संयुक्त खाते में नहीं किया।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि. विभाग ने आश्वासन दिया कि एन.सी.टी.ई. मानदण्डों के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि एन.सी.टी.ई. के अपेक्षित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता, नियमित शिक्षण कर्मी एवं अन्य प्रशासनिक कर्मियों की नियमित नियुक्ति एवं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्, एन.सी.टी.ई., भुवनेश्वर के साथ दान व सुरक्षित निधि का संयुक्त खाते में रख रखाव किया जाए।

2.3.19 मानव संसाधन प्रबंधन

2.3.19.1 शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी

31 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों के स्वीकृत बल के साथ-साथ कार्य बल का पूर्ण विश्लेषण (उसके महाविद्यालयों सहित) तालिका-2.3.8 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-2.3.8: शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी की विवरणी

स्वीकृत बल		कार्य बल		रिक्ति		रिक्ति की प्रतिशतता	
शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक
368	406	138	151	230	255	62.50	62.81

इससे यह स्पष्ट है कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी का प्रतिशत क्रमशः 62.50 एवं 62.81 था।

**विश्वविद्यालयों/
महाविद्यालयों में
शैक्षणिक तथा गैर
शैक्षणिक कर्मियों की भारी
कमी थी।**

कर्मियों की कमी के परिणामस्वरूप वार्षिक लेखे तैयार करने में देरी, रोकड़ बहियों का अनियमित संधारण होना/संधारण न होना/मिलान न होना, शिक्षक-छात्रों का अनुपात अधिक होना, परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब इत्यादि पाया गया।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गयी थी।

सरकार को रिक्त पदों को भरने हेतु नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

2.3.19.2 वेतन एवं भत्ते के भुगतान में अनियमित्ताएँ

हमने महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान में निम्न अनियमित्ताएँ पायी:

(i) अस्वीकृत पदों पर शिक्षकों का योगदान

पूर्व कंडिका 2.3.12.2(i) में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि एस.एस.जे.एस.एन. महाविद्यालय, गढ़वा में सात शिक्षक, निदेशालय के निर्देशों का उल्लंघन कर अस्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे थे और ₹ 75.52 लाख का भुगतान 2009-14 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तें मट में किया गया।

(ii) पंचम वेतन पुनरीक्षण के बकाया भुगतान के विरुद्ध दिए गए अग्रिम का समायोजन न होना

37 गैर शैक्षणिक कर्मियों से ₹ 41.62 लाख का अधिक भुगतान वसूलनीय था।

जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेदिनीनगर के 37 गैर शैक्षणिक कर्मियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण के बकाये के भुगतान सम्बन्धी संचिकाओं की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि ₹ 46.92 लाख के अग्रिम का भुगतान पंचम वेतन पुनरीक्षण के बकाये के लिए अक्टूबर 2008 से नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान पाँच किस्तों में किया गया। हमने अवलोकन किया कि महाविद्यालय ने सितम्बर 2013 में अग्रिम के केवल प्रथम किस्त को समायोजित करते हुए बकाये का अंतिम भुगतान किया। बाकी बचे अग्रिम के चार किस्तों का समायोजन अंतिम भुगतान के समय नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 41.62 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान बताया कि मामले की जाँच की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमों एवं निर्देशों के तहत होना चाहिए।

2.3.20 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

2.3.20.1 अधिष्ठद और अभिष्ठद की बैठक

पूर्व कंडिका 2.3.13.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि:

- अधिष्ठद की बैठक एक बार भी नहीं हुई जबकि कम से कम दस बैठकें होनी थी। यह भी पाया गया कि किसी भी बैठक में अधिष्ठद के प्रमुख पदेन सदस्य जैसे कुलाधिपति, आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा, निदेशक, उच्च शिक्षा एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा मौजूद नहीं थे।
- अभिष्ठद का केवल 28 बैठकें हुई जबकि कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए थी। यह भी पाया गया कि इन बैठकों में राज्य सरकार के आयुक्त सह सचिव, उच्च शिक्षा या उनके कोई भी प्रतिनिधि एवं निदेशक, उच्च शिक्षा मौजूद नहीं थे।

इस ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि 2014-15 से अधिष्ठद की बैठक के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2.3.20.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का नहीं होना

पूर्व कंडिका 2.3.13.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि ना तो आंतरिक लेखापरीक्षा विंग अस्तित्व में थी ना ही योग्य लेखाकारों को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। परिणामस्वरूप, प्राप्तियों की कम वसूली, संग्रहित राशि का लेखांकण नहीं होना, अग्रिम पंजी का संधारण नहीं होना, अनियमित नियुक्ति इत्यादि लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का पता नहीं लगाया जा सका।

सचिव, द्वारा समापन सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2014) आश्वस्त किया गया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का सृजन किया जायेगा।

2.3.20.3 वस्तुसूची का सत्यापन नहीं किया जाना

पूर्व कंडिका 2.3.13.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि पुस्तकालय के पुस्तकों सहित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के द्वारा नहीं किया गया था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (दिसम्बर 2014) किया तथा आवश्यक कार्रवाई प्रावधानानुसार करने का आश्वासन दिया।

2.3.20.4 एन.ए.ए.सी. एवं एन.बी.ए. द्वारा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों का मूल्यांकन

पूर्व कंडिका 2.3.13.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एन.ए.ए.सी. द्वारा नहीं किया गया था। एन.बी.ए. द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं कराया गया था। मूल्यांकन नहीं होने के कारण संस्था अपनी ताकतों, कमी तथा अवसर को सूचित समीक्षा प्रक्रिया के द्वारा जानने तथा डिप्लोमा/ स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तरों पर

विभिन्न विषयों के कार्यक्रम का निर्धारित मानदण्डों पर प्रदर्शन के आकलन करने में विफल रहा।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी थी।

2.3.20.5 संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रतिवेदन/विवरणी उपलब्ध नहीं किया जाना

क्षमताओं के आकलन के लिए संबद्धता प्राप्त

महाविद्यालयों का प्रतिवेदन, विवरणी तथा अन्य सूचनाएँ उपलब्ध नहीं थे।

पूर्व कंडिका 2.3.13.5 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा कोई प्रतिवेदन/विवरणी उपलब्ध नहीं किया गया था।

पूछे जाने पर विश्वविद्यालय ने कहा (नवम्बर 2014) कि इस संबंध में प्रावधान को नियमित करने हेतु मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को लागू करने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिषद और अभिषद की बैठक प्रावधानानुसार हो, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल में हो, संस्थाओं के मूल्यांकन एन.ए.ए.सी. एवं एन.बी.ए. से हो एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण पद्धति को ठीक रखने के लिए आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी प्रेषित किया जाना चाहिए।

खण्ड-ग कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

कोल्हान विश्वविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय से अलग होकर 13 अगस्त 2009 को बना था। जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खारसावां जिलों के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के द्वारा तीन संकायों के अंतर्गत जैसे मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा के 22 स्नातकोत्तर विभागों का संचालन एवं अनुरक्षण करता है। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में चौदह अंगीभूत महाविद्यालय, तीन संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय और एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं।

अवधि 2009-14 के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये विभिन्न परीक्षाओं में 2,21,908 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे जिसमें 1,59,139 विद्यार्थी (72 प्रतिशत) सफल घोषित किये गये।

2.3.21 आयोजन

2.3.21.1 परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया जाना

विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

पूर्व कंडिका 2.3.6.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, परिप्रेक्ष्य योजना विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नहीं किया गया था। कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण बुनियादी संरचना एवं अन्य संस्थागत आवश्यकताओं के साथ राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विस्तृत सम्यावधि तैयार करने में विश्वविद्यालय असफल रहा।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कराया जाएगा।

सरकार को विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार/उत्थान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.22 वित्तीय प्रबंधन

2.3.22.1 वित्तीय स्थिति

विद्यार्थियों से शुल्क, एवं राज्य सरकार से अनुदान, विश्वविद्यालय के प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं। वेतन, रख-रखाव खर्च, पूँजीगत व्यय और कर्मचारियों के पेंशन खर्च मुख्य संघटक हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के अनुसार अवधि 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय के प्राप्तियों एवं खर्चों की स्थिति तालिका-2.3.9 में दिखाया गया है।

तालिका-2.3.9: 2009-14 के दौरान बजट आवंटन एवं खर्च को दर्शाने वाली विवरणी
(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि	आवंटन	खर्च	अप्रयुक्त राशि
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	12.64	10.32	2.32 (18.35)
2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	52.40	35.71	16.69 (31.85)
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	48.41	45.38	3.03 (6.26)
2012-13	15.89	0.52	15.37 (96.73)	46.79	49.67	(-) 2.88
2013-14	20.73	3.54	17.19 (82.92)	57.70	63.51	(-) 5.81
कुल	36.62	4.06	32.56	217.94	204.59	13.35

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़े)

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि को.वि. ने 2009-14 के दौरान, गैर-योजना अनुदान का 93.87 प्रतिशत ही उपयोग किया था जबकि योजना अनुदान का उपयोग केवल 11.09 प्रतिशत था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में कहा कि योजना अनुदान का उपयोग के लिए आवश्यक उठाये जा रहे थे।

2.3.22.2 निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत निक्षेप खातों (पी.एल.) में निधियों का संचय

हमने देखा कि योजना निधि ₹ 2.86 करोड़ को आधारभूत संरचना के विकास, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, कम्प्युटरीकरण एवं ई-पुस्तकालयों की स्थापना, के लिए वर्ष 2009-10 से 2010-11 की अवधि में कोषागार से आहरित कर उच्च शिक्षा निदेशालय के सरकारी कोषागार में संधारित पी.एल. खाते में अवरुद्ध था (मई 2014)।

पूछे जाने पर (जुलाई 2014), निदेशालय का कहना था कि निधियों का संचय विश्वविद्यालय द्वारा योजना प्रस्तावों और पिछले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समर्पित नहीं किये जाने के कारण था।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध निधियों का अधिकतम उपयोग हो।

2.3.22.3 अग्रिम

पूर्व कंडिका 2.3.7.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय और नमूना-जाँचित महाविद्यालयों के प्राचार्य/शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के द्वारा अग्रिम की स्वीकृति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण अग्रिम की बड़ी राशि समायोजन हेतु एक से चार वर्षों तक लंबित थे।

31 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय और नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में अग्रिमों की स्थिति तालिका-2.3.10 में दिखाया गया है।

तालिका-2.3.10: बकाया अग्रिमों की विवरणी

(रुपये में)

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय के नाम	बकाया अग्रिम (31.3.14 तक)	अवधि जब से अग्रिम बकाया थे
विश्वविद्यालय मुख्यालय	240.32	2009-10
को-ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर	38.44	2012-13
टाटा महाविद्यालय, चाईबासा	9.35	2010-11
ए.बी.एम. महाविद्यालय, जमशेदपुर	1.23	2009-10
घाटशिला महाविद्यालय, घाटशिला	2.78	2009-10
कुल योग	292.12	

31 मार्च 2014 तक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 2.92 करोड़ की अग्रिम समायोजन हेतु बकाया था।

इस प्रकार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा वसूली/ समायोजन पर उचित निगरानी के अभाव के कारण ₹ 2.92 करोड़ की अग्रिम गैर-वसूली/गैर समायोजन योग्य बन गयी। आगे बकाया अग्रिमों के समायोजन के निगरानी हेतु कोई तंत्र का अस्तित्व में न होना भी कमजोर आंतरिक नियंत्रण का परिचायक था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को अग्रिमों को यथाशीघ्र समायोजित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर, 2014)।

2.3.22.4 संग्रह राशि का नहीं/कम जमा होना

महाविद्यालय कोष/बैंक में संग्रहित राशि ₹ 6.75 लाख जमा नहीं किया गया।

पूर्व कंडिका 2.3.7.5 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अंतर्गत नमूना-जाँचित तीन महाविद्यालयों द्वारा संग्रहित राशि को बैंक में प्रेषण के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था क्योंकि छात्रों से शुल्क के मद में कुल ₹ 6.75 लाख (परिशिष्ट-2.3.9) को महाविद्यालय कोष/बैंक में जमा नहीं किया गया था और संग्रह कर्मी/रोकड़पाल द्वारा अनियमित रूप से रख लिया गया।

इस प्रकार, संबंधित महाविद्यालयों द्वारा संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करने से संग्रहित राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं हो पायी।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा राशि जमा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संग्रहित राशियाँ महाविद्यालय कोष/बैंक में अगले कार्य दिवस को अवश्य जमा करवाया जाए।

2.3.23 वार्षिक लेखाओं की तैयारी/प्रस्तुति में विलंब/ कमियां

विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक लेखे 11 से 25 माह विलंब से तैयार किये गए थे।

पूर्व कंडिका 2.3.8 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि विश्वविद्यालय सामान्य निधि, पेंशन एवं उपादान निधि, विकास निधि, परीक्षा निधि, ग्रुप बीमा योजना निधि तथा कर्मचारी कल्याण कोष इत्यादि का संधारण कर रहा था जबकि सभी निधियों के केवल प्राप्ति तथा भुगतान लेखे तैयार किये जा रहे थे। किसी भी निधि का आय-व्यय लेखे और तुलन पत्र तैयार नहीं किये गये थे। जिसके अभाव में विश्वविद्यालय के वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। हमने आगे देखा कि केवल वर्ष 2009-10 और 2012-13 तक सभी निधियों के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे क्रमशः 11 से 25 माह के विलंब से तैयार किये गये थे।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि वार्षिक लेखों को व्यापक रूप से तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। निदेशालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी (नवम्बर 2014) कि अब तक विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि वार्षिक लेखों को समय पर विधान मंडल में प्रस्तुति हेतु समय की अनुसूची तैयार की जाये।

2.3.24 आधारभूत सुविधाओं का अभाव

विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के पश्चात भी उसका अपना परिसर नहीं था।

हमने देखा कि विश्वविद्यालय स्थापना के समय (अगस्त 2009) से ही प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण, जिसे दिसम्बर 2013 में पुरा हो जाना चाहिए था, टाटा महाविद्यालय, चाईबासा के पुस्कालय भवन से संचालित हो रहा था। देरी का कारण निदेशालय द्वारा अनुदान का दूसरी किस्त को जारी नहीं करना बताया गया।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान प्रेक्षण को मानते हुए कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण पूर्ण हो गया था तथा स्थानान्तरण कार्य प्रक्रियाधीन था।

2.3.25 शैक्षिक क्रियाकलाप

2.3.25.1 शिक्षक-छात्र अनुपात

पी.जी. विभागों में शिक्षक-छात्र अनुपात विज्ञान तथा मानविकी में 1:10 से 1:15 के विरुद्ध क्रमशः 1:30 से 1:113 के बीच था।

पूर्व कंडिका 2.3.11.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, शिक्षक छात्र अनुपात का अनुरक्षण विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँचित महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया जैसा कि हमने पाया कि स्नातकोत्तर विभाग में 2009-2014 के दौरान, निर्धारित मानदण्डों की तुलना में काफी कम था और जो विज्ञान में 1:30 से 1:91 तथा मानविकी में 1:68 से 1:113 के बीच था जैसा कि तालिका-2.3.11 में चिन्हित है।

तालिका-2.3.11: शिक्षक-छात्र अनुपात में अंतर की विवरणी

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विज्ञान	1:78	1:91	1:30	1:38	1:39
मानविकी	1:113	1:87	1:79	1:88	1:68

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित पाँच महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:52 से 1:318 के बीच था जैसा कि परिशिष्ट-2.3.10 में अंकित है।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि समस्या शैक्षणिक कर्मियों की कमी के कारण थी तथा मामले के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को संस्थानों में शैक्षणिक कर्मियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा उच्च और एकसमान हो।

2.3.25.2 अन्तर्ग्रहण क्षमता का अल्पोपयोग

स्नातकोत्तर विभागों के अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग में कमी का प्रतिशत 24 से 100 के बीच था।

स्नातकोत्तर विभाग: पूर्व कंडिका 2.3.11.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता की स्वीकृति के समर्थन में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से उद्घटित हुआ कि अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग काफी कम हुआ जो कि 24 से 100 प्रतिशत के बीच था (परिशिष्ट-2.3.11)।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता के उपयोग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि अधिकतम अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जाए।

2.3.25.3 निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का अनुपालन नहीं किया गया

विश्वविद्यालय में निर्धारित 180 शैक्षणिक दिवसों की विरुद्ध 136 से 139 शैक्षणिक दिवसों का ही अनुपालन किया गया।

पूर्व कंडिका 2.3.11.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार यु.जी.सी. द्वारा एक साल में निर्धारित किये गये शैक्षणिक दिवस मानदण्डों के अनुपालन के आधार पर हमने पाया कि सभीक्षा अवधि के दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय ने यु.जी.सी. मानक का उल्लंघन कर, निर्धारित सार्वजनिक अवकाश से अधिक अवकाश स्वीकृत किया फलस्वरूप केवल 136 से 139 शैक्षणिक दिवसों⁸ का उपयोग हुआ।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि विश्वविद्यालयों को यु.जी.सी. मानदंड के पालन के लिए निर्देश दे दिए गए थे।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों निर्धारित शैक्षणिक दिवसों का कड़ाई से अनुपालन करें।

2.3.25.4 परिणाम के प्रकाशन में विलम्ब

पूर्व कंडिका 2.3.11.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि परीक्षा की तिथियों को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया और अंतिम परीक्षा की तिथि से 60 दिनों के बाद भी परीक्षाफल के प्रकाशन में एक से 163 दिनों का अत्यधिक विलम्ब हुआ।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने बताया कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी की कमी के कारण परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब हुआ। सचिव ने पुनः आश्वासन दिया कि भविष्य में देरी को टाला जायेगा।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाफल का प्रकाशन निर्धारित समय के अन्दर हो।

2.3.25.5 एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड. संस्थानों की मान्यता वापस लिया जाना

पूर्व कंडिका 2.3.11.5(i) में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि एन.सी.टी.ई. द्वारा बहरागोरा महाविद्यालय, बहरागोरा का शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रस्तावित बी.एड. पाठ्यक्रमों को निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन नहीं करने के कारण वापस लिया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के अनुसार संस्थान के पास आधारभूत संरचना/संस्थागत सुविधाएँ नहीं थी। संबंधता प्राप्ति के तिथि (अर्थात् 19 मई 2008 तक) से तीन साल के अंदर अपने परिसर में स्थानान्तरित होना था लेकिन आठ साल के बाद भी उसी जगह पर संचालित किया जा रहा था। संस्थान ने अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ परिसर स्थानान्तरण संबंधी कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया।

⁸ 2009 एवं 2010: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया; 2011: 138; 2012: 136; 2013: 139

- संस्थान ने शैक्षणिक एवं सहायक कर्मियों की नियुक्ति एवं इनके सेवा शर्तों में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया और एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक कर्मी को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया।

समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान सचिव, मा.सं.वि.वि. ने आश्वासन दिया एन.सी.टी.ई. मानदंडों के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता, नियमित शैक्षणिक कर्मी एवं अन्य प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति, निर्धारित एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के मुताबिक हो।

2.3.26 मानव संसाधन प्रबंधन

2.3.26.1 शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी

विश्वविद्यालय/
महाविद्यालयों में शैक्षणिक
तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों
की भारी कमी थी।

31 मार्च 2014 को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों के स्वीकृत बल के साथ-साथ कार्य बल का पूर्ण विश्लेषण (उसके अधीन सहित) तालिका-2.3.12 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-2.3.12: शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी की विवरणी

स्वीकृत बल		कार्य बल		रिक्ति		रिक्ति की प्रतिशतता	
शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक
789	947	387	576	402	371	50.95	39.18

हमने पाया कि मार्च 2014 को शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी क्रमशः 50.95 प्रतिशत एवं 39.18 प्रतिशत था।

कर्मियों की कमी के परिणामस्वरूप वार्षिक लेखे तैयार करने में देरी, रोकड़ बहियों का अनियमित संधारण, शिक्षक-छात्रों का अधिक अनुपात, परीक्षाफल के प्रकाशन में विलम्ब इत्यादि पाया गया।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि मामले के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गयी थी।

सरकार को रिक्त पदों को भरने हेतु नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

2.3.26.2 अस्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान

पूर्व कंडिका 2.3.12.2(i) में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने पाया कि ए.बी.एम. महाविद्यालय, जमशेदपुर में सात शिक्षक निदेशालय के नियमों का उल्लंघन कर अस्वीकृत पदों पर कार्यरत थे और 2009-14 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते के मद में ₹ 86.42 लाख का भुगतान किया गया।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान बताया कि मामले की जाँच की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमों एवं निर्देशों के तहत होनी चाहिए।

2.3.27 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

2.3.27.1 अधिषद और अभिषद की बैठकें

पूर्व कंडिका 2.3.13.1 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि:

- अधिषद की कम से कम दस बैठकों के विरुद्ध केवल एक बैठक हुई थी। हमने यह भी पाया कि बैठक में अधिषद के प्रमुख पदेन सदस्य जैसे, कुलाधिपति, आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा मौजूद नहीं थे जबकि निदेशक, उच्च शिक्षा केवल एकमात्र अधिषद की बैठक में उपस्थित थे।
- अभिषद की केवल 21 बैठकें हुई जबकि कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए थी। यह भी पाया गया कि अभिषद की किसी भी बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि आयुक्त सह सचिव, उच्च शिक्षा या उनके कोई भी प्रतिनिधि एवं निदेशक, उच्च शिक्षा मौजूद नहीं थे।

इस ओर ध्यान आकर्षित किये जाने पर, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार बैठक कराये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

2.3.27.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का नहीं होना

पूर्व कंडिका 2.3.13.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने देखा कि ना तो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा अस्तित्व में थी ना ही विश्वविद्यालय द्वारा योग्य लेखाकारों को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

विश्वविद्यालय ने जवाब दिया (अक्टूबर 2014) कि आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थापना भविष्य में की जाएगी। सचिव द्वारा भी समापन सम्मेलन के दौरान आश्वस्त किया गया (दिसम्बर 2014) कि विश्वविद्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का सृजन किया जायेगा।

2.3.27.3 वस्तुसूची का सत्यापन नहीं किया जाना

पूर्व कंडिका 2.3.13.3 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि पुस्तकालय के पुस्तकों सहित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया था।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया कि निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2.3.27.4 एन.ए.ए.सी. एवं एन.बी.ए. द्वारा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन नहीं किया गया।

क्षमताओं के आकलन के लिए संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का प्रतिवेदन, विवरणियाँ तथा अन्य सूचनाएँ उपलब्ध नहीं थी।

पूर्व कंडिका 2.3.13.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, हमने पाया कि विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एन.ए.ए.सी. द्वारा नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि एन.बी.ए. द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं कराया गया था। मूल्यांकन नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय अपनी ताकत, कमियों तथा अवसर को सूचित समीक्षा प्रक्रिया के द्वारा जानने तथा डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों के विभिन्न विषयों के कार्यक्रमों का निर्धारित मानदण्डों पर प्रदर्शन के मूल्यांकन करने में विफल रहा।

सचिव, मा.सं.वि.वि. ने समापन सम्मेलन (दिसम्बर 2014) के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी थी।

2.3.27.5 संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रतिवेदन/विवरणी उपलब्ध नहीं किया जाना

पूर्व कंडिका 2.3.13.5 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रतिवेदन तथा विवरणी निर्धारित नहीं थे।

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को लागू करने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिष्ठ और अभिष्ठ की बैठक प्रावधानानुसार हो, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल में हो, संस्थाओं के मूल्यांकन एन.ए.ए.सी एवं एन.बी.ए. से हो, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण पद्धति को ठीक रखने के लिए आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी प्रेषित किया जाना चाहिए।

2.3.28 निष्कर्ष

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

- राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विमुक्त सहायता अनुदान अनुपयुक्त रहे। विश्वविद्यालय/छ: नमूना-जाँचित महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों द्वारा एक से 21 साल के बीच आहरित ₹ 12.35 करोड़ के अग्रिम मार्च 2014 तक बकाये थे। विश्वविद्यालय ने बिरसा इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी से अधिसूचित दर पर परीक्षा शुल्क का संग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ का कम संग्रहण हुआ। आगे 2011-12 से 2013-14 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे।
- विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना जैसे अतिथिशाला, महिला छात्रावास, सभा कक्ष एवं डे केयर सेंटर आदि का उपयोग नहीं हो सका एवं ये 10 से 55 महीनों तक बेकार पड़े थे।

• शैक्षणिक कर्मियों की कमी स्वीकृत बल का 22.47 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक छात्र अनुपात का कम होना एवं परीक्षाफल के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब होना था।

• अधिषद एवं अभिषद की बैठक निर्धारित संख्या में नहीं हुई एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

• राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय को ₹ 119.43 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया जिसमें से ₹ 33.61 करोड़ विश्वविद्यालय ने उपयोग नहीं किया। मार्च 2014 तक विश्वविद्यालय एवं चार नमूना-जाँचित महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों के विरुद्ध ₹ 1.86 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। आगे, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे।

• विश्वविद्यालय के पास अपना परिसर नहीं था और यह पाँच सालों से ज्यादा समय से किराए के भवन/अन्य संगठन के भवनों में चल रहा था।

• शैक्षणिक कर्मियों की कमी स्वीकृत बल का 62.50 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक छात्र अनुपात का कम होना एवं परीक्षाफल के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब होना था। आगे, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग कम हुआ जो कि 16 से 95 प्रतिशत के बीच था।

• 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय के अधिषद की बैठक की निर्धारित न्यूनतम संख्या दस में से एक भी नहीं हुई।

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

• राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान विश्वविद्यालय को ₹ 254.56 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया। जिसमें से ₹ 45.91 करोड़ विश्वविद्यालय ने उपयोग नहीं किया। विश्वविद्यालय एवं तीन जाँचित महाविद्यालयों के शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक कर्मियों के पास ₹ 2.92 करोड़ अग्रिम बकाये थे।

• विश्वविद्यालय के पास अपना परिसर नहीं था और यह अपने निर्माण के पाँच सालों से ज्यादा समय से टाटा कालेज के पुस्तकालय भवन में चल रहा था।

• शैक्षणिक कर्मियों की कमी स्वीकृत बल का 50.95 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक छात्र अनुपात का कम होना एवं परीक्षाफल के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब होना था। आगे, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता का उपयोग कम हुआ जो कि 24 से 100 प्रतिशत के बीच था।

• विश्वविद्यालय के अधिषद की बैठक की निर्धारित न्यूनतम संख्या दस में से मात्र एक बार हुई। आगे अधिषद के प्रमुख पदेन सदस्य जैसे कि कुलाधिपति, आयुक्त और सचिव, उच्च शिक्षा और निदेशक, तकनीकी शिक्षा अधिषद की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थे।

वन एवं पर्यावरण विभाग

2.4 "धनबाद समूह सहित धनबाद जिला में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.ए.व.म.), भारत सरकार (आ.स.) ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सी.ई.पी.आई.) के आधार पर धनबाद को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में घोषित किया और धनबाद के चार प्रखण्डों यथा धनबाद सदर, झारिया, गोविंदपुर और निरसा को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिन्हित (जनवरी 2010) किया। धनबाद में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत खान, उद्योग, जैव चिकित्सा अवशिष्ट के साथ-साथ नगर निगम क्षेत्र और उपरोक्त खानों और उद्योगों की कॉलोनी से निकलने वाले कीचड़युक्त पानी ओर गंदे मल हैं। धनबाद समूह सहित धनबाद जिला में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 की अवधि को आच्छादित करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है-

- झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (झा.रा.प्र.नि.प.) द्वारा धनबाद समूह के प्रदूषण नियंत्रण हेतु "धनबाद समूह की एक कार्य योजना" तैयार की गयी जिसे झारखण्ड सरकार ने अनुमोदित किया (जुलाई 2011), जिसके 28 गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,463 करोड़ की आवश्यकता थी जिसका विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यान्वयन किया जाना था। परन्तु, इन गतिविधियों के वित्तीय स्रोत को कार्य योजना में नहीं बताया गया था। इसके साथ ही हितधारकों को कार्य योजना में सौंपी गई गतिविधियों को लागू करने की दिशा में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें पता नहीं था।

(कंडिका 2.4.6)

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (के.प्र.नि.प.) के मानक के अनुसार पेयजल का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) का स्तर 2 मि.ग्रा./लीटर अथवा कम होना चाहिए। परन्तु, यह पाया गया कि धनबाद में दामोदर नदी के तीन स्थलों तेलमच्चो, डोमागढ़ और जामाडोबा में बी.ओ.डी. का अधिकतम स्तर 2009-14 के दौरान 2.5 मि.ग्रा./लीटर तथा 8.2 मि.ग्रा./लीटर के बीच था।

(कंडिका 2.4.7)

- धनबाद समूह दामोदर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है। झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा धनबाद में दामोदर नदी की जल गुणवत्ता हेतु टोटल कॉलीफार्म जाँच (एक जीवाणु परीक्षण) तथा मुक्त अमोनिया जाँच (जलीय जीवन और मछली प्रजातियों के प्रसार के आकलन हेतु जाँच) नहीं की गयी।

(कंडिका 2.4.7)

- झा.गा.प्र.नि.प. ने झारिया के बायु में एस.पी.एम. की सान्द्रता की माप नहीं ली जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियम 3 के तहत इसकी सान्द्रता को अभिलेखित किया जाना था। इसके अलावा झारिया में रिसपाएरेबल ससपैडेड पारटिकुलेट मैटर (आर.एस.पी.एम.) की सान्द्रता 2009-10 में 546 माइक्रोग्राम/घन मीटर, 2010-11 में 369.58 माइक्रोग्राम/घन मीटर तथा 2013-14 में 304.82 माइक्रोग्राम/घन मीटर थी, जो कि निर्धारित मापदण्ड 300 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक था।

(कंडिका 2.4.8.1)

- सॉफ्ट कोक संयंत्र में कोयले को खुले में जलाकर सॉफ्ट कोक का निर्माण करते पाया गया जबकि यह बायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंडनीय है।

(कंडिका 2.4.8.2)

- धनबाद में जैव चिकित्सा अवशिष्ट के उपचार के लिए आम जैव चिकित्सा अवशिष्ट के उपचार सुविधा की कमी थी, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों द्वारा अनुचित तरीके से जैव चिकित्सा अवशिष्ट का निपटान किया गया।

(कंडिका 2.4.10)

2.4.1 प्रस्तावना

धनबाद जिला, भारत की कोयला राजधानी, झारखण्ड राज्य में स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सी.ई.पी.आई.)¹ के आधार पर धनबाद को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में घोषित किया (जनवरी 2010) और धनबाद के चार प्रखण्डों यथा धनबाद सदर, झारिया, गोविंदपुर और निरसा को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया। धनबाद में प्रदूषण के प्रमुख श्रोत खान, उद्योग, जैव चिकित्सा अवशिष्ट के साथ-साथ नगर निगम क्षेत्र और उपरोक्त खानों एवं उद्योगों की कॉलोनी से निकलने वाले कीचड़युक्त पानी और गंदे मल हैं।



¹ सी.ई.पी.आई. की गणना चार कारकों के आधार पर की गई है-प्रदूषण (वेटेज- 30), पाथवे (वेटेज- 20), रिसेप्टर (वेटेज-30) और (अतिरक्त उच्च जोखिम वाले लागू तत्व (वेटेज-20)। कुल स्कोर (सी.ई.पी.आई.सूचकांक)-उच्च प्रदूषित क्षेत्र-70, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र-60-69.9, अन्यथिक प्रदूषित क्षेत्र-50.59.9 तथा गैर प्रदूषित क्षेत्र- 50 से नीचे।

2.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- जल और वायु प्रदूषण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन साथ में नगरपालिका ठोस अवशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू) एवं जैव चिकित्सा अवशिष्ट (जै.चि.अ) प्रबंधन एवं धनबाद कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन हेतु किये गये उपाय पर्याप्त थे; एवं
- प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए मानव संसाधन, निधि, मूलभूत सुविधाएँ और अन्य सुविधाएँ पर्याप्त थी।

2.4.3 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- (i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974;
- (ii) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981;
- (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उनके अधीन प्रासंगिक अधिसूचित निम्नलिखित नियम:
 - (क) जैव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबन्धन और हैन्डलिंग) नियम 1998, 2011 में संशोधित
 - (ख) नगरपालिका ठोस अवशिष्ट (प्रबन्धन और हैन्डलिंग) नियम 2000
- (iv) धनबाद समूहों के कार्य योजना के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की कार्य योजना।

2.4.4 संगठनात्मक ढाँचा

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार जिसके प्रमुख प्रधान सचिव हैं, राज्य में पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नियामक संस्था के रूप में राज्य में विभिन्न पर्यावरण अधिनियम और नियम के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। झा.रा.प्र.नि.प. में अध्यक्ष, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य सचिव सहित 16 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा बोर्ड को पाँच क्षेत्रीय पदाधिकारियों (क्षे.प.) जो धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची में हैं, के द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2009-14 के लिए चार गंभीर रूप से प्रदूषित प्रखंडों² और धनबाद नगर निगम साथ में चार जनगणना टाउन (सी.टी.)³ में से एक सी.टी. यथा पोदारकनाली शामिल है। लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों के विश्लेषण द्वारा आँकड़ों के संग्रहण, लेखापरीक्षा प्रश्नों/प्रश्नावलियों/प्रपत्रों पर दी गई प्रतिक्रिया तथा प्रतिवेदनों और अभिलेखों की जाँच शामिल है। अभिलेखों की जाँच झा.रा.प्र.नि.प. के राँची स्थित मुख्य कार्यालय, इसके धनबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा धनबाद नगर निगम में की गई। खनिज क्षेत्र विकास अधिकरण (माडा), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल (डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी.), जिला परिवहन कार्यालय (डी.टी.ओ.), खान एवं भूतत्व, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शहरी विकास विभाग जैसे अन्य विभागों/ संगठनों से भी संबंधित जानकारी एकत्र किये गये। इसके अलावा धनबाद के 59 कोलियरी में से 17 (छ: भूमिगत तथा 11 खुली परियोजनाएँ), 81 हार्डकोक संयंत्र में से 10, 29 सॉफ्ट कोक संयंत्र में से छ:, 63 रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र में से छ: तथा 67 स्टोन क्रशर में से 13 (**परिशिष्ट-2.4.1**) का चयन चार गंभीर रूप से प्रदूषित प्रखंडों में से किया गया जिसका भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा दल के द्वारा झा.रा.प्र.नि.प. के प्रतिनिधि के साथ पर्यावरण नियम के कार्यान्वयन को देखने के लिए किया गया।

प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार तथा अध्यक्ष, झा.रा.प्र.नि.प. के साथ 13 मार्च, 2014 को एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदंड, कार्यक्षेत्रों और लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई। 17 सितम्बर, 2014 को प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को समापन सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.6 धनबाद कार्य योजना

राज्य में विभिन्न पर्यावरण अधिनियम और नियम के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी नियामक संस्था के रूप में कार्यरत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण पर्षद (झा.रा.प्र.नि.प.), ने धनबाद में प्रदूषण के रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए “धनबाद के समूहों के लिए एक कार्य योजना” तैयार की। कार्य योजना में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए चिन्हित गतिविधियों का कार्यान्वयन हितधारकों द्वारा पूरा किया जाना था।

² धनबाद सदर, गोविन्दपुर, झारिया और निरसा।

³ पोदारकनाली (सी.टी.), मलकेरा (सी.टी.), बऊआ कलान (सी.टी.) और नगरी कलान (सी.टी.)।

कार्य योजना का अनुमोदन वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) द्वारा किया गया (जुलाई 2011)।

धनबाद कार्य योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया।

धनबाद कार्य योजना में 28 गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1463 करोड़ का आकलन किया गया था (**परिशिष्ट-2.4.2**) जिसका कार्यान्वयन विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जाना था जिसमें झा.रा.प्र.नि.प., वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी.), नगर निगम, जिला प्रशासन तथा विभिन्न कोलियरियाँ शामिल थीं। परन्तु, कार्य योजना में यह नहीं बताया गया था कि वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं, और यह भी स्पष्ट नहीं था कि संसाधनों की व्यवस्था राज्य सरकार या झा.रा.प्र.नि.प. या हितधारकों द्वारा की जानी थी।

पूछे जाने पर, वन प्रमंडल धनबाद ने बताया (मई 2014) कि उन्हें न तो चिन्हित स्थल बताया गया जहाँ कि धनबाद कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित किया जाना था और न ही गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लो.नि.वि. तथा डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी. धनबाद ने यह बताया (जून 2014) कि धनबाद कार्य योजना में उन्हें सौंपी गई गतिविधियों को लागू करने की दिशा में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें पता नहीं था। कार्य योजना के अवलोकन से यह उद्घटित हुआ कि बाईपास पथ का सूचीकरण (अनुमानित लागत ₹ 500 करोड़) तथा पथ के उन्नयन तथा चौड़ीकरण के लिए (अनुमानित लागत ₹ 200 करोड़)⁴ का क्रियान्वयन लो.नि.वि. द्वारा किया जाना था। इसी तरह, डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी. खनन कम्पनियों के साथ जल निकाय का निर्माण तथा पिट जल के पुनरुत्पयोग से संबंधित कार्य के लिए जिम्मेदार थे। अतः लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लग पाया कि डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी. तथा लो.नि.वि. कार्य योजना को बनाने में शामिल थे अथवा नहीं।

पुनः अभिलेखों की संवीक्षा तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन (झा.रा.प्र.नि.प. के कर्मचारी के साथ) में यह उद्घटित हुआ कि धनबाद कार्य योजना में चिन्हित कार्यान्वयन गतिविधियों जैसे अवशिष्ट जल का शोधन, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रतिष्ठापन, जल निकायों से ओ.बी. डेर को हटाना, ओ.बी. डेर को पक्की चहारदिवारी से धेरना, हॉल रोड का पक्कीकरण, स्थिर जल छिङ्काव यंत्र⁵ की स्थापना, स्टोन क्रशर में चाहारदिवारी का निर्माण तथा वायु एवं जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का धनबाद शहरी आबादी से स्थानांतरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, धनबाद कार्य योजना में चिन्हित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु वित्त स्रोत का स्पष्ट उल्लेख नहीं था तथा कार्य योजना की विभिन्न गतिविधियों को

⁴ सड़क का उन्नयन तथा चौड़ीकरण जिसे लो.नि.वि. तथा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

⁵ छिङ्काव यंत्र का प्रयोग धूलकणों को बैठाने के लिए किया जाता है।

क्रियान्वित किया जाना बाकी रह गया।

हम राज्य सरकार को धनबाद कार्य योजना के सभी प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की अनुशंसा करते हैं।

2.4.7 जल प्रदूषण की स्थिति

नदियों तथा धारा के प्रदूषण की समस्या उद्योगों के विकास और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के परिणाम के रूप में हाल के वर्षों में परिलक्षित हुआ है। धनबाद का पूरा समूह दामोदर नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है। खानों का ओवरबर्डन⁶ (ओ.बी.) कोलवाशरी का उचिष्ट तथा थर्मल विद्युत संयंत्र की राख चाहे तो नदी के किनारे या नदी के समीप रखे जाते हैं जो अंतोगत्वा नदी में चले जाते हैं। इसके अलावा कस्बों, टाउनशिप और उप नगरों के नाली का पानी सैण्टिक टैंक और सॉक पीट के माध्यम से भूमि के अन्दर जल बहाव के दिशा में जाने का रास्ता बनाते हैं।

दामोदर नदी के प्रदूषण का स्तर निर्धारण करने के लिए दो महत्वपूर्ण परीक्षण यथा कुल कालिफार्म और मुक्त अमोनिया जाँच नहीं की गई।

धनबाद के चार स्थानों- तेलमच्चो, डोमागढ़, जामाडोबा तथा पंचेत पर दामोदर नदी के जल गुणवत्ता का वर्ष-वार प्रतिवेदन परिशिष्ट-2.4.3 में विस्तारित है। यह उद्घटित हुआ कि धनबाद में दामोदर नदी के जल गुणवत्ता हेतु टोटल कॉलिफार्म जाँच (एक जीवाणु परीक्षण) तथा मुक्त अमोनिया जाँच (जलीय जीवन और मछली प्रजातियों के प्रसार का आकलन) झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा नहीं किया गया था, जबकि दोनों मापदंड केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (के.प्र.नि.प.) द्वारा तय किए गए थे।

के.प्र.नि.प. के मानक के अनुसार पेयजल पारंपरिक शोधन के बिना लेकिन विसंक्रमण के बाद का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड⁷ (बी.ओ.डी.) का स्तर 2 मि.ग्रा./ली. या उससे कम होना चाहिए। परन्तु दामोदर नदी के जल गुणवत्ता प्रतिवेदन से यह पाया गया कि तीन स्थानों तेलमच्चो, डोमागढ़ तथा जामाडोबा में बी.ओ.डी. का अधिकतम स्तर 2009-14 के दौरान 2.5 मि.ग्रा./लीटर तथा 8.2 मि.ग्रा./लीटर के बीच था। 2009-14 के दौरान पंचेत में बी.ओ.डी. का अधिकतम स्तर 1.2 मि.ग्रा./लीटर से 1.4 मि.ग्रा./लीटर तक था, लेकिन 2013-14 के दौरान यह 2.3 मि.ग्रा./लीटर नापा गया था। इस प्रकार, धनबाद में दामोदर नदी के चारों स्थानों पर बी.ओ.डी. अनुमत सीमा से अधिक था।

सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि कुल कॉलिफार्म तथा मुक्त अमोनिया जाँच नहीं की जा रही थी। इसके साथ यह भी कहा गया कि मानसून सीजन के दौरान सतह पर पानी बहाव के कारण बी.ओ.डी. का स्तर उच्च था और साधारण हालत में बाह्य स्नान के लिए सीमा के भीतर था।

⁶ ओवरबर्डन मिट्टी तथा चट्टान का वह स्तर है जिससे कोल सिम ढका रहता है, जिसे कोयला निकालने के पहले हटाया जाता है और कोयला निकालने के बाद वापस लाया जाता है।

⁷ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड- यह प्रदूषण कारकों के ऑक्सीजन माँग से स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करता है तथा अप्रिय गैसों के उत्पादन को रोकता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ओ.डी. गैर मानसून सीजन के दौरान भी उच्च स्तर पर पाया गया था।

2.4.7.1 प्रदूषित जल का शोधन

10 कार्यरत कोलियरियों⁸ के अभिलेखों की संवीक्षा तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन (झा.रा.प्र.नि.प. के कर्मचारी के साथ) में उद्घटित हुआ कि नौ⁹ कोलियरियों में अवशिष्ट जल का शोधन नहीं किया गया था। इन नौ कोलियरियों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई.टी.पी.) तथा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) का भी प्रतिष्ठापन नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह भी उद्घटित हुआ कि, ओवर बर्डन (ओ.बी.) ढेर को दामोदर नदी के किनारे रखा गया था जो कि नदी जल प्रदूषण के कारणों में से एक था।

खान के अवशिष्ट जल
को बिना उपचार के
निकाले जाने, के
परिणामस्वरूप जल
प्रदूषण



सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि पुराना ओ.बी. ढेर नदी के किनारे है। आगे कहा कि, खादानों में सेटलिंग तालाब है जो अवशिष्ट जल के शोधन के लिए एक तरह का ई.टी.पी. है और सेप्टिक टैंक सॉक-पीट प्रणाली सिवेज के शोधन के लिए एस.टी.पी. के रूप में कार्य करता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सेटलिंग तालाब तथा सेप्टिक टैंक/सॉकपीट, ई.टी.पी./एस.टी.पी. का विकल्प नहीं थे।

2.4.8 वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में बाह्य तत्वों की सान्द्रता, जीव-जन्तुओं के लिए हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। आमतौर पर वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थों में स्स्पैडेड पारटिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.), रेसपीरबल स्स्पैडेड पारटिकुलेट मैटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाईऑक्साइड तथा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन शामिल है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, झरिया में स्थित कोयला खानों के लिए एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., सल्फर डाईऑक्साइड तथा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के विशिष्ट मानकों को निर्धारित करता है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भी वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत

⁸ भूमिगत खान- बागडिगी, दोबारी, गोधर, जामाडोवा, लोदना, मदनम तथा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट (ओ.सी.पी.) घानुडीह, कुसुण्डा, एन.टी.एस.टी. तथा राजपुरा।

⁹ भूमिगत खान- बागडिगी, दोबारी, गोधर लोदना, मदमन, ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट (ओ.सी.पी.) घानुडीह, कुसुण्डा, एन.टी.एस.टी., राजपुरा।

आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किया है।

2.4.8.1 धनबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति

झा.रा.प्र.नि.प., धनबाद के विभिन्न स्थानों पर वायु में मौजूद बाह्य पदार्थों की सान्द्रता की माप करता है। लेखापरीक्षा ने संबंधित वर्ष में प्रत्येक तत्व¹⁰ की सीमा को उस वर्ष के लिए न्यूनतम से अधिकतम तक गणना किया। एस.पी.एम. तथा आर.एस.पी.एम. के संबंध में माप कि विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-2.4.4 में दी गई है तथा धनबाद में वायु प्रदूषण की समग्र स्थिति तालिका-2.4.1 में है।

तालिका-2.4.1: धनबाद में एस.पी.एम. और आर.एस.पी.एम. की समग्र स्थिति

(माइक्रोग्राम/घन मीटर में)

रेज	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	एस.पी. एम.	आर.एस. पी.एम.	एस.पी. एम.	आर.एस. पी.एम.	एस.पी. एम.	आर.एस. पी.एम.	आर.एस. पी.एम.	आर.एस. पी.एम.	आर.एस. पी.एम.	आर.एस. पी.एम.
धनबाद आवासीय में वायु प्रदूषण										
न्यूनतम	128.31	76.34	183.32	111.13	312.69	140.02	91.09	71.98		
अधिकतम	596.32	329.00	448.74	390.29	390.24	284.52	273.27	243.74		
धनबाद औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण										
न्यूनतम	231.00	175.15	301.48	231.00	324.95	191.17	160.74	168.32		
अधिकतम	783.18	654.55	520.27	422.98	388.60	313.91	272.93	304.82		

(नोट: 2012-13 तथा 2013-14 में एस.पी.एम. तथा आर.एस.पी.एम. सान्द्रता को नहीं मापा गया था)

उपरोक्त आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2013-14 में आर.एस.पी.एम. की अधिकतम सान्द्रता धनबाद के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः 243.74 माइक्रोग्राम/घन मीटर तथा 304.82 माइक्रोग्राम/घन मीटर थी। यह आर.एस.पी.एम. सान्द्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक की निर्धारित सीमा (100 माइक्रोग्राम/घन मीटर) से दो गुणा से अधिक था।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार वायु में एस.पी.एम. की सान्द्रता के लिए निर्धारित सीमा 700 माइक्रोग्राम/घन मीटर होनी चाहिए। परन्तु, झा.रा.प्र.नि.प. ने झरिया में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में वायु में एस.पी.एम. की सान्द्रता की माप नहीं ली, जबकि यह पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 3 के तहत निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए अभिलेखित किया जाना था। इसके अलावा वायु में आर.एस.पी.एम. की सान्द्रता के लिए निर्धारित सीमा 300 माइक्रोग्राम/घन मीटर होनी चाहिए। झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा लिए गए मार्पों की जाँच से पता चला कि झरिया में वर्ष 2012-13 में आर.एस.पी.एम. 269.26 माइक्रोग्राम/घन मीटर था, जो कि निर्धारित सीमा के अन्दर था। परन्तु

¹⁰ झा.रा.प्र.नि.प. एक महीने में सात से दस बार पठन लेता है। लेखापरीक्षा ने महीने के 24 घंटे के औसत का अधिकतम पक्ष लिया। इसके पश्चात लेखापरीक्षा ने वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम की गणना की और धनबाद के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र की कुल स्थिति की गणना की।

आर.एस.पी.एम. की सान्द्रता 2009-10 में 546 माइक्रोग्राम/घन मीटर 2010-11 में 369.58 माइक्रोग्राम/घन मीटर तथा 2013-14 में 304.82 माइक्रोग्राम/घन मीटर था जो निर्धारित सीमा से अधिक था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि धनबाद के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में आर.एस.पी.एम. की अधिकतम मात्रा घटती आ रही थी तथा के.प्र.नि.प. द्वारा 18.11.2009 के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर एस.पी.एम. हवा की गुणवत्ता मापने का अब पैमाना नहीं रहा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उक्त अधिसूचना सिर्फ राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को अधिसूचित करता है, जबकि झरिया के लिए वायु गुणवत्ता का मानक, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के तहत विशिष्ट रूप से निर्धारित है। जहाँ तक आर.एस.पी.एम. के सान्द्रता के स्तर के घटने का है, तो मापे गए आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वायु में आर.एस.पी.एम. के वर्तमान स्तर की सान्द्रता आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अभी भी निर्धारित सीमा से अधिक थी।

2.4.8.2 खान में आग की रोकथाम/नियन्त्रण उपायों का अभाव

कोयले का खुले में जलाना वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार स्रोतों में से एक है। झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा सॉफ्ट कोक संयंत्रों को दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) में यह शर्त है कि किसी भी स्थिति में सॉफ्ट कोक संयंत्र इकाई कोयले को खुले में जलाकर सॉफ्ट कोक तैयार नहीं करेगा, क्योंकि यह वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंडनीय है।

क्षे.प., धनबाद के सॉफ्ट कोक संयंत्रों से संबंधित अभिलेखों की जाँच तथा चार¹¹ सॉफ्ट कोक संयंत्रों के संयुक्त भौतिक परीक्षण में यह पाया गया कि कोयले को खुले में जलाकर कोक का निर्माण किया जा रहा था, जैसा कि नीचे दर्शाए गए छाया चित्रों से पता चलता है:



आगे, चार खुली खादान परियोजनाओं घानुडीह, कुसुण्डा, लखिमाता तथा राजापुर कोलियरी में, जहाँ कि भूमिगत आग लगी हुई थी, अत्याधिक धुआँ और आग की

¹¹ एक्सीलेट, माँ शारदा, प्रदीप भालोटीया, तथा सुमित फ्यूल्स।

लपटों का उत्सर्जन हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण और तापमान में वृद्धि हुई थी। आग के नियन्त्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा था, सिवाय एक खदान (लखीमाता कोलियरी) के जहाँ कि राख भरकर आग को नियंत्रित किया जा रहा था, जैसा कि संयुक्त भौतिक परीक्षण में उद्घटित हुआ।



लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर (जून 2014) क्षे.प., धनबाद ने बताया (जुलाई 2014) कि भूमिगत आग के नियंत्रण के लिए झा.रा.प्र.नि.प द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि कोयले को खुले में जलाकर सॉफ्ट कोक नहीं बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए गये थे तथा चिन्हित दोषी इकाईयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। यह तथ्य बना हुआ है कि, प्रभावी अनुश्रवण की कमी के कारण, अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर सॉफ्ट कोक संयंत्र द्वारा कोयले को खुले में जलाना जारी था।

2.4.8.3 वाहन के उत्सर्जन के कारण प्रदूषण

झारखण्ड मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2002 में वर्णित है कि मोटर यान निरीक्षक या अधिकृत प्रदूषण जाँच केन्द्र के द्वारा जारी प्रदूषण नियत्रण (पी.यू.सी.) प्रमाणपत्र के बिना झारखण्ड राज्य में वाहन पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। जारी किए गये तथा प्राप्त पी.यू.सी. प्रमाण पत्र की वैधता इसके जारी होने की तिथि से छः महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।

डी.टी.ओ. धनबाद के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/आँकड़ों की जाँच के क्रम में यह उद्घटित हुआ कि 2009-14 के दौरान प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा जाँच की गई 22,061 डीजल तथा 37,961 पेट्रोल वाहनों में से 19,043 डीजल तथा 36,602 पेट्रोल वाहनों को पी.यू.सी. जारी किया गया। बचे हुए 4,377 वाहनों (3,018 डीजल तथा 1,359 पेट्रोल) को पी.यू.सी. जारी नहीं किया गया, क्योंकि इनका धुआँ उत्सर्जन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।

पी.यू.सी. का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, डी.टी.ओ. धनबाद ने कहा (नवम्बर 2014) कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत दोषी वाहनों से जब वे सड़क पर चलते पाये

गये, तो ₹ 1,000 से ₹ 2,000 तक का जुर्माना वसूला गया। परन्तु, लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं था कि, 4,377 वाहन, जिन्हें कि पी.यू.सी. नहीं दिया गया, वे सड़क पर चल रहे थे अथवा नहीं।

यातायात पुलिस में अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और मानवबल

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करनेवालों को पकड़ने के लिए यातायात पुलिस को पर्याप्त मानवबल तथा जाँच उपकरणों की आवश्यकता होती है।

पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) धनबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि उनके पास कोई प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं थे। यातायात पुलिस के पास मानव बल भी अपर्याप्त था जैसा कि तालिका-2.4.2 में विस्तारित है।

तालिका-2.4.2: पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), धनबाद के कार्यालय में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत में)
1	पुलिस अवर निरीक्षक	03	00	100.00
2	जमादार	06	00	100.00
3	हवलदार	50	29	42.00
4	कांस्टेबल	200	100	50.00

(स्रोत: पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) का कार्यालय, धनबाद)

यातायात पुलिस में प्रदूषण की जाँच उपकरण तथा मानव बल की कमी के कारण उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं कर रहे वाहनों पर अप्रभावी कार्रवाई हुई। सरकार ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी पेश नहीं की (नवम्बर 2014)।

2.4.9 नगरपालिका ठोस अवशिष्ट

नगर ठोस अवशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) में नगर निगम और अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में वाणिज्यिक तथा आवासीय कचरे शामिल हैं। एम.एस.डब्ल्यू. (एम. एण्ड एच.) नियम, 2000 के नियम 4(1) के तहत नगर प्राधिकरण, नगरपालिका ठोस अवशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, अलगाव, परिवहन, प्रसंस्करण और निगम के ठोस कचरे के निपटान के लिए नियमों के कार्यान्वयन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.4.9.1 नगर ठोस अवशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम का गैर पालन

धनबाद नगर निगम के नगर ठोस अवशिष्ट से संबंधित संचिकाएँ तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि:

- 55 वार्डों में से केवल तीन वार्डों में घरों से ठोस कचरा अवशिष्ट को संग्रह करने के लिए एक गैर सरकारी संस्था को 2012-13 में कार्य सौंपा गया था। यद्यपि इन तीन वार्डों में 2013-14 के दौरान घरों से ठोस कचरा संग्रह की व्यवस्था नहीं थी।

इस प्रकार ध.न.नि. क्षेत्र में घरों से ठोस कचरा संग्रहण प्रणाली का विकास नहीं किया गया था।

स्वास्थ्य केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थलों के बगल में अस्वास्थ्यकार संग्रहण स्थल

- एम.एस.डब्ल्यू. (एम. एण्ड एच.) नियम, 2000 के तहत अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा 31 दिसम्बर 2003 तक विकसित किया जाना था। लेकिन ध.न.नि. द्वारा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा का विकास नहीं किया जा सका तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में नगर ठोस अवशिष्ट को सड़क में बिखरा हुआ पाया गया। हालांकि, ध.न.नि. द्वारा लैंडफिल स्थल, कचरे के निपटान के लिए चिन्हित किया गया लेकिन झा.रा.प्र.नि.प. के पास इन स्थानों का प्राधिकार लम्बित था। पुनः डंपिंग स्थल पर कचरे के भंडारण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी।



इसके जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2014) कि ध.न.नि. को नगर ठोस अवशिष्ट के निपटान के लिए कार्रवाई करनी थी तथा झा.रा.प्र.नि.प. के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकार का मामला लंबित नहीं था।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ध.न.नि. ने कहा कि लैंडफिल स्थल के लिए प्राधिकार का मामला फरवरी 2011 से झा.रा.प्र.नि.प. के पास लंबित था।

2.4.10 जैव चिकित्सा अवशिष्ट

जैव चिकित्सा अवशिष्ट (जै.चि.अ.) का अर्थ वैसे अवशिष्ट से है जो मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकारण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों में या बायोलॉजिकल्स के उत्पादन या परीक्षण में उत्पन्न होती है तथा चिकित्सा अवशिष्ट पैदा करने वाली संस्था का दायित्व होगा कि वह इस तरह के कचरे को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव के बिना उन्हें निपटान करना सुनिश्चित करे। इसके अलावा जैव चिकित्सा अवशिष्ट के उपचार, अलगाव, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण तथा निपटान के लिए प्रावधान किया जाएगा।

जैव चिकित्सा अवशिष्ट के नियम का गैर पालन

झा.रा.प्र.नि.प तथा ध.न.नि. धनबाद, के साथ पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (पी.एम.सी.एच.) एवं पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.), धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि:

- जै.चि.अ. का नियम 6(2) यह बताता है कि जै.चि.अ. को इसके भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान के पहले ही उत्पन्न होने के जगह पर कंटेनर/बैग में अलग-अलग कर लेना है। यह, यह भी निर्धारित करता है कि विभिन्न कचरे की श्रेणियों के

लिए चार प्रकार के अलग-अलग रंग के कंटेनर होने चाहिए तथा कंटेनर पर 'जैव खतरा' तथा 'साइटोटॉक्सिक' लिखा होना चाहिए। हालांकि पी.एम.सी.एच. तथा पी.एम.सी. द्वारा स्रोत पर कचरे का इस तरह से अलगाव नहीं किया जा रहा था। यह भी देखा गया कि जै.चि.अ. को सामान्य कचरे के साथ ले जाया जा रहा था।

- जै.चि.अ. के उपचार के लिए कोई आम जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) धनबाद में नहीं है। एक इंसीनरेटर पी.एम.सी. में हालांकि स्थापित है, परन्तु मशीन बहुत पुरानी होने के कारण क्रियाशील नहीं थी।



धनबाद में सार्वजनिक जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार सुविधा की कमी के परिणामस्वरूप जैव चिकित्सा अवशिष्ट का अनुचित निपटान

- सिविल सर्जन, धनबाद के अभिलेखों को देखने से यह पता चला कि धनबाद के 160 निजी स्वास्थ्य इकाईयों (एच.सी.यू.) में से 93 इकाईयों द्वारा उत्पन्न जै.चि.अ. के निपटान के लिए अपनाये गए उपाय की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। शेष 67 एच.सी.यू. के मामले में जै.चि.अ. एक एजेन्सी द्वारा एकत्र किया जाता था जिसने यह दावा किया कि इनका निपटारा, रामगढ़ जिले में स्थित इनके इंसीनरेटर में किया जाता है। हालांकि झा.रा.प्र.नि.प. हजारीबाग द्वारा गठित एक समिति द्वारा किए गए निरीक्षण (अप्रैल 2014) में यह पाया गया कि रामगढ़ में स्थित इंसीनरेटर बंद था तथा कालातीत दवाईयों को इस इकाई के परिसर में रखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि जै.चि.अ. को शहर के बाहरी क्षेत्रों में नियमानुसार गहरे दफन द्वारा निपटारा किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पी.एम.सी.एच/पी.एम.सी., धनबाद में बाहरी स्रोत एजेन्सी द्वारा जै.चि.अ. का निपटारा किया जा रहा था, जो कि जै.चि.अ. के निपटारे के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता था। इसके अलावा जै.चि.अ. को सामान्य कचरे का साथ मिलाया गया था।

2.4.11 झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा नियमों का अनुश्रवण एवं प्रवर्त्तन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 (1) और (2) झा.रा.प्र.नि.प. को अधिनियम के नियम एवं प्रावधानों, आदेशों और निदेशों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

क्षे.प., धनबाद के अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि विभिन्न हितधारकों के संबंध में किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में नियमित रूप से यह बताया गया था कि एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट (ई.टी.पी.) सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट (एस.टी.पी.) का निर्माण/वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण न कर वृक्षारोपण न कर हवा रोकने की दीवार बनाकर क्रशर इकाईयों को न ढक कर तथा कोयले को खुले में जलाकर सॉफ्ट कोक निर्माण कर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हालांकि हितधारकों को पर्यावरण कानून के अनुपालन के लिए झा.रा.प्र.नि.प. ने प्रवर्तित नहीं किया।

सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2014) कि निरीक्षण और अनुश्रवण आवश्यकतानुसार किया जा रहा था। हालाँकि यह तथ्य यह है कि झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा हितधारकों को पर्यावरण कानून के अनुपालन के लिए प्रवर्तित नहीं किया गया तथा केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रखा।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार और झा.रा.प्र.नि.प. विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु सभी हितधारकों का उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

2.4.12 निष्कर्ष

- झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (झा.रा.प्र.नि.प.) ने धनबाद के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 'धनबाद के समूहों के लिए एक कार्ययोजना' तैयार की जिसमें 28 गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,463 करोड़ का आकलन किया गया था, और विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। परन्तु कार्य योजना की इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के स्रोत नहीं बताये गये तथा कार्ययोजना के विभिन्न गतिविधियाँ को कार्यान्वित किया जाना बाकी रह गया।
- धनबाद में दामोदर नदी की जलगुणवत्ता हेतु टोटल कॉलीफॉर्म जाँच (एक जीवाणु परीक्षण) तथा मुक्त अमोनिया जाँच (जलीय जीवन और मछली प्रजातियों के प्रसार का आकलन) झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा नहीं किया गया।
- के.प्र.नि.प. के मानक के अनुसार पेयजल का बायोकेमिकल ॲक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) का स्तर 2 मि.ग्रा./लीटर अथवा कम होना चाहिए। परन्तु यह पाया गया कि धनबाद में दामोदर नदी के तीन स्थलों तेलमच्छो, डोगागढ़ और जामाडोवा में बी.ओ.डी. का अधिकतम स्तर 2009-14 के दौरान 2.5 मि.ग्रा./लीटर तथा 8.2 मि.ग्रा./लीटर के बीच था।
- झरिया में रिसपाइरेबल ससपेंडेड पारटिकुलेट मैटर (आर.एस.पी.एम.) की सान्द्रता 2009-10 में 546 माइक्रोग्राम/घन मीटर, 2010-11 में 369.58 माइक्रोग्राम/घन मीटर तथा 2013-14 में 304.82 माइक्रोग्राम/घन मीटर थी, जो कि निर्धारित 300 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक थी। इसके अलावा, झा.रा.प्र.नि.प. ने झरिया में वायु में एस.पी.एम. की सान्द्रता की माप नहीं ली, जबकि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम 3 के तहत निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया जाना था।
- धनबाद में स्वास्थ्य इकाईयों के लिए कोई आम जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बा.डब्ल्यू.टी.एफ.) नहीं था, जिसके कारण जैव चिकित्सा अवशिष्ट का निपटान अनुचित तरीके से हो रहा था।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

2.5 झारखण्ड में बालिकाओं के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने बालिकाओं के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं यथा किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.), राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला), मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (मु.क.यो.) और मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (एम.एल.एल.वाई.) का शुभारंभ किया। इन सभी योजनाओं का निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 की अवधि को आच्छादित करते हुए यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन से बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हुई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

- के.एस.वाई. एवं सबला योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजना को छोड़कर किसी भी दूसरे विभाग की योजनाओं से कोई योजनाबद्ध अभिसरण एवं अग्रेतर संयोजन नहीं किया गया था।

(कंडिकार्य 2.5.6.1 एवं 2.5.7.1)

- भारत सरकार ने के.एस.वाई. के तहत 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान कोई निधि विमुक्त नहीं की क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक कार्य योजना समर्पित नहीं की थी।

(कंडिका 2.5.6.2)

- के.एस.वाई के तहत 2009-10, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान पोषण शिक्षा, प्राथमिक उपचार, सिलाई, बुनाई इत्यादि के लिए किशोरी किट उपलब्ध नहीं कराये गये। सबला अन्तर्गत स्वास्थ्य पोषण, सामाजिक एवं वैधानिक बातों की समझ हेतु प्रशिक्षण किट 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 में उपलब्ध नहीं कराये गये।

{कंडिकार्य 2.5.6.4 एवं 2.5.7.5 (डी)}

- के.एस.वाई. के अन्तर्गत 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान तथा सबला के तहत 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं हुआ।

{कंडिकार्य 2.5.6.6 एवं 2.5.7.5 (बी)}

- नमूना-जाँचित चार के.एस.वाई. जिलों में 2009-14 के दौरान एवं दो सबला जिलों में 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान बालिकाओं के स्वास्थ्य जाँच हेतु किशोरी स्वास्थ्य मेला/किशोरी दिवस का आयोजन नहीं किया गया।

{कंडिकार्य 2.5.6.6 एवं 2.5.7.5 (ई)}

- सबला अन्तर्गत हजारीबाग एवं राँची जिलों में नामांकित बालिकाओं को टेक होम राशन (टी.एच.आर.) उपलब्ध कराने हेतु आवंटित निधि वर्ष में 300 दिनों के विरुद्ध 51 से 152 दिनों तक के लिए ही पर्याप्त थी।

(कंडिका 2.5.7.3 (बी))

- विभाग से सबला अन्तर्गत निधि आवंटित नहीं किये जाने के कारण 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान जीवन कौशल शिक्षा एवं जन सेवा पहँच के बारे में जानकारी सम्बन्धी क्रियाकलापों का संचालन नहीं किया गया।

(कंडिका 2.5.7.5 (ए))

- अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति के गैर/विलम्ब से गठन के कारण के.एस.वाई., सबला एवं एम.एल.एल.वाई. योजनायें 2009-14 के दौरान ज्यादातर गैर अनुश्रवित रहीं।

(कंडिका 2.5.6.7, 2.5.7.6 एवं 2.5.9.3.)

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति/रद्द के अभिलेखों को संधारित नहीं किये जाने के कारण यह निश्चित नहीं किया जा सका कि सभी योग्य लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(कंडिका 2.5.8.2)

- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना अन्तर्गत 2011-14 के दौरान संस्थागत प्रसव कम होने के कारण लाभार्थियों का आच्छादन प्रतिशत 18 से 28 के बीच रहा।

(कंडिका 2.5.9.1)

- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संरचनाओं एवं मानवबल की कमी थी।

(कंडिका 2.5.10.1 एवं 2.5.10.2)

2.5.1 प्रस्तावना

जन्म के समय बालिकाओं को भेदभाव से बचाने, किशोरी बालिकाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान कराने, लड़कियों को स्वस्थ्य तरीके से जिंदगी जीने को बढ़ावा देने और शादी के दौरान गरीब बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में किशोरी शक्ति योजना को झारखण्ड के सभी 24 जिलों में क्रियान्वित किया। वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार ने किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु एक व्यापक योजना (सबला) का शुभारंभ किया। जिसे बालिकाओं के बहुआयामी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के सात जिलों में के.एस.वाई. की जगह क्रियान्वित किया गया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (एम.एल.एल.वाई.) (नवम्बर 2011) एवं 2007-08

में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एम.के.डी.वाई.) का शुभारंभ किया। राज्य में इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन समग्र बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना की संरचनाओं का उपयोग करते हुए किया जा रहा था।

2.5.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर के.एस.वाई., सबला एवं एम.के.डी.वाई. के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार प्रशासनिक प्रमुख थे। सचिव को निदेशक, समाज कल्याण की सहायता प्राप्त थी। सचिव, योजना एवं विकास विभाग, एम.एल.एल.वाई. के प्रबन्ध के लिए प्रशासनिक प्रमुख थे। सभी योजनाओं का कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (डी.एस.डब्ल्यू.ओ.)/जिला योजना पदाधिकारी (डी.पी.ओ.) द्वारा प्रखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) द्वारा एवं ग्राम स्तर पर आँगनबाड़ी सेविका (ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.) द्वारा किया जा रहा था।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना, अनुश्रवण एवं संस्थागत व्यवस्था, अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त एवं प्रभावकारी थे;
- योजना अन्तर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग किफायती, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन जैसा कि परिकल्पित था दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी था; एवं
- योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दूसरे विभागों से अभिसरण किया गया।

2.5.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- योजनाओं के दिशानिर्देश और समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश;
- के.एस.वाई. एवं सबला के 2009-10 से 2013-14 की वार्षिक कार्य योजनाएँ; और
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली।

2.5.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

राज्य स्तर पर समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग के सचिवालयों, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, 24 में से सात¹

¹ सबला योजना के दो जिलों: हजारीबाग एवं राँची और के.एस.वाई. के पाँच जिलों: बोकारो, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ एवं रामगढ़ सहित।

जिलों के डी.एस.डब्ल्यू.ओ. एवं प्रखण्ड स्तर पर 204 सी.डी.पी.ओ में से 20 (परिशिष्ट-2.5.1ए) एवं ग्राम स्तर पर 38,432 ए.डब्ल्यू.सी में 100² (परिशिष्ट-2.5.1बी) के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा 2009-10 से 2013-14 की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा मई से अगस्त 2014 के दौरान किया गया।

हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, क्षेत्र एवं पद्धति पर विभाग के सचिव के साथ 14 मई, 2014 को प्रविष्टि सम्मेलन में विचार विमर्श किया। विभाग के सचिव के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर विचार विमर्श हेतु एक समापन सम्मेलन 23 सितम्बर 2014 को आयोजित किया गया। सरकार के उत्तर (सितम्बर 2014) को इस प्रतिवेदन में उचित रूप में समाहित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.6 किशोरी शक्ति योजना

के.एस.वाई., भारत सरकार द्वारा एक शत प्रतिशत निधि प्राप्त योजना, राज्य के 24 में से 17 जिलों में (123 सी.डी.पी.ओ. में 24,380 ए.डब्ल्यू.सी.) संचालित थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, साक्षरता एवं अंकगणितीय कौशल प्रदान करना, व्यवसायिक एवं गृह आधारित कौशल में सुधार/उन्नति, स्वास्थ्य, स्वस्थ रहन सहन, पोषण एवं परिवार कल्याण, गृह प्रबन्धन एवं बाल देखरेख सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ावा देना था। योजना के अन्तर्गत 11-18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं को आच्छादित करना था। वर्ष 2010-14 में चिन्हित, नामित किशोरियों की संख्या और उनमें कमी तालिका-2.5.1 में वर्णित है।

तालिका-2.5.1: राज्य में 2010-14 के दौरान चिन्हित किशोरियाँ, नामित किशोरियाँ एवं उनके आच्छादन में कमी

(संख्या लाख में)

वर्ष	चिन्हित किशोरियों की संख्या	नामित किशोरियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
2010-11	9.38	6.23	3.15 (34)
2011-12	31.73	7.99	23.74 (75)
2012-13	15.74	7.99	7.75 (49)
2013-14	7.43	3.78	3.65 (49)

(स्रोत: निदेशालय समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

तालिका-2.5.1 से स्पष्ट था कि राज्य में के.एस.वाई. के अन्तर्गत किशोरियों के आच्छादन में कमी वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान 34 से 75 प्रतिशत के बीच रही। विभाग ने 2009-10 के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये। नामांकनों में कमी का कारण योजना का अपर्याप्त प्रचार-प्रसार था जैसा कि अग्रवर्ती कंडिका 2.5.6.5 में वर्णित की गई है।

² के.एस.वाई. के लिए 13 सी.डी.पी.ओ. के 65 औंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सबला के लिए सात सी.डी.पी.ओ. के 35 औंगनबाड़ी केन्द्रों सहित

2.5.6.1 आयोजन

के.एस.वाई. योजना के कार्यान्वयन सम्बंधी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य की किशोरियों को चिन्हित करने के बाद एक वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) बनायी जानी थी। के.एस.वाई. के साथ सार्थक अभिसरण हेतु ए.ए.पी. में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के साथ योजनाबद्ध करना शामिल था।

वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं कीगई थी दूसरे विभागों की योजनाओं के साथ कोई अभिसरण एवं अग्रेतर संयोजन नहीं किया।

हमने देखा कि 2009-10 से 2013-14 तक पाँच वर्षों में विभाग ने 2009-10 एवं 2012-13 में ए.ए.पी. तैयार नहीं किए थे, बचे हुए तीन वर्षों के ए.ए.पी. में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य प्रक्षेत्रों की योजनाओं के साथ अभिसरण एवं अग्रेतर संयोजन नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 के ए.ए.पी. में आयरन एवं कृमिनाशक गोली के आपूर्ति की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी थी। यद्यपि हमने पाया कि 2009-14 के दौरान नमूना-जाँचित 13 सी.डी.पी.ओ. के 2,365 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 572 केन्द्रों में 3.64 लाख किशोरियों के बीच गोलियाँ वितरित नहीं की गई।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि चूंकि दो वर्षों (2009-10 एवं 2012-13) में भारत सरकार ने निधि विमुक्त नहीं की थी अतः इन वर्षों के लिए ए.ए.पी. तैयार नहीं किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन वर्षों का ए.ए.पी. एवं पूर्व के वर्षों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण निधि विमुक्त नहीं की गई थी। सरकार ने 572 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आयरन एवं कृमिनाशक गोलियों के वितरित नहीं किये जाने का कोई समुचित उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार आयोजन में कमी के फलस्वरूप किशोरियों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा जिससे के.एस.वाई. के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को आयोजन एवं कार्यान्वयन में सम्बंधित योजनाओं का योजनाबद्ध अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5.6.2 वित्तीय प्रबन्धन

भारत सरकार, वार्षिक कार्य योजना एवं पूर्व वर्ष का भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किये जाने पर 100 प्रतिशत निधि (₹ 1.10 लाख प्रति सी.डी.पी.ओ. की दर से) राज्य सरकार को विमुक्त करती है। भारत सरकार से निधि प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निधि स्वीकृत करती है। 2009-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विमुक्त निधि एवं विभाग द्वारा निधि की उपयोगिता की विवरणी तालिका-2.5.2. में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5.2 के.एस.वाई. के लिए 2009-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि एवं राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	व्यय
2009-10	0.00	0.00
2010-11	1.12	0.67
2011-12	0.67	1.17
2012-13	0.00	0.00
2013-14	1.31	0.21
कुल	3.10	2.05 (66 प्रतिशत)

(स्रोत: निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सूचना दी गई)

भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गए जिसमें बैंक खातों में अवरुद्ध राशि को व्यय बताया गया।

तालिका-2.5.2 से स्पष्ट है कि भारत सरकार से 2009-14 के दौरान विमुक्त निधि का कुल मिलाकर केवल 66 प्रतिशत ही राज्य सरकार ने उपयोग किया। भारत सरकार ने 2009-10 एवं 2012-13 में निधि विमुक्त नहीं की क्योंकि राज्य सरकार ने इन वर्षों का ए.ए.पी. और पूर्व के वर्षों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया था। राज्य सरकार डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को आवंटित निधि के आधार पर 2010-11 (₹ 0.67 करोड़) एवं 2011-12 (₹ 1.17 करोड़) के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित (अप्रैल 2013) किया और दर्शाया कि निधि का उपयोग हुआ था। जबकि समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सही नहीं थे क्योंकि 13 नमूना-जाँचित सी.डी.पी.ओ. में से चार³ ने बैंक खातों में निधि को अवरुद्ध कर रखा था।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि सम्बन्धित जिलों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोषागार से निधि की निकासी एवं उसका बैंक खाते में रखा जाना व्यय नहीं माना जा सकता।

निर्धारित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन

2.5.6.3 किशोरी मण्डल की बैठक का आयोजन नहीं किया जाना एवं किशोरी शक्ति कार्ड को नहीं बाँटा जाना

11-18 वर्ष के आयु वर्ग की सभी किशोरियों के लिए किशोरी मण्डल जो के.एस.वाई. की सभी क्रियाकलापों के लिए एक केन्द्र बिन्दु था, का गठन, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर किया जाना था। किशोरी मण्डल की बैठकें प्रत्येक सप्ताह की जानी थीं जहाँ किशोरियाँ रचनात्मक क्रियाकलापों⁴ में भाग ले सकती थीं, उन्हें एनेमिया एवं उसके लक्षण के बारे में जानकारी दी जानी थी एवं आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) की गोलियाँ का वितरण किया जाना था जिसे उनके किशोरी शक्ति कार्ड में दर्ज किया जाना था। लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि:

³ सी.डी.पी.ओ., पतरातू (रामगढ़); सी.डी.पी.ओ., पाकुड़ (पाकुड़); सी.डी.पी.ओ., काठीकुण्ड एवं सरैयाहाट (दुमका)।

⁴ सिलाई, बुनाई, कढाई, पेंटिंग, चित्रण, मुद्दा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिवाल चित्रण, प्रतियोगिता इत्यादि।

- के.एस.वार्ड. अन्तर्गत राज्य में 2009-10 और 2012-13 के दौरान कोई किशोरी मण्डल की बैठक नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन वर्षों में कोई निधि विमुक्त नहीं की गई जैसा कि कंडिका 2.5.6.2 में चर्चा की गई है।
- नमूना-जाँचित 13 सी.डी.पी.ओ. के अन्तर्गत 2,472 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 1,943 आँगनबाड़ी केन्द्रों में दो से तीन वर्षों तक 2010-11, 2011-12 और 2013-14 की अवधि में कोई किशोरी मण्डल की बैठक नहीं हुई और इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि या तो अभ्यर्पित/व्यपगत हो गई या तीन डी.एस.डब्ल्यू.ओ. और चार सी.डी.पी.ओ. के बैंक खातों में अवरुद्ध रखी गई (परिशिष्ट-2.5.2)।
- वर्ष 2009-14 के दौरान किसी भी नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी शक्ति कार्ड वितरित नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप के.एस.वार्ड. अन्तर्गत बालिकायें किशोरी मण्डल की बैठक एवं किशोरी शक्ति कार्ड के अभिप्रेत लाभ से दो से पाँच वर्षों तक वंचित रहीं।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि इस सम्बन्ध में डी.एस.डब्ल्यू.ओ. से पृछा की जा रही थी।

2.5.6.4 किशोरी किट वितरण नहीं किया जाना

बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु किशोरी मण्डल को आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा किशोरी किट जिसमें आधारभूत साक्षरता, अंकगणितीय, पोषण शिक्षा, प्राथमिक उपचार, सिलाई, बुनाई, रचनात्मक गतिविधियाँ इत्यादि हैं, उपलब्ध कराया जाना था। विभाग ने पाँच वर्षों (2009-10 से 2013-14) में से केवल 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान निधि आवंटित की। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि:

- राज्य में वर्ष 2009-10, 2012-13 और 2013-14 के दौरान के.एस.वार्ड. के अन्तर्गत किशोरी किट आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध नहीं कराये गये थे क्योंकि विभाग/भारत सरकार द्वारा निधि को आवंटित/विमुक्त नहीं किया गया था।
- पाँच नमूना-जाँचित जिलों के 1,832 आँगनबाड़ी केन्द्रों में 2010-11 और 2011-12 के दौरान एक से दो वर्षों के लिए किशोरी किट नहीं उपलब्ध कराया गया था एवं तीन डी.एस.डब्ल्यू.ओ. और तीन सी.डी.पी.ओ. द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधियों को या तो अभ्यर्पित/व्यपगत कर दिया या बैंक खातों में अवरुद्ध रखा गया था (परिशिष्ट-2.5.2)।

फलस्वरूप बालिकायें किशोरी किट के अभिप्रेत लाभ से तीन से पाँच वर्षों तक वंचित रहीं।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि विभाग किशोरी मण्डल की बालिकाओं के उपयोग हेतु किशोरी किट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

2.5.6.5 सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों का कमज़ोर निष्पादन

योजना के बारे में बालिकाओं के माता-पिता की जानकारी बढ़ाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वे अपनी किशोरी बालिकाओं को के.एस.वाई. योजना में शामिल होने के लिए अभिप्रेरित करें के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) क्रियाकलापों यथा दीवार पर एवं नारा लेखन, बैनर लगाना, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कैम्प इत्यादि का आयोजन किया जाना था। पाँच वर्षों (2009-10 से 2013-14) के दौरान, विभाग ने केवल तीन⁵ वर्ष ही प्रत्येक डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को निधि आवंटित किया। हमने लेखापरीक्षा में देखा कि:

- के.एस.वाई. अन्तर्गत राज्य में 2009-10 और 2012-13 के दौरान भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण इन वर्षों में आई.ई.सी. क्रियाकलाप संचालित नहीं किये गये जैसा कि कंडिका 2.5.6.2 में वर्णित है।
- नमूना-जाँचित 13 सी.डी.पी.ओ. के 1,943 आँगनबाड़ी केन्द्रों में आई.ई.सी. गतिविधियाँ 2010-11, 2011-12 और 2013-14 के दौरान एक से तीन वर्षों के बीच नहीं की गई एवं इन क्रियाकलापों हेतु आवंटित निधि को तीन डी.एस.डब्ल्यू.ओ. और पाँच सी.डी.पी.ओ. द्वारा अभ्यर्पित/व्यपगत/बैंकों में अवरुद्ध किया गया (परिशिष्ट-2.5.2)।

फलस्वरूप योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं हुआ और आम लोग/बालिकायें के.एस.वाई. योजना के लाभ से अनभिज्ञ बने रहे जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं का इस योजना में नामांकन कम हुआ जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका संख्या 2.5.6 से स्पष्ट है।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि सम्बन्धित डी.एस.डब्ल्यू.ओ. से आवंटित राशि का खर्च सुनिश्चित नहीं करने या बैंक खाते में अवरुद्ध रखने की परिस्थितियों को स्पष्ट करने को कहा जाएगा।

तथ्य यह रहा कि आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए आवंटित निधि अनुपयोगित रही जिसके फलस्वरूप योजना के प्रचार प्रसार में कमी हुई।

2.5.6.6 जिला स्तर पर रचनात्मक क्रियाकलापों, किशोरी स्वास्थ्य मेला और व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होना

के.एस.वाई. के अन्तर्गत डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा रचनात्मक क्रियाकलापों (वाद विवाद, नारा लेखन, पोषण एवं स्वास्थ्य मुद्दों पर पहेलियों, चित्रकला एवं पैटिंग इत्यादि) किशोरी स्वास्थ्य मेला (बालिकाओं का स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य विभाग के अभिसरण से आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण) एवं प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र से दो बालिकाओं के लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कम से कम 60

⁵ 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14।

दिनों का व्यवसायिक एवं दूसरे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि:

के.एस.वाई. अन्तर्गत
2009-13 के दौरान
रचनात्मक गतिधियाँ
आयोजित नहीं की गई।

- विभाग से निधि आवंटन नहीं होने के कारण राज्य के 17 के.एस.वाई. कार्यान्वित जिलों में 2009-13 के दौरान जिला स्तर पर रचनात्मक क्रियाकलापों का आयोजन नहीं किया गया। हमने आगे देखा कि 2013-14 के दौरान हालाँकि पाँच नमूना-जाँचित जिलों को निधि आवंटित की गई पर रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गई और डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निधि अभ्यर्पित कर दी गई।
- निधि के आवंटन नहीं होने के कारण 2009-10, 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान सभी 17 के.एस.वाई. जिलों में किशोरी स्वास्थ्य मेला का आयोजन नहीं हुआ। आगे 2011-12 में पाँच नमूना-जाँचित जिलों में से केवल डी.डब्ल्यू.ओ., दुमका ने स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया और शेष चार डी.एस.डब्ल्यू.ओ.⁶ ने इस उद्देश्य के लिए आवंटित राशि को अभ्यर्पित कर दिया।
- राज्य के 17 के.एस.वाई. जिलों में 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के दौरान भारत सरकार/विभाग द्वारा निधि का आवंटन/विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया।
- आगे, पाँच नमूना-जाँचित जिलों में से चार डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा 2011-12 के दौरान एवं सभी पाँच डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा 2013-14 के दौरान बालिकाओं का व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं कराया गया और इस क्रियाकलाप के लिए आवंटित निधि अभ्यर्पित/व्यपगत हो गई। केवल डी.एस.डब्ल्यू.ओ. दुमका ने 2011-12 के दौरान मुर्गी पालन, सूअर पालन एवं पत्ता बनाने का एक दिन का प्रशिक्षण आयोजित कराया।

परिणामस्वरूप राज्य में 17 के.एस.वाई. जिले की बालिकायें रचनात्मक क्रियाकलापों किशोरी स्वास्थ्य मेला एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लाभ से चार से पाँच वर्षों तक वंचित रहीं।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि सम्बंधित जिलों को ससमय निधि आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिए निधि को उपयोग करने के लिए अनुदेश दिया जाएगा ताकि बालिकायें उचित लाभ प्राप्त कर सकें।

2.5.6.7 समन्वय समितियों का गठन नहीं होना

के.एस.वाई. के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण के लिए समन्वय समितियों का गठन किया जाना था।

नमूना-जाँचित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि सितम्बर 2014 तक किसी भी स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया था।

⁶ बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और रामगढ़।

फलस्वरूप योजना के कार्यान्वयन में समन्वय एवं अनुश्रवण की कमी थी जिससे योजना के निष्पादन में कमी थी, जिसकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं 2.5.6.3 से 2.5.6.6 में किया गया है।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.5.7 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना या सबला

भारत सरकार ने 2010-11 में 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु के.एस.वाई. और किशोरी बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मिलाकर सबला योजना का शुभारंभ किया। योजना में दो प्रमुख घटक थे यथा पोषण और गैर पोषण। पोषण घटक के अन्तर्गत योजना का उद्देश्य बालिकाओं के बीच पोषाहार की कमी की समस्या का समाधान करना था और गैर पोषण घटक के तहत बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार, उनके गृह कौशल विकास, जीवन कौशल, सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी तथा मार्गदर्शन एवं उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करते हुए उनका आत्मविकास एवं सशक्तिकरण करना था।

राज्य सरकार ने आई.सी.डी.एस. के प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए राज्य के सात जिलों⁷ (81 सी.डी.पी.ओ. के 14,052 आँगनबाड़ी केन्द्रों) में सबला योजना का शुभारंभ किया जिसमें से दो जिलों (हजारीबाग एवं राँची) के सात सी.डी.पी.ओ.⁸ एवं 35 आँगनबाड़ी केन्द्रों (**परिशिष्ट-2.5.1बी**) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

2.5.7.1 आयोजन

सबला योजना के दिशानिर्देश के अनुसार विभाग को राज्य के दूसरे विभागों यथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, युवा कार्य विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, पंचायती राज्य संस्थाओं (पी.आर.आई.) से मिलकर जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम स्तर पर अभिसृत सूक्ष्म योजनाएँ बनानी चाहिए।

हमने देखा कि विभाग ने सभी चार वर्षों 2010-14 की वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) बनायी। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण द्वारा आयरन फोलिक एसिड (आई.एम.ए.)/कृमिनाशक गोलियों की प्राप्ति के उल्लेख को छोड़कर अभिप्रेत सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए किसी भी दूसरे विभाग से ए.ए.पी. में अभिसृत सूक्ष्म योजनाओं को शामिल नहीं किया।

⁷ गढ़वा, गिरीडीह, गुमला, हजारीबाग, राँची, साहेबगंज एवं पश्चिम सिंहभूम।

⁸ हजारीबाग जिला: बड़कागांव, बरही एवं ईचाक; राँची जिला: अनगढ़ा, नामकुम, राँची सदर एवं सिल्ली।

इस प्रकार सबला के लाभार्थियों को अभिसरण की कमी के कारण शिक्षा विभाग, युवा कार्य विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग और पी.आर.आई. के साथ संकेत्रण का अभिप्रेत लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा कि दूसरे विभागों के साथ संकेत्रण किये जाने का प्रयास किया जा रहा था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को योजना बनाते समय दूसरे विभागों से योजनाबद्ध अभिसरण सुनिश्चित करना चाहिए।

पोषाहार घटक

इस घटक के अन्तर्गत योग्य किशोरियों को पूरक पोषाहार (टेक होम राशन) उपलब्ध कराया जाना था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की 50:50 के अनुपातिक आधार पर खर्च की हिस्सेदारी थी।

2.5.7.2 आवंटन एवं व्यय

पोषाहार घटक अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय तालिका-2.5.3 में दी गई हैं।

तालिका-2.5.3. पोषण घटक के तहत आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		कुल आवंटन	व्यय		कुल खर्च (प्रतिशत)
	केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	
2010-11	1.79	00	1.79	1.59	00	1.59(89)
2011-12	11.35	5.28	16.63	8.75	4.81	13.56(82)
2012-13	5.23	5.23	10.46	4.29	2.58	6.87(66)
2013-14	14.64	14.64	29.28	10.63	13.28	23.91(82)
कुल	33.01	25.15	58.16	25.26	20.67	45.93(79)

(स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण विभाग)

तालिका-2.5.3 से देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान कुल आवंटित निधियों ₹ 58.16 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 45.93 करोड़ (79 प्रतिशत) था। हमने देखा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय आवंटन ₹ 33.01 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 25.15 करोड़ ही आवंटित किये हालाँकि उसे पोषाहार घटक के निधि कोष में 50 प्रतिशत की बराबर समरूप हिस्सेदारी निभानी थी। इस प्रकार राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी निधि का ₹ 7.86 करोड़ कम आवंटन किया। आगे, 31 मार्च 2014 तक राज्य सरकार के पास भारत सरकार का अनुपयोगित निधि ₹ 7.75 करोड़⁹ थी। इस प्रकार भारत सरकार की हिस्सेदारी का कम आवंटन एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप हिस्सेदारी आवंटित नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार सभी योग्य लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा सका जैसा कि अग्रवर्ती कंडिका 2.5.7.3(बी) में चर्चा की गई है।

⁹ केन्द्रांश: ₹ 33.01 करोड़- केन्द्रांश से व्यय: ₹ 25.26 करोड़।

2.5.7.3 निर्धारित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन

पोषाहार घटक के अन्तर्गत 11-14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं एवं 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की सभी स्कूल जाने या न जाने वाली बालिकाओं को वर्ष में 300 दिनों का टेक होम राशन (टी.एच.आर.) दिया जाना था। राज्य सरकार ने 2010-14 के दौरान बालिकाओं को ऑँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रति बालिका प्रतिदिन ₹ 4.95 की दर से 300 दिनों का टी.एच.आर. उपलब्ध कराने का निश्चय किया। 2010-14 के दौरान राज्य में चिन्हित एवं लाभ प्राप्त बालिकाओं की संख्या तालिका-2.5.4 में दी गई है।

तालिका-2.5.4: राज्य में पोषाहार घटक के तहत चिन्हित एवं आच्छादित बालिकाओं की संख्या

वर्ष	चिन्हित बालिकाओं	लाभान्वित बालिकाओं की संख्या	कमी (प्रतिशत)
2010-11	3.57	00	3.57 (100)
2011-12	3.57	3.57	00 (0)
2012-13	4.18	3.95	0.23 (6)
2013-14	3.90	2.66	1.24 (32)

(स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

तालिका-2.5.4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 को छोड़कर 2010-11 से 2013-14 के दौरान बालिकाओं के आच्छादन में कमी छः से 100 प्रतिशत के बीच रही।

निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित अवलोकन किया:

(अ) टी.एच.आर. के दर का पुनरीक्षण नहीं किया जाना

टी.एच.आर. हेतु खाद्यानों को ऑँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा स्थानीय बाजार से खरीदा जाना था। हमने देखा कि हालाँकि खाद्यानों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में 2010-11 से 2013-14 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी पर टी.एच.आर अन्तर्गत विभागीय दर में तत्सम्बन्धी कोई संशोधन नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि टी.एच.आर. योजना के दिशानिर्देश एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार दिया जा रहा था, यद्यपि दर के संशोधन हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

(ब) टेक होम राशन निधि का कम आवंटन

दो नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान योग्य-बालिकाओं की संख्या और टी.एच.आर. उपलब्ध कराये जाने हेतु आवंटित निधि तालिका-2.5.5 में वर्णित है।

तालिका-2.5.5: नमूना-जाँचित जिलों में टी.एच.आर. हेतु अवंटित निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डी.एस.डब्ल्यू.ओ. का नाम	बालिकाओं को कुल संख्या	टी.एच.आर. हेतु आवंटित निधि	पर्याप्त राशि ₹ 4.92 प्रतिदिन/ बालिका की दर से
2011-12	राँची	71773	3.38	95 दिन
	हजारीबाग	62433	2.23	72 दिन
2012-13	राँची	80219	2.01	51 दिन
	हजारीबाग	82850	2.07	51 दिन
2013-14	राँची	80219	6.02	152 दिन
	हजारीबाग	82850	6.21	152 दिन

(स्रोत: निदेशालय, समाज कल्याण विभाग)

मानदण्डों के अनुसार दो नमूना-जाँचित जिलों में आवंटित टी.एच.आर. निधि एक वर्ष में 300 दिनों के लिए पर्याप्त नहीं थी।

तालिका-2.5.5 से स्पष्ट है कि मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना-जाँचित डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को योग्य बालिकाओं को एक वर्ष में 300 दिनों का टी.एच.आर. उपलब्ध कराने हेतु आवंटित राशि वर्ष में 51 से 152 दिनों तक के लिए ही पर्याप्त था।

संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि 2010-11 के दौरान डी.एस.डब्ल्यू.ओ. हजारीबाग ने आवंटित निधि को अभ्यर्पित कर दिया था जबकि डी.एस.डब्ल्यू.ओ. राँची ने आवंटित निधि को सी.डी.पी.ओ. को अग्रसारित कर दिया। यद्यपि डी.एस.डब्ल्यू.ओ. अन्तर्गत नमूना-जाँचित चार¹⁰ सी.डी.पी.ओ. ने मई 2014 तक निधि को बैंक खातों में अवरुद्ध कर रखा था। इस प्रकार नमूना-जाँचित हजारीबाग जिला में एवं राँची जिला के चार सी.डी.पी.ओ. में 2010-11 के दौरान टी.एच.आर. नहीं बाँटे गये।

(स) वर्ष 14-18 की आयु वर्ग की विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को टी.एच.आर. नहीं बाँटा जाना

राँची डी.एस.डब्ल्यू.ओ. की सी.डी.पी.ओ. अनगढ़ा के अन्तर्गत सभी 155 आँगनबाड़ी केन्द्रों में 14-18 वर्ष के आयु वर्ग की विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को योजना के प्रारम्भ से ही टी.एच.आर. नहीं बाँटा गया था। इस प्रकार इन आँगनबाड़ी केन्द्रों की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की विद्यालय जाने वाली बालिकायें चार वर्षों तक (2010-11 से 2013-14) तक टी.एच.आर. से वंचित रहीं।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि तथ्य की जाँच की जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता क्रियाकलापें

गैर पोषण घटक के अन्तर्गत, जीवन कौशल शिक्षण और जन सेवाओं तक पहुँच की जानकारी, व्यवसायिक प्रशिक्षण, किशोरी दिवस पर सेवायें यथा आइ.एफ.ए. पूरकता, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवायें, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराये जाने थे।

¹⁰ अनगढ़ा, नामकूम, राँची सदर एवं सिल्ली।

2.5.7.4 आवंटन एवं व्यय

भारत सरकार से राज्य सरकार को विमुक्त निधि से गैर पोषण मद में व्यय किया जाता है, जो बाद में राज्य बजट द्वारा योजना में आवंटित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा योजना के विभिन्न घटकों के लिए बजट प्रावधान ₹ 3.60 लाख¹¹ प्रति सी.डी.पी.ओ. प्रति वर्ष के हिसाब से था। उस प्रकार सात सबला जिलों में 81 सी.डी.पी.ओ. के लिए भारत सरकार को ₹ 11.68 करोड़¹² वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान विमुक्त करना था। यद्यपि हमने पाया कि भारत सरकार ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 6.13 करोड़ विमुक्त किया जिसके विरुद्ध राज्य सरकार इन वर्षों में ₹ 6.32 करोड़ का आवंटन किया था। इसमें से 2010-14 के दौरान व्यय ₹ 5.97 करोड़ (94 प्रतिशत) था। भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति का कारण पूर्व के वर्षों में निधि का उपयोग नहीं किया जाना था। फलस्वरूप इस योजना अन्तर्गत घटक के क्रियाकलापों का निष्पादन नहीं हो पाया जिसका वर्णन कंडिका 2.5.7.5 में किया गया है।

2.5.7.5 निर्धारित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन

(ए) जीवन कौशल शिक्षा एवं जन सेवाओं तक पहुँच का आयोजन नहीं हुआ

इस घटक के अन्तर्गत, बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं बैंक, डाकघर, थाना, पंचायत इत्यादि की जन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए सीखना था।

हमने देखा कि राज्य के सात सबला जिलों में 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि में जीवन कौशल शिक्षा एवं जन सेवायें प्राप्त करने का ज्ञान देने सम्बन्धी क्रियाकलापों का आयोजन नहीं किया गया क्योंकि इन वर्षों में इन क्रियाकलापों के लिए निधि का आवंटन नहीं किया गया था। फलस्वरूप बालिकाएँ इन क्रियाकलापों के अभिप्रेत लाभ से वंचित रहीं।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि ऐसे रेडी रेकॉर्नर के विकास पर काम किया जा रहा था जिससे बालिकाओं के ज्ञान स्तर में वृद्धि हो सके जैसा कि योजना के दिशानिर्देश में परिकल्पित था।

(बी) व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जाना

प्रत्येक वर्ष 16-18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके लिए परामर्श एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने, मानकानुसार प्रशिक्षण देने, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोंपरान्त नियोजित कराने और प्रशिक्षित बालिकाओं और प्रशिक्षण परिणामों का डाटाबेस संधारण करने के लिए व्यवसायिक

¹¹ आइ.एफ.ए. पूरकता के लिए प्रत्येक सी.डी.पी.ओ. को ₹ 20,000 छोड़कर, स्वास्थ्य विभाग के साथ इस योजना के लिए अभिसरण किया जाना था।

¹² चार साल अर्थात् वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए 81 परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष ₹ 2.92 करोड़ की दर से (₹ 2.92 करोड़ × 4 साल = ₹ 11.68 करोड़)।

प्रशिक्षणदाताओं (भी.टी.पी.) को नियुक्त किया जाना था। भी.टी.पी. को तीन वर्षों तक या जबतक उनका नियोजन नहीं हो जाता प्रशिक्षणार्थियों का ट्रैकिंग रखना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

2010-11, 2011-12 एवं
2013-14 की अवधि में
व्यवसायिक प्रशिक्षण
आयोजित नहीं किया गया।

- सबला के अन्तर्गत राज्य के सभी सात जिलों में 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया। इस प्रकार इन जिलों की बालिकाएँ तीन वर्षों तक व्यवसायिक प्रशिक्षण के अभिप्रेत लाभ से वंचित रहीं।
- वर्ष 2012-13 के दौरान भी.टी.पी. के माध्यम से सभी सात सबला जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया था। यद्यपि निदेशालय द्वारा भी.टी.पी. द्वारा प्रशिक्षित बालिकाओं के ट्रैकिंग सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। इस कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भी.टी.पी. ने प्रशिक्षित बालिकाओं के नियोजन में सहायता प्रदान की एवं उनका लाभप्रद नियोजन होने तक ट्रैकिंग किया जैसा कि भी.टी.पी. ने चयन के समय सहमति प्रदान की थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि भी.टी.पी. से लाभार्थियों के अग्रेतर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी हेतु पत्राचार किया जायेगा।

(सी) किशोरी समूह की सखी एवं सहेली का अनियमित आवर्तन

प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों में विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं द्वारा किशोरी समूह का गठन किया जाना था। प्रत्येक किशोरी समूह को एक वर्ष के लिए अपने बीच से नेता के रूप में सखी (एक बालिका) और सहेली (दो बालिकाओं) का चुनाव करना था जिनकी बारी हर तीन माह में बदल जानी थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता एवं समूह भावना का विकास करना था।

नमूना-जाँचित 35 आँगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि हालाँकि किशोरी समूह का गठन और सखी एवं सहेलियों का चयन हुआ पर नियमानुसार अनियमित आवर्तन रहा। अतः नमूना-जाँचित सात सी.डी.पी.ओ. की सखी एवं सहेली बालिकायें को नेतृत्व क्षमता एवं समूह भावना के विकास के अवसर से वंचित रखा गया।

(डी) प्रशिक्षण किट का नहीं बाँटा जाना

प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी बातों की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 की अवधि में राज्य के सात सबला जिलों के किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक और कानूनी बातों की जानकारी का अभिप्रेत लाभ इन वर्षों में इन सी.डी.पी.ओ. की बालिकाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि जरूरत अनुसार प्रशिक्षण किट दिये जाने का प्रयास किया जाएगा।

(ई) किशोरी दिवस का आयोजन नहीं किया जाना

बालिकाओं के स्वास्थ्य जाँच एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किशोरी दिवस का आयोजन प्रत्येक तीन माह पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के अवधि में नमूना-जाँचित दो जिलों के किसी आँगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी दिवस का आयोजन नहीं किया गया। इस प्रकार, इन सी.डी.पी.ओ. की बालिकाएँ हर तीन माह में स्वास्थ्य जाँच एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से इन वर्षों में वंचित रही।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि किशोरी दिवस को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

(एफ) किशोरी कार्ड का नहीं बाँटा जाना

प्रत्येक बालिका की उँचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.), आई.एफ.ए. पूरक एवं टी.एच.आर. की आपूर्ति को अभिलेखित करने के लिए किशोरी कार्ड को संधारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि नमूना-जाँचित सात सी.डी.पी.ओ. की किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 2010-14 के अवधि में किशोरी कार्ड नहीं बाँटे गए।

अतः कार्ड संधारित नहीं किए गए और बालिकाओं का बी.एम.आई. आई.एफ.ए. पूरकता एवं बाँटे गए टी.एच.आर. को अभिलेखित कर नहीं रखा जा सका।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि किशोरी कार्ड मुद्रण की प्रक्रिया जारी थी।

2.5.7.6 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति

सबला दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित विभागों से अभिसरण, समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु एवं योजना के प्रगति की जानकारी के लिए समन्वयन एवं पर्यवेक्षण समितियों का गठन राज्य, जिला एवं ग्रामीण स्तरों पर किये जाने थे।

नमूना-जाँचित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि सभी स्तर पर समितियों का गठन केवल 2013 में हुआ यद्यपि उनकी कोई बैठक नहीं हुई। इस प्रकार योजना का इन समितियों द्वारा 2010-11 से 2013-14 की अवधि में अनुश्रवण नहीं हुआ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि अनुश्रवण तंत्र को मजबूत करने एवं अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समितियों की बैठकों को नियमित करने का प्रयास किया जायेगा।

सबला योजना का
2010-11 से 2013-14
तक अनुश्रवण नहीं
हुआ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार योजना का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

2.5.8 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एम.के.डी.वाई.)

एम.के.डी.वाई. के कार्यान्वयन के लिए अपना कोई दिशानिर्देश नहीं था।

बी.पी.एल. वर्ग की सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं को उनके विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता (अक्टूबर 2011 तक ₹ 10,000 और उसके बाद ₹ 15,000 प्रति बालिका) प्रदान करने के उद्देश्य से एम.के.डी.वाई. का शुभारंभ किया गया था। योजना को सी.डी.पी.ओ. द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। यद्यपि योजना के कार्यान्वयन के लिए सिवाय उपरोक्त वित्तीय सहायता देने के प्रावधान को छोड़कर अपना कोई दिशानिर्देश नहीं था।

2.5.8.1 वित्तीय प्रबंधन

एम.के.डी.वाई. के अन्तर्गत 2009-10 से 2013-14 के अवधि में आवंटन और व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या तालिका-2.5.6 में दिए गए हैं।

तालिका-2.5.6: एम.के.डी.वाई. के अन्तर्गत 2009-14 की अवधि में आवंटन, व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या

(₹ करोड़ में)					
क्रम.सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय (प्रतिशत)	निधि अभ्यर्पित	लाभार्थियों की संख्या
1	2009-10	10.28	9.95 (97)	0.33(3)	9959
2	2010-11	10.00	9.66 (97)	0.34(3)	9659
3	2011-12	10.00	9.77 (98)	0.23(2)	6259
4	2012-13	15.00	12.69 (85)	2.31(15)	8458
5	2013-14	15.00	12.90 (86)	2.10(14)	8620
कुल		60.00	54.97 (91)	5.31(9)	42955

(स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

तालिका-2.5.6 से स्पष्ट है कि 2009-10 से 2013-14 के अवधि में आवंटित राशि का 91 प्रतिशत खर्च कर 42,955 बालिकाओं को ₹ 54.97 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2.5.8.2 योजना का कार्यान्वयन

सात जिलों के नमूना-जाँचित 20 सी.डी.पी.ओ. के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ उद्घटित हुईः

- आँगनबाड़ी केन्द्रों/सी.डी.पी.ओ. ने आवेदन प्राप्ति और रद्द की गई अभिलेखों को संधारित नहीं किया। केवल लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अभिलेख संधारित थे। आवेदनों की प्राप्ति/ रद्द की गई अभिलेखों के आभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि सभी योग्य आवेदकों को योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई।
- प्रखण्ड के बी.पी.एल. सूची को तैयार नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 की अवधि में योजना अन्तर्गत कुल आवंटन ₹ 16.05 लाख को सी.डी.पी.ओ.

जमशेदपुर सदर ने अभ्यर्पित कर दिया। फलस्वरूप योजना अन्तर्गत इस अवधि में बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकी।

2.5.9 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (एम.एल.एल.वाई.)

बालिकाओं के जन्म पर भेद-भाव को दूर करने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बाल विवाह बंद करने और बालिकाओं के विद्यालय परित्याग को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2011-12 में योजना का शुभारंभ किया।

2.5.9.1 आयोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

संस्थागत प्रसव का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. संख्या इत्यादि प्रस्तुत करने की शर्त पर विभाग ने बी.पी.एल. परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को आच्छादित करने की योजना बनायी। योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों¹³ को पूरा करने की शर्त पर बालिका के जन्म के वर्ष से पाँच वर्षों तक ₹ 6,000 का राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष बालिका के नाम पर खरीदा जाना था। योग्य बालिका को राशि का भुगतान कई स्तरों¹⁴ में किया जाना था जो उसके 21 वर्ष की आयु होने तक कुल ₹ 1.17 लाख होगा।

योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का कम आच्छादन

राज्य में प्रतिवर्ष अनुमानित 1.81 लाख बी.पी.एल. महिला जनसंख्या वृद्धि के आधार पर विभाग ने योजना अन्तर्गत बजट प्रावधान बनाया। बजट प्रावधान, व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या तालिका-2.5.7 में दी गई है।

तालिका-2.5.7: राज्य में एम.एल.एल.वाई. अन्तर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय बजट	निधि प्रत्यार्पित प्रतिशत	बी.पी.एल. बालिकाओं को जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि	लाभार्थियों की संख्या (लाख में) प्रतिशत
2011-12	106.72	23.75 (22)	82.97 (78)	1.81	0.37 (20)
2012-13	287.87	52.46 (18)	235.41 (82)	1.81	0.51 (28)
2013-14	97.28	67.25 (69)	30.03 (31)	1.81	0.32 (18)
कुल	491.87	143.46 (29)	348.41 (71)		1.20

(स्रोत: प्रधान सचिव, योजना विभाग)

तालिका-2.5.7 से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष 1.81 लाख बी.पी.एल. बालिकाओं की वृद्धि के विरुद्ध 2011-14 के दौरान योजना अन्तर्गत आच्छादन 0.32 लाख (18 प्रतिशत) से 0.51 लाख (28 प्रतिशत) के बीच था। परिणामस्वरूप इन वर्षों में अभ्यर्पण काफी

¹³ (i) बालिका जीवित हैं (ii) दूसरे प्रसव के बाद परिवार नियोजन अपनाने का प्रमाण पत्र (iii) बालिका का विद्यालय जाना जारी रहने का प्रमाण-पत्र

¹⁴ छठे वर्ग में ₹ 2,000, नवीं वर्ग में ₹ 4,000, 11वीं वर्ग में 7,500 एवं उसके बाद ₹ 200 प्रतिमाह की दर से दो वर्षों तक छात्रवृत्ति एवं शेष राशि 12वीं वर्ग की परीक्षा में बैठने के बाद

हुआ जो 31 से 82 प्रतिशत के बीच रहा। लाभार्थियों के कम आच्छादन का कारण राज्य में संस्थागत प्रसव का कम (38 प्रतिशत) होना बताया गया। यह बी.पी.एल. परिवारों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि विभाग संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अभिसरण का कार्य किया।

तथ्य यह है कि एम.एल.एल.वाई. का स्वास्थ्य विभाग से अभिसरण किये जाने पर भी बेहतर आच्छादन नहीं हुआ।

2.5.9.2 योजना का कार्यान्वयन

नमूना-जाँचित 100 आँगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने निम्नलिखित पाया:

(अ) आवेदन प्राप्ति पंजी का संधारण नहीं किया जाना

एम.एल.एल.वाई. अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आवेदन प्राप्ति पंजी को संधारित नहीं किया गया था।

एम.एल.एल.वाई. के प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता के पात्रता हेतु बी.पी.एल. परिवार द्वारा बालिका के जन्म से एक वर्ष के अन्दर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आवेदन जमा किया जाना था। आँगनबाड़ी केन्द्रों को आवेदन प्राप्ति पंजी का संधारण करना था। यद्यपि किसी भी नमूना-जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर यह संधारित नहीं था। आवेदन पंजी के आभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सभी बालिकाओं को लाभ उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि आवेदन प्राप्ति पंजी परियोजना कार्यालय में संधारित किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवेदन प्राप्ति पंजी न तो आँगनबाड़ी केन्द्रों पर और न परियोजना कार्यालय में संधारित थे जैसा कि नमूना-जाँचित डी.एस.डब्ल्यू.ओ. और डी.पी.ओ. ने पुष्टि की।

(ब) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र का बंधक (प्लेज) नहीं किया जाना

एम.ओ.यू. के अनुसार जेनरल पोस्ट ऑफिस (जी.पी.ओ.) को विभाग से चेक प्राप्त करने के उपरान्त बालिका के नाम से राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एन.ए.सी.) निर्गत करना था जिसे सरकारी प्राधिकार के पक्ष में बंधक (प्लेज) रखना था।

सात जिलों¹⁵ के नमूना-जाँचित 20 सी.डी.पी.ओ. के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि तीन जिलों में (बोकारो, पूर्वी सिंहभूम एवं राँची) एन.एस.सी. को सरकारी प्राधिकार के पक्ष में बंधक (प्लेज) नहीं रखा गया जिसके फलस्वरूप परिपक्वता पूर्व उसे भुनाये जाने का मौका था।

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डाक विभाग से अभिसरण की योजना थी।

¹⁵ बोकारो, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़ एवं राँची।

2.5.9.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की कमी

योजना के स्वरूप निर्धारण, कार्यान्वयन विधि का पुनरीक्षण, अधिक लाभकारी प्रतिष्ठापन का चयन और योजना के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना था। उपायुक्तों/डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को जिला स्तर पर योजना की समीक्षा एवं कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना था। दिशानिर्देश अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के दो वर्षों के पश्चात योजना का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेन्सी से करवाया जाना था और योजना के कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई कमियाँ पायी गई हों, तो उसे दूर करना था।

एम.एल.एल.वाई. के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन जुलाई 2014 तक नहीं हुआ था।

हमने सभी नमूना-जाँचित डी.एस.डब्ल्यू.ओ., डी.पी.ओ. एवं सी.डी.पी.ओ. में देखा कि योजना का अनुश्रवण केवल प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से किया जा रहा था। जुलाई 2014 तक राज्य स्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ था। योजना का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेन्सी से भी नहीं करवाया गया था। इस प्रकार योजना ज्यादातर गैर अनुश्रवित एवं मूल्यांकित किये बिना रही जिसके फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत कम बालिकाओं का आच्छादन हुआ जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका 2.5.9.1 में चर्चित है।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2014) कि अनुश्रवण समितियाँ बनाने हेतु सभी डी.एस.डब्ल्यू. को अनुदेश निर्गत किये गये थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को नियमित अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5.10 योजना के कार्यान्वयन के लिए संचरना सुविधायें एवं मानव संसाधन की स्थिति

बालिकाओं के लिए सभी योजनायें यथा, के.एस.वाई., सबला, एम.के.डी.वाई और एम.एल.एल.वाई. का कार्यान्वयन आई.सी.डी.एस. योजना के लिए पहले से उपलब्ध भौतिक संरचना (आँगनबाड़ी एवं सी.डी.पी.ओ.) एवं मानव संसाधन को उपयोग कर किया जा रहा था। लेखापरीक्षा समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

2.5.10.1 संरचना का आभाव

आई.सी.डी.एस. के प्रावधान के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधायें यथा उचित आवास (646 वर्ग फीट) खुली जगह (77 वर्ग फीट), रसोई घर, पेयजल और शौचालय सुविधाओं का होना जरूरी है।

राज्य के 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 25,363 आँगनबाड़ी केन्द्रों (66 प्रतिशत) को अपना भवन, 27,791 आँगनबाड़ी केन्द्रों (72 प्रतिशत) में शौचालय एवं 21,854 आँगनबाड़ी केन्द्रों (57 प्रतिशत) में पेयजल सुविधा नहीं थी। इन बुनियादी सुविधाओं का आँगनबाड़ी में अभाव से योजनाओं का सफल कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

2.5.10.2 अपर्याप्त मानव संसाधन

क्षेत्र कार्यालयों में कर्मियों एवं अधिकारियों की कमी थी।

72 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा एवं 57 प्रतिशत में पेयजल सुविधा नहीं थी।

राज्य में सी.डी.पी.ओ. और महिला पर्यवेक्षकों की क्रमशः 50 एवं 48 प्रतिशत की कमी थी (परिशिष्ट-2.5.3) जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ एवं पर्याप्त मानव बल की भी उपलब्धता सुनिश्चित करे।

2.5.11 निष्कर्ष

- के.एस.वार्ड. एवं सबला के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजना को छोड़कर किसी भी दूसरे विभाग की योजना के साथ योजनाबद्ध संकेद्रण एवं अग्रेतर संयोजन नहीं था।
- भारत सरकार ने के.एस.वार्ड. के अन्तर्गत 2009-10 एवं 2012-13 के अवधि में कोई निधि विमुक्त नहीं की क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व के अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक कार्य योजना समर्पित नहीं किया था।
- के.एस.वार्ड के अन्तर्गत 2009-10, 2012-13 एवं 2013-14 के अवधि में किशोरी किट उपलब्ध नहीं कराया गया। सबला अन्तर्गत प्रशिक्षण किट 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के अवधि में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- के.एस.वार्ड. जिलों में 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के अवधि में एवं सबला जिलों में 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के अवधि में व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं हुआ।
- विभाग ने नमूना-जाँचित चार के.एस.वार्ड. जिलों में 2009-14 की अवधि में एवं दो सबला जिलों में 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वास्थ्य जाँच हेतु किशोरी स्वास्थ्य मेला/किशोरी दिवस का आयोजन नहीं किया।
- सबला के पोषाहार घटक के तहत नामांकित बालिकाओं को टेक होम राशन (टी.एच.आर.) हेतु आवंटित निधि वर्ष में 300 दिनों का टी.एच.आर. उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- विभाग द्वारा निधि आवंटित नहीं किये जाने के कारण सबला अन्तर्गत जीवन कौशल शिक्षा और जन सेवाओं को प्राप्त करने का जान संबंधी क्रियाकलापों का संचालन 2010-11, 2012-13 एवं 2013-14 के अवधि में नहीं हुआ।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति/रद्द किये गए अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया।
- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (एम.एल.एल.वार्ड.) अन्तर्गत 2011-14 की अवधि में संस्थागत प्रसव कम होने के कारण लाभार्थियों का आच्छादन 18 से 28 प्रतिशत के बीच रहा।
- के.एस.वार्ड., सबला एवं एम.एल.एल.वार्ड. योजनाएँ 2009-14 की अवधि में ज्यादातर गैर अनुश्रवित रहीं।

गृह विभाग

2.6 ‘अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.)’ की तत्परता पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार द्वारा पुलिस की परिचालन क्षमता बढ़ाने तथा नागरिक सेवा में सुधार की दृष्टि से अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) परियोजना को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित करने का ढाँचा तैयार किया (मई 2008) गया। झारखण्ड में परियोजना को फरवरी 2013 में लागू किया गया और थाना स्तर पर केवल स्टेशन डायरी तथा प्राथमिकी के पूर्व-दिनांकित आँकड़ों की प्रविष्टि की जा रही थी।

हमने सी.सी.टी.एन.एस. की तत्परता पर एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा का आयोजन किया तथा अक्टूबर 2013 से जून 2014 की अवधि के आँकड़ों का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- परियोजना की शुरुआत (फरवरी 2010) से चार वर्ष की समाप्ति के बाद भी राज्य में परियोजना को ‘गो-लाइव’ नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना की कई गतिविधियाँ अर्थात् साइट तैयारी, हार्डवेयर संधारण, नेटवर्क संयोजन आदि सभी चिन्हित स्थानों पर पूरा नहीं किया जा सका। थाना तथा उच्चतर स्तरों पर पुलिसिया कार्यों का स्वचालन नहीं हुआ क्योंकि अपराध एवं अपराधी से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों/रिटर्नों को हस्तकृत तैयार किया जा रहा था। सी.सी.टी.एन.एस. के द्वारा ऑनलाइन नागरिक सेवा नहीं दी जा सकी थी।

(कंडिका 2.6.7.1)

- झारखण्ड में ऐतिहासिक तथा विरासत आँकड़ों को डिजिटाइज्ड किया गया था परंतु डिजिटाइज्ड आँकड़ों को सी.सी.टी.एन.एस. आँकड़ा बैंक में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें कई उच्च-प्रभावी त्रुटियाँ थीं तथा उनका उपयोग नहीं किया गया जिससे ‘अपराध की जांच तथा अपराधियों का पता लगाने’ के लिए अपराध एवं अपराधियों का राष्ट्रीय आँकड़ा बैंक बनाने का उद्देश्य विफल हुआ।

(कंडिका 2.6.7.1)

- राज्य सरकार द्वारा राज्य-स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.) की नियुक्ति में हुई देरी के कारण एस.पी.एम.यू. की भूमिका परियोजना की योजना, प्रबंधन और प्रायोगिक चरण में परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अनुपस्थित था।

(कंडिका 2.6.8)

- तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण तथा प्रणाली की सुरक्षा तथा नियंत्रण पहलुओं का लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण नहीं किये जाने के फलस्वरूप कैस एप्लिकेशन में

वैधीकरण नियंत्रणों का अभाव पाया गया। इस प्रकार प्रणाली में आँकड़ों की सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 2.6.9)

- संस्करण-नियंत्रण तथा प्रलेखित बैकअप और पुनरुद्धार नीति के अभाव में कैसे के संस्करण-उन्नयन के दौरान चार (राँची पुलिस जिला में कोतवाली, डोरण्डा एवं पिठोरिया तथा खूंटी पुलिस जिला में तोरपा) थानों के वर्ष 2013 से संबंधित आँकड़े स्थायी रूप से नष्ट हो गए थे।

(कंडिका 2.6.9.4)

2.6.1 प्रस्तावना

ई-शासन के सिद्धांतों के माध्यम से पुलिस की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने तथा व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आइ.टी.) आधारित ट्रैकिंग प्रणाली, जो अपराध के अनुसंधान तथा अपराधियों की पहचान में सक्षम हो, के विकास के लिये राष्ट्रव्यापी तंत्र एवं बुनियादी ढांचा का निर्माण करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय (गृ.म.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा ‘अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.)’ का ढांचा तैयार किया (मई 2008)। इसमें थाना स्तर से अग्रेतर योजनाबद्ध तरीके से स्वचालित पुलिस कार्यप्रवाह प्रणाली तथा शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, थानों में दर्ज मामलों की स्थिति, व्यक्तियों के सत्यापन इत्यादि से सुसज्जित सार्वजनिक सेवा प्रणाली भी उपलब्ध कराना था। सी.सी.टी.एन.एस. को राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.इ.जी.पी.) के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शामिल किया गया था।

सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का व्यापक उद्देश्य जांच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना, खुफिया जानकारी जुटाने की मशीनरी को मजबूत करना, बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रणाली तथा नागरिक के अनुरूप इंटरफेस विकसित करना, अपराध एवं अपराधियों की जानकारी को राष्ट्रव्यापी साझा करना तथा पुलिस के कामकाज में दक्षता तथा प्रभावशीलता बढ़ाना था। इसको भारत सरकार के स्तर सहित पुलिस संगठन तथा अन्य संगठन/एजेंसियों में विभिन्न स्तरों के बीच संग्रह, भंडारण, विश्लेषण, स्थानांतरण तथा आँकड़ों एवं जानकारी को साझा करने की सुविधा, जांच तथा अभियोजन के मामलों की प्रगति का ट्रैक रखने तथा हस्तकृत एवं निरर्थक रिकॉर्ड संग्रह को कम करने तथा वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर प्रबंधन हेतु उन्हें शक्ति एवं सहायता पहुँचाना है।

झारखण्ड में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का कार्यान्वयन तीन चरणों में दिसम्बर 2012 तक पूरा करने हेतु 628 पुलिस स्थानों (478 थानों एवं 150 उच्चतर कार्यालयों) को आच्छादित करने के लिये दिसम्बर 2011 में शुरू किया गया था।

2.6.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के प्रशासनिक नियंत्रण में झारखण्ड पुलिस विभाग (झा.पु.वि.), पुलिस महानिदेशक (पु.म.निदे.) के नेतृत्व में झा.पु.वि के एक नामित समन्वय अधिकारी के माध्यम से राज्य में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था।

सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड पुलिस विभाग का संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है:

प्रधान सचिव, गृह विभाग

पुलिस महानिदेशक

पुलिस महानिरीक्षक (चार मंडल)

पुलिस महानिरीक्षक-प्रावधान,
समन्वय अधिकारी, सी.सी.टी.एन.एस.

पुलिस उप-महानिरीक्षक (सात प्रदेश)

पुलिस अधीक्षक (26 पुलिस-जिला)

डी.एस.पी/एस.डी.पी.ओ
(उप-मंडल)

निरीक्षक (अंचल)

थाना प्रभारी/एस.एच.ओ
(थाना)

झारखण्ड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पुलिस महानिरीक्षक, प्रावधान को समन्वय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है तथा परियोजना की निगरानी चार अभिशासन समितियों यथा राज्य स्तर पर राज्य शीर्ष समिति, राज्य प्राधिकृत समिति, राज्य मिशन टीम और जिला स्तर पर जिला मिशन टीम द्वारा की जाती है। झा.पु.वि. द्वारा शीर्ष समिति एवं प्राधिकृत समिति को राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन के प्रबंधन में सहयोग करने के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू) को काम में लगाया था। भारत सरकार से राज्य के लिये तथा राज्य सरकार से सी.सी.टी.एन.एस. लागू करनेवाली विक्रेताओं तक धन हस्तांतरण हेतु झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.) को राज्य मनोनीत एजेंसी (एस.डी.ए.) के रूप में नामित (नवम्बर 2009) किया गया।

2.6.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन की समीक्षा यह आकलन करने के लिए किया था कि:

- क्या परियोजना की योजना एवं उसका कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण, मितव्ययितापूर्ण और प्रभावकारी ढंग से किये गए थे;

- क्या भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि मितव्ययिता से, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से उपयोग किये गए थे;
- क्या सी.सी.टी.एन.एस. के परिकल्पित उद्देश्य एवं परिणाम प्राप्त किये गए थे; तथा
- क्या सी.सी.टी.एन.एस. ऑकड़ा-संग्रह के आँकड़ों की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता और संगति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य एवं विशेष नियंत्रण कार्यरत थे।

2.6.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी किए गए कार्यान्वयन दिशानिर्देश;
- सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के चयन हेतु अनुरोध-प्रस्ताव (आर.एफ.पी.);
- सरकारी वित्तीय नियम, 2005 और झारखण्ड कोषागार संहिता; तथा
- भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. से संबंधित आदेश/निर्देश।

2.6.5 लेखापरीक्षा के क्षेत्र और पद्धति

सी.सी.टी.एन.एस. की तत्परता की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण (प्रायोगिक चरण) में शामिल पुलिस मुख्यालय, पुलिस आँकड़ा केन्द्र, आपदा प्रतिलाभ केन्द्र, 18¹ थानों तथा 27² उच्चतर कार्यालयों (उ.का.) (पुलिस जिला/ अनुमंडल/ अंचल) को आच्छादित करता है।

पुलिस मुख्यालय से सूचनाओं के साथ-साथ सी.सी.टी.एन.एस. का आँकड़ा-संग्रह (अक्टूबर 2013 से जून 2014) प्राप्त किया गया तथा कंप्यूटर सहायता-प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सी.ए.ए.टी.) के माध्यम से विश्लेषण (अगस्त 2014) किया गया। हमने 28 अप्रैल 2014 को आयोजित एक प्रविष्टी सम्मेलन में प्रधान सचिव,

¹ राँची पुलिस-जिले के तहत- अनगड़ा, अरगोड़ा, चान्हो, डोरंडा, कोतवाली, लोअर बाजार, ओरमाङ्झी, पिठोरिया, सुखदेवनगर एवं यातायात थाना, खूंटी पुलिस-जिले के तहत - मुरहु एवं तोरपा थाना, देवघर, चाईबासा, गोड़डा, कोडरमा एवं पलामू पुलिस-जिलों के नगर-थाने तथा बोकारो पुलिस-जिले के तहत बोकारो स्टील-सिटी थाना को यादचिक्क/स्तरीकृत नमूना पद्धति के आधार पर चयन किया गया।

² अंचल निरीक्षक- मांडर, नामकुम, शहर पश्चिम, ओरमाङ्झी, शहर पूर्व तथा जगन्नाथपुर (राँची), खूंटी तथा तोरपा (खूंटी), शहर अंचल- डालटेनगंज, देवघर, गोड़डा, चाईबासा सदर तथा पुलिस उपाधीक्षक- खेलारी, शहर, मुख्यालय-1, कोतवाली, सिल्ली एवं हिटिया (राँची); खूंटी तथा तोरपा (खूंटी); बोकारो शहर, मुख्यालय चाईबासा, मुख्यालय-2 पलामू, मुख्यालय गोड़डा, मुख्यालय कोडरमा, तथा पुलिस महानिरीक्षक तथा उप-महानिरीक्षक, दक्षिण छोटानागपुर, राँची।

गृह विभाग से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदंड एवं पद्धति पर चर्चा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर परिचर्चा के लिए 9 अक्टूबर 2014 को प्रधान सचिव के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित की गयी। विभाग के उत्तर समुचित रूप से शामिल किए गए हैं।

2.6.6 सी.सी.टी.एन.एस. के तहत निधि का प्रवाह

भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजनावधि (2007-2012) के अंत तक परियोजना को पूर्ण रूप से सहयोग किया जाना था तथा ग्यारहवीं योजनावधि के बाद सी.सी.टी.एन.एस. से संबंधित सभी खर्चों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। झारखण्ड में सी.सी.टी.एन.एस परियोजना की कुल लागत ₹ 94.75³ करोड़ थी, जिसके विरुद्ध 2013-14 तक भारत सरकार द्वारा केवल ₹ 50.65 करोड़ विमुक्त किये गये थे तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 5.00 करोड़ का योगदान किया गया था।

प्राप्त राशि और उसके व्यय का वर्ष-वार विवरण तालिका-2.6.1 में दिए गए हैं तथा घटक वार विवरण परिशिष्ट-2.6.1 पर दिए गए हैं।

तालिका-2.6.1: प्राप्त निधि एवं किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)					
वर्ष	पूर्व शेष	विमुक्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अन्त शेष
2009-10	0	3.11	3.11	0	3.11
2010-11	3.11	3.75	6.86	0.76	6.10
2011-12	6.10	7.77	13.87	3.14	10.73
2012-13	10.73	11.71	22.44	21.97	0.47
2013-14	0.47	29.31	29.78	13.12	16.66
कुल		55.65		38.99	
				(70.08 प्रतिशत)	

(झोत: झा.पु.वि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान भारत सरकार और झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 55.65 करोड़ की कुल विमुक्ति के विरुद्ध केवल ₹ 38.99 करोड़ (70.08 प्रतिशत) व्यय किया गया। निधि का कम उपयोग परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण था।

2.6.7 परियोजना का कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार ने सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के द्वारा मापतुल्य लक्ष्यों एवं परिणामों को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर फरवरी 2010 में किया। तदनुसार, राज्य सरकार ने झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.) को राज्य मनोनीत एजेंसी (एस.डी.ए.) के रूप में चिह्नित (नवम्बर 2009) किया तथा परियोजना की प्रगति, कार्यान्वयन, रॉल-आउट की समीक्षा, निधि के उपयोग का

³ राज्य परियोजना प्रबंधन परामर्शी (एस.पी.एम.सी.)- ₹ 0.94 करोड़; क्षमता निर्माण संरचना एवं प्रशिक्षण- ₹ 2.44 करोड़; नेटवर्क संयोजन- ₹ 26.40 करोड़; सिस्टम इंटिग्रेटर- ₹ 60.89 करोड़; तथा एस.पी.एम.यू.- ₹ 4.08 करोड़।

अनुश्रवण तथा नीति-दिशाओं/ दिशानिर्देशों को जारी करने के लिये अभिशासन समितियों⁴ का गठन (दिसम्बर 2009) किया।

गृह मंत्रालय, भा.स. द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी (फरवरी 2011) दी गई। बाद में झा.पु.वि. द्वारा प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के रूप में मेसर्स एन.आई.आई.टी. टेक्नोलॉजी लिमिटेड का चयन (जुलाई 2011) किया गया। एस.आई. को अनुप्रयोग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कैस) में किये गये परिवर्तनों सहित) हार्डवेयर, संचार आधारभूत संरचना, तथा संबंधित सेवाएँ यथाक्षमता निर्माण, हैंड-होल्डिंग तथा संचालन एवं रखरखाव सहित सी.सी.टी.एन.एस. की सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिये एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना था।

एस.आई. के साथ मास्टर सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने कि बाद झा.पु.वि. द्वारा परियोजना को नवम्बर 2012 तक पूरा करने की शर्त के साथ कार्य आदेश दिसम्बर 2011 में जारी किया गया। कार्य आदेश के अनुसार, 628 पुलिस स्थानों (478 थानों तथा 150 उच्चतर कार्यालयों) को तीन चरणों में ₹ 60.89 करोड़ की लागत पर ‘टर्न-की’ आधार पर आच्छादित किया गया जिसमें 15 गतिविधियाँ शामिल थीं जिन्हें परिशिष्ट-2.6.2 में विस्तारित किया गया है।

क्रियान्वयन की स्थिति

प्रणाली को प्रथम चरण (प्रायोगिक चरण) की सभी गतिविधियों का सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ‘गो-लाइव’⁵ करना था। परियोजना की विभिन्न गतिविधियों (चरणवार) के क्रियान्वयन की स्थिति नवम्बर 2014 तक तालिका-2.6.2 में विस्तारित रूप में है।

तालिका-2.6.2: नवम्बर 2014 तक सी.सी.टी.एन.एस परियोजना के विभिन्न गतिविधियों की स्थिति

गतिविधियाँ	लक्ष्य	चरण	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण (अद्यतन)
थानों में हार्डवेयर एवं साइट तैयारी	429	चरण-I - 73 चरण-II - 356	31 मई 2012 31 अगस्त 2012	381
उच्चतर कार्यालयों में हार्डवेयर एवं साइट तैयारी	199	चरण-I - 28 चरण-II - 171	-वही-	143
आँकड़ा केन्द्रों में हार्डवेयर एवं साइट	3	चरण-I	-वही-	3

⁴ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य शीर्ष समिति, पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकृत समिति, समन्वय अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य मिशन टीम तथा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला मिशन टीम।

⁵ एक कंप्यूटर प्रणाली को उस पर हुए सभी परीक्षणों की समाप्ति के बाद, प्रथम बार उपयोग किया जा सकता है।

गतिविधियाँ	लक्ष्य	चरण	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण (अद्यतन)
तैयारी				
थानों एवं उ.का. स्तर पर नेटवर्क संयोजन (आ.सं.नि.लि द्वारा)	628	चरण-I - 101 चरण-II - 527	31 दिसम्बर 2012	480
अतिरिक्त (उपलब्ध) नेटवर्क संयोजन मॉगानुसार (एस.आइ. द्वारा)	400	चरण-I तथा II	31 अगस्त 2012	343
क्षमता निर्माण (मूल प्रशिक्षण)	33000	चरण- I	31 मई 2012	31836
क्षमता निर्माण (कर्तव्याधारित प्रशिक्षण)	10500	चरण- I	31 मई 2012	11289
आँकड़ा डिजिटाइजेशन	3.97 लाख प्राथमिकी	चरण- I	31 मई 2012	3.95 लाख प्राथमिकी
कैस अनुकूलन, अतिरिक्त कार्यक्षमता एवं राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों का विकास एवं एकीकरण	-	चरण- I	31 मई 2012	अभी भी बाकी
तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण, लेखा परीक्षा तथा प्रमाणीकरण	-	चरण- I	31 मई 2012	अभी भी बाकी
कैस के अनुवर्ती निर्गत संस्करण के साथ एप्लीकेशन का उन्नयन	-	चरण- III	30 नवम्बर 2012	पूर्ण

(स्रोत: झा.पु.वि द्वारा दी गई सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि (नवम्बर 2012) के समाप्त होने के बाद भी साईट तैयारी, हार्डवेयर संस्थापना तथा नेटवर्क संयोजन सभी चिन्हित थानों एवं उच्चतर कार्यालयों में नवम्बर 2014 तक पूरा नहीं हुआ था।

एक कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कैस) की परिकल्पना पुलिस विभाग का कामकाज करने के लिये की गई थी, जिसे एक केन्द्रीय आर्किटेक्चर पर तैनात रहना था जिसमें पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों को आँकड़ा केन्द्र के माध्यम से प्रणाली से जोड़ा जाना था। हालाँकि, कैस का अनुकूलन राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं⁶ के अनुसार तथा कैस के साथ राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों⁷ (विस्तार मॉड्यूल) का एकीकरण नहीं किया गया जबकि इसे परियोजना के प्रथम चरण में मई 2012 तक पूरा करना परिकल्पित था। कैस के गैर-अनुकूलन के कारण विभिन्न पुलिस स्थानों पर संस्थापित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को केवल आँकड़ा प्रविष्टि प्रणाली के रूप में सीमित कर दिया गया। फलतः, अन्तर-जिला तथा अंतर-राज्यीय सूचना साझा करने की परियोजना का परिकल्पित लक्ष्य को मार्च 2014 तक परियोजना पर ₹ 38.99

⁶ कैस-राज्य अनुप्रयोग एन.सी.आर.बी द्वारा उपलब्ध कराया गया था जिसे राज्य-विशेष अतिरिक्त-क्रिया (परिशिष्ट-2.6.3) पंजीकरण, जाँच, अभियोजन, खोज आदि मॉड्यूल से जोड़ कर प्रचलित किया जाना था।

⁷ यातायात, मानव संसाधन प्रबंधन, नक्सली सूचना, अपराध रोकथाम प्रणाली एवं वेब-पोर्टल।

करोड़ खर्च करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया गया (जो अग्रवर्ती कंडिका 2.6.7.1 में चर्चित है)।

लेखापरीक्षा जाँच में परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

2.6.7.1 परियोजना के विभिन्न गतिविधियों का पूरा न होना

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि:

परियोजना प्रायोगिक चरण के सफलतापूर्वक समापन के बिना ही पूरे राज्य में लागू कर दी गई और प्रणाली को 'गो-लाइव' नहीं किया जा सका।

- झा.पु.वि. द्वारा फरवरी 2013 में सी.सी.टी.एन.एस. को पूरे राज्य में लागू किया गया। जबकि इसका उपयोग थाना स्तर पर केवल पूर्व-दिनांकित स्टेशन डायरी तथा प्राथमिकी, पारंपरिक विधा के माध्यम से हस्तकृत दर्ज किये जाने के बाद, की प्रविष्टि के लिये किया जा रहा था। कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कैस) के माध्यम से जाँच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि झा.पु.वि. के पास एकीकृत सूचना प्रपत्र⁸ (आई.आई.एफ.) (द्वितीय से सप्तम) के लिये आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं थी। अतः प्रणाली को नवम्बर 2014 तक 'गो-लाइव' नहीं किया जा सका।
- राज्य अधिकार प्राप्त समिति (एस.ई.सी.) की सिफारिश पर मूलरूप में आवंटित 478 थानों एवं 150 उच्चतर कार्यालय (उ.का.) के स्थान पर साईट स्थानों की कुल संख्या (628) को यथावत रखते हुए, बदलकर (सितम्बर 2013) 429 थाना और 199 उ.का. किया गया। इस प्रकार, 49 थाने, जो मूलरूप से परियोजना में सम्मिलित थे, साईट स्थानों के परिवर्तन के कारण छूट गये। इसके बाद, 52 स्थानों पर एस.आई. द्वारा साईट तैयारी का काम शुरू नहीं किया गया क्योंकि झा.पु.वि. ने आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि वे थाने भौतिक रूप से तैयार नहीं थे।
- थानों तथा उ.का. स्तर पर पुलिसिया कार्यों का स्वचालन नहीं हुआ क्योंकि विभिन्न प्रतिवेदनों/ रिटर्नों को थाना तथा उ.का. दोनों स्तरों पर हस्तकृत तैयार किये जा रहे थे जबकि प्राथमिकी की सूचनाओं को सी.सी.टी.एन.एस. में ग्रहित किया जा रहा था।
- झा.पु.वि. द्वारा नवम्बर 2014 तक ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएँ जैसे- शिकायतों का पंजीकरण, थानों में दर्ज मामलों की स्थिति की जाँच, व्यक्तियों के सत्यापन की सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी थी।
- झारखण्ड में ऐतिहासिक तथा विरासत आँकड़े डिजिटलीकृत किये गये परंतु डिजिटलीकृत आँकड़ों में कई उच्च प्रभावी त्रुटियाँ थीं और इनका उपयोग नहीं हुआ

विरासत आँकड़े डिजिटलीकृत किये गये पर इन्हे सी.सी.टी.एन.एस. आँकड़ा संग्रह में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका।

⁸ आई.आई.एफ.-I प्राथमिकी, आई.आई.एफ.-II, अपराध विवरण, आई.आई.एफ.-III, गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण, आई.आई.एफ.-IV जप्ति, आई.आई.एफ.-V-अंतिम फॉर्म (चार्जशीट), आई.आई.एफ VI-न्यायालयिक मामलों का संपादन, आई.आई.एफ VII- अपील के परिणाम।

जिसके कारण इनको सी.सी.टी.एन.एस. ऑकड़ा-संग्रह में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका और अपराध का अनुसंधान तथा अपराधियों की खोज के लिए राष्ट्रीय ऑकड़ा संग्रहण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

- आर.एफ.पी. में कार्यावंटन के लिए झा.पु.वि., द्वारा (अप्रैल 2011) पूरे राज्य में 704 पुलिस स्थानों (478 थानों (पी.एस.), 150 उच्चतर कार्यालय (उ.का.) और 56 अन्य स्थानों⁹) में सी.सी.टी.एन.एस. को तीन चरणों में (फेज-I, II एवं III) लागू करना प्रस्तावित था। हालांकि, कार्य आवंटित (दिसम्बर 2011) करते समय इसको बदलकर केवल 628 पुलिस स्थानों (478 थानों और 150 उ.का.) कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप एस.आई. को अवांछित लाभ के साथ-साथ अन्य एजेंसियों जैसे जेल, न्यायालयों, पासपोर्ट ऑफिस इत्यादि सी.सी.टी.एन.एस. नेटवर्क से बाहर रह गये जबकि इनको प्रारंभ में संयोजित करना परिकल्पित था। इस प्रकार, सी.सी.टी.एन.एस. ऑकड़ा-संग्रह का अन्य एजेंसियों के ऑकड़ा-संग्रह के साथ जानकारी साझा करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

इसके जवाब में झा.पु.वि. ने कहा कि प्रथम-चरण की गतिविधियों के पूरा होने का प्रमाण पत्र चल रही गतिविधियों अर्थात् क्षमता निर्माण, ऑकड़ा डिजिटाइजेशन और कैस अनुकूलन आदि को छोड़कर एस.आई. द्वारा कई गतिविधियों के पूरा करने के बाद जारी (जून 2013) किया गया था।

हम सरकार से अनुशंसा करते हैं कि परियोजना के 'गो-लाइव' करने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना निर्धारित करें जिससे इसके अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

2.6.7.2 भारत संचार निगम लिमिटेड को अधिक्य भुगतान

झा.पु.वि. तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) के बीच हस्ताक्षर किए गए सेवा स्तर समझौते (एस.एल.ए.) के प्रावधानों (खंड 15 सी) के अनुसार हार्डवेयर (रूटर्स और मॉडेम हेतु) के मूल्य के लिए, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा दिए गए हार्डवेयर विशिष्ट के अनुरूप भा.सं.नि.लि. को आपूर्तिकर्ताओं से दर/निविदा की माँग करनी था। न्यूनतम दर के आधार पर अंतिम मूल्य निर्धारण भा.सं.नि.लि.-मार्जिन के रूप में 15 प्रतिशत जोड़ने के बाद राज्य से शुल्क लिया जाना था।

संवीक्षा में पता चला कि भा.सं.नि.लि. ने विभिन्न बैंडविड्थों के लिए 15 प्रतिशत भा.सं.नि.लि. - मार्जिन सहित एक वर्ष के लिये ₹ 2.02 करोड़ का मांग पत्र (मार्च 2012) दिया था जिसका भुगतान (मार्च 2013) झा.पु.वि. द्वारा किया गया। बैंडविड्थ के लिये भा.सं.नि.लि. - मार्जिन के रूप में ₹ 26.35 लाख का भुगतान एस.एल.ए के प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि 15 प्रतिशत भा.सं.नि.लि. - मार्जिन

⁹ कंट्रोल रम-28, जेल-26, फॉरेंसिक लैब-1, फिंगर-प्रिंट ब्यूरो-1

केवल हार्डवेयर (रुटर्स और मॉडेम) के लिए लागू था। अतः भा.सं.नि.लि. को ₹ 26.35 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

जवाब में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए झा.पु.वि. ने कहा (नवम्बर 2014) कि अधिक भुगतान को भा.सं.नि.लि. से कटौती कर ली जाएगी।

2.6.7.3 एस.आई. द्वारा असफल सहायता-डेस्क सेवाएँ

एस.आई. को सेवा अनुरोध पर नजर रखने तथा मार्ग निर्देश करने और घटना प्रबंधन और सेवा अनुरोध प्रबंधन सहित दोनों समस्याओं को हल करने में अंतिम उपयोगकर्ताओं की सहायता एवं उनके प्रश्नों के जवाब के लिये सहायता डेस्क सेवाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसके अलावा मास्टर सेवा समझौता (एम.एस.ए.) के प्रावधानों के अनुसार सहायता डेस्क अधिकतम 72 घंटों में शिकायतों को हल करने के लिये जिम्मेदार था।

सहायता डेस्क द्वारा
शिकायत निवारण
सफल नहीं था

केन्द्रीय सहायता डेस्क द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 1 अक्टूबर 2013 से 20 मई 2014 के बीच दर्ज किये गये 1,720 शिकायतों में से 72 अनसुलझे (मई 2014) पाये गये, जबकि 1,720 में से 1,250 शिकायतों को 72 घंटे की निर्धारित सीमा के विरुद्ध 4 से लेकर 153 दिनों में सुलझाया गया। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट-2.6.4** में विस्तारित हैं। अतः सहायता डेस्क का शिकायतों का त्वरित एवं कुशलता से समस्याओं को हल करने में प्रदर्शन प्रभावी नहीं था, जिससे कैस के माध्यम से थानों की गतिविधियों के निष्पादन में बाधा पैदा हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए इसके जवाब में झा.पु.वि. ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा बताये जाने के पश्चात वर्तमान में शिकायतों के निराकरण में हुए विलंब की सूचना एस.आई. के उच्च प्रबंधन को दी जा रही है।

2.6.8 परियोजना अनुश्रवण

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.) की नियुक्ति में विलंब

सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य को राज्य स्तर पर सी.सी.टी.एन.एस. की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन के प्रबंधन में सी.सी.टी.एन.एस. राज्य स्तरीय शीर्ष समिति तथा अधिकार प्राप्त समिति को सहायता प्रदान करने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.) की नियुक्ति करनी थी।

हमने पाया कि झा.पु.वि. ने एस.आई. को कार्यादेश जारी (दिसम्बर 2011) करने तथा परियोजना समाप्ति की निर्धारित समय-सीमा (30 नवम्बर 2012) बीतने के बाद मेसर्स टेलीकॉम्युनिकेशन कंसल्टेन्ट इण्डिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) को सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के लिये एस.पी.एम.यू. के रूप में नियुक्त (दिसम्बर 2012) किया। इस कारण, एस.पी.एम.यू. की भूमिका परियोजना की योजना और

एस.पी.एम.यू. की भूमिका
परियोजना की योजना, प्रबंधन
तथा प्रायोगिक चरण के दौरान
परियोजना के कार्यान्वयन की
अनुश्रवण में अनुपस्थित था।

प्रबंधन, एस.आई. द्वारा प्रदान की गई तकनीकी समाधान की समीक्षा तथा प्रायोगिक चरण के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण में अनुपस्थित था।

इसके जवाब में झा.पु.वि. द्वारा कहा गया कि एस.पी.एम.यू. की नियुक्ति राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के साथ कई पत्राचार के बाद किया गया था।

तथ्य यह है कि अगर एस.पी.एम.यू. की नियुक्ति समय पर हुई होती तो परियोजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण व्यापक हो गया होता।

2.6.9 कैस पर टिप्पणियाँ

एक कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कैस) की परिकल्पना पुलिस विभाग का कामकाज करने के लिये की गई थी, जिसे एक केन्द्रीय आर्किटेक्चर पर तैनात रहना था जिसमें आँकड़ा केन्द्र के माध्यम से पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों को प्रणाली से जोड़ा जाना था। कैस की अवधरणा दो श्रेणियों में यथा कैस (केन्द्र) और कैस (राज्य) के रूप में किया गया था। कैस (केन्द्र) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को राज्यों से अपराध और अपराधियों का आँकड़ा प्राप्त करके अपराध विश्लेषण और रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं में सक्षम बनाने के लिये किया गया था। कैस (राज्य) का ऐसे कार्यक्षमता को आच्छादित करना था जो सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये समान था। कैस (राज्य) के मुख्य कार्यक्षेत्र पंजीकरण, जाँच, अभियोजन, अभिलेख प्रबंधन तथा खोज और प्रारंभिक प्रतिवेदन थे। कैस (राज्य) के कार्यक्षेत्र में उच्चतर कार्यालयों (उ.का.) यथा राज्य पुलिस मुख्यालय, प्रक्षेत्र कार्यालयों, जिला मुख्यालय तथा राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो की आवश्यक कार्यक्षमताओं को भी शामिल किया जाना था।

हमने पाया कि प्रणाली एवं समग्र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण, लेखापरीक्षा तथा सुरक्षा एवं नियंत्रण पहलुओं का प्रमाणन नामित एजेंसियों¹⁰ के माध्यम से नहीं कराया गया यद्यपि इसे मई 2012 यानि प्रथम चरण की समाप्ति के बाद पूर्ण किया जाना परिकल्पित था। इसके परिणामस्वरूप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मान्यता नियंत्रणों की कमी पाई गई जिन पर नीचे चर्चा की गयी है।

हमने पाया कि थाना स्तर पर कैस में स्टेशन डायरी और प्राथमिकी की पूर्व-दिनांकित आँकड़ा-प्रविष्टि की जा रही थी जो कि गृह मंत्रालय, भा.स. तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी (अगस्त 2012) निर्देशों के विरुद्ध था। हालाँकि सी.सी.टी.एन.एस. आँकड़ा-संग्रह में उपलब्ध स्टेशन डायरी और प्राथमिकियों से

¹⁰ एस.टी.क्यू.सी: सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के अधीन स्टैन्डर्डाइजेशन टेस्टिंग एवं क्वालिटि सार्टिफिकेशन एक निदेशालय है। एस.टी.क्यू.सी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों सेक्टरों का मुख्य सेवा प्रदायी है;

सी.ई.आर.टी: -आई.एन. (इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम) एक सरकारी मान्यता प्राप्त सू.प्र. सुरक्षा संस्था है।

संबंधित आँकड़ों का आँकड़ा-विश्लेषण से प्राप्त टिप्पणियों को अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.9.1 रिक्त सामान्य डायरी संख्या और तारीख

कैस एप्लीकेशन में एक प्राथमिक दर्ज करने के लिये, सामान्य डायरी संख्या की प्रविष्टि भविष्य में संदर्भ के लिये ऐप्लीकेशन के अग्रांत (आँकड़ा प्रविष्टि प्रपत्र) में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना था।

सी.सी.टी.एन.एस. आँकड़ा
संग्रह में प्राथमिक में
सामान्य डायरी संख्या एवं
दिनांक के प्रसंग गायब थे

हमने आँकड़ा-विश्लेषण के दौरान पाया कि अक्टूबर 2013 से जून 2014 के दौरान आँकड़ा-संग्रह में दर्ज 24,288 प्राथमिक के 1,022 मामले सामान्य डायरी के संदर्भ के बिना पंजीकृत किये गये जबकि इन्हें अग्रांत के माध्यम से ग्रहित किये गये थे। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट-2.6.5** में उल्लेखित हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ऐप्लीकेशन में वैधीकरण नियंत्रण की कमी थी आँकड़ों के प्रवाह प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित करने के लिए वैधीकरण नियंत्रण की कमी थी। इसके अलावा, आँकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य क्षेत्रों को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिये था।

2.6.9.2 बेमेल पंजीकरण वर्ष

कैस ऐप्लीकेशन में राज्य कोड (पहले दो अंक), जिला कोड (अगले तीन अंक), थाना कोड (अगले तीन अंक), पंजीकरण का वर्ष (अगले दो अंक) तथा प्राथमिक सीरियल नंबर (अंतिम चार अंकों) को मिला कर एक 14 अंकों वाला अद्वितीय प्राथमिक पंजीकरण संख्या (संख्यात्मक डाटा प्रकार) का पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ऐप्लीकेशन में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के बाद स्वतः उत्पन्न होना था।

प्राथमिक में पंजीकरण वर्ष स्वजनित पंजीकरण संख्या के साथ बेमेल पाये गए।

आँकड़ा विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐप्लीकेशन में पंजीकृत 24,288 प्राथमिक में से 31 (**परिशिष्ट-2.6.6**) प्राथमिक में पंजीकरण वर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र (पंजीकरण-वर्ष) तथा स्वतः उत्पन्न हुए पंजीकरण संख्या में वर्ष को सूचित करने वाले अंक भिन्न पाये गये, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ऐप्लीकेशन में वैधीकरण नियंत्रण की कमी थी जिसके कारण संबंधित क्षेत्रों में प्रविष्टियों से पंजीकरण वर्ष के विभिन्न मूल्यों को उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप एक थाने में एक ही वर्ष के दौरान समान पंजीकरण संख्या भी उत्पन्न हुई जैसा कि **परिशिष्ट-2.6.7** में उल्लिखित है। अतः उचित वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में आँकड़ा की निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके कारण भ्रामक अपराध रिपोर्ट उत्पन्न हो सकती थी जो आवर्ती रूप से उत्पन्न होता तथा एक थाने में समान पंजीकरण संख्या उत्पन्न होने के कारण गलत स्थिति रिपोर्ट उत्पन्न हो सकता था जो अन्य हितधारकों द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिये इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त हो जाता।

2.6.9.3 सामान्य डायरी तारिखों में अंतराल

झा.पु.वि. के अनुदेश (नवम्बर 2012) के अनुसार, स्टेशन डायरी थाना के प्रत्येक एवं हर घटना के लिये लिखा जाना चाहिये तथा 0.00 बजे से 24.00 बजे तक के लिये दैनिक आधार पर खोला तथा बंद किया जाना चाहिये। इसी तरह, कैस ऐप्लीकेशन में भी स्टेशन डायरी दैनिक आधार पर खोला तथा बंद किया जाना था और थानों के प्रत्येक और सभी घटनाओं को सामान्य डायरी मॉड्यूल के माध्यम से कैस (राज्य) में प्रविष्ट किया जाना चाहिये था।

सी.सी.टी.एन.एस. में
सामान्य डायरी को प्रत्येक
दिन खोला एवं बन्द नहीं
किया गया

हमने आँकड़ा विश्लेषण के दौरान पाया कि 72 थानों, जिसके सामान्य डायरी के आँकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे, में से 71 में सामान्य डायरी दिनांक (जी.डी._डी.टी.) की प्रविष्टि गुम पाई गई। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण परिषिष्ट-2.6.8 में उल्लेखित हैं। यह स्पष्ट रूप से संकेत देता था कि ऐप्लीकेशन में सामान्य डायरी का खोलना तथा बंद करना दिये गये निर्देशों के उल्लंघन के साथ साथ बैकलॉग प्रविष्टि की गुंजाईश को रखते हुए दैनिक आधार पर नहीं किये गये और ऐप्लीकेशन में नियमित जी.डी. प्रविष्टि से उपयोगकर्ताओं के लंघन को सीमित करने के लिये कोई बैधीकरण नियंत्रण नहीं था। हमने एक लेखा परीक्षित थाना (बोकारो स्टील सिटी) में भी पाया कि ऐप्लीकेशन के सामान्य डायरी में केवल उन्हीं मामलों की प्रविष्टि की जा रही थी जिन्हें ऐप्लीकेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आवश्यक था।

इसके जवाब में झा.पु.वि. द्वारा बताया गया कि कैस ऐप्लीकेशन की कमियों को केन्द्रीय स्तर पर सुधार के लिये राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को सूचित किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार तुरंत तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण, लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण प्राप्त करके, आँकड़ा की निरंतरता, विश्वसनीयता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये रिपोर्ट में बताये गये बैधीकरण नियंत्रण के मुद्दों को लागू करने पर विचार करे।

2.6.9.4 अपर्याप्त सामान्य और तार्किक नियंत्रण

व्यापार निरंतरता योजना (बी.सी.पी.), आपदा वसूली योजना (डी.आर.पी.) और व्यापार पुनरुद्धार योजना दोनों को आच्छादित करता है। बी.सी.पी. उपायों की तैयारी एवं परीक्षण है जो व्यापार के संचालन की रक्षा और सुविधाओं के किसी भी हानि, क्षति या विफलता की स्थिति में आँकड़े की वसूली के लिये साधन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, एक मजबूत बैकअप नीति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन अप्रत्याशित अवरोधक की घटना में आसानी से आँकड़ों की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि झा.पु.वि. के पास प्रलेखित बैकअप तथा पुनरुद्धार नीति नहीं थी। इस कारण आँकड़े का आकस्मिक नुकसान का खतरा था जिसे इस तरह कि नीति के अभाव में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। हमने

प्रलेखित बैकअप तथा
पुनरुद्धार नीति एवं
उपयोगकर्ता और पासवर्ड
नीति अस्तित्व में नहीं थी

चार¹¹ लेखापरीक्षित थानों में पाया कि एप्लीकेशन में संस्करण नियंत्रण नहीं था जिसके कारण कैस एप्लीकेशन में दर्ज 2013 के मामले संस्करण उन्नयन के दौरान स्थायी रूप से नष्ट हो गये। इसके अलावा नष्ट हुए ऑकड़े को बैकअप ऑकड़ा के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सका जबकि प्रत्येक थाना को बैकअप उद्देश्य के लिये एक बाहरी हार्ड डिस्क के साथ सुसज्जित किया गया था।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया कि कोई प्रलिखित उपयोगकर्त्ता/पासवर्ड नीतियाँ नहीं थी। सामान्य पासवर्ड प्रक्रियाएँ यथा उपयोगकर्त्ताओं द्वारा असफल लॉग-इन प्रयास पर प्रतिबंध या पूर्व-निर्धारित अवधि के उपरांत पासवर्ड का स्वतः चूक या प्रणाली प्रवर्तित आवधिक पासवर्ड में परिवर्तन अनुपस्थित पाये गये। यहाँ तक की सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं का कोई दस्तावेज नहीं था। फलतः ऑकड़ा सुरक्षा के जोखिम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

झा.पु.वि. द्वारा सूचित (जून 2014) किया गया कि उपरोक्त नीतियों के प्रलेखीकरण प्रगति में था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार एक कारोबार निरंतरता योजना को बनाये और ऑकड़ा सुरक्षा के जोखिम से बचाव के लिये आवश्यक कार्रवाई करें।

2.6.10 निष्कर्ष

- सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के प्रायोगिक चरण सफलतापूर्वक पूरा न होने के बावजूद परियोजना को पूरे राज्य में लागू (फरवरी 2013) कर दिया गया। सभी थानों में मात्र सामान्य डायरी और प्राथमिकी की पूर्व-दिनांकित ऑकड़ा प्रविष्टि की जा रही थी और परियोजना की शुरुआत (फरवरी 2010) से चार वर्ष की समाप्ति के बाद भी राज्य में परियोजना को ‘गो-लाईव’ नहीं किया जा सका था। परियोजना की कई गतिविधियाँ अर्थात् साइट तैयारी, हार्डवेयर संधारण, नेटवर्क संयोजन आदि कार्य सभी चिन्हित स्थानों पर पूरा नहीं किये जा सके थे।
- थानों तथा उच्चतर कार्यालयों में पुलिस कार्यकलापों का स्वचालन नहीं हुआ क्योंकि अपराध तथा अपराधी से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों/रिटर्नों को हस्तकृत तैयार किया जा रहा था जबकि प्राथमिकी से संबंधित सूचना को सी.सी.टी.एन.एस. में ग्रहित किया जा रहा था।
- झा.पु.वि. द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा जैसे- शिकायतों का पंजीकरण, थानों में दर्ज मामलों की स्थिति का पता लगाना, व्यक्तियों का सत्यापन इत्यादि सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा सकी।
- डिजिटाइज्ड ऐतिहासिक ऑकड़ों में कई उच्च-प्रभावी त्रुटियाँ थीं और उनका उपयोग नहीं हुआ क्योंकि इनको सी.सी.टी.एन.एस. में स्थानांतरित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपराध की जांच तथा अपराधियों का पता लगाने के लिए अपराध

¹¹ राँची से कोतवाली, डोरंडा एवं पिठोरिया थाना तथा खूंटी से तोरपा थाना।

एवं अपराधियों का राष्ट्रीय आँकड़ा-संग्रह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

- तृतीय पक्ष स्वीकृति परीक्षण, लेखापरीक्षा तथा प्रणाली के प्रमाणीकरण, परियोजना को राज्यभर में लागू करने से पहले नहीं किया गया जिस कारण कैस एप्लीकेशन में बैधीकरण नियंत्रणों का अभाव था। अतः आँकड़ों की सुरक्षा, विश्वसनीयता ओर पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।
- प्रलेखित बैकअप तथा पुनरुद्धार नीति नहीं थी। इसके अभाव में चार थानों (राँची पुलिस जिला के अंतर्गत कोतवाली, डोरंडा तथा पिठोरिया एवं खूंटी पुलिस जिला अंतर्गत तोरपा) के वर्ष 2013 से संबंधित आँकड़े कैस के संस्करण-उन्नयन के दौरान सामान्य तथा तार्किक नियंत्रणों के अभाव में स्थायी रूप से नष्ट हो गए थे।

मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

2.7 जनजातीय उपयोजना (शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1974-79) में जनजातीय उपयोजना की नीति प्रारंभ की गई जो अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और समाज के अन्य वर्गों के बीच विकास की खाई को कम करने के लिये एक महत्वपूर्ण पहल था। इसमें प्रयास था कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों के योजना संसाधनों को कम से कम अ.ज.जा. के जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस दिशा में उन्मुख किया जाय। जनजातीय उपयोजना के वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान दो विभागों, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के आठ स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन का लेखापरीक्षा के लिये आच्छादन किया गया। लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम हैं:

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत जनजातीय उपयोजना की निधि को क्रियान्वयन अभिकरण के स्तर पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के साथ मिला दिया गया था जिसके कारण जनजातीय उपयोजना की निधि से किये गये व्यय को पृथक करना संभव नहीं था। आगे, नियत उद्देश्यों पर जनजातीय उपयोजना निधि के व्यय सुनिश्चित करने हेतु कोटि-वार व्यय के अनुश्रवण का कोई तंत्र विभाग द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.7.6)

- सर्वशिक्षा अभियान के दिशानिर्देशों के विपरीत स्थानीय भाषा (कुड़ख, संथाली, खड़िया, मुंडारी एवं हो) में पाठ्य पुस्तकें मुद्रित नहीं थीं और आदिवासी बच्चों को प्रदान नहीं की गई थीं। 2011-12 एवं 2013-14 में छात्रों को निःशुल्क पोशाक वितरित नहीं किये गये थे और 2012-13 में शैक्षणिक सत्र के अंत में वितरित किये गये थे।

(कंडिका 2.7.7.1 एवं 2.7.7.2)

- विद्यालय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो. एवं ब.) तैयार किये थे। खाद्यान्जन एवं खाना पकाने की लागत के लिये निधि के कम आवंटन के फलस्वरूप 2011-14 के दौरान नमूना-जाँचित विद्यालयों में 15 से 45 दिन तक के लिये मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.7.8)

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिरक्षण एवं संस्थागत प्रसव के तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी थी। नमूना-जाँचित जिलों में बच्चों में पूर्ण प्रतिरक्षण की उपलब्धि लक्षित बच्चों के 73 से 78 प्रतिशत थी और संस्थागत प्रसव वार्षिक लक्ष्यों के 52 से 61 प्रतिशत तक था।

(कंडिकाएँ 2.7.10 एवं 2.7.11)

- केंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं हृदयाघात के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के रोगियों की जाँच के अलावा क्रियान्वित नहीं थी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्रियान्वित था।

(कंडिका 2.7.12)

2.7.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1974-1979) में जनजातीय उपयोजना नीति प्रारंभ की थी। जनजातीय उपयोजना को अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्यों के बीच के विकासात्मक खाई को कम करने के लिये एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया और इसमें प्रयास था कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभागों के योजना संसाधनों को कम से कम अ.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उनके विकास की दिशा में उन्मुख किया जाय। जनजातीय उपयोजना भारत के समावेशी विकास के उद्देश्यों को पूरा करने का एक मुख्य साधन था। जनजातीय उपयोजना के लिये नियमित योजनाओं के अवयव के रूप में दिये जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार, राज्य में अ.ज.जा. की जनसंख्या 86,45,042 थी जो राज्य की कुल जनसंख्या (3,29,88,134) का 26 प्रतिशत थी। अतः राज्य को जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के विकास के लिये कुल योजना का कम से कम 26 प्रतिशत उदिष्ट करना चाहिये।

2.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं विस्तार

आठ स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित योजनायें जिनमें जनजातीय उपयोजना के अवयव हैं, का चयन समीक्षा के लिए किया गया था क्योंकि ये मानव संसाधन विकास पर केन्द्रित हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए नमूना चयन के आधार पर चयनित जिलों में किया गया था। विभागवार चयनित योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

तालिका-2.7.1: ली गई योजनाओं एवं विभागों का विवरण

विभाग	चयनित योजनाओं का नाम
मानव संसाधन विकास विभाग	<ul style="list-style-type: none"> सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.चि.शि. एवं प.क. विभाग)	<p>राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) संबंधित तीन स्वास्थ्य योजनायें</p> <ul style="list-style-type: none"> आधारभूत संरचना संधारण योजना (आई.एम.एस.) प्रतिरक्षण प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) फ्लेक्सीपुल गैर संचारी रोगों से संबंधित दो स्वास्थ्य योजनायें केंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं हृदयाधात के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.)

2.7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जनजातीय उपयोजना के निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- विभिन्न शैक्षिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये जनजातीय उपयोजना की योजना प्रक्रिया को अच्छी तरह से रेखांकित किया गया और आवश्यकता आधारित था;
- जनजातीय उपयोजना के लिये पर्याप्त वित्तीय परिव्यय निर्धारित थे, ससमय निर्गत थे और योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग किया गया था;
- अ.ज.जा. के विकास के लिये शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनायें दक्षता पूर्वक क्रियान्वित की गई थीं; एवं
- योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रतिफलों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिये प्रभावी तंत्र विद्यमान थे।

2.7.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवयवों के संबंध में जनजातीय उपयोजना के निष्पादन लेखापरीक्षा का आकलन निम्न संदर्भ में किये गये:

- जनजातीय उपयोजना के संबंध में योजना आयोग के दिशानिर्देश;
- चयनित योजनाओं के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश;

- भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेश/अनुदेश;
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सावधिक प्रतिवेदन/विवरणी; एवं
- प्रभाव मूल्यांकन और अन्य प्रतिवेदन/सांख्यिकी।

2.7.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रतियचन

राज्य में जनजातीय उपयोजना राज्य के 24 जिलों में से 13 जिलों में पूरी तरह एवं दो जिलों में आंशिक रूप से आच्छादित थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये 13 में से सात¹ जनजातीय जिलों का चयन अनुसूचित जनजातियों के उच्च जनसंख्या के आधार पर किया गया। संबंधित जिलों के चयनित प्रखंडों, विद्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सा.स्वा.के.) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विवरण **परिषिष्ट-2.7.1** में दिया गया है। मानव संसाधन विकास विभाग तथा स्वा.चि.शि. एवं प.क. विभाग के सचिवालय, प्राथमिक एवं माध्यामिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (झा.शि.प.प.), झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.) और राज्य एन.सी.डी. कोषांग के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई थी।

मई 2014 में शिक्षा क्षेत्र के लिये संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के साथ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अभियान निदेशक, झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. के साथ प्रविष्टि सम्मेलन किया गया था। जनवरी 2015 में सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के साथ समापन सम्मेलन किया गया था। विभाग द्वारा दिये गये उत्तर को समुचित रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। समापन सम्मेलन के लिये स्वा.चि.शि. एवं प.क. विभाग को अनुरोध भेजा (जनवरी 2015) गया था और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार के ध्यान में लाया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आंशिक उत्तर दिया जिसे समुचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.6 वित्तीय प्रबंधन

निधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता

स.शि.अ., मध्याहन भोजन एवं रा.मा.शि.अ. योजनाओं के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो. एवं ब.) जिलों द्वारा तैयार किया जाता है जिसे राज्य वा.का.यो. एवं ब. में समेकित किया जाता है और प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होता है। उसी तरह राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (रा.स्वा.सो.) रा.ग्रा.स्वा.मि. के लिये कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (का.क्रि.यो.) तैयार करता है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुमोदित किया जाता है। का.क्रि.यो. के आधार पर भारत सरकार

¹ दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, राँची, सिमडेंगा और पश्चिमी सिंहभूम।

कार्यवाही के अभिलेख (आर.ओ.पी.) के रूप में योजना अनुमोदित करती है और निधि निर्गत करती है। हालाँकि, यह पाया गया कि जनजातीय योजना श्रेणी के लिये वा.का.यो. एवं ब., का.क्रि.यो. एवं आर.ओ.पी. में अलग से कोई योजना नहीं की गई थी।

जनजातीय उपयोजना के लिए उद्दिष्ट निधियों के लिए पृथक योजना एवं राशि के व्यय का पृथक्करण नहीं था

भारत सरकार स.शि.अ., मध्याहन भोजन, रा.मा.शि.अ., रा.ग्रा.स्वा.मि., एन.पी.सी.डी.सी.एस. और एन.पी.एच.सी.ई. के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना के लिये संबंधित अंशदान की निधि अलग से निर्गत करती है। हालाँकि जनजातीय उपयोजना की निधि को राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के निधियों के साथ मिला दिया गया था। जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत निर्गत निधियों के लिये अलग से कोई अभिलेख संधारित नहीं था और जनजातीय उपयोजना पर विशेष रूप से किये गये व्यय का पता लगाने एवं पृथक्करण के लिये तंत्र का अभाव था। अतः नियत जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिये किये गये व्यय के प्रभाव का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

2011-14 के दौरान स.शि.अ., मध्याहन भोजन, रा.मा.शि.अ., रा.ग्रा.स्वा.मि., एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. योजनाओं के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना के लिये उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका-2.7.2: चयनित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध निधि एवं व्यय

(₹ करोड़ में)				
योजना का नाम	उपलब्ध निधि	जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत दी गई निधि (प्रतिशत)	सकल व्यय	उपयोग नहीं की गई निधि (प्रतिशत)
स.शि.अ.	4487.25	945.12(21)	3734.32	752.93(17)
मध्याहन भोजन	1276.27	359.46(28)	1182.27	94.00(7)
रा.मा.शि.अ.	513.21	136.77(26)	180.12	333.09(65)
रा.ग्रा.स्वा.मि.	2375.25	342.70(14)	1201.57	1173.68 (49)
एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई.	26.33	2.96(11)	1.89	24.43 (93)

(स्रोत: संबंधित विभाग एवं राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा दी गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स.शि.अ. एवं रा.ग्रा.स्वा.मि. के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना के लिए क्रमशः 21 एवं 14 प्रतिशत निधि निर्गत की गई थी जो जनजातीय जनसंख्या (26 प्रतिशत) से कम थी। जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत वर्षवार निर्गत निधियों (**परिशिष्ट-2.7.2**) के लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

2011-14 के दौरान स.शि.अ. के अन्तर्गत राज्यांश तीन से सात महीनों तक की देरी से निर्गत किया गया

- स.शि.अ. के दिशानिर्देश के अनुसार, भारत सरकार को झा.शि.प.प. को अप्रैल और सितम्बर में दो किश्तों में राशि निर्गत करना था। राज्य सरकार को अपना अंशदान आवश्यक रूप से भारत सरकार से प्राप्त राशि के 30 दिनों के भीतर निर्गत करना था। हमें जात हुआ कि निधि निर्गत करने में वर्ष 2011-14 में तीन से सात माह का विलंब हुआ (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.7.3)।
- रा.गा.स्वा.मि. निधि के अन्तर्गत, सामान्य, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत पृथक किये बिना राज्य सरकार ने झा.गा.स्वा.मि.सो. को एकमुश्त राशि निर्गत की थी। हालाँकि झा.गा.स्वा.मि.सो. ने जनजातीय उपयोजना के लिए अलग से डाटा दिया जिसका आधार पता नहीं लगाया जा सका। हालाँकि इसने बिना जनजातीय उपयोजना के लिए चिन्हित किये जिलों को राशि निर्गत किये थे।
- लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2011-12 के लिए एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना की निधि भारत सरकार ने 29 मार्च 2012 को निर्गत की थी जिसके कारण वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 2012-13 के लिये कोई निधि निर्गत नहीं की थी। वर्ष 2011-12 के लिए राज्य अंशदान नवम्बर 2012 में निर्गत किया गया था जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कोई निधि निर्गत नहीं की थी।
- आगे, 2011-14 के लिए भारत सरकार ने एन.पी.एच.सी.ई. में जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत निधि निर्गत नहीं की थी जबकि राज्य सरकार ने राँची जिले के लिए 2012-13 के दौरान ₹ 33.87 लाख निर्गत किये थे। जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत नहीं करने का कारण अभिलेखों से पता नहीं लगाया जा सका। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान प्रतिरक्षण के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना निधि निर्गत नहीं की गई थी।

समापन सम्मेलन (जनवरी 2015) के दौरान, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग ने माना कि स.शि.अ., मध्याह्न भोजन और रा.मा.शि.अ. पर किये व्यय को अलग से सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सार्वभौमिक योजनाएं हैं। निधि के देरी से निर्गत करने के संबंध में सचिव ने कहा कि इसे सही कर लिया जायेगा।

मामले को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संज्ञान में लाया गया उत्तर आना प्रतीक्षित (जनवरी 2015) है।

हम अनुशंसा करते हैं कि जनजातीय उपयोजना में आवंटन, निर्गम और व्यय को अलग से संधारित करना चाहिए। **मानव संसाधन विकास विभाग लेखापरीक्षा अनुशंसा से सहमत था।**

योजना का कार्यान्वयन - मानव संसाधन विकास विभाग

2.7.7 सर्वशिक्षा अभियान

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं सभी बच्चों को आठ पूर्ण वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान (स.शि.अ.) प्रारंभ (2000-01) किया। स.शि.अ. के मुख्य अवयवों में नए प्राथमिक विद्यालय (प्रा.वि.) एवं अपर प्राथमिक विद्यालय (अ.प्रा.वि.) खोलने, अतिरिक्त वर्ग के लिए कमरा निर्माण, सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रावधान, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण शामिल हैं।

2.7.7.1 शैक्षणिक वस्तुओं की स्थानीय भाषा में अनुपलब्धता

स्थानीय भाषा में शैक्षणिक वस्तुओं की कमी थी।

स.शि.अ. के दिशानिर्देशों के अनुसार आदिवासी बच्चों का बहुसंख्यक भाग, विद्यालय के पठन-पाठन भाषा एवं मातृभाषा के अलग-अलग होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से बिमुख हो जाता है। इसलिए आदिवासी बच्चों में अलगाव के भाव को रोकने के लिए इसने कई प्रकार के छेपक का सुझाव दिया है जिसमें शामिल है (i) समुदाय के भीतर उपलब्ध स्रोतों को उपयोग कर शैक्षणिक वस्तुओं का विकास और (ii) प्राथमिक शिक्षा के आरंभ में बच्चों के लिए मातृभाषा में पाठ्यपुस्तक विकसित करना जहाँ वे क्षेत्रीय भाषा समझ नहीं पाते हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि सरकार द्वारा कोई पाठ्यपुस्तक स्थानीय भाषा जैसे कुड़ुख, संथाली, खड़िया, मुंडारी एवं हो में मूद्रित नहीं किए गए थे। झा.शि.प.प., जो झारखण्ड में स.शि.अ. का क्रियान्वयन अभिकरण है, ने बताया कि झारखण्ड राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (झा.रा.शै.अ.प्र.प.) पाठ्यपुस्तक एवं वर्गवार स्थानीय भाषा में पाठ्यपुस्तक के विकास के लिए प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण है, हालाँकि झा.रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा ये विकसित नहीं किए गए। स्थानीय भाषा में शैक्षणिक सामग्रियों की अनुपलब्धता इंगित करती है कि राज्य में अलगाव के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण आदिवासी बच्चे स्थानीय भाषा में शिक्षा के लाभ से वंचित रहे।

समापन सम्मेलन (जनवरी 2015) के दौरान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग ने कहा कि वर्ग-I की पुस्तकें पहले से ही तैयार हैं। समापन सम्मेलन के दौरान झा.शि.प.प. ने आश्वस्त किया कि वर्ग-II एवं III के लिए स्थानीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें विकसित की जा रही है जिसे बच्चों को 2016-17 से प्रदान कर दी जाएगी।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह देखा गया कि वर्ग-I के लिए पाठ्यपुस्तक हिन्दी में विकसित किए गए थे, आदिवासियों की मातृभाषा में नहीं।

हम अनुशंसा करते हैं कि स.शि.अ. में विहित हस्तक्षेप के अनुसार स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री को विकसित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।

2.7.7.2 बच्चों को निःशुल्क पोशाक का वितरण

स.शि.अ. में सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के बच्चों को दो सेट पोशाक का प्रावधान रखा गया है जहाँ (i) राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा का अधिकार नियम में छात्र के हक में पोशाक के प्रावधान को सम्मिलित किया है एवं (ii) राज्य सरकार ने अपने बजट में पहले से पोशाक के लिए प्रावधान नहीं किया है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बच्चों के अधिकार नियम 2009 के कंडिका 38 के अनुपालन में झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड शिक्षा का अधिकार नियम (शि.अ.नि.) (मई 2011) अधिसूचित किया। हाँलांकि इसमें सभी लड़कियों, अ.जा./अ.ज.जा. के बच्चों एवं बी.पी.एल. बच्चों के लिए पोशाक के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए निःशुल्क पोशाक हेतु राज्य को निधि निर्गत नहीं किया था। बाद में मई 2012 में, राज्य सरकार ने बच्चों के हक के रूप में निःशुल्क विद्यालय पोशाक उपलब्ध कराने हेतु शि.अ.नि. में संशोधन किया था। हालाँकि विद्यालय पोशाक के हक के लिए शि.अ.नि. में देरी से संशोधन के कारण आदिवासी छात्र शैक्षणिक सत्र 2011-12 के दौरान निःशुल्क पोशाक से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2012-13 के शैक्षणिक सत्र के अंतिम समय में निःशुल्क पोशाक वितरित किया गया था। यह झा.शि.प.प. द्वारा सभी जिलों को देरी से निधि निर्गत (जनवरी 2013) करने के कारण हुआ, बावजूद इस बात के कि झा.शि.प.प. के पास निधि उपलब्ध थी। शैक्षणिक सत्र 2012-13 में पोशाक के देरी से वितरण के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए निःशुल्क पोशाक के लिए निधि निर्गत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, राज्य शि.अ.नि. में निःशुल्क पोशाक के प्रावधान को देर से सम्मिलित करने एवं 2012-13 में पोशाक वितरण में देरी होने के कारण राज्य में 2011-12 एवं 2013-14 में आदिवासी छात्र निःशुल्क पोशाक से वंचित रह गये।

समापन सम्मेलन (जनवरी 2015) के दौरान, सचिव मानव संसाधन विकास विभाग ने कहा कि 2014-15 से छात्रों को ससमय निःशुल्क पोशाक के वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पोशाक का ससमय वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.7.8 मध्याह्न भोजन योजना

बच्चों में पोषण स्तर में सुधार एवं नामांकन, प्रतिधारण एवं उपस्थिति बढ़ाने के दृष्टि से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मध्याह्न भोजन प्रारंभ (1995) किया गया। प्रारंभ में योजना में प्राथमिक विद्यालय (प्रा.वि.) के बच्चों को शामिल किया

गया था और वर्ष 2008-09 से इसमें अपर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शामिल किया गया था।

2.7.8.1 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (बा.का.यो.एवं.ब) का तैयार नहीं किया जाना

मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बा.का.यो. एवं ब. विद्यालय स्तर पर संधारित एवं प्रखण्ड, जिला और राज्य स्तर में संकलित सूचना के आधार पर राज्य द्वारा तैयार किया जाना चाहिये। नमूना-जाँचित 80 विद्यालयों में यह देखा गया कि 2011-14 में दौरान किसी भी नमूना-जाँचित विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बा.का.यो. एवं ब. तैयार नहीं किया गया था।

मानव संसाधन एवं विकास विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि विद्यालयों को बा.का.यो. एवं ब. तैयार करने के लिये निर्देश दिये जायेंगे।

2.7.8.2 खाद्यान्न एवं खाना पकाने की लागत का कम आवंटन

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार प्राथमिक वर्ग (I-V) के लिये 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस की दर से एवं अपर प्राथमिक वर्ग (VI-VIII) के लिये 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस की दर से राज्य सरकार को निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) की आपूर्ति करती है।

खाद्यान्न के आवंटन की नमूना जाँच 80 विद्यालयों में की गई। नमूना-जाँचित 80 विद्यालयों के लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि मध्याह्न भोजन के लिये खाद्यान्न एवं खाना पकाने की लागत की माँग का अनुमान वास्तविक उपस्थिति के आधार पर नहीं किया गया था। 2011-14 के दौरान 40,139 नामांकित विद्यार्थियों के लिये 11,733.06 क्रिंटल खाद्यान्न एवं ₹ 3.88 करोड़ खाना पकाने की लागत की आवश्यकता थी। हालाँकि इन विद्यालयों को 9,523.36 क्रिंटल खाद्यान्न एवं ₹ 2.26 करोड़ खाना पकाने की लागत का आवंटन किया गया था जो कि पूरे वर्ष में मध्याह्न भोजन के परिचालन के लिए अपर्याप्त था। खाद्यान्न एवं खाना पकाने की लागत के कम आवंटन के फलस्वरूप 2011-14 के दौरान नमूना-जाँचित विद्यालयों के विद्यार्थियों को 15 से 45 दिन तक मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हो पाया था।

मानव संसाधन विकास विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि विद्यालयों को पर्याप्त खाद्यान्न एवं खाना पकाने की लागत सुनिश्चित की जायेगी।

2.7.8.3 शिकायत निवारण

मध्याह्न भोजन योजना दिशानिर्देशों के कंडिका 5.1 के परिशिष्ट 11 के कंडिका 2.8 के अनुसार, बच्चों की बीमारी की घटना, मध्याह्न भोजन के बारे में समाचार पत्रों में प्रतिकूल प्रतिवेदन और हितधारकों के साथ सूचना साझा करने के मामलों के

खाद्यान्न एवं खाना पकाने की लागत के कम आवंटन के कारण नमूना-जाँचित विद्यालयों में 15 से 45 दिनों तक मध्याह्न भोजन नहीं चला।

नमूना-जाँचित विद्यालयों में शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं थे।

समाधान के लिये राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना था।

नमूना-जाँचित विद्यालयों के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि इन विद्यालयों में कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं था।

मानव संसाधन विकास विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि राज्य में एस.एम.एस. आधारित अनुश्रवण कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिये सभी स्तर के संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.7.9 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उन्नयन एवं पहुँच का सार्वभौमिकीकरण के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित योजना “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” (रा.मा.शि.अ.) प्रारंभ (2009) किया। रा.मा.शि.अ. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बच्चों को संसाधन सहायता एवं हस्तक्षेप द्वारा पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका एवं स्टेशनरी, पोशाक, जूते, साईकिल/व्हील चेयर और दैनिक छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की जरूरतों की पहचान करता है।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 2011-14 के दौरान नमूना-जाँचित 26 माध्यमिक एवं 10 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,120 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी नामांकित थे लेकिन उन्हें योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई सामग्री/सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि झारखण्ड सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित अन्य योजना में अपर प्राथमिक स्तर यथा वर्ग VIII पर साईकिल प्रदान करती है।

नमूना-जाँचित 36 विद्यालयों में विद्यालय से बाहर के बच्चों, विशेषकर लड़कियों एवं वंचित समूह के बच्चों, को विद्यालय लाने के लिये विशेष प्रयास करने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। हालाँकि उनके द्वारा विद्यालय में अनामांकित बच्चों को चिह्नित करने के लिये कोई प्रक्रिया नहीं की गई थी।

सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि रा.मा.शि.अ. के अन्तर्गत ये सुविधायें अनिवार्य नहीं हैं हालाँकि, इन पर विचार किया जायेगा। यह भी कहा गया कि अपर प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यालय में अनामांकित बच्चों के पहचान के लिए जिला कार्यान्वयन अधिकरणों को निर्देश दिया गया था।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनायें

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच के योग्य, स्वती एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) प्रारंभ किया। रा.ग्रा.स्वा.मि. का मुख्य प्रयास स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कमी को पूरा करना था और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजनाकरण को बढ़ावा देना था। रा.ग्रा.स्वा.मि. के अन्तर्गत तीन योजनायें यथा आधारभूत संरचना संधारण योजना (आई.एम.एस.), प्रतिरक्षण, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) फ्लेक्सीपुल इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था।

2.7.10 प्रतिरक्षण

रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक प्रतिरक्षण है जिसमें नियमित प्रतिरक्षण के अधीन बच्चों को सात रोगों यथा डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, बचपन का टी.बी. के गंभीर रूप और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिये टीके दिये जाते हैं। राज्य एवं नमूना-जाँचित जिलों में प्रतिरक्षण के अधीन लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका-2.7.3: राज्य एवं नमूना-जाँचित जिलों में प्रतिरक्षण के अधीन लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	राज्य		नमूना-जाँचित जिले	
	लक्ष्य	पूर्ण प्रतिरक्षित (लक्ष्य का प्रतिशत)	लक्ष्य	पूर्ण प्रतिरक्षित (लक्ष्य का प्रतिशत)
2011-12	806000	642252 (80)	254116	198648(78)
2012-13	837000	642837(77)	249661	189844(76)
2013-14	782247	626857(80)	250841	183355(73)

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिरक्षण के 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे नमूना-जाँचित जिलों में प्रतिरक्षण की उपलब्धि राज्य स्तर की उपलब्धि से कम है। नमूना-जाँचित जिलों में विभिन्न प्रतिरक्षण के लक्ष्यों की उपलब्धि का विवरण परिशिष्ट-2.7.4 में दर्शाया गया है।

इसे इंगित करने पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने लोगों में जागरूकता की कमी, छोड़न दर एवं दुर्गम क्षेत्र को कमी का कारण बताया।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिये प्रयासों की समीक्षा करनी चाहिये ताकि पूर्ण प्रतिरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

2.7.11 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) फ्लेक्सीपुल

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य है कि प्रत्येक गर्भवती

महिला को प्रसव के समय देखभाल मिले, प्रसव संस्थागत हो और अन्य परिवार कल्याण सेवायें दिये जायें।

नमूना-जाँचित जिलों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान संस्थागत प्रसवों के लक्ष्य एवं उपलब्धि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.7.4: नमूना-जाँचित जिलों में संस्थागत प्रसवों का विवरण

वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिला की संख्या	संस्थागत प्रसवों की संख्या		लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	पंजीकृत गर्भवती महिला के संदर्भ में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत
		लक्ष्य	उपलब्धि		
2011-12	236328	265132	139044	52.44	58.84
2012-13	227836	272287	157375	57.80	69.07
2013-14	248920	274156	168300	61.39	67.61

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

नमूना-जाँचित जिलों में संस्थागत प्रसव लक्ष्य का 52 से 61 प्रतिशत था।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान सात नमूना-जाँचित जिलों में वार्षिक लक्ष्य के 52 से 61 प्रतिशत तक संस्थागत प्रसव थे। हाँलाकि इन वर्षों के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या के तुलना में केवल 59 से 69 प्रतिशत तक संस्थागत प्रसवों की उपलब्धि रही। नमूना-जाँचित 20 सा.स्वा.के. में सूचित मातृ मृत्यु संख्या 2011-12 में 19 से बढ़कर 2013-14 में 67 तक हो गई (परिशिष्ट-2.7.5)।

मामले को विभाग के संज्ञान में लाया गया। उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि योजना के बारे में जागरूकता को प्रसारित करना चाहिये और पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

2.7.11.1 किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.)

10 से 19 वर्ष के किशोरों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और एच.आई.वी. संक्रमण को कम करने के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के लिए रा.ग्रा.स्वा.मि. के अन्तर्गत किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.) प्रारंभ किया गया। ए.आर.एस.एच. के अन्तर्गत किशोरों को ए.आर.एस.एच. क्लीनिक-युवा मैट्री केंद्र (यु.मै.के.) के द्वारा सेवायें प्रदान करना था।

नमूना-जाँचित 20 सा.स्वा.के. में से 16 सा.स्वा.के. में 17 यु.मै.के. चल रहे थे जबकि बाकि चार सा.स्वा.के. में यु.मै.के. नहीं चल रहे थे। ए.आर.एस.एच. के लिये आई.ई.सी. गतिविधियाँ नहीं की गई थीं।

राज्य के पाँच जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत के सेनिटरी नैपकिन के वितरण की योजना लागू की गई थी। नमूना-जाँचित राँची जिला में, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

ने 2013-14 के दौरान 27,33,156 पैकेट सेनिटरी नैपकिन की आवश्यकता का आकलन किया जिसके विरुद्ध केवल 14,59,100 पैकेट का वितरण किया गया। 12,74,056 पैकेट सेनिटरी नैपकिन के कम वितरण के फलस्वरूप सभी ग्रामीण किशोर लड़कियों को कम लागत के सेनिटरी नैपकिन की उपलब्धता नहीं हो पाई।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने उत्तर में कहा कि सेनिटरी नैपकिन की कम आपूर्ति की गई क्योंकि भारत सरकार ने अपनी गणना के आधार पर पैकेट भेजा था। आई.ई.सी. कार्यकलापों के संबंध में कहा कि आई.ई.सी. कार्यकलाप किये गये थे। हालाँकि सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने पूर्व में स्वीकार किया था कि ए.आर.एस.एच. के अन्तर्गत कोई आई.ई.सी. कार्यकलाप नहीं किये गये थे।

2.7.12 कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाघात के रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी.) जैसे -कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाघात के भार को कम करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 राज्यों के 100 जिलों में जिसमें झारखण्ड के तीन जिलों (बोकारो, धनबाद एवं राँची) में एन.पी.सी.डी.सी.एस. प्रारंभ (2010-11) किया। योजना के परिचालन के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला एन.सी.डी. कोषांग को एन.सी.डी. सेवाओं को सुदृढ़ीकरण प्रदान करने हेतु एक जिला अस्पताल को चिन्हित करना था एवं सामान्य गैर संचारी रोगों की जटिलताओं या आगे की अवस्था से बचाने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भेजे गये रोगियों की व्यापक जाँच² के लिये सा.स्वा.कै. में एन.सी.डी. क्लीनिक स्थापित करना था।

राज्य/जिला एन.सी.डी. कोषांग को प्रत्येक वर्ष राज्य/जिला कार्य योजना तैयार करना था जिसमें एन.पी.सी.डी.सी.एस. के विभिन्न घटकों से संबंधित भौतिक लक्ष्य, समन्वय के साधनों, पर्यवेक्षणों और अनुश्रवण को वर्णित किया जाना है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि वर्ष 2013-14 के लिये राज्य कार्यकारी योजना तैयार की गई एवं सितंबर 2013 में भारत सरकार को भेजी गई। हालाँकि, न तो राज्य एन.सी.डी. कोषांग न ही नमूना-जाँचित राँची जिला एन.सी.डी. कोषांग ने 2011-12 एवं 2012-13 के लिये कार्यकारी योजना तैयार की। आगे, कार्यकारी योजनाओं के नहीं रहने के कारण राज्य/नमूना-जाँचित जिला/सा.स्वा.कै. स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.सी.) गतिविधियों संचालित नहीं की गई थी। अतः राज्य/जिला प्राधिकार लोगों में गैर-संचारी रोगों के बारे में जागरूकता लाने में असफल रहा।

² 30 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों और उनके सहयोगियों की जरूरी जाँच, रोगियों एवं परिचारक को स्वास्थ्य शिक्षा और जानकारी के द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली का विकास तथा जरूरी जाँच और प्रारंभिक पहचान।

नमूना-जाँचित राँची जिले में एन.सी.डी. सेवाओं को प्रदान करने के लिये राँची अस्पताल को चिन्हित किया गया था। हालाँकि जिला एन.सी.डी. क्लीनिक के लिये आँनकोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण केंसर की जाँच नहीं हो सकी। आगे, पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता एवं मेडिकल और पारा मेडिकल कर्मियों की भर्ती नहीं होने के कारण, राँची के चार³ नमूना-जाँचित सा.स्वा.के. में एन.सी.डी. क्लीनिक की स्थापना नहीं की गई थी।

2011-14 के दौरान, तीन जिलों (बोकारो, धनबाद एवं राँची) में एन.सी.डी. क्लीनिक द्वारा विशेष केंप आयोजित कर 19.81 लाख व्यक्तियों की मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जाँच की गई थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को एन.पी.सी.डी.सी.एस. में परिकल्पित सभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिये।

2.7.13 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

वरिष्ठ नागरिकों को अलग और विशेष व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिये बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) प्रारंभ किया गया। जिला अस्पताल में एक 10 बिस्तर का वृद्धावस्था वार्ड स्थापित करना था और सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. के स्तर पर वृद्धावस्था क्लीनिक/पुनर्वास केन्द्र इकाई स्थापित करना था। इन केन्द्रों पर प्रावधान किये गये उपकरण भी उपलब्ध कराये जाने थे। यह योजना झारखण्ड के तीन जिलों (बोकारो, धनबाद और राँची) में प्रारंभ किये गये थे।

हमने पाया कि न तो राज्य एन.सी.डी. कोषांग और न ही राँची जिला एन.सी.डी. कोषांग ने 2011-12 एवं 2012-13 के लिये कार्य योजना तैयार की थी। हालाँकि, 2013-14 के लिये राज्य कार्य योजना तैयार की गई एवं भारत सरकार को सितम्बर 2013 में भेजा गया था।

योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला एन.सी.डी. कोषांग को सा.स्वा.के. स्तर पर चिकित्सकों, नर्सों, शारीरिक चिकित्सकों, परामर्शदाताओं/देखभाल समन्वयकों के लिये प्रशिक्षण कराना और विशिष्ट सेवाओं के साथ वृद्धावस्था क्लीनिक स्थापित कराना था। हमने पाया कि क्षमता वर्द्धन के लिये कोई प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। आगे, स्थान के देरी से उपलब्धता और आवश्यक मेडिकल एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण जिला स्तर पर विशिष्ट सेवाओं के साथ वृद्धावस्था वार्ड एवं क्लीनिक प्रारंभ (सितम्बर 2014) नहीं हो पाये थे। इस प्रकार एन.पी.एच.सी.ई. योजना राज्य में क्रियान्वित नहीं हो पाई थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को एन.पी.एच.सी.ई. में उल्लेखित स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना चाहिये।

³ बेड़ो, कांके, मांडर और नामकुम।

2.7.14 निष्कर्ष

- स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अन्तर्गत अनेक योजनाओं की पुनरावलोकन ने उद्घटित हुआ कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत जनजातीय उपयोजना की निधि को क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के साथ मिला दिया गया था जिसके कारण जनजातीय उपयोजना की निधि से किये गये व्यय को पृथक करना संभव नहीं था। आगे, आदिवासी लोगों पर जनजातीय उपयोजना निधि के व्यय सुनिश्चित करने हेतु कोटिवार व्यय के अनुश्रवण का कोई तंत्र विभाग द्वारा स्थापित नहीं था।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आदिवासी बच्चों के लिये पाठ्य-पुस्तक स्थानीय भाषा में मुद्रित नहीं थे। राज्य शि.अ.नि. में निःशुल्क पोशाकों के प्रावधान देरी से शामिल किये जाने के कारण 2011-12 में छात्रों को निःशुल्क पोशाक वितरित नहीं किये गये थे और यह केवल 2012-13 के अंत में वितरित हुआ था जिसके फलस्वरूप भारत सरकार से 2013-14 में निधि निर्गत नहीं हुई थी।
- नमूना-जाँचित 80 विद्यालयों में खाद्यान्जन एवं खाना पकाने की लागत का आवंटन मध्याह्न भोजन के पूरे वर्ष के परिचालन के लिये अपर्याप्त था जिसके फलस्वरूप 15 से 45 दिनों तक मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हुआ था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिरक्षण और संस्थागत प्रसव के तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी थी। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं हृदयाघात के रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के रोगियों की जाँच को छोड़कर क्रियान्वित नहीं थी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्रियान्वित था।

ऊर्जा विभाग

2.8 झारखण्ड में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

राज्य में पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड सरकार (झा.स.) के द्वारा राज्य की प्रधान अभिकरण के रूप में झारखण्ड रिन्यूएवल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ज्वेडा) की स्थापना (2001) की गई। सौर ऊर्जा उत्पादन के विकास हेतु योजना पद्धति, निधि प्रबंधन तथा सौर ऊर्जा स्रोतों से संबन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रभाविता की जाँच करने हेतु वर्ष 2009-14 की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया। लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम हैं:

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ज्वेडा कुल उपलब्ध निधि ₹ 223.42 करोड़ में से ₹ 121.36 करोड़ का उपयोग कर सका। निधियों की वर्षावार उपयोगिता उपलब्ध निधियों के छः से 32 प्रतिशत के बीच थी।

(कंडिका 2.8.7)

- राज्य में 18,000 मेगावाट के सौर क्षमता के विरुद्ध 16 मेगावाट ग्रीड संबंध विद्युत सौर संयंत्र स्थापित किये गये। सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड वर्ष 2011-14 के दौरान 275.62 मिलियन इकाई के अपने पुनर्नवीकरणीय (ऊर्जा) क्रय दायित्व के लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाई।

(कंडिका-2.8.8.1)

- ज्वेडा द्वारा 4,423 ग्राम पंचायत कार्यालयों में से 2,576 में ग्रीड असम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्र नहीं स्थापित किये जा सकने के कारण जिला, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) कार्यालयों में ई-गवर्नेंस की सेवाओं के लिए निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

{कंडिका 2.8.8.2 (अ)}

- वर्ष 2008-09 में प्राप्त राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र के विलम्ब से प्रेषण के कारण 2012-13 में कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता विमुक्त नहीं की गयी एवं फलस्वरूप गलियों के लिए स्वीकृत 12,166 गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणाली (एस.एस.एल.एस.) में से 6,549 (54 प्रतिशत) स्थापित नहीं की जा सकी। आगे, तीन स्थलों में अधिष्ठापित 419 एस.एस.एल.एस. में से 253 एस.एस.एल.एस. अकार्यरत थे। वर्ष 2009-12 तथा 2013-14 के दौरान सौर जल तापीय प्रणाली के लिए एम.एन.आर.ई. को प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण केन्द्रीय सहायता की राशि ₹ 2.66 करोड़ पाने में ज्वेडा विफल रहा।

{कंडिका एँ 2.8.8.3 एवं 2.8.8.7 (अ)}

- दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन अधिष्ठापित सौर ऊर्जा प्रणालियों के वृहत संधारण संविदा अवधि के अन्दर मरम्मति एवं संधारण को ज़ेडा ने सुनिश्चित नहीं किया।

{कंडिका 2.8.8(ब)}

2.8.1 प्रस्तावना

राज्य में पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के अधीन झारखण्ड रिन्यूवल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ज़ेडा) की स्थापना (2001) राज्य के प्रधान अभिकरण के रूप में की गई। भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त, झा.स. पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को लागू करने तथा स्थापना व्यय के लिए ज़ेडा को बजटीय निधि प्रदान करती है। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (पु. ऊर्जा) से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए यह अभिकरण उत्तरदायी है।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आर.भी.ई.) कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) तथा नेशनल बायोगैस मैन्योर प्रबन्धन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.), केन्द्र एवं राज्य द्वारा प्रायोजित प्रमुख पुनर्नवीकरणीय योजनाएँ/कार्यक्रम राज्य में लागू थे। राज्य में पुनर्नवीकरण ऊर्जा प्रक्षेत्र के अंतर्गत लघु जल संयंत्र तथा वायु ऊर्जा का कोई भी विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित नहीं था जबकि एक निजी उद्योग में सीमित उपभोग हेतु 1.2 मेगावाट (मे.वा.) का चावल के भूसा पर आधारित एक बायोमास विद्युत संयंत्र लगाया गया था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में एन.बी.एम.एम.पी. के अधीन स्वीकृत 4,300 बायो गैस (संयंत्र) के विरुद्ध 1,073 बायो गैस संयंत्र लगाये गये थे। ज़ेडा का वृहत ध्यान सौर ऊर्जा के विकास पर था, अतः निष्पादन लेखापरीक्षा में सौर ऊर्जाकार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

2.8.2 झारखण्ड में शक्ति दृश्य

झारखण्ड में सभी स्रोतों से वर्ष 2013-14 में कुल उपलब्ध ऊर्जा 11,656 मिलियन इकाई (मि.ई.) (स्व-उत्पादन: 720 मि.ई. तथा क्रय: 10,936 मि.ई.) जिसमें से गैरपारम्परिक (पुनर्नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन सिर्फ 21 मि.ई. (0.18 प्रतिशत) था। राज्य में विभिन्न पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अधीन अनुमानित क्षमता तथा अधिष्ठापित क्षमता की विवरणी निम्नवत थे:

तालिका-2.8.1: पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा की मेगावाट में अनुमानित (क्षमता) तथा अधिष्ठापित क्षमता

पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार	क्षमता (मे.वा.)	अधिष्ठापित (मे.वा.)
सौर	18000 [‡]	17 ¹
लघु जल	209	शून्य
बायोमास विद्युत	90	1.2
वायु ऊर्जा	आकलित नहीं	शून्य
कुल	18299	18.2

(स्रोत: ज़ेडा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

[‡] नई एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न पुनर्नवीकरणीय स्रोतों से अनुमानित विद्युत 18,299 मे.वा. में से वर्तमान में अधिष्ठापित क्षमता मात्र 18.2 मे.वा. (0.10 प्रतिशत) थी। इसमें से सौर स्रोत से 17 मे.वा. था जो प्राक्कालित क्षमता का 0.09 प्रतिशत था। बायोमास विद्युत के 90 मे.वा. के विरुद्ध मात्र 1.2 मे.वा. क्षमता अधिष्ठापित थी। वायु ऊर्जा तथा लघु जल विद्युत परियोजना की कोई भी इकाई राज्य में स्थापित नहीं की गई है। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्य में पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के योगदान में वृद्धि करने हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

2.8.3 संगठनात्मक संरचना

सचिव के अधीन ऊर्जा विभाग झारखण्ड सरकार (झा.स.) राज्य में सौर ऊर्जा के लिए प्रशासी विभाग है। राज्य में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़ेडा, 13 सदस्यी प्रबंध समिति जिसमें ऊर्जा सचिव गैर-कार्यालयीय अध्यक्ष, छ: विभागों² के सचिवों, चार संस्थाओं³ के प्रधानगण तथा दो आन्तरिक सदस्यगण⁴ के साथ राज्य का प्रधान अभिकरण है। निदेशक, ज़ेडा के प्रशासी प्रधान हैं। ज़ेडा के नीतियों, कार्यक्रमों, आर्थिक प्रतिवेदनों आदि का अनुमोदन प्रबंध समिति करती है।

2.8.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने झारखण्ड में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू किये जाने की समीक्षा यह आकलन करने के लिए किया कि:

¹ एक मेगावाट के विद्युत संयंत्र सहित।

² कृषि, वित्त, वन एवं पर्यावरण, उद्योग, योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग, झा.स।।

³ (i) अध्यक्ष, जे.एस.ई.बी. (ii) निदेशक, खान, झारखण्ड, राँची (iii) निदेशक, बिरला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.आई.टी.) मेसरा, राँची तथा (iv) प्राचार्य, राष्ट्रीय तकनीक संस्थान (एन.आई.टी.) जमशेदपुर।

⁴ निदेशक तथा परियोजना निदेशक ज़ेडा।

- सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा योजना दक्ष तथा प्रभावी था;
- निधियों का उपयोग मितव्ययिता पूर्ण तथा दक्षतापूर्ण करने के लिए वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था;
- कार्यक्रम प्रभावी रूप से तथा समय पर क्रियान्वित किया गया; और
- समय पर कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण पर्याप्त थे।

2.8.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निम्नलिखित स्रोतों से लेखापरीक्षा के मानदण्ड निर्धारित किये गये:

- नवी एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नवी एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत का दिशानिर्देश;
- कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तर पर निर्गत अनुदेश/मार्गदर्शिकाएं; और
- राज्य वित्तीय नियमावली।

2.8.6 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं तरीके

ज्रेडा तथा राज्य के 24 जिलों में से छः⁵ के सौर ऊर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच के द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2014 तथा सितम्बर 2014 के बीच किया गया।

निदेशक, ज्रेडा के साथ 11 जून 2014 को प्रविष्टि सम्मेलन हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्ड, क्षेत्र तथा तरीके पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के फलाफल तथा सुझावों/अनुशंसाओं पर चर्चा के लिए निदेशक, ज्रेडा के साथ 29 दिसम्बर 2014 को एक समापन सम्मेलन भी किया गया। निदेशक ज्रेडा ने लेखापरीक्षा के अनुशंसा के आलोक में सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। जनवरी 2015 में ज्रेडा से प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.8.7 वित्तीय प्रबन्ध

सोलर फोटोभोल्टायिक (एस.पी.भी.) कार्यक्रमों, सोलर ताप कार्यक्रम तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ज्रेडा एम.एन.आर.ई., भा.स. तथा राज्य सरकार से निधियों प्राप्त करती है। एस.पी.भी. कार्यक्रमों में ग्रीड-असम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्र, गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणालियाँ (एस.एस.एल.एस.), सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियाँ (एस.एच.एल.एस.), सौर चार्जिंग स्टेशन (एस.सी.एस.) तथा सौर लालटेन (एस.एल.) सम्मिलित हैं। सौर ताप कार्यक्रम में सौर जल तापीय प्रणालियाँ (एस.डब्ल्यू.एच.एस.) सम्मिलित हैं। विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लाभुकों द्वारा

⁵ देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, राँची तथा सरायकेला-खरसावाँ।

भी ज़ेडा अंशदान प्राप्त करती है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्त निधियों की विवरणी परिशिष्ट-2.8.1 में दी गई है तथा निम्न तालिका-2.8.2 में सारी दी गई है।

तालिका-2.8.2: सौर ऊर्जा कार्यक्रम में आय एवं व्यय विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रीय अंश	राज्य/लाभुक का अंश	अर्जित ब्याज	उपलब्ध निधि	व्यय (उपलब्ध निधि का प्रतिशत)
2009-10	18.76	8.73	8.88	1.30	37.67	2.21 (6)
2010-11	35.46	1.07	17.90	1.60	56.03	8.60 (16)
2011-12	47.43	17.49	34.66	1.05	100.63	15.35 (15)
2012-13	85.28	6.68	88.03	1.68	181.67	58.11 (32)
2013-14	123.56	00	14.84	0.75	139.15	37.09 (27)
कुल		33.97	164.31	6.38		121.36

(स्रोत: ज़ेडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका-2.8.2 से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग छः से 32 प्रतिशत के बीच था। इसके फलस्वरूप लक्ष्यों की उपलब्धियाँ कम रही जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाएँ 2.8.8.2 से 2.8.8.8 में चर्चित हैं।
- पूर्व के वर्षों में प्राप्त निधियों की उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नहीं भेजे जाने तथा सौर ताप कार्यक्रम एवं दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जानेवाले परियोजनाओं के प्रस्तावों को समर्पित नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान एम.एन.आर.ई. ने ज़ेडा को सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए निधियाँ विमुक्त नहीं किया।

ज़ेडा ने वर्ष 2009-12 तथा 2013-14 के बीच निधियों के कम उपयोगिता को स्वीकार किया तथा कहा कि वर्ष 2012-13 में व्यय उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत था जो सही नहीं था क्योंकि वर्ष 2012-13 में उपयोगिता उपलब्ध निधियों का केवल 32 प्रतिशत ही थी।

2.8.8 सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

सौर ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए झारखण्ड में सौर फोटोभोल्टायिक (एस.पी.भी.) कार्यक्रम, सौर ताप कार्यक्रम तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन किये गये। एस.पी.भी. कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीड सम्बद्ध⁶ सौर विद्युत संयंत्र, ग्रीड असम्बद्ध⁷ सौर विद्युत संयंत्र, गली के लिए सौर प्रकाशीय प्रणालियाँ, सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियाँ, सौर चार्जिंग स्टेशन, सौर लालटेनों का बैंटवारा क्रियान्वित किये

⁶ वर्तमान में उपलब्ध विद्युत ग्रीड से सम्बद्ध सौर प्रणालियाँ।

⁷ वर्तमान में उपलब्ध विद्युत ग्रीड से असंबद्धित अलग सौर प्रणालीयाँ।

गये थे। सौर ताप कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर जल तापीय प्रणाली अधिष्ठापित थी। आगे, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियाँ तथा गली के लिए सौर प्रकाशीय प्रणालियाँ दूरस्थ गाँवों में अधिष्ठापित किये गये थे।

विभिन्न कार्यक्रमों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को नीचे के तालिका-2.8.3 में वर्णित किया गया है:

तालिका-2.8.3: विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
अ. सौर फोटोभोल्टायिक कार्यक्रम			
ग्रीड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्र (एस.पी.पी)	लक्ष्य निर्धारित नहीं	16 मे.वा. के आठ एस.पी.पी.	-
ग्रीड असम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्र	6564 किलोवाट पीक (कि.वा.पी.) के 4787 एस.एस.पी.	2788 कि.वा.पी. के 2104 एस.पी.पी.	44
गली में सौर प्रकाशीय प्रणालियाँ (एस.एस.एल.एस.)	12166 एस.एस.एल.एस	5617 एस.एस.एल.एस	46
सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियाँ (एस.एस.एल.एस.)	4400 एस.एच.एल.एस	2988 एस.एच.एल.एस	68
सौर चार्जिंग स्टेशन	1400 एस.सी.एस.	133 एस.सी.एस.	10
सौर लालटेनों	1.61 लाख एस.एल.	1.39 लाख एस.एल	86
ब. सौर ताप कार्यक्रम			
सौर जल तापीय प्रणाली (एस.डब्लू.एच.एस.)	7.90 लाख लीटर पानी प्रतिदिन गर्म करने की क्षमता	6.03 लाख लीटर पानी प्रतिदिन गर्म करने की क्षमता	76
स. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम			
दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (आर.भी.ई.)	656 ग्राम	251 ग्राम	38

(स्रोत: ज्रेडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपर्युक्त तालिका-2.8.3 में देखा जा सकता है कि सात कार्यक्रमों में से जिसमें लक्ष्य निर्धारित थी, सौर लालटेन के मामले में 86 प्रतिशत तथा एस.डब्ल्यू.एच.एस. के मामले में 76 प्रतिशत जबकि शेष पाँच कार्यक्रमों (एस.पी.पी., एस.एस.एल.एस., एस.एच.एस., एस.सी.एस. तथा आर.भी.ई.) में उपलब्धियाँ 10 तथा 68 प्रतिशत के बीच थीं। कम उपलब्धियों का कारण ज्रेडा के द्वारा आर.भी.ई. कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु एम.एन.आर.ई. को प्रस्ताव नहीं भेजा जाना, निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा धीमी रफ्तार से काम करना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों का दक्षहीन अनुश्रवण आदि थे जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं 2.8.9.1 से 2.8.9.8 में वर्णित हैं।

सौर फोटोभोल्टायिक कार्यक्रमें

सौर फोटोभोल्टायिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीड सम्बद्ध सौर प्रणालियों तथा ग्रीड असम्बद्ध सौर प्रणालियों के अधिष्ठापन को क्रियान्वित किया गया था। ग्रीड सम्बद्ध प्रणालियाँ वर्तमान में अस्तित्व वाले विद्युत ग्रीड से जुड़े होते हैं जबकि ग्रीड असम्बद्ध प्रणालियाँ अलग से विकेन्ड्रित प्रणालियाँ होती हैं।

2.8.8.1 ग्रीड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्र

वर्तमान में अस्तित्व वाले विद्युत ग्रीड से सौर विद्युत संयंत्र को जोड़े जाने पर जोर देने हेतु एम.एन.आर.ई. ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के अन्तर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जी.बी.आई.)⁸ के आधार पर एक कार्यक्रम शुरू (जनवरी 2010) किया। जे.एन.एन.एस.एम. की मार्गदर्शिका के अनुसार ज़ेडा को विकासक का चयन करना था तथा विकासक के प्रस्ताव जिसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), ग्रहण किये जाने का तकनीकी मानदण्ड (सौर प्लेटों के प्रकार), परियोजना में निवेश की इकाई साझेदारी तथा जमीन की आवश्यकता के आधार पर पंजीकरण से पूर्व का प्रमाण निर्गत करना था। इन विकासकों को राज्य में सौर विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापना करनी थी तथा राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत क्रय एकरारनामा के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर 25 वर्षों तक उत्पादित सौर ऊर्जा का क्रय करना था।

हमने पाया कि 16 मे.वा. (प्रत्येक 2 मे.वा.) के सौर विद्युत संयंत्रों⁹ जो जनवरी 2012 तथा जून 2012 के बीच अधिष्ठापित हुए थे तथा वर्तमान में अस्तित्व वाले ग्रीड से जुड़े थे के लिए आठ विकासक को पंजीकरण पूर्व प्रमाणपत्र ज़ेडा ने निर्गत (जुलाई 2010) किया था। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड आठ विकासकों के साथ 25 वर्षों तक कुल उत्पादित ऊर्जा के क्रय करने के लिए एकरारनामा किया। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हुई त्रुटियाँ निम्नवत चर्चित हैं:

सौर पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व की उपलब्धि नहीं होना

पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.)¹⁰ के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) नियमनों¹¹ के अनुसार राज्य के सभी वितरण अनुजप्ति धारकों को विद्युत के कुल उपभोग के एक न्यूनतम प्रतिशत पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति लेनी चाहिए। तदनुसार, जे.एस.ई.आर.सी. ने

⁸ जी.बी.आई. झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित (टैरिफ) तथा आधार दर (₹ 5.50 प्रति इकाई) के बराबर होता है, राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतेय होता है। ₹ 17.96 प्रति इकाई का टैरिफ जी.एस.ई.आर.सी. ने निर्धारित किया।

⁹ सात विद्युत संयंत्रों देवघर में तथा एक विद्युत संयंत्र सरायकेला-खरसाँवा में।

¹⁰ पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा इसका अनुपालन नियमन 2010

¹¹ प्रत्येक दायित्व वाले इकाई पारगमन तथा वितरण घाटा सहित इनके उपभोक्ता द्वारा कुल उपभोगित विद्युत का एक परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत का क्रय करेगी।

वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व का 0.50 प्रतिशत, 2012-13 के लिए एक प्रतिशत तथा 2013-14 के लिए एक प्रतिशत निर्धारित किया।

हमने पाया कि ज्रेडा ने अपने वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्रीड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना को समिलित नहीं किया। इसलिए ग्रीड सम्बद्ध एस.पी.पी. की अधिष्ठापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और 16 मे.वा. के मात्र आठ एस.पी.पी. की ही अधिष्ठापना की जा सकी। सौर विद्युत संयंत्रों के अपर्याप्त उपलब्धता तथा परिणामतः राज्य में सौर ऊर्जा के कम उत्पादन के कारण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड¹² द्वारा वर्ष 2011-14 के दौरान 275.62 मिलियन इकाई के लक्ष्य के विरुद्ध सौर ऊर्जा के 38.77 मिलियन इकाई ही क्रय किया गया तथा 236.85 मिलियन इकाई (86 प्रतिशत) की कमी रही।

ज्रेडा ने बताया कि वितरण कम्पनियों को उनके पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा उनके आँकड़े प्रेषित करने हेतु नियमित समय से स्मारित किया गया है। तथ्य यही रहा कि राज्य में सौर ऊर्जा के अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आर.पी.ओ. दायित्व की उपलब्धि नहीं हो सकी।

ज्रेडा को अपने वार्षिक कार्य योजना में ग्रीड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों का अधिष्ठापन उचित लक्ष्य के साथ शामिल करना चाहिए ताकि राज्य में समय लक्ष्य आधारित इन विद्युत संयंत्रों का अधिष्ठापित होना सुनिश्चित हो।

ग्रीड असंबद्ध सौर प्रणालियाँ

2.8.8.2 सौर विद्युत संयंत्रे

झारखण्ड में सौर विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों के परिवारों को विद्युत, जिला मुख्यालयों, प्रखण्ड कार्यालयों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में विद्युत, बैंकअप द्वारा ई-गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करने के लिए गाँवों में (2 कि.वा.पी. से 100 कि.वा.पी.) ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) कार्यालयों में (प्रत्येक 1 कि.वा.पी.) प्रखण्ड कार्यालयों में (प्रत्येक 2 कि.वा.पी.) तथा जिला मुख्यालयों में (10 कि.वा.पी. से 100 कि.वा.पी.) अलग से सौर विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना की जानी थी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान एस.पी.पी. कार्यक्रम की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तालिका-2.8.4 में दी गई है:

¹² जनवरी 2015 से झा.रा.बि. बोर्ड चार पावर सेक्टर कम्पनियों में विखंडित किये गये।

तालिका-2.8.4: एस.पी.पी. कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

स्वीकृति के वर्ष	संख्या	विमुक्त निधियाँ			व्यय ^१	पूर्णता की संख्या
		एम.एन.आर.ई.	राज्य	लाभुक		
2009-10	01	0.30	0.00	0.81	1.11	01
2010-11	07	3.81	5.42	3.80	12.53	06
2011-12	4702	2.90	61.95	0.00	37.60	2097
2012-13	77	0.80	10.10	0.50	8.75	00
2013-14	00	00	00	00	00	00
कुल	4787	7.81	77.47	5.11	59.99	2104

स्रोत: ज्रेडा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

₹ दिसम्बर 2014 तक का व्यय।

तालिका-2.8.4 में देखा जा सकता है कि ₹ 59.99 करोड़ व्यय करने के बाद 4,787 एस.पी.पी. के लक्ष्य के विरुद्ध 2,104 एस.पी.पी.¹³ की अधिष्ठापना गाँवों, प्रखण्ड कार्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में की गई। हमने परियोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाईः

(अ) कार्यों का विलम्बित/अपूर्ण होना

ग्राम पंचायत कार्यालयों में 2,576 एस.पी.पी. के अधिष्ठापन नहीं होने के कारण ई-गवर्नेंस के सेवा प्रदान करने हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

ग्रा.पं. कार्यालयों तथा प्रखण्ड कार्यालयों में एस.पी.पी. के अधिष्ठापना वाले कार्यादेश के अनुसार ज्रेडा को सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन करने हेतु मुखिया/पंचायत सेवक से समन्वय स्थापित करना था, स्वच्छ जगह का प्रबंध करना था एवं संविदा के हर स्तर पर कार्यों का निरीक्षण करना था। एम.एन.आर.ई. द्वारा 4,423 ग्रा.पं. तथा 260 प्रखण्ड कार्यालयों में सौर विद्युत संयंत्रों के अधिष्ठापना कार्य को दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 138.40 करोड़ स्वीकृत (दिसम्बर 2011) किया गया था परन्तु निविदा निष्पादन में विलम्ब (जुलाई तथा अगस्त 2013) और उसके बाद कार्यादेश निर्गत (अगस्त तथा सितम्बर 2013) होने के कारण एस.पी.पी. की अधिष्ठापना को अक्टूबर 2014 तक पूर्ण किया जाना था। फिर भी, ₹ 36.84 करोड़ के व्यय के बाद दिसम्बर 2014 तक मात्र 1,847 एस.पी.पी., ग्रा.पं. कार्यालयों तथा 248 एस.पी.पी. प्रखण्ड कार्यालयों में अधिष्ठापित किये जा सके। इस प्रकार, ई-गवर्नेंस की सेवा के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति एस.पी.पी. की अधिष्ठापना नहीं होने के कारण नहीं हो सकी।

आगे, गाँवों के लिए स्वीकृत 98 एस.पी.पी. में से तीन, एस.पी.पी. दो लाभुकों¹⁴ द्वारा माँग को वापस ले लेने के कारण निरस्त हो गये एवं जुलाई 2014 तक तीन पूर्ण हुए और शेष 92 एस.पी.पी. पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य हेतु 77 सौर पम्पसेटों सहित ज्रेडा द्वारा निविदा निर्गत (अगस्त 2013) करने, दर का अन्तिमीकरण (अक्टूबर 2013) करने तथा कार्यादेश निर्गत (फरवरी 2014) करने में विलम्ब¹⁵ के कारण नवम्बर

¹³ तीन एस.पी.पी. गाँवों में, 248 एस.पी.पी. प्रखण्ड कार्यालयों में, 1,847 एस.पी.पी. ग्राम पंचायत कार्यालयों तथा छ: एस.पी.पी. जिला मुख्यालयों में।

¹⁴ बी.सी.सी.एल. धनबाद (दो संयंत्रों) तथा बी.आई.टी. मेसरा (एक संयंत्र)।

¹⁵ मार्च 2012 में निधियों के विमुक्त करने के 17 माह बाद निविदा निर्गत किया जाना।

2014 तक अधिष्ठापित नहीं किये जा सके। इस प्रकार एस.पी.पी. के माध्यम से विद्युत की सुविधा देने तथा सौर पम्प सेटों के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए।

(ब) दण्ड आरोपित नहीं होना

ग्रीड असंबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों (सिवाय जारि, गुमला में एक) की अधिष्ठापना के कार्यादश के अनुसार संविदा अवधि के बाद एस.पी.पी. की अधिष्ठापना में विलम्ब होने पर प्रति सप्ताह विलम्बित अवधि के कार्य के मूल्य के 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम कार्य मूल्य के 10 प्रतिशत दण्ड संवेदक से वसूल किया जाना था।

यद्यपि संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन में विलम्ब हुआ, ज्ञेडा ने ₹ 49.50 लाख का दण्ड आरोपित करने में विफल रहा।

हमने पाया कि गुमला के जारि गाँव में सौर विद्युत संयंत्र का अधिष्ठापन कार्य मई 2012 में पूर्ण किया गया जबकि अप्रैल 2011 में पूर्ण करना निर्धारित था। परन्तु, एस.पी.पी. के कार्यादेश में दण्ड के शर्त नहीं रहने के कारण संवेदक पर ₹ 49.50 लाख (₹ 4.95 करोड़ के कार्यमूल्य का 10 प्रतिशत) का दण्ड आरोपित नहीं किया जा सका। आगे, कार्यादेश में शर्त नहीं होने के कारण ज्ञेडा संवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

(स) एस.पी.पी. के समुचित संधारण में कमी के कारण कम ऊर्जा का उत्पादन

वृहत संधारण संविदा की शर्तों के अनुसार, एस.पी.पी. से अधिकतम ऊर्जा उत्पादन के लिए दो वर्षों की वारंटी अवधि सहित पाँच वर्षों की अवधि के लिए विकासक को कलपूर्जे को बदलने तथा मरम्मति एवं ट्रैमासिक रोकथाम सम्बन्धी संधारण की सेवा प्रदान करनी थी। उन्हें ट्रैमासिक उत्पादन ऑकड़ा तथा संधारण अभिलेख, एस.पी.पी. द्वारा समुचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए ज्ञेडा को उपलब्ध कराना था।

उत्पादन ऑकड़ों के अभाव में ज्ञेडा ने एस.पी.पी. के कार्यप्रणाली को अनुश्रवित नहीं किया।

हमने पाया कि मई 2010 एवं नवम्बर 2012 के बीच अधिष्ठापित नौ सौर विद्युत संयंत्रों (10 कि.वा.पी. एवं अधिक) में से आठ¹⁶ के विकासकों ने ज्ञेडा को ट्रैमासिक ऊर्जा उत्पादन ऑकड़ा समर्पित नहीं किया। ज्ञेडा के पास न तो संयंत्रों की कार्यशीलता को अनुश्रवण करने का तरीका था और न ही अधिष्ठापित संयंत्रों की समुचित कार्यपद्धति सुनिश्चित करने के लिए विकासकों को आवश्यक उत्पादन ऑकड़ा समर्पित करने के लिए निर्देश दिया। रोकथाम संधारण के सम्बन्ध में विकासक द्वारा जमा किये जाने वाले अभिलेख, अभिलिखित नहीं पाये गये।

नौ में से तीन संयंत्रों (देवघर) के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि उन संयंत्रों के खराब संधारण के कारण उन संयंत्रों से उनकी 250 कि.वा.पी. की अधिष्ठापित क्षमता से खराब (जलसार संयंत्र: 23 प्रतिशत, जसीडीह: 13 प्रतिशत तथा डीसी ऑफिस संयंत्रों: 15 प्रतिशत) ऊर्जा उत्पादित हुई थी। खराब संधारण वाले सौर संयंत्रों (देवघर) जो घास से आच्छादित थे के चित्र नीचे दिये गये हैं:

¹⁶ देवघर-चार, गुमला-एक तथा राँची-तीन।



(जसीडीह, देवघर में स्थापित असमबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों में घास से आच्छादित सौर प्लेट्स)

इस प्रकार, विकासकों द्वारा खराब संधारण करने तथा ज़ेडा द्वारा समुचित अनुश्रवण के अभाव में निर्बाध सौर विद्युत प्रदान करने के बाँछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थीं क्योंकि ऊर्जा उत्पादन इतना कम था कि बैट्री चार्ज करना कठिन था।

लेखापरीक्षा की आपत्ति को ज़ेडा ने स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य के मार्गदर्शन हेतु इसे अंकित किया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि:

सौर विद्युत संयंत्रों के समुचित कार्य करने के उपाय हेतु ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों को जमा करने के लिए राज्य को समुचित अनुश्रवण प्रक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.8.8.3 गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणाली

ज़ेडा द्वारा गली में सौर प्रकाशीय प्रणाली के अधिष्ठापन का काम राज्य की निधियों तथा एम.एन.आर.ई. से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणालियों (एस.एस.एल.एस.), जिसमें एक 11 वाट का सी.एफ.एल., 74 वाट सोलर पैनल तथा 80 एम्पीयर आवर (ए.एच.) की बैटरी लोहे के एक खंभे में लगा होता है, को सड़कों के किनारे, गलियों, सामुदायिक भवनों अस्पतालों तथा विद्यालयों में जहाँ पारम्परिक स्रोत से ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो, अधिष्ठापित करना था। नीचे की तालिका-2.8.5 में गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणाली (एस.एस.एल.एस.) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण दिया गया है:

तालिका-2.8.5: एस.एस.एल.एस. में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

स्वीकृति के वर्ष	स्वीकृत संख्या	विमुक्त निधियाँ			व्यय ^{१८}	पूर्णता की संख्या
		केन्द्रीय सहायता	वित्तीय सहायता	लाभुक		
2009-10	00	00	1.00	00	00	00
2010-11	1000	00	1.80	0.39	2.19*	00
2011-12	1866	00	2.80	0.93	3.71	1851
2012-13	6800	00	2.80	1.87	4.67	3766
2013-14	2500	00	3.50	00	00	00
कुल	12166	00	11.9	3.19	10.57	5617

(स्रोत: ज्रेडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* पूर्व के वर्षों के लक्षणों के विरुद्ध की गई उपलब्धियों से सम्बन्धित व्यय ₹ 2.19 करोड़।

£ दिसम्बर 2014 तक का व्यय।

तालिका-2.8.5 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-14 के दौरान 12,166 एस.एस.एल.एस. (लागत ₹ 21.93 करोड़) के आधिष्ठापन की स्वीकृति थी जिसके विरुद्ध नवम्बर 2014 तक ₹ 10.57 करोड़ के व्यय के बाद मात्र 5,617 एस.एस.एल.एस.¹⁷ (46 प्रतिशत) आधिष्ठापित किए गए थे। शेष 6,549 एस.एस.एल.एस., वर्ष 2008-09 में विमुक्त निधि का उपायोगिता प्रमाण पत्र 38 माह के विलम्ब से नवम्बर 2012 में समर्पित किये जाने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई तथा वर्ष 2013-14 में लाभुक के अंशदान प्राप्त नहीं होने के कारण, आधिष्ठापित नहीं किये जा सके। क्रियान्वयन में पाई गई त्रुटियों की चर्चा निम्नवत है।

संधारण का अभाव

एस.एस.एल.एस. के आधिष्ठापन हेतु एम.एन.आर.ई. के दिशानिर्देश के अनुसार कार्यादेश में दो वर्षों की वारंटी के साथ-साथ वारंटी अवधि के बाद तीन वर्षों तक के वृहत संधारण संविदा (सी.एम.सी.) को सम्मिलित करना था। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार संवेदक को संविदा मूल्य के दो प्रतिशत प्रति वर्ष वारंटी तथा सी.एम.सी. के पाँच वर्षों की अवधि में भुगतान किया जाना था। आपूर्तिकर्ताओं को प्रणालियों के कामकाज का प्रमाणित ट्रैमासिक प्रतिवेदन सबंधित स्थानीय पंचायतों या नामित निकायों द्वारा ज्रेडा को समर्पित करना था।

हमने पाया कि सी.एम.सी. के अधीन अधिष्ठापित 5,617 एस.एस.एल.एस. के संदर्भ में संवेदकों ने एस.एस.एल.एस. की कार्यशीलता के सम्बन्ध में ट्रैमासिक प्रतिवेदन जमा नहीं किया था तथा संविदा मूल्य का दो प्रतिशत, सी.एस.सी. शुल्क का भी दावा नहीं किया था। ज्रेडा ने भी संवेदकों को एस.एस.एल.एस. की कार्यशीलता सम्बन्धी ट्रैमासिक प्रमाणपत्र जमा करने के लिए नहीं कहा था। हमने यह भी पाया कि

प्रणालियों के कार्यशीलता सबंधित ट्रैमासिक प्रतिवेदन के अभाव में ज्रेडा एस.एस.एल.एस के कार्यशीलता को सुनिश्चित नहीं कर सका।

¹⁷ इसके अतिरिक्त 2,377 एस.एस.एल.एस. आर.भी.ई. के अंतर्गत अधिष्ठापित थे।

संवेदकों द्वारा संधारण नहीं किये जाने के कारण तीन स्थलों¹⁸ पर अधिष्ठापित 419 एस.एस.एल.एस. में से 253 कार्यशील नहीं थे। ज़ेडा ने संवेदकों द्वारा प्रणालियों के संधारण नहीं किये जाने को स्वीकार किया।

सरकार को सी.एम.सी. के अधीन अधिष्ठापित एस.एस.एल.एस. के समुचित संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.8.8.4 सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियाँ

ऊर्जा विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2010-14 की अवधि में राज्य योजना के अन्तर्गत सरकारी संस्थाओं में सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियों के अधिष्ठापन को स्वीकृत किया। एम.एन.आर.ई. द्वारा कार्यक्रम के लिए कोई भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृती नहीं की गई। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को दो सी.एफ.एल. (प्रत्येक नौ वाट), एक 40 ए.एच. का बैटरी तथा 37 वाट का सौर पैनल दिया जाना था। इस कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण तालिका-2.8.6 में वर्णित हैं:

तालिका-2.8.6: एस.एच.एल.एस. की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

स्वीकृत के वर्ष	स्वीकृत संख्या	विमुक्त निधियों		व्यय*	पूर्णता की संख्या
		राज्य	लाभूक		
2010-11	1000	0.80	0.29	1.09	1000
2011-12	1000	0.80	0.10	0.89	988
2012-13	1000	0.60	0.96	1.56	1000
2013-14	1400	0.98	00	00	00
कुल	4400	3.18	1.35	3.54	2988

(स्रोत: ज़ेडा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।)

* दिसम्बर 2014 तक व्यय।

तालिका-2.8.6 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 3.54 करोड़ (विमुक्त राशि ₹ 4.53 करोड़ में से) व्यय के पश्चात ज़ेडा ने 4,400 एस.एच.एल.एस. के लक्ष्य के विरुद्ध 2,988 एस.एच.एल.एस.¹⁹ अधिष्ठापित किया। लाभूक का अंशदान प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी एस.एच.एल.एस. अधिष्ठापित नहीं किया गया।

2.8.8.5 वामपंथीय उग्रवाद प्रभावित जिलों में सौर चार्जिंग स्टेशन

वामपंथीय उग्रवाद प्रभावित जिलों में मार्च 2015 तक 70,000 प्रकाश निस्सरण डायोड(एल.ई.डी.) सौर लालटेन की आपूर्ति के साथ 1,400 सौर चार्जिंग स्टेशनों (एस.सी.एस.²⁰) के अधिष्ठापन हेतु एम.एन.आर.ई. ने मार्च 2013 में ₹ 21.00

¹⁸ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड: 299 एस.एस.एल.एस. में से 210 अकार्यरत, दिग्म्बर जैन मंदिर पारसनाथ, गिरीडीह: 90 एस.एस.एल.एस. में से 30 अकार्यरत तथा इण्डो तिब्बत सीमा सुरक्षाबल: 30 एस.एस.एल.एस. में से 13 अकार्यरत।

¹⁹ इसके अतिरिक्त 28,496 एस.एच.एल.एस., आर.भी.ई. कार्यक्रम के अधीन भी अधिष्ठापित थे।

²⁰ प्रत्येक एस.सी.एस.-हार्डवेयर, परिवहन, अधिष्ठापन, बीमा और पाँच वर्षों का संधारण लागत) ₹ 1.50 लाख था जिसमें से 90 प्रतिशत एम.एन.आर.ई. द्वारा प्रदान किया जाना था।

करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 18.90 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। राज्य/उद्यमियों/एन.जी.ओ. द्वारा शेष निधियों को अंशदानित किया जाना था। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन में 50 लालटेन तथा 5 से 10 मोबाईल को चार्ज करने के लिए 300 वा.पी.के. की क्षमता वाला फोटोभोल्टाईक मोड़यूल का होना चाहिए था। एम.एन.आर.ई. ने ₹ 3.50 करोड़ का केन्द्रीय वित्तीय सहायता विमुक्त किया (मार्च 2013) जिसमें से ज्रेडा ने 133 एस.सी.एस. के अधिष्ठापन में अक्टूबर 2014 तक ₹ 1.23 करोड़ का व्यय किया।

इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे गाँवों जो या तो विद्युतीकृत नहीं थे या जहाँ बाधित विद्युत आपूर्ति हो रही थी मैं सौर लालटेन द्वारा मौलिक प्रकाशीय सुविधा दी जानी थी। कुल एस.सी.एस. का 80 प्रतिशत गरीब ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाना था तथा शेष 20 प्रतिशत स्टेशनों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग किया जाना था। एस.सी.एस. स्थानीय उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित होना था। हमने निम्नलिखित पाया:

(अ) एल.ई.डी. लालटेन का संधारण नहीं होना

एस.सी.एस. के अधिष्ठापन हेतु कार्यादेशानुसार दो वर्षों की वारंटी अवधि में बैटरी तथा अन्य कलपुर्जों को बदलने एवं वारंटी अवधि के बीत जाने के तीन वर्षों तक अन्य खराबियों के लिए वृहत संधारण संविदा की व्यवस्था की गई थी। खराब कलपुर्जों/प्रणालियों की मरम्मति तथा पुनर्स्थापन शिकायत प्राप्ति के पाँच दिनों के अन्दर किया जाना था।

हमने पाया कि सिमडेगा जिला में उद्यमियों को दिए गए (जुलाई 2013) 2,500 एल.ई.डी. लालटेन में से 279 दिसम्बर 2013 से कार्य नहीं कर रहे थे। ज्रेडा ने आपूर्तिकर्ता को लालटेनों की मरम्मति के लिए निर्देश दिया था (फरवरी 2014) परन्तु अगस्त 2014 तक उनकी मरम्मति नहीं हुई थी। संविदा में मरम्मति नहीं करने पर संवेदक से दण्ड वसूली का कोई प्रभावी शर्त नहीं होने के कारण, सिवाय इसके की सी.एम.सी. की राशि विमुक्त नहीं की जायेगी, ज्रेडा खराब कलपुर्जों की मरम्मति सुनिश्चित नहीं कर सका।

ज्रेडा ने उत्तर दिया कि 161 अकार्यरत लालटेनों की मरम्मति की गई थी, फिर भी, लेखापरीक्षा को इसके समर्थन में कोई भी अभिलिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ब) उपयोग-शुल्क के संग्रहण तथा उपयोगिता के अनुश्रवण में कमी

एस.सी.एस. की मार्गदर्शिका के अनुसार, उद्यमियों द्वारा लाभुकों से उपयोग शुल्क का संग्रहण किया जाना था जिसमें से 25 प्रतिशत को बैंक के एक अलग खाता में रखकर वारंटी अवधि के बाद बैटरी तथा अन्य अवयवों के प्रतिस्थापन में उपयोग किया जाना था। ज्रेडा उद्यमी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलकर

संचालन करने के लिए उत्तरदायी था। जिला के उपायुक्त के आदेश से बैंक खाता से निधियों की निकासी की जानी थी। योजना की कार्यशीलता का अनुश्रवण, उपायुक्त तथा झेड़ा द्वारा किया जाना था।

झेड़ा प्रतिदिन ग्रामीणों से ₹ तीन प्रति लालटेन तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ₹ 10 प्रति लालटेन प्रतिदिन के दर से संग्रहण करने का निर्णय (मई 2013) लिया। मार्च 2014 तक, 133 एस.सी.एस. अधिष्ठापित कर उद्यमियों को संचालन हेतु हस्तगत किया गया। झेड़ा के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि उपयोग शुल्कों के संग्रहण तथा बैंक में जमा करने संबंधी कोई अभिलेख संधारित नहीं था। इस प्रकार, उपयोग शुल्कों के संग्रहण तथा प्रणालियों के वारंटी की अवधि की समाप्ति के बाद निधि की उपयोगिता का अनुश्रवण करने में झेड़ा विफल रहा।

झेड़ा ने बताया कि उपयोग शुल्कों के संग्रहण सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था।

2.8.8.6 सौर लालटेन

पर्यावरण के अनुकूल सौर प्रकाशीय प्रणालियों के उपयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सौर लालटेन (एस.एल.)²¹ के बैंटवारा की स्वीकृति दी गई तथा 2010-14 के दौरान झेड़ा द्वारा क्रियान्वयन किया गया। एम.एन.आर.ई. ने झेड़ा के प्रस्ताव पर कार्यक्रम को स्वीकृत (2011-12) किया। सौर लालटेन के बैंटवारा के क्रियान्वयन की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका-2.8.7 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.8.7: एस.एल. की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की विवरणी

स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत संख्या	विमुक्त निधि			व्यय ^१	वितरित संख्या
		केन्द्रीय वित्तीय सहायता	राज्य	लाभुक		
2009-10	00	00	2.00	00	00	00
2010-11	12500	00	3.00	0.74	3.72	12455
2011-12	86350	0.58	15.87	8.2	24.57	86022
2012-13	45000	00	6.75	2.38	7.94	40146
2013-14	17500	00	2.45	00	00	00
कुल	161350	0.58	30.07	11.32	36.23	138623

(स्रोत: झेड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

₹ दिसम्बर 2014 तक व्यय।

²¹ एक लालटेन में सात वाट का सी.एफ.एल., 12 वोल्ट का बैटरी तथा 10 वाट का सौर पैनल होता है जो सौर पैनल के पूर्णतः चार्ज होने के बाद चार से पाँच घंटों तक प्रकाश देता है।

तालिका-2.8.7 से देखा जा सकता है कि ज्रेडा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 1.61 लाख एस.एल. के लक्ष्य के विरुद्ध 1.39 लाख सौर लालटेन का बँटवारा ₹ 41.97 करोड़ के विमुक्त राशि में से ₹ 36.23 करोड़ व्यय करने के पश्चात किया। अभिलेखों की जाँच में आगे निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

सौर लालटेन प्रणालियों के संधारण की व्यवस्था नहीं होना

एम.एन.आर.ई. की मार्गदर्शिका के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण प्रणाली (बैटरी सहित) पर कम से कम दो वर्षों की तथा पी.भी. मोइयूलों पर दस वर्षों की वारंटी आपूर्ति के दिन से दी जानी थी। आगे, ज्रेडा को वारंटी अवधि सहित पाँच वर्षों के लिए एक वार्षिक संधारण संविदा(ए.एम.सी.) का एकरारनामा आपूर्तिकर्ताओं के साथ करना था तथा प्रत्येक जिला में संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक 500 वितरित एस.एल. के लिए एक सेवा केन्द्र की स्थापना करनी थी।

ए.एम.सी. तथा सेवा केन्द्रों की अनुपस्थिति में सौर लालटेनों के मरम्मति की सेवा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि ज्रेडा ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ ए.एम.सी. नहीं किया तथा 1.39 लाख वितरित एस.एल. के संधारण के लिए सेवा केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई। इस प्रकार, ए.एम.सी. तथा सेवा केन्द्रों के नहीं होने के कारण एस.एल. की मरम्मति के लिए तुरंत सेवा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निदेशक, ज्रेडा ने बताया कि एम.एन.आर.ई. के मार्गदर्शिका के अनुसार ए.एम.सी. के लिए अलग कार्यादेश निर्गत किया जाना था जिसके कारण कार्यादेश में ए.एम.सी. का प्रावधान नहीं किया गया। उन्होने पुनः कहा कि अभिकरणों को सेवा केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। तथ्य यही रहा कि ए.एम.सी. के अभाव में वितरण के पश्चात प्रणालियों का संधारण नहीं किया गया।

सौर तापीय कार्यक्रम

2.8.8.7 सौर जलतापीय प्रणालियाँ

सौर जल तापीय प्रणालियों (एस.डब्लू.एच.एस.)²² के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एन.एम.आर.आई. ने लाभुकों को सहायता देने के लिए कार्यक्रम शुरू (2005) किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सौर जल ताप के वृहत रूप से उपयोग कर प्रयाप्त विद्युत तथा अन्य जीवाश्म इंधन की बचत करना था। एम.एन.आर.ई. के द्वारा ज्रेडा के माध्यम से एस.डब्लू.एच.एस. के अधिष्ठापन हेतु लाभुकों को पूँजीगत अनुदान (लागत मूल्य का 30 प्रतिशत) दिया जाना था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका-2.8.8 में दिया गया है।

²² इस प्रणाली के अन्तर्गत पानी को 80° सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए घरों की छतों पर सौर कलेक्टर अधिष्ठापित करते हुए जलापूर्ति के पाईप से जोड़ा जाता है। प्रतिदिन 100 लीटर पानी को गर्म करने के लिए लगभग 50 वर्ग मीटर के कलेक्टर की आवश्यकता होती है।

तालिका-2.8.8: एस.डब्ल्यू.एच.एस. के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य (लीटर लाख में)	स्वीकृत के.वि.स.	विमुक्त निधियाँ		व्यय		उपलब्धि (लीटर लाख में)
			केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य	
2009-10	0.90	00	00	1.00	00	00	0.50
2010-11	2.00	00	00	2.10	00	1.15	2.68
2011-12	2.50	00	00	2.63	00	1.61	1.53
2012-13	2.00	1.22	0.50	2.00	00	1.78	1.32
2013-14	0.50	00	00	0.50	0.50	0.63	00
कुल	7.90	1.22	0.50	8.23	0.50	5.17	6.03

(स्रोत: ज्रेडा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

तालिका-2.8.8 से देखा जा सकता है कि ₹ 5.67 करोड़ व्यय करने के पश्चात 7.90 लाख लीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 6.03 लाख लीटर जल प्रतिदिन गर्म करने की क्षमता वाले एस.डब्ल्यू.एच.एस. का अधिष्ठापन किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पायी गई त्रुटियाँ निम्न वर्णित हैं:

(अ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता की हानि

वर्ष 2009-10 से 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान एम.एन.आर.ई. को प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण ₹ 2.66 करोड़ के केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि प्राप्त करने में राज्य विफल रहा

एम.एन.आर.ई. की मार्गदर्शिका के अनुसार, सौर जल तापीय प्रणालियों (एस.डब्ल्यू.एच.एस.) के अधिष्ठापन को क्रियान्वित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान प्रावधानित था। ज्रेडा ने एम.एन.आर.ई. को वर्ष 2009-10 से 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान एस.डब्ल्यू.एच.एस. की अधिष्ठापना हेतु प्रस्तावों को नहीं भेजा जबकि इन वर्षों के वार्षिक कार्य योजना में 5.90 लाख लीटर क्षमता के एस.डब्ल्यू.एच.एस. के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित था। इस प्रकार राज्य ₹ 2.66 करोड़²³ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि प्राप्त नहीं कर पाया तथा लाभुकों को ज्रेडा द्वारा राज्य निधियों से अनुदान विमुक्त किया गया। ज्रेडा ने बताया कि मानव बल की कमी के कारण इसकी परियोजनाओं का सूत्रण नहीं किया जा सका।

(ब) सौर जल तापीय प्रणालियों के अधिष्ठापन का पूर्ण नहीं होना

एम.एन.आर.ई. ने वर्ष 2012-13 में दो लाख लीटर प्रतिदिन गर्म करने की क्षमता वाले 250 प्रणालियों के अधिष्ठापन हेतु ₹ 3.95 करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 1.22 करोड़ के केन्द्रीय वित्तीय सहायता (के.वि.स.) स्वीकृत (नवम्बर 2012) किया। शेष निधियाँ ₹ 2.73 करोड़ (₹ 3.95 करोड़ - ₹ 1.22 करोड़) का योगदान राज्य तथा लाभुकों द्वारा किया जाना था। कार्यक्रम को लागू करने के लिए एम.एन.आर.ई. ने ₹ 0.50 करोड़ का अग्रिम विमुक्त किया। के.वि.स. की शेष राशि ₹ 0.72 करोड़ (₹ 1.22 करोड़ - ₹ 0.50 करोड़) प्रणालियों के अधिष्ठापन के पूर्ण होने तथा तृतीय पक्षीय अनुश्रवण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषण करने, अधिष्ठापन

²³ 5.90 लाख लीटर (100 लीटर के लिए लागत ₹ 15,000) के कुल लागत ₹ 8.85 करोड़ का 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान।

प्रतिवेदन, व्यय की लेखापरीक्षित विवरणी आदि मार्च 2013 तक जमा करने के बाद ज्रेडा को विमुक्त किया जाना था।

हमने पाया कि ज्रेडा ने एस.डब्लू.एच.एस. के निष्पादन की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया और 1.03 लाख लीटर प्रतिदिन गर्म करने की क्षमता वाले 81 प्रणालियों को ही पूर्ण किया जा सका तथा ज्रेडा द्वारा एक वर्ष के विलम्ब के बाद मार्च 2014 तक ₹ 0.50 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र एम.एन.आर.ई. को भेजा जा सका। आगे, अप्रैल 2014 तक भी 169 प्रणालियाँ पूर्ण की जानी थी। इस प्रकार, एम.एन.आर.ई. द्वारा जनवरी 2015 तक शेष निधियाँ विमुक्त नहीं की गई थीं।

ज्रेडा ने बताया कि कभी-कभी लाभुकों द्वारा उनके अंशदान जमा करने में विफल रहने के कारण योजनाएँ पूर्ण नहीं हुईं, फिर भी, जागरूकता/प्रचार के आधार पर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि योजनाओं की स्वीकृति लाभुकों के आग्रह पर ही दी गई थी। आगे एम.एन.आर.ई. को प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता को प्राप्त करने में ज्रेडा विफल रहा जैसा कि अगली कंडिका में चर्चा की गयी है।

(स) सौर जल तापीय संयंत्र के उपयोग हेतु जागरूकता उत्पन्न करने में विफलता

लोगों के विभिन्न समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने तथा एस.डब्लू.एच.एस. के व्यापार को विकसित करने हेतु सेमिनार/सिम्पोसिया/ कार्यशाला/व्यावसायिक बैठकें/प्रदर्शनियों आदि को आयोजित करने के लिए (₹ दो लाख तक प्रति अवसर) एम.एन.आर.ई. का समर्थन उपलब्ध था। सेवा कार्मिकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उद्यमियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने थे ताकि प्रणाली के अधिष्ठापन, सेवा एवं मरम्मति के लिए छोटे व्यवसाय को विकसित किया जा सके।

हमने पाया कि वर्ष 2013-14 तक ज्रेडा ने एम.एन.आर.ई. को प्रस्ताव नहीं भेजा जिसके कारण इन क्षेत्रों के लिए राज्य, केन्द्रीय सहायता से वैचित रह गया। इसके अतिरिक्त सौर जलतापीय संयंत्र के उपयोग हेतु जागरूकता उत्पन्न नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए निदेशक ज्रेडा ने बताया कि भविष्य के लिए इस बात को अंकित किया गया।

पूर्ण केन्द्रीय वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए राज्य को परियोजना की पूर्णता तथा प्रासंगिक कागजात एम.एन.आर.ई. को जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.8.8.8 दूरस्थ ग्राम विद्युतिकरण कार्यक्रम

ज्रेडा के प्रस्तावों पर एम.एन.आर.ई. द्वारा झारखण्ड में दूरस्थ ग्राम विद्युतिकरण (आर.भी.ई.) कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति (2009-12) दी गयी। आर.भी.ई. कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे दूरस्थ आविद्युतिकृत जनगणित गाँवों का विद्युतिकरण

करना था जहाँ ग्रीड का विस्तार न तो सम्भव था और न ही कम लागत का था और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (आर.जी.जी.वाई.) से आच्छादित नहीं थे। झारखण्ड के कुल 32,615 गाँवों में से 13,545 मार्च 2009 तक अविद्युतिकृत गाँव थे। सौर ऊर्जा द्वारा ज़ेडा के माध्यम से विद्युतिकृत 251 गाँवों सहित कुल 12,176 गाँवों का वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विद्युतिकरण हुआ। आर.भी.आई. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई भौतिक एवं वित्तीय विवरणी तालिका-2.8.9 में दी गई है:

तालिका-2.8.9: आर.भी.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक योजना में लिए गए गाँवों की संख्या	एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत गाँवों की संख्या	आच्छादित गाँवों की संख्या	एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत निधि	एम.एन.आर.ई. द्वारा विमुक्त निधियाँ	व्यय	
						केन्द्रीय	राज्य
2009-10	329	36	00	7.54	5.28	22.88*	4.50
2010-11		78	00	11.47	0.01		
2011-12		129	44 ^y	15.03	13.94		
2012-13		00	207	00	00		
2013-14		50	00	00	00		
कुल	656	243	251	34.04	19.23	22.88	4.50

(स्रोत: ज़ेडा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

पै: वर्ष 2008-09 में आठ गाँव स्वीकृत थे परन्तु इनके क्रियान्वयन 2011-12 में किये गये।

*: वर्ष 2008-09 में आठ गाँवों की स्वीकृत परियोजना (₹ 0.62 करोड़) के लिये ₹ 0.43 करोड़ प्राप्त हुई जबकि ₹ 3.22 करोड़ अर्जित सूद तथा पूर्व की योजनाओं से सम्बंधित सी.एम.सी. को रोककर रखी गई राशि से व्यय किये गये।

एम.एन.आर.ई. की मार्गदर्शिका के अनुसार दूरस्थ गाँवों का विद्युतीकरण पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा लघु जल विद्युत संयंत्रों, बायोमास विद्युत संयंत्रों, बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्रणाली, सौर विद्युत संयंत्रों, सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणाली (एस.एच.एल.एस.)²⁴ तथा गलियों में सौर प्रकाशीय प्रणालियों (एस.एस.एल.एस.)²⁵ द्वारा किया जाना था।

झारखण्ड में सौर घरेलू प्रकाशीय प्रणालियों तथा गली प्रकाशीय प्रणालियों को अंगीकार किया गया तथा वर्ष 2009-10 ये 2013-14 के दौरान प्रत्येक परिवार तथा गली को आच्छादित करते हुए 251 गाँवों में 28,496 एस.एच.एल.एस. तथा 2,377 एस.एस.एल.एस. अधिष्ठापित किये गये। हमने निम्न रूप से पाया कि:

(अ) उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलम्बित समर्पण के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता के द्वितीय किश्त की प्राप्ति नहीं होना

दूरस्थ ग्राम विद्युतिकरण (आर.भी.ई.) कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्सा दो किश्तों में विमुक्त किया जाना था। कुल के.वि.स. का 70 प्रतिशत प्रथम किश्त में तथा 30

²⁴ 37 वाट का मोड़यूल, 12 वॉल्ट/ 40 ए.एच. का बैटरी तथा नौ वाट के दो लैम्प।

²⁵ 74 वाट का मोड़यूल, 12 वॉल्ट/ 75 ए.एच. के बैटरी के साथ 11 वाट का एक लैम्प।

प्रतिशत द्वितीय किश्त में विमुक्त किया जाना था। सभी परियोजनाओं एक वर्ष में पूरी करनी थी तथा परियोजनाओं के पूर्ण होने के तीन माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखापरीक्षित विवरणियाँ प्रेषित की जानी थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा लेखा परीक्षित विवरणियों के समर्पण के बाद ही द्वितीय किश्त विमुक्त की जानी थी।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के जमा करने में विलम्ब के कारण ज़ेडा ₹ 15 करोड़ का द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं कर सका।

जाँच के दौरान प्रकट हुआ कि एम.एन.आर.ई. नवम्बर 2008 एवं सितम्बर 2011 के बीच आर.भी.ई. परियोजनाओं के 251 गाँवों के मामले में स्वीकृत कुल योग्य हिस्सा (₹ 34.66 करोड़) की प्रथम किश्त के विरुद्ध मात्र 57 प्रतिशत (₹ 19.66 करोड़) एम.एन.आर.ई. ने विमुक्त किया। चूंकि निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में ज़ेडा विफल रहा, फलस्वरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने में (31 माह तक) विलम्ब हुआ और इस प्रकार एम.एन.आर.ई. द्वारा ₹ 15 करोड़ की द्वितीय किश्त को आजतक (जनवरी 2015) तक विमुक्त नहीं किया गया जैसा कि निम्न तालिका-2.8.10 में वर्णित है:

तालिका-2.8.10: आर.भी.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रेषण में विलम्बों की विवरणियाँ

गाँव	एम.एन.आर.ई. की स्वीकृति की तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण की नियत तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण की वास्तविक तिथि	विलम्ब माह में
8	21.11.2008	20.02.2010	24.09.2012	31 माह
18	22.09.2009	21.12.2010		21 माह
18	24.12.2009	23.03.2011		18 माह
78	22.02.2011	21.05.2012		सात माह
129	30.09.2011	29.12.2012		-----

निदेशक, ज़ेडा ने बताया कि तृतीय पक्ष से सत्यापन में विलम्ब तथा मानव बल में कमी के कारण विलम्ब हुआ। तथ्य यही रहा कि परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के जमा करने में विलम्ब के कारण एम.एन.आर.ई. ने ₹ 15 करोड़ का द्वितीय किश्त निर्गत नहीं किया।

(ब) अधिष्ठापित प्रणालियों के संधारण तथा समुचित सर्विसिंग (सेवाओं) में त्रुटि

दूरस्थ गाँवों में एस.एच.एल.एस. तथा एस.एस.एल.एस. की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन के कार्यादेश में पाँच वर्षों की वृहत संधारण संविदा (सी.एम.सी.) सम्निहित थी जिसके अन्तर्गत अभिकरणों को पाँच वर्षों तक सेवा प्रदान करनी थी तथा कलपुर्ज एवं अवयवों का प्रतिस्थापन करना था। सी.एम.सी. के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान अभिकरणों को संविदा मूल्य का दो प्रतिशत सालाना भुगतान किया जाना था। अभिकरणों को स्थानीय सेवा केन्द्रों की स्थापना करनी थी। उन सेवा केन्द्रों को ऐमासिक आधार पर सेवा केन्द्रों द्वारा आच्छादित प्रणालियों की संख्या, संतोषप्रद कार्य करने वाले प्रणालियों की संख्या, प्राप्त शिकायतों की संख्या, ध्यान दिए गए शिकायतों की संख्या, विफलता के प्रमुख कारण तथा वृहत प्रतिस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रतिवेदन

का सार ज़ेडा में भेजा जाना था। आगे एम.एन.आर.ई के मार्गदर्शिका में सी.एम.सी अवधि के बाद बैटरी के प्रतिस्थापन तथा प्रणालियों की मरम्मति के लिए लाभुकों से ₹ 20 प्रतिमाह की दर से उपयोग शुल्क लगाये जाने का सुझाव दिया गया था।

हमने पाया कि अभिकरणों ने न तो ज़ेडा को सेवा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया और न ही ज़ेडा से (दो प्रतिशत की वार्षिक) भुगतान का दावा ही किया। आगे हमने पाया कि यद्यपि ज़ेडा ने लाभुकों द्वारा एक मुश्त ₹ 200 तथा मासिक अंशदान ₹ 40 की दर से ग्राम ऊर्जा समिति को देने का प्रावधान बनाया था परन्तु लाभुकों द्वारा जमा उपयोग शुल्कों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका, क्योंकि ज़ेडा के पास उपयोग शुल्कों के जमा सम्बन्धी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2003-04 तथा 2007-08 के दौरान आर.भी.ई. कार्यक्रमों से आच्छादित पाँच²⁶ गाँवों (जुलाई एवं सितम्बर 2014) के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि लाभुकों ने अपने मासिक अंशदान की राशि जमा नहीं की थी क्योंकि वे राशि जमा किये जाने सम्बन्धी कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। आगे, बैटरी के पुनर्स्थापन तथा प्रणालियों की मरम्मति के अभाव में 76 प्रतिशत (भौतिक रूप से सत्यापित) प्रणालियाँ अकार्यरत थीं।

इस प्रकार, अधिष्ठापित सौर ऊर्जा प्रणालियाँ की न तो सी.एम.सी. अवधि के अन्दर मरम्मति तथा संधारण की गई और न ही सी.एम.सी. अवधि के बाद बैटरी के पुनर्स्थापन तथा प्रणालियों की मरम्मति सुनिश्चित की जा सकी।

ज़ेडा ने बताया कि कुछ अभिकरणों ने सी.एम.सी. प्रतिवेदन जमा किया था और वह उपयोग शुल्कों के जमा होने सम्बन्धी ग्राम ऊर्जा समितियों के अभिलेखों को उपलब्ध कराएगी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सेवा प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई। आगे, इस संदर्भ में ज़ेडा के तकनिशियन ने (अप्रैल 2012) प्रतिवेदित किया कि दो गाँवों²⁷ में 213 एस.एच.एल.एस. में से 54 अकार्यरत थे तथा प्रणालियों के (जुलाई 2011) अधिष्ठापित होने के बाद अभिकरण के प्रतिनिधि ने गाँवों में भ्रमण नहीं किया था।

2.8.9 निष्कर्ष

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ज़ेडा कुल उपलब्ध निधि ₹ 223.42 करोड़ में से ₹ 121.36 करोड़ का उपयोग कर सका। निधियों की वर्षवार उपयोगिता उपलब्ध निधियों के छ: से 32 प्रतिशत के बीच थी।
- राज्य में 18,000 मे.वा. की सौर क्षमता के विरुद्ध 17 मे.वा. के सौर ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन किया जा सका। सौर विद्युत संयंत्रों के अपर्याप्त उपलब्धता तथा

²⁶ पूर्वी सिंहभूम (2007-08) के पोटका प्रखण्ड में गामरकोचा, जाजोगोरा और पपरागारु तथा राँची के अनगढा प्रखण्ड में सिराका और बिशा।

²⁷ पश्चिमी सिंहभूम ज़िला के नावामुंडी प्रखण्ड में किटांगडॉगडांग और जमजुई।

परिणामस्वरूप राज्य में सौर ऊर्जा के कम उत्पादन के कारण वर्ष 2011-14 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनर्नवीकरणीय क्रय दायित्व के 275.62 मिलियन इकाई के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 38.77 मिलियन इकाई सौर ऊर्जा का क्रय किया जा सका।

- 4,423 ग्राम पंचायत कार्यालयों में से 2,576 में एस.पी.पी. के अधिष्ठापन नहीं होने के कारण ग्रीड असम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों द्वारा ई-गवर्नेंस सेवा हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हो सकी।
- वर्ष 2008-09 में प्राप्त राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब से प्रेषण के कारण 2012-13 में कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता विमुक्त नहीं की गयी तथा इसके फलस्वरूप 12,166 स्वीकृत गलियों के लिए प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों में से 6,549 (54 प्रतिशत) अधिष्ठापित नहीं की जा सकी। आगे, तीन स्थलों पर अधिष्ठापित 419 एस.एस.एल.एस. में से 253 एस.एस.एल.एस. अकार्यरत थे। वर्ष 2009-12 तथा 2013-14 के दौरान सौर जल तापीय प्रणाली के लिए एम.एन.आर.ई. कोई प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि ₹ 2.66 करोड़ पाने में ज़ेडा विफल रहा।
- सी.एम.सी. के तहत आगे की कार्रवाई नहीं होने तथा लाभुको द्वारा उपयोग शुल्कों के जमा होने के अनुश्रवण नहीं होने के कारण ज़ेडा न तो दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित सौर ऊर्जा प्रणालियों के वृहत संधारण संविदा (सी.एम.सी.) अवधि के अन्दर मरम्मति तथा संधारण और न ही सी.एम.सी. अवधि के बाद बैटरी के पुनर्स्थापन तथा प्रणालियों की मरम्मति को सुनिश्चित कर सका।

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संरचना के अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियाँ तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत पाये गये। इनको विस्तृत उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार व्यय हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों, आदेशों आदि की अवहेलना पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग

3.1.1 अनियमित व्यय

विभाग से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना, अनुमोदित कार्य क्षेत्र के बाहर ग्रेड-I और ग्रेड-II ग्रामीण पथ के साथ गार्डवाल का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 64.98 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 123 के अनुसार, जहाँ मूल स्वीकृत प्रस्तावों में सुधार के लिए, मूल प्रस्तावों में महत्वपूर्ण विचलन के कारण संशोधित प्राक्कलन को अंततः समर्पित करना आवश्यक हो, वहाँ संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, भले ही उसकी लागत की भरपाई संभवतः अन्य मर्दों के बचत से हो जाती हो।

सचिव, पंचायती राज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड सरकार ने मुख्य मंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत टर्न-की आधार पर सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखण्ड में खालजोर नदी पर ठेसूटोली-कोनजोबा पथ पर दोनों तरफ पहुँच पथ (6,080 मीटर) के साथ आर.सी.सी. पुलिया (60.48 मीटर लम्बाई) निर्माण हेतु ₹ 2.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2008)। मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची ने ₹ 69 लाख के पहुँच पथ सहित ₹ 2.40 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2010) और कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा ने कार्य करने हेतु संवेदक के साथ एक एकरारनामा किया (फरवरी 2010)।

ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, सिमडेगा के अभिलेखों के सत्यापन (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि उक्त सड़क¹ का निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, सिमडेगा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दूसरे नाम से, बगचट्टा-कोनजोबा-ठेसूटोली जिसकी लम्बाई 6,125 मीटर थी, निविदित किया गया था (फरवरी 2009) और ₹ 1.56 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ था (जून 2012)।

आगे, अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि चूँकि पहुँच पथ का निर्माण पी.एम.जी.एस.आई. के तहत हो रहा था, आस-पड़ोस के इलाके के ग्रामीणों ने कार्यपालक अभियंता, ग्रा.वि.वि.प्र., सिमडेगा से प्रार्थना की (सितम्बर 2011) कि पुल के साथ नियोजित पहुँच पथ के बदले दूसरा ग्रामीण पथ, जो कि पाँच गाँवों को पी.एम.जी.एस.वाई. पथ (पुल से लगभग 460 मीटर दूर) से जोड़ता था, का निर्माण निर्माण कराया जाये। तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, ग्रा.वि.वि.प्र., सिमडेगा ने पुल के पहुँच पथ के प्राक्कलन को बदलते हुए 2,682 मीटर लम्बा सहायक आंतरिक ग्रामीण पथ (ग्रेड-I और ग्रेड-II²) के निर्माण, जो सोहराई टोली और काचर टोली होते हुए मानाटोली से कौंदोदिहरी को जोड़ता था तथा गार्डवाल के लिए ₹ 64.98 लाख का नया प्राक्कलन तैयार किया (जनवरी 2012)।

कार्यपालक अभियंता, ग्रा.वि.वि.प्र., सिमडेगा के आग्रह पर मुख्य अभियंता, ग्रा.वि.विशेष प्रक्षेत्र, राँची ने गाँवों को पुल से जोड़ने का पृथक कार्य के कार्यान्वयन को इस शर्त पर अनुमति दी कि खर्च एकरानामा की राशि तक सीमित रहे। हालाँकि पहुँच पथ के निर्माण के बदले सहायक आंतरिक ग्रामीण पथ के निर्माण हेतु विभाग से कोई पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। पहुँच पथ के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग कर ग्रामीण सड़क व गार्डवाल के निर्माण हेतु संवेदक को ₹ 64.98 लाख का भुगतान किया गया (दिसम्बर 2012)।

अतः ₹ 64.98 लाख का सम्पूर्ण व्यय अनियमित था क्योंकि सहायक आंतरिक ग्रामीण पथ (ग्रेड-I और ग्रेड-II) और गार्डवाल का निर्माण पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया गया था एवं यह झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 123 का उल्लंघन था। इसके अलावा, ये कार्य निविदित/आवंटित कार्य के कार्य क्षेत्र में भी शामिल नहीं थे।

इसे बताये जाने पर, कार्यपालक अभियंता, ग्रा.वि.वि.प्र., सिमडेगा ने कहा (जनवरी 2014) कि पाँच गाँवों को पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ का निर्माण जरूरी था। इसके अलावा, व्यय मुख्य अभियंता, ग्रा.वि.वि.प्र., राँची प्रक्षेत्र की अनुमति से किया गया था।

¹ ठेसूटोली-कोनजोबा सड़क।

² ग्रेड-I: पथ तटबंध (इंबैंकमेंट) में स्क्रीनिंग सामग्री के साथ ग्रेड-I पत्थर (45 मी.मी. से 90 मी.मी.) प्रदान करना; ग्रेड-II: पथ तटबंध (इंबैंकमेंट) में चूर होने लायक स्क्रीनिंग सामग्री जैसे मूरम या चिकना पत्थर के साथ ग्रेड-II पत्थर (45 मी.मी. से 63 मी.मी.) प्रदान करना।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति विभाग के प्रधान सचिव में निहित है तथा सहायक आंतरिक ग्रामीण पथ का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रा.से.यो. के कार्य के कार्यक्षेत्र में नहीं था जिसके तहत पथ का निर्माण हुआ था।

पुनः वित्त विभाग झारखण्ड सरकार ने अपने जवाब में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2014) और प्रशासनिक विभाग से मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने और दोषी संवेदक को काली सूची में डालने के साथ-साथ 12 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान की वसूली करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1.2 अधिक्य भुगतान

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दर की अनदेखी कर दैनिक मजदूरों को ₹ 28.66 लाख का अधिक्य भुगतान।

न्यूनतम मजदूरी एकट 1948 के धारा 3 के तहत श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (श्रम विभाग), झारखण्ड सरकार दैनिक मजदूरों के लिए प्रयुक्त न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित (अप्रैल 2011) किया। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर परिवर्तनीय देय मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) प्रत्येक छ: मास पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को संशोधित किया गया था।

आगे, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) एकट 2002 के धारा 6 (XV) के तहत रिम्स, संग्रहित प्राप्तियाँ जैसे विद्यार्थियों एवं रोगियों से संग्रहित शुल्क, हर्जाना एवं दण्ड का उपयोग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार सिर्फ रिम्स के रखरखाव एवं विकास पर कर सकती है। संग्रहित प्राप्तियों का रिम्स द्वारा उनके द्वारा लगाये गये दैनिक मजदूरों की मजुदरी के भुगतान पर उपयोग किया जा रहा था।

अभिलेख की संवीक्षा (मई 2013 और मई-जून 2014) में उद्घटित हुआ कि रिम्स ने वर्ष 2007 से 2012 के बीच विभिन्न वर्गों में 100 दैनिक मजदूरों³ को अस्थायी रूप से छ: माह के लिए नियुक्त किया एवं समय-समय पर दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया। वेतन पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि रिम्स द्वारा अप्रैल 2011 से अप्रैल 2013 तक के लिए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से उच्च दर पर दैनिक मजदूरों को ₹ 28.66 लाख भी.डी.ए. का अधिक्य भुगतान किया।

³ अकुशल: 58 (ग्रुप डी., प्रयोगशाला बॉय, रसोईघर सेवक, माली, सफाई कर्मी, बढ़ई और रसोइया: अर्धकुशल: 6(चालक), कुशल: 21(निश्चेतक टेकनिशियन, कम्प्यूटर आपरेटर, लिफ्ट मैन) और उच्च कुशल: 15 (एक्सरे टेकनिशियन, एथलेटिक कोच, ओ.टी. सहायक और ए.सी. ऑपरेटर।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (मई 2013) पर, निदेशक, रिम्स ने उच्च दर पर भी.डी.ए. का भुगतान 16 अप्रैल 2013 से बन्द कर दिया एवं जवाब दिया (जून 2014) कि इस संस्थान के दैनिक मजदूरों को मजदूरी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जाएगा।

इस प्रकार, रिम्स द्वारा दैनिक मजदूरों को अप्रैल 2011 से अप्रैल 2013 तक ₹ 28.66 लाख का अधिक्य भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया (जुलाई 2014); स्मारपत्रों⁴ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरुद्ध व्यय

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। प्राधिकारियों, जिनमें व्यय करने की शक्ति निहित है, से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसी ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश एवं सशक्त मितव्ययिता को लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अधिकाई व्यय के उदाहरणों का पता लगाया जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है:

पथ निर्माण विभाग

3.2.1 परिहार्य व्यय

मूल आकलन में बिटूमिनस मैकाडम (बी.एम.) और सेमी डेन्स बिटूमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के प्रावधान नहीं किये जाने और नक्सल समस्या के आधार पर ठेकेदारों के निवेदन पर उच्च दर से उनके परवर्ती समावेश के परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.) द्वारा दो पथों⁵ के सुदृढीकरण के लिए ₹ 30.30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2009) और मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन, आर.सी.डी. द्वारा ₹ 24.11 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गयी (अगस्त 2009)। अनुमोदित प्राक्कलन 2008 के अनुसूचित दर (एस.ओ.आर.) पर आधारित था और उसमें अलकतरा कार्य यथा बिल्ट-अप-स्प्रे ग्राउटिंग (बी.यू.एस.जी.), प्रि-मिक्स कारपेटिंग (पी.सी.) और सील कोट (एस.सी.) सम्मिलित था। कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.), पथ प्रमंडल (आर.डी.), गढ़वा ने ठेकेदारों के साथ गढ़वा-चिनिया

⁴ अनुस्मारक: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/189 दिनांक 1 सितम्बर 2014, 229 दिनांक 7 अक्टूबर 2014 और 320 दिनांक 12 नवम्बर 2014

⁵ गढ़वा-चिनिया (जी.सी.) पथ: 26.30 कि.मी. (प्रशा.स्वी.: ₹ 18.99 करोड़ और तक.स्वी.: ₹ 13.39 करोड़) और नगर उंटारी-धुरकी (एन.डी.) पथ-24.95 कि.मी. (प्रशा.स्वी.: ₹ 11.31 करोड़ और तक.स्वी.: ₹ 10.72 करोड़)।

(जी.सी.) पथ को फरवरी 2012 तक, नवम्बर 2012 तक विस्तारित और नगर ऊटारी-धुरकी (एन.डी.) पथ को अप्रैल 2011 तक, मार्च 2013 तक विस्तारित, पूर्ण करने के लिए ₹ 24.28 करोड़⁶ का दो एकरारनामा किया (अक्टूबर 2009 और मई 2010)। ठेकेदारों ने कार्यों को विस्तारित समयावधि में पूर्ण कर दिया और उनके अंतिम विपत्रों के विरुद्ध उनको जनवरी और जुलाई 2014 में ₹ 29.88 करोड़⁷ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि कार्यस्थल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थे और ठेकेदारों ने कार्य करने में कठिनाईयों को बतलाते हुए कार्य. अभि. को बी.यू.एस.जी., पी.सी. और एस.सी. के अनुबंधित बिटूमिनस मर्दों को बिटूमिनस मेकाडम (बी.एम.) और सेमी डेन्स बिटूमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के साथ प्रतिस्थापन करने का निवेदन किया (फरवरी 2012 और अप्रैल 2012) क्योंकि बी.यू.एस.जी., पी.सी. और एस.सी. को मैनुअली करना था, जिसमें अधिक समय लगता, जबकि बी.एम. और एस.डी.बी.सी. कार्य यांत्रिक साधनों से किया जा सकता था, जिसमें कम समय लगता। ठेकेदारों के निवेदन को अभियंता प्रमुख (अभि.प्रमु.), आर.सी.डी. द्वारा स्वीकार कर लिया गया (अगस्त 2012 और फरवरी 2013) और प्राक्कलन को ₹ 27.21 करोड़⁸ के लिए संशोधित कर दिया गया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013)। अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, डाल्टनगंज द्वारा बी.एम. और एस.डी.बी.सी. के दरों को 2012 के अनुसूचित दर पर अनुमोदित किया गया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013)। कार्य. अभि. ने ठेकेदारों के साथ नवम्बर 2012 और फरवरी 2013 में पूरक एकरारनामा किया। तदनुसार, ठेकेदारों ने बी.एम. और एस.डी.बी.सी. कार्य किया और उन्हें 2012 के अनुसूचित दर पर ₹ 8.16 करोड़⁹ का भुगतान किया गया।

हमने देखा कि यदि बी.एम. और एस.डी.बी.सी. के मर्दों को 2008 के अनुसूचित दर पर मूल आकलन में सम्मिलित किया जाता और ठेकेदारों को लागू मूल्य समायोजन¹⁰ सहित उनके एकरारित दरों, 2008 के अनुसूचित दर की तुलना में, पर भुगतान किया गया होता तो विभाग को ₹ 6.66 करोड़ का भुगतान करना पड़ता। इस प्रकार विभाग को ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में है:

⁶ ₹ 14.52 करोड़ के लिए 25 मई 2010 को एकरारनामा सं. 01 एस.बी.डी./2010-11 (जी.सी. पथ) और ₹ 9.76 करोड़ के लिए 23 अक्टूबर 2009 को 02 एस.बी.डी./2009-10 (एन.डी. पथ)।

⁷ जी.सी. पथ: ₹ 17.12 करोड़ और एन.डी. पथ: ₹ 12.76 करोड़।

⁸ जी.सी. पथ: ₹ 15.49 करोड़ और एन.डी. पथ: ₹ 11.72 करोड़।

⁹ जी.सी. पथ: ₹ 4.00 करोड़ और एन.डी. पथ: ₹ 4.16 करोड़, फिनिश दर, जिस पर पूरक एकरारनामा किया गया, में सम्मिलित केरेज चार्जेज को छोड़कर 2012 के एस.ओ.आर. के अनुसार बी.एम. और एस.डी.बी.सी. के दर पर गणना किया गया।

¹⁰ किये गये कार्य की लागत पर भुगतान मूल्य समायोजन के आधार पर मूल्य समायोजन प्रतिशतता की गणना की गयी।

(राशि ₹ में)

एकरारनामा सं.	कार्यों के मद	किये गये कार्य की मात्रा धन मी. में	2008 के अनुसूचित दर के अनुसार प्रति धन मी. का दर	भुगतेय दर ¹¹	व्यय जो किया जाना था	2012 के अनुसूचित दर के अनुसार प्रति धन मी. दर	2012 के अनुसूचित दर पर किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7	8 (3 x 7)
01 एस.बी. डी./ 2010 - 11 जी. सी. रोड	बी. एम. ग्रेड II	4007.19	4185	4974	19931763	5780	23161558
	एस. डी. बी. सी. ग्रेड II	2026.55	6123	7278	14749231	8336	16893321
02 एस.बी. डी./ 2009 - 10 एन. डी. रोड	बी. एम. ग्रेड II	4181.38	4185	4417	18469155	5780	24168376
	एस. डी. बी. सी. ग्रेड II	2089.15	6123	6463	13502176	8336	17415154
कुल					66652325		81638409

इस प्रकार, विभाग द्वारा जमीनी स्थिति का निर्धारण नहीं करने और एकरारनामा में मूल प्राक्कलन के तैयारी के समय बी.एम. और एस.डी.बी.सी. कार्य को 2008 के अनुसूचित दर पर समिलित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इसे बताये जाने पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के साथ-साथ विशिष्ट मामले के आधार पर तथा विभाग के सी.डी.ओ. द्वारा तकनीकी अनुसंधान के पश्चात कार्रवाई की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विशिष्टियों में परिवर्तन नक्सल समस्या के कारण किए गए थे जो विभाग को जात था न कि तकनीकी कारण से।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (जुलाई 2014), स्मारपत्र¹² के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

3.3 दृष्टिचूक/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता

सरकार को लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में उदाहरण पाये गये, जहाँ सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्त की गयी निधि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता एवं

¹¹ भुगतेय दर की गणना बी.ओ.क्यू से ज्यादा/कम एकरारित दर की प्रतिशतता और वर्ष 2008 के एस.ओ.आर पर मूल्य समायोजन का भुगतान को ध्यान में रख किया गया। जी.सी. पथ का एकरारित दर: बी.ओ.क्यू. से 9.05 प्रतिशत ज्यादा, मूल्य समायोजन: 9 प्रतिशत, एन.डी. रोड का एकरारित दर- बी.ओ.क्यू. से 8.22 प्रतिशत कम, मूल्य समायोजन 15 प्रतिशत।

¹² स्मारपत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/173 दिनांक 25 अगस्त 2014, 223 दिनांक 25 सितम्बर 2014 और 307 दिनांक 31 अक्टूबर 2014।

योजनाबद्ध तरीके का आभाव, प्रशासनिक दृष्टिकौप के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फल/अलाभकारी/अनुत्पादक रही। कुछ वैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है:

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.1 निष्क्रिय व्यय

विद्युत नियमावली 1956 के तदनुरूप विभाग द्वारा स्थल उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विफलता और तदुपरान्त 33 के.वी. विद्युत तार नहीं हटाए जाने के कारण चिकित्सकों/कर्मचारियों का आवास अनावासित रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 अध्याय VII अनुच्छेद 80(1) के अनुसार यदि किसी भवन या उसके हिस्से के ऊपर से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज का लाइन गुजरता है तो अधिकतम झुकाव के आधार पर उस भवन के शीर्षतम भाग के ऊपर उर्ध्वाधर के लिए अंतर उच्च वोल्टेज 3.7 मीटर 33,000 वोल्ट तक और हवा के दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर ऐसे भवन के किसी भाग और विद्युत चालक के बीच क्षैतिज अंतर दो मीटर से कम नहीं होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) सारवाँ अस्पताल एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण हेतु सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ₹ 3.18 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (दिसम्बर 2007)। विभाग द्वारा जिला अभियंता (जि.अ.), जिला परिषद देवघर को कार्य दिया गया (फरवरी 2008) एवं आठ महीने में कार्य को विभागीय रूप से पूर्ण करने हेतु ₹ 3.18 करोड़ के लागत पर उपायुक्त द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया (फरवरी 2008)। तदुपरान्त, मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, छोटानागपुर एवं संथाल परगाना, राँची द्वारा ₹ 3.81 करोड़ के प्राकल्लन की तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2008) दी गयी जिसके आधार पर विभाग द्वारा ₹ 3.67 करोड़ का पुनरीक्षित अनुमोदन दिया गया (फरवरी 2008)।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्र.चि.पदा.), सा.स्वा.के. सारवाँ, देवघर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2014) में उद्घटित हुआ कि अस्पताल एवं आवास, भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद प्र.चि.पदा. सारवाँ को हस्तगत किया गया था (नवम्बर 2012) लेकिन ₹ 1.71 करोड़ की लागत से निर्मित कर्मचारी आवास अनावासित रहा (मार्च 2014) क्योंकि इसके ऊपर से गुजरने वाले उच्च वोल्टेज (33 के.वी.) विद्युत तार खतरनाक थे जिसकी सूचना प्र.चि.पदा. द्वारा उपायुक्त को दी गई (दिसम्बर 2012)।

उपायुक्त द्वारा संदर्भित किये जाने पर (फरवरी 2013) कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, देवघर ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि 33 के.वी. का तार पिछले दस साल से अधिष्ठापित है और इन तारों के नीचे भवन का निर्माण अवैध था।

तथापि का.आ. द्वारा तारों को हटाने के लिए ₹ 11.00 लाख का एक प्राकल्लन प्र.चि.पदा. को समर्पित किया (फरवरी 2013)। प्र.चि.पदा. ने पुनः उपायुक्त को सूचित किया (अप्रैल 2014) कि 33 के.वी. तार नहीं हटाया गया था। हमने यह पाया कि 33 के.वी. के तार हटाने के लिए राशि स्वीकृति हेतु प्र.चि.पदा. द्वारा उच्च अधिकारी को कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कर्मचारी आवास के निर्माण के लिए भारतीय विद्युत नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त कार्य स्थल सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता तदुपरान्त मु.अ. द्वारा अनुपायुक्त स्थल के लिए तकनीकि स्वीकृति देना एवं जिला अभियंता जो इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि स्थल के नजदीक से 33 के.वी. का तार गुजरता था, द्वारा निर्माण प्रारम्भ कराया जाना एवं चि.पदा.प्र. द्वारा मामले को देर से अर्थात् कार्य पूर्ण होने के उपरांत उठाए जाने के कारण आवास अनावासित रहा और ₹ 1.71 करोड़ का व्यय निष्क्रिय रहा।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया (जून 2014); स्मारपत्रों¹³ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

3.3.2 निष्फल व्यय

प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण/उन्नयन में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का निष्फल व्यय।

राज्य के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, झारखण्ड सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/उन्नयन पर जोर दिया।

पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, ताँतनगर, के निर्माण हेतु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने प्रारम्भ में ₹ 0.20 करोड़ का आवंटन (अक्टूबर 2005) उपायुक्त (डी.सी.) पश्चिमी सिंहभूम को दिया। विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण किया जाए एवं पुनः ₹ 1.25 करोड़ उपायुक्त को आवंटित (अक्टूबर 2006) किया। उपायुक्त द्वारा उक्त राशि की निकासी कर जिला प्रजनन और बाल स्वास्थ्य समिति के खाते (असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी प. सिंहभूम) में रखा गया।

हमने देखा कि मॉडल ड्राइंग एवं डिजाईन के आधार पर विभाग द्वारा मुख्य भवन के निर्माण का प्राक्कलन ₹ 1.40 करोड़¹⁴ किया गया (जनवरी 2007)। तदोपरान्त,

¹³ अनुस्मार: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/98 दिनांक 5 अगस्त 2014, 199 दिनांक 10 सितम्बर 2014 और 290 दिनांक 15 अक्टूबर 2014

¹⁴ मुख्य भवन निर्माण के लिए ₹ 1.14 करोड़ एवं पुनरुद्धार के लिए ₹ 0.26 करोड़ प्रशासकीय और बाह्य मरीज विभाग (ओ.पी.डी.) भवन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्राक्कलित राशि पुनरीक्षित होकर ₹ 3.18 करोड़¹⁵ हो गयी, जिसके लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग ने तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया (जुलाई 2007)। उपायुक्त ने जिला अभियंता, जिला परिषद सिंहभूम को कार्यकारी एजेन्सी के रूप में विभागीय¹⁶ स्तर पर कार्य हेतु चयन किया (सितम्बर 2007)। तदनुसार, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चाईबासा द्वारा कार्य जिला अभियंता जिला परिषद को भवन के पूर्ण होने की तिथि निर्धारित किए बिना दिया गया (सितम्बर 2007)।

हालाँकि, जिला अभियंता, जिला परिषद ने संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को 15 सितम्बर 2007 को कार्यादेश निर्गत कर, कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2010 निर्धारित की थी। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सितम्बर 2007 से अगस्त 2008 के बीच ₹ 1.45 करोड़ जिला अभियंता, जिला परिषद को निर्गत किया गया।

पुनः उपायुक्त ने विभाग से और राशि ₹ 1.33 करोड़¹⁷ प्राप्त किया, जिसे पुस्तहस्तांतरण¹⁸ द्वारा जिला अभियंता जिला परिषद को उपलब्ध (मार्च 2009 से मार्च 2011) करा दिया गया। कुल उपलब्ध राशि ₹ 2.78 करोड़ में से ₹ 2.73 करोड़ जिला अभियंता द्वारा अग्रिम के रूप में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को सितम्बर 2007 से मार्च 2011 के बीच दी गयी, जिसके विरुद्ध ₹ 1.92 करोड़ का समायोजन (मार्च 2011) कार्य के विरुद्ध किया गया और ₹ 81.41 लाख जून 2014 तक असमायोजित¹⁹ रहा।

हमने आगे पाया कि स्वीकृत प्राक्कलित राशि ₹ 3.18 करोड़ के अनुसार विभाग द्वारा जून 2014 तक राशि निर्गत नहीं की गयी। इतना ही नहीं आवंटित राशि लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं किया गया, परिणामतः मार्च 2011 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गयी तथा ₹ 81.41 लाख क.आ./स.आ. के पास असमायोजित रहा। विभाग की शिथिलतापूर्ण प्रवृत्ति एवं जिला अभियंता जिला परिषद और उनके कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की अक्षमता के कारण उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जून 2014 तक अपूर्ण रहा।

¹⁵ सा.स्वा.केन्द्र के निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति, मेडिकल और पारा मैडिकल स्टाफ के लिए, आवासों का निर्माण, चाहारदीवारी, सामुदायिक शौचालय और प्रतीक्षा के लिए जगह, जेनरेटर इत्यादि।

¹⁶ सामग्री सीधे क्रय करके एवं मजदूरों को काम पर लगाकर विभागीय इंजीनियर द्वारा सम्पन्न कराना था।

¹⁷ फरवरी 2009: ₹ 68 लाख, अक्टूबर 2009: ₹ 30 लाख और मार्च 2011: ₹ 35 लाख।

¹⁸ पुस्तहस्तांतरण का मतलब आवंटन विभाग को किया गया तथा निधि सीधे क्रियान्वयन एजेन्सी को कोषागार के द्वारा हस्तान्तरित की गई।

¹⁹ कनीय अभियंता ₹ 59.40 लाख, सहायक अभियंता ₹ 22.01 लाख।

असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि अनेक स्मारपत्रों के बावजूद जिला अभियंता, जिला परिषद ने कार्य पूर्ण नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा किये जाने पर, जिला अभियंता, जिला परिषद ने जवाब दिया (जून 2014) कि भवन अपूर्ण रहने का कारण अभिलेखित नहीं था और कार्य की भौतिक प्रगति कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से सुनिश्चित की जा रही थी।

इस प्रकार, पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर विभाग द्वारा राशि निर्गत नहीं किया जाना, उपायुक्त और असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ से ही समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया जाना, कार्य पूर्ण करने की तिथि को कार्य आवंटित करते समय निर्धारित नहीं किया जाना और जिला अभियंता, जिला परिषद के कार्य निष्पादन में कमी के कारण छः वर्ष बीत जाने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अपूर्ण रहा और ₹ 1.92 करोड़ का खर्च अलाभप्रद साबित हुआ। जिससे बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का उद्देश्य विफल रहा।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया (जून 2014); स्मारपत्रों²⁰ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2014)।

कला, संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग

3.3.3 निष्फल व्यय

मेगा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स से संबंधित कार्य समय पर नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता के नियम 123 के अनुसार यदि कार्य के दौरान प्रशासनिक अनुमोदित लागत में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, दर वृद्धि या अन्य कारणों से हुई हो तो बढ़े हुए व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अनु.) अविलम्ब प्राप्त किया जाना चाहिए तथा निर्माण अवधि में अनुमोदित मौलिक प्रस्ताव में परिवर्तन के मामले में विस्तृत पूरक या संशोधित प्राक्कलन की तैयारी की प्रतीक्षा किए बिना प्राप्त किया जाना चाहिए।

सचिव, कला, संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स के निर्माण के लिए ₹ 4.83 करोड़ के प्र.अनु. की स्वीकृति (मार्च 2007) तथा मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति (सितम्बर 2007) प्रदान की गयी। भवन निर्माण प्रमणिल धनबाद द्वारा मे. ईस्ट इण्डिया कंस्ट्रक्शन कंपनी (संवेदक) बोकारो के साथ ₹ 4.41 करोड़ का एक समझौता (मार्च 2008) किया गया जिसकी कार्य समाप्ति तिथि जून 2009 थी।

²⁰ अनुस्मार: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/103 दिनांक 8 अगस्त 2014, 212 दिनांक 18 सितम्बर 2014 और 302 दिनांक 30 अक्टूबर 2014।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र विस्तार यथा-क्षेत्र के आकार में वृद्धि, प्रशिक्षणार्थियों तथा खेलकर्मियों के ठहराव का प्रस्ताव जो मौलिक अनुमानित प्राक्कलन में शामिल नहीं थे, के कारण ₹ 5.48 करोड़ के संशोधित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (मई 2010) मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा दी गयी तथा प्रशासनिक विभाग को संशोधित प्र.अनु. के लिए भेजा गया (मई 2010)। पुनः उपायुक्त धनबाद द्वारा भी संशोधित तकनीकी आकलन के आधार पर शेष निधि की विमुक्ति के लिए विभाग को निवेदित किया (जनवरी 2011)।

इसी बीच संवेदक द्वारा स्टेडियम के कुछ भाग का निर्माण कार्य²¹ पूर्ण किया गया और विभाग द्वारा कार्य के क्षेत्र विस्तार का अनुमोदन नहीं किये जाने, कार्यस्थल से गुजर रहे 33. के.भी. उच्च टैंशन विद्युत लाइन के हटाने में विलम्ब, भुगतान में विलम्ब तथा सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण शेष कार्य रोक दिया गया (मई 2012)। इस प्रकार शेष कार्य²² को विभिन्न स्मारपत्रों²³ के बाद भी संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में रुचि में कमी के आधार पर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा कार्य को रद्द (जनवरी 2013) किया गया तथा प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया गया। यह देखा गया कि कार्य पर ₹ 3.56 करोड़ का व्यय किया गया था।

हमने पुनः देखा कि सामग्री की मात्रा एवं लागत में वृद्धि के कारण मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा ₹ 6.92 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (मई 2013)। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा संशोधित प्राक्कलन को संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रशासनिक विभाग को भेजा गया (मई 2013)। उपायुक्त धनबाद द्वारा भी सचिव, कला, संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग को संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के लिए निवेदन किया गया (जून 2013)। तथापि, जून 2014 तक क्रमशः चार वर्ष एवं एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद प्रथम एवं द्वितीय संशोधित प्राक्कलन पर संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया गया और कार्य शुरू नहीं हो सका।

इंगित किए जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया (जुलाई 2013) कि ₹ 6.92 करोड़ के लिए संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है, तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा संशोधित प्र.अनु. प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, कार्यपालक अभियंता तथा उपायुक्त द्वारा स्मार के बावजूद संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन करने में विभागीय उदासीनता और समय पर कार्य पूर्ण कराने

²¹ दर्शक गैलरी की सुपर संरचना, ठहरने का स्थान, दर्शक गैलरी के अन्दर का प्लास्टरिंग तथा सीढ़ी।

²² लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मद, विद्युतीकरण, ट्रैक का निर्माण, बाहरी नाली तथा पहुँच पथ।

²³ कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-1907 दिनांक 05 अक्टूबर 2009, 2283 दिनांक 02 दिसम्बर 2009 तथा 592 दिनांक 17 मार्च 2012।

हेतु राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद, मेंगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूर्ण नहीं हो सका जिससे ₹ 3.56 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

प्रधान सचिव, कला एवं संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा उत्तर में कहा गया (जुलाई 2014) कि विभाग द्वारा कार्य में विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि ₹ 6.92 करोड़ के संशोधित प्र.अनु. के लिए उपायुक्त का अनुरोध जनवरी 2014 में प्राप्त हुआ और संशोधित प्र.अनु. के लिए आवश्यक अभिलेख राज्य योजना प्राधिकार समिति (एस.पी.ई.सी.) को विभाग द्वारा मई 2014 में भेजा गया था जो विभाग को एस.पी.ई.सी. द्वारा निर्देशित आवश्यक तथ्यों को समाहित करते हुए, वापस लौटाया (जुलाई 2014) गया था। पुनः उन्होंने कहा कि राशि का उपयोग निष्फल नहीं था, और मेंगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, धनबाद द्वारा ₹ 5.48 करोड़ का प्रथम संशोधित अनुमानित व्यय के प्र.अनु. के लिए मई 2010 में विभाग को भेजा गया था और उपायुक्त धनबाद द्वारा भी विभाग को जनवरी 2011 में संशोधित अनुमानित व्यय के अनुसार राशि विमुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था। पुनः ₹ 6.92 करोड़ का द्वितीय संशोधित तकनीकी संस्कृति हेतु प्रमण्डल तथा उपायुक्त द्वारा क्रमशः मई 2013 तथा जून 2013 में विभाग को भेजा गया था, जिसे जुलाई 2014 तक अनुमोदित नहीं किया गया था। इस प्रकार मई 2010 से जनवरी 2014 तक संशोधित प्र.अनु. प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे साढ़े तीन वर्ष का विलम्ब हुआ। इसके अलावा ₹ 3.56 करोड़ के व्यय के बावजूद भी आधारभूत संरचना तैयार नहीं थी।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3.4 निष्फल व्यय

पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण के फलस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का आवंटन नहीं हुआ तथा कार्य अपूर्ण रहा जिससे ₹ 3.49 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

झारखण्ड लो.नि.वि. संहिता के नियम 121 के अनुसार, दूसरे विभाग की आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करने के लिए, कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव पर संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। उपरोक्त संहिता का नियम 123 आगे उल्लिखित करता है कि प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया प्रस्तावों के संशोधन पर भी लागू होती है जब इस प्रकार के संशोधन से प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में अनुमोदित लागत से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल (आर.डी.एस.डी.), सरायकेला-खरसावां की अभिलेखों की हमारी जाँच (फरवरी 2014) में उद्घाटित हुआ कि चाँड़िल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग (एल.ई.टी.डी.) ने ₹ 3.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2008), जिसके पूर्ण होने की तिथि मार्च 2009 थी। मुख्य अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची ने आई.टी.आई. भवन, गढ़वा के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी स्वीकृति दी। एल.ई.टी.डी. ने आर.डी.एस.डी. को ₹ 3.35 करोड़ विमुक्त किया (दिसम्बर 2008 तथा अगस्त 2009)। आर.डी.एस.डी. ने मॉडल प्राक्कलन के अनुसार कार्य को विभागीय रूप से कार्यान्वित किया (जून 2009 एवं अगस्त 2011 के बीच)। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां कार्य के अनुश्रवण तथा निरीक्षण के लिए जिम्मेदार थे।

हमने देखा कि जहाँ एक तरफ कार्य को विभागीय तौर पर मूल प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ कार्यपालक अभियंता, (आर.डी.एस.डी.), सरायकेला-खरसावां द्वारा दरों की अनुसूचि में बदलाव, कार्यस्थल पर असमतल जमीन के कारण रूपांकण तथा प्रारूपण में बदलाव, गहरे बोरवेल का प्रावधान, बागवानी एवं भू-दृश्य निर्माण इत्यादि के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया जिस पर मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रक्षेत्र, राँची के द्वारा ₹ 4.38 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (फरवरी 2010)। प्राक्कलन में पुनरीक्षण के कारण कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 1.03 करोड़ की (कुल लागत वृद्धि 31 प्रतिशत) अतिरिक्त आवश्यकता थी।

संवीक्षा में पुनः उद्घटित हुआ कि उपरोक्त संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रमण्डल ने मूल प्राक्कलन के स्थान पर पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन हेतु मामला को एल.ई.टी.डी. को भेजे बिना, कार्य का कार्यान्वयन जारी रखा तथा अगस्त 2011 तक विभागीय रूप से ₹ 2.79 करोड़ के मूल्य का कार्य किया। हालाँकि ₹ 69.73 लाख मूल्य के कार्य की कुछ मर्दों²⁴ की संविदा निकाली गई और दो संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया (नवम्बर 2011 तथा मार्च 2013 के बीच) क्योंकि सरकार ने राज्य में सभी विभागों द्वारा कार्य के विभागीय कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी (अक्टूबर 2010)।

निविदित कार्य को ₹ 58.84 लाख का खर्च करने के पश्चात बीच में ही रोक दिया गया (जून 2013) क्योंकि प्रधान सचिव, एल.ई.टी.डी. ने बिना उनकी सहमति के स्वीकृत प्राक्कलन में पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई (दिसम्बर 2012) तथा ग्रामीण विकास विभाग से कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने हेतु अनुरोध करने के अलावे ₹ 1.03 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी करने से इंकार कर दिया। पुनः एल.ई.टी.डी. ने प्रमण्डल से विस्तृत तकनीकी स्वीकृत

²⁴ अवशेष आई.टी.आई. भवन का निर्माण, कार्यशाला के लिए घुमता हुआ शटर, दिवारों के अन्दर और बाहर की रंगाई, दरवाजों एवं खिड़कियों की रंगाई।

प्राक्कलन तथा उपायुक्त से निरीक्षण प्रतिवेदन की माँग क्रमशः मई 2012 तथा जून 2013 में की जो हालाँकि फरवरी 2014 तक जमा नहीं किए गए थे।

कनीय अभियंता, आर.डी.एस.डी., सरायकेला-खरसावां के साथ लेखापरीक्षा के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2014) में उद्घटित हुआ कि चाहारदिवारी का निर्माण, विद्युतीकरण, जल-आपूर्ति, आंतरिक सड़क का निर्माण, केंटीन इत्यादि का निर्माण अभी भी किया जाना था। जिस भवन के निर्माण के पूर्ण होने की तारीख मार्च 2009 तक निर्धारित की गई थी, उसे अभी भी पूर्ण (जुलाई 2014) किया जाना था तथा मूल विभाग को आई.टी.आई. के रूप में उपयोग हेतु हस्तगत कराया जाना था।

इस प्रकार, एल.ई.टी.डी. से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किये बिना कार्य को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी नहीं की गई तथा कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 3.49 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2014); स्मारपत्रों²⁵ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

3.3.5 अपव्यय

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.म.ग्रा.से.यो.) के अंतर्गत बियरगारा नदी पर निम्न स्तरीय और अपूर्ण निर्माण के कारण ₹ 2.18 करोड़ का अपव्यय हुआ।

मंत्रिमंडल सतर्कता विभाग के अनुशंसा के आलोक में, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), ग्रामीण विकास (विशेष प्रक्षेत्र) ने निर्देशित (मार्च 2009) किया कि कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) और सहायक अभियंता (स.अभि.), फाउंडेशन और रीइनफोर्समेंट के संबंध में मापी की 100 प्रतिशत जाँच करना सुनिश्चित करेंगे और का.अभि./स.अभि. द्वारा किये गये मापी की जाँच को मापी पुस्तिका में इस प्रमाण के साथ अंकित करना होगा कि कार्य का कार्यान्वयन स्वीकृत ड्राइंग/नक्शा के अनुसार किया गया है। पुनः विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.म.ग्रा.से.यो.) योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश के अनुसार, किये गये कार्य की मापी कनीय अभियंता प्रतिदिन मापी पुस्तिका में अंकित करेंगे और स.अभि. और का.अभि. मापी की क्रमशः साप्ताहिक एवं पाक्षिक जाँच करेंगे। पुनः अनुबंध दस्तावेज के खण्ड 25.2 के अनुसार, पुल के डिजाइन और ड्राइंग की सटीकता के लिए संवेदक को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया था।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने मु.म.ग्रा.से.यो. के अंतर्गत उलीहातु सड़क, खूँटी के अड़की में बियरगारा नदी के ऊपर एक पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2008)। बाद में विभागीय निविदा समिति की अनुशंसा (दिसम्बर 2008) के आधार पर, मु.अभि., ग्रामीण विकास (विशेष प्रक्षेत्र), राँची ने कार्य एक संवेदक को टर्न-की आधार पर आवंटित

²⁵ अनुस्मारक: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/111 दिनांक 8 अगस्त 2014, 216 दिनांक 18 सितम्बर 2014 और 306 दिनांक 30 अक्टूबर 2014.

किया (जनवरी 2009) और ग्रामीण विकास (विशेष) प्रमण्डल (ग्रा.वि.वि.प्र.), राँची द्वारा ₹ 4.15 करोड़ की अनुबंध राशि तथा सात चरणों²⁶ में 10 फरवरी 2010 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए संवेदक के साथ एक एकरारनामा किया गया (फरवरी 2009)।

का.अभि., ग्रा.वि.वि.प्र., खूँटी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि संवेदक द्वारा चौथे चरण²⁷ तक का कार्य किया गया था (मार्च 2011) और संवेदक को ₹ 2.18 करोड़²⁸ का भुगतान हुआ था। मार्च 2011 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि संवेदक ने विभाग को उग्रवाद के कारण स्थानीय रुकावटों के विषय में सूचित किया था (जुलाई 2010 और फरवरी 2012)। हालाँकि उसने किसी समय विस्तार के लिए निवेदन नहीं किया था।

आगे, मु.अभि., ग्रा.वि.वि.प्रक्षेत्र के टर्न-की कार्यों के क्रियान्वयन पर दिये गए निर्देशों (मार्च 2009) का उल्लंघन करते हुए का.अभि./स.अभि., फाउंडेशन और रीइनफोर्समेंट के विस्तृत माप की जाँच करने में विफल रहे जिसके द्वारा संवेदक को भुगतान की पुष्टि करनी थी। आगे, लेखापरीक्षा भी मापी का सत्यापन नहीं कर सका क्योंकि प्रतिशतता के आधार पर मापी लेकर संवेदक को एकमुश्त भुगतान किया गया था।

बाद में, का.अभि. ने पाया (दिसम्बर 2011) कि पाईल (खम्भा) की गहराई सही नहीं थी, पुल का पीयर संख्या तीन क्षतिग्रस्त हो गया था और पीयर संख्या छ: भी झुक गया था। का.अभि. ने संवेदक को मूल पीयर को तोड़कर पीयर के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया (दिसम्बर 2011 और मई 2013)। एस.बी.डी. के अनुबंध खण्ड के अनुपालन में संवेदक क्षतिग्रस्त पीयर के पुनर्निर्माण या पुल को पूर्ण करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहा।

का.अभि. ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2013) कि संवेदक को बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु स्मारित किया जा रहा है और त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए भुगतान त्रुटि के सुधार के बाद किया जायेगा। हालाँकि जुलाई 2014 तक पुल अपूर्ण था।

इस प्रकार, स.अभि./का.अभि. द्वारा मंत्रिमंडल सतर्कता विभाग की अनुशंसा के आलोक में फाउंडेशन और रीइनफोर्समेंट के मापी का शत् प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने में निगरानी की कमी, निष्पादित कार्य की मापी के लिए मु.म.गा.से.यो. के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने, अनुबंध खण्डों के आलोक में अपूर्ण/दोषपूर्ण

²⁶ चरण 1: विस्तृत डिज़ाइन और कार्यकारी ड्राइंग की स्वीकृति; चरण 2: नींव कार्य की पूर्णता तल स्तर तक; चरण 3: पीयर कैप स्तर तक पूर्णता; चरण 4: डेक स्लैब ढलाई की 50 प्रतिशत पूर्णता; चरण 5: डेक स्लैब ढलाई की 100 प्रतिशत पूर्णता; चरण 6: पूर्लों के घटकों जैसे वियरिंग कोर्स, रेलिंग, एप्रोच स्लैब की पूर्णता और चरण 7: निर्मित डिज़ाइन और परियोजना के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का समर्पण।

²⁷ पीयर कैप स्तर तक कार्य पूर्ण और डेक स्लैब स्तर का आंशिक कार्य।

²⁸ ग्रा.वि.वि.प्र., राँची द्वारा संवेदक को ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान (जनवरी 2010) सम्मिलित। इसके बाद कार्य ग्रा.वि.वि.प्र., खूँटी को स्थानांतरित (अगस्त 2010) किया गया। उस समय तक तीन चरणों के कार्य (फाउंडेशन, 11 पीयर और एक एबट्मेंट) पूर्ण थे।

निर्माण के लिए संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के कारण न केवल निम्न स्तरीय कार्य हुआ बल्कि ₹ 2.18 करोड़ का अपव्यय हुआ। इसके अलावा निर्बाध सड़क संपर्क के लाभों की प्राप्ति में देरी हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; उनके जवाब स्मारपत्रों²⁹ के बावजूद प्राप्त (जनवरी 2015) नहीं हुए थे।

हालाँकि, वित्त विभाग से उत्तर प्राप्त (जुलाई 2014) हो गया है, जिसमें लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए मुख्य अभियंता (गा.वि.वि.) विशेष प्रक्षेत्र, कार्यपालक अभियंता और संवेदक को प्रथमद्रष्टव्या जिम्मेवार पाया गया है और सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (गा.वि.वि.) को जिम्मेदारी तय करने, विभागीय कार्रवाई करने और संवेदक को काली सूची में डालने के अलावा 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ किए गए भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

भवन निर्माण विभाग

3.3.6 निष्फल व्यय

निर्माण के लिए अनुपयुक्त भूमि का प्रावधान, अनुमानित व्यय के संशोधन में विलम्ब तथा संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब के परिणामस्वरूप उप-कारा के अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹ 1.61 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता के नियम 121 के अनुसार कार्य का तकनीकी औचित्य अनुमोदन सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का संकेत है तथा योजना के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए इसे तकनीकी स्वीकृति के रूप में मान लिया जाना चाहिए। प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। पुनः झा.लो.नि.वि. के नियम 123 के अनुसार कार्य के दौरान यदि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के दर में वृद्धि या अन्य कारणों से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित हो तो व्यय में वृद्धि के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन अविलम्ब प्राप्त किया जाना चाहिए।

मधुपुर, देवघर में 300 कैदियों के लिए उप कारा के निर्माण हेतु ₹ 6.08 करोड़ के मानक प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान (नवम्बर 2003) किया गया तथा सचिव, गृह विभाग द्वारा ₹ 6.08 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया (सितम्बर 2004) गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग राँची द्वारा ₹ 6.86 करोड़ के अनुमानित व्यय पर भूमि की उपलब्धता एवं विस्तृत रेखांकन के बिना संवेदक को कार्य दिया गया (जुलाई 2006)। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को उपायुक्त देवघर द्वारा दिसम्बर 2007 में भूमि उपलब्ध करायी

²⁹ अनुस्मारक: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/96 दिनांक 5 अगस्त 2014, 198 दिनांक 10 सितम्बर 2014 और 291 दिनांक 15 अक्टूबर 2014.

गयी और अधीक्षण अभियंता, भवन डिजाइन अंचल द्वारा नींव का आरेख उपलब्ध कराया गया (जनवरी 2008)। तदनुसार, ₹ 7.13 करोड़ की लागत से कार्य आवंटन के 22 माह विलम्ब से संवेदक के साथ एक एकरारनामा किया गया (मई 2008) जिसकी पूर्णता की तिथि अगस्त 2009 थी।

यह देखा गया कि निर्माण के लिए ऊबड़-खाबड़ प्रकृति की भूमि उपलब्ध कराई गयी जब कि मानक प्राक्कलन तथा नींव आरेख समतल भूमि के लिए था। जैसा कि संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्देश एवं रेखांकन के लिए बार-बार³⁰ आवेदन किया गया। अभियंता प्रमुख तथा मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान (अक्टूबर 2009 और नवम्बर 2009) स्वीकार किया गया कि भूमि ऊबड़-खाबड़ प्रकृति की थी तथा कार्यपालक अभियंता को कार्य स्थल के अनुसार संशोधित आकलन तथा रेखांकन तैयार कर भवन निर्माण विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश (अप्रैल 2010) दिया गया। तथापि, उसके बाद संवेदक को कोई रेखांकन उपलब्ध नहीं कराया गया।

तत्पश्चात्, कार्यपालक अभियंता द्वारा धीमी प्रगति के आधार पर समझौता को रद्द किया गया (मई 2011), प्रमंडल द्वारा विभिन्न स्मारपत्रों³¹ के बावजूद संवेदक द्वारा खण्ड कार्य³² को किया गया जिसके लिए ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2011)।

संवीक्षा में आगे, पाया गया कि कार्य रद्द होने के 2 वर्ष से अधिक समय के बाद प्राक्कलन का संशोधन किया गया तथा ₹ 19.89 करोड़ का संशोधित एवं तकनीकी स्वीकृति, मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किया गया (जून 2013)। तथापि गृह विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रतिक्षित था इस कारण शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए जुलाई 2014 तक पुनः संविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार मानक प्राक्कलन पर कार्य प्रारंभ किया जाना जो ऊबड़-खाबड़ भूमि के लिए नहीं था, 22 माह बाद अनुबंध किया जाना, भवन निर्माण विभाग द्वारा शेष कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन में विलम्ब, संशोधित तकनीकी स्वीकृति के अनुसार संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने में प्रशासनिक विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप उप-कारा के निर्माण को पूर्ण नहीं किया जा सका और अपूर्ण कार्य पर ₹ 1.61 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

³⁰ दिनांक 11 जुलाई 2008, 05 मार्च 2009, 17 अप्रैल 2009, 17 अगस्त 2009, 02 सितम्बर 2010 तथा 04 अप्रैल 2011

³¹ कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-125 दिनांक 19 जुलाई 2008, 371 दिनांक 15 जून 2009 1145 दिनांक 01 अक्टूबर 2010 तथा 236 दिनांक 12 मार्च 2011

³² प्रशासनिक भवन-छत का निचला भाग, पुरुष छावनी (1 और 2): पूर्ण छत का सँचा, भूतल, लिंटेल तक ईंट कार्य, अस्पताल भवन-छत अपूर्ण अस्पताल रसोईघर-छत: (अपूर्ण) चाहरदीवारी-कंक्रीट कार्य 1245' की लम्बाई में कंक्रीट कार्य और वाह्य प्रेक्षण मीनार-दो अपूर्ण बाह्य प्रेक्षण मीनार।

उत्तर में प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कहा गया (नवम्बर 2014) कि प्रशासनिक विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता में विलम्ब एवं भूमि की ऊबड़-खाबड़ प्रकृति, के परिणामस्वरूप प्राक्कलन में संशोधन हुआ तथा उप-कारा अपूर्ण रहा। पुनः उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति पर संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रण की सूचना निर्गत की जाएगी।

तथ्य यह है कि पाँच वर्ष बाद भी उप-कारा अपूर्ण रहा।

3.4 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमिताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वे सतत् अनियमितताएँ हैं। इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद अनियमितताओं का पुनः होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अंगभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम की जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढाँचे को कमज़ोर करने के परिणाम के रूप में आता है। एक महत्वपूर्ण मामला पाया गया जो नीचे विमर्शित है:

ग्रामीण कार्य विभाग

3.4.1 सड़क का अधूरा निर्माण

प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि की उपलब्धता के बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के कारण ₹ 1.49 करोड़ का खर्च होने के बाद भी चार वर्षों से अधिक समय से कार्य अपूर्ण रहा एवं इसके अलावा ₹ 91.48 लाख का दायित्व सृजित हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता, 2012 के नियम 123 के अनुसार, दर बढ़ने या किसी अन्य कारण से यदि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि से 20 प्रतिशत से अधिक का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो बिना देरी के बढ़े हुए व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त की जानी थी।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत बहीरग्राम से पथटगट्टा, बंगाल सीमा तक 7.81 कि.मी. सड़क के उन्नयन के लिए ₹ 2.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2008), जिसके लिए मुख्य अभियंता (मु.अ.), ग्रा.वि.वि., छोटानागपुर एवं संथाल परगना ने 2007 के दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) के आधार पर तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान (सितम्बर 2008) की। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल, पाकुड़ ने निविदा आमंत्रित की (मार्च 2008) किन्तु एकल निविदा के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद का.अ. ने प्राक्कलन को नई अनुसूचित दर³³ पर ₹ 3.24 करोड़ के

³³ 21 मई 2008 से लागू।

लिए पुनरीक्षित कर दिया (सितम्बर 2008) और गार्डवाल³⁴ की लम्बाई को भी बढ़ाकर 110 मीटर से 355 मीटर कर दिया जिस पर मु.अ., ग्रा.वि.वि. ने सितम्बर 2008 में त.स्वी. प्रदान की।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2013) में उद्घटित हुआ कि झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 123 का उल्लंघन करते हुए का.अ. ने विभाग से बिना पुनरीक्षित प्र.स्वी. प्राप्त किये पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 3.24 करोड़ पर निविदा आमंत्रित (सितम्बर 2008) की और एक संवेदक के साथ ₹ 3.07 करोड़³⁵ का अनुबंध (फरवरी 2009) किया जिसके पूर्ण होने की तिथि फरवरी 2010 थी। आगे यह पाया गया कि स्वीकृत लम्बाई 7.81 कि.मी. के विरुद्ध संवेदक ने 7.81 कि.मी. में मिट्टी, सब-बेस और ग्रेड II³⁶, 5 कि.मी. में ग्रेड III³⁷, 2.5 कि.मी. में प्रीमिक्सिंग और सील कोटिंग, 2.4 कि.मी. में पी.सी.सी. और नौ क्रॉस नालियों का निर्माण का कार्य ₹ 2.40 करोड़ में किया जिसके लिए उसे ₹ 1.49 करोड़ का भुगतान किया गया और शेष ₹ 0.91 करोड़ का भुगतान आवंटन विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अभुगतेय रहा। भुगतान नहीं होने के कारण संवेदक द्वारा आगे कोई कार्य नहीं किया गया और कार्य जुलाई 2014 तक अपूर्ण³⁸ रहा।

इस प्रकार, संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए का.अ. द्वारा विभाग से पुनरीक्षित प्र.स्वी. प्राप्त किये बिना निविदा/कार्यादेश दिये जाने के परिणामस्वरूप न केवल पर्याप्त निधि निर्गत नहीं हुई और कार्य चार वर्षों से अधिक समय तक अधूरा रहा बल्कि ₹1.49 करोड़ का निरर्थक व्यय और ₹ 0.91 करोड़ के दायित्व का भी सृजन हुआ। इसके अलावे, जलवायु एवं आवागमन के कारण पहले से निर्मित और अनावृत डब्ल्यू.बी.एम. सतह की गुणवत्ता में कमी से इनकार नहीं किया जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); स्मारपत्रों³⁹ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)। हालाँकि सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने सचिव, ग्रा.का.वि. को कहा (जुलाई 2014) कि का.अ. के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए।

³⁴ और सभी मात्राएं वही थी।

³⁵ अनुबंध सं. 28 एफ.2 2008-09 दिनांक 9 फरवरी 2009।

³⁶ ग्रेड-II: पथ तटबन्ध (ईंबैंकमेंट) स्क्रीनिंग सामग्री के साथ पत्थर (45 से 63 मी.मी. आकार के) का प्रावधान करना।

³⁷ ग्रेड-III: पथ तटबन्ध (ईंबैंकमेंट) स्क्रीनिंग सामग्री यथा चुर्ण तरह की सामग्री जैसे मुरम या ग्रेवल/चिकना पत्थर के साथ पत्थर (22.4 से 53 मी.मी. आकार के) का प्रावधान करना।

³⁸ ग्रेड-III: 0.41 कि.मी. एवं प्रीमिक्स और सील कोट 2.91 कि.मी.।

³⁹ अनुस्मारक:पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/107 दिनांक 8 अगस्त 2014, 214 दिनांक 18 सितम्बर 2014 और 304 दिनांक 30 अक्टूबर 2014।

3.4.2 सरकारी धन की वसूली न होना

संवेदक को अधिक्य भुगतान तथा दण्ड/परिसमापन क्षति की उगाही नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

मानक संविदा मसौदे (एस.बी.डी.) के खण्ड 53.1 के अनुसार अगर एक संविदा संवेदक द्वारा संविदा की मौलिकता भंग करने के कारण रद्द की जाती है तो अभियंता, कुल किए गए कार्य एवं सामग्री आदेश का मूल्य तथा परिसमापन क्षति⁴⁰ यदि कोई हो, को घटाकर, प्रमाण पत्र निर्गत करने के दिन तक भुगतान की गई अग्रिम तथा अपूर्ण कार्य के मूल्य पर लागू प्रतिशतता जैसा कि संविदा डाटा⁴¹ में वर्णित है को घटाकर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि नियोक्ता को भुगतेय कुल राशि, संवेदक को भुगतेय राशि से अधिक होती है तो अंतर राशि की वसूली प्रतिभूति जमा तथा निष्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। वसूली के बावजूद यदि कोई राशि शेष रह जाए तो वह नियोक्ता को भुगतेय कर्ज होगा।

पुनः एस.बी.डी. के खण्ड 38.1 के अनुसार संवेदक संपादित कार्यों के मूल्य की विस्तृत माप के साथ किए हुए कार्य के मूल्यांकन का पाक्षिक/मासिक विवरणी अभियंता को समर्पित करेगा। अभियंता संवेदक द्वारा समर्पित पाक्षिक/मासिक विवरणी की जाँच करेगा तथा संवेदक को भुगतेय राशि को प्रमाणित करेगा तथा 14 दिनों के अंदर प्रमाणित राशि का भुगतान करेगा।

ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित (जनवरी 2014) हुआ कि मुख्य अभियंता, (मु.अ.) ग्रामीण कार्य विभाग ने कुम्हार मोड़ से सहिजन रोड जिसकी कुल लंबाई 29.60 कि.मी. थी के सुधार कार्य के लिए संवेदक से ₹ 4.42 करोड़⁴² की लागत पर संविदा (मार्च 2007) किया। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमण्डल ने संवेदक के साथ, कार्य को सितम्बर 2008 तक पूर्ण करने हेतु, अनुबंध (मार्च 2007) किया।

हमने देखा कि का.अ. ने संवेदक द्वारा मौलिकता भंग करने के कारण संविदा को रद्द⁴³ (अप्रैल 2011) कर दिया क्योंकि संवेदक ने कार्य को जारी रखने में कोई रुचि नहीं दिखाई तथा बीच में ही काम छोड़ दिया तथा अनेक स्मारपत्रों⁴⁴ तथा प्रेस सूचनायें देने के बाद भी काम शुरू नहीं किया। पुनः संवेदक ने संपादित कार्य के मूल्यांकन को प्रमाणित करने हेतु विवरणी कार्यपालक अभियंता को समर्पित नहीं की थी तथा इसके परिणामस्वरूप सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता ने संवेदक को

⁴⁰ 10 प्रतिशत वर्तमान मामले में।

⁴¹ 20 प्रतिशत तात्कालिक मामले में।

⁴² 0.25 प्रतिशत उद्दृत दर के नीचे

⁴³ अधिनियम की धारा 3 (ए) संविदा के, पत्र सं. 480 दिनांक 20 अप्रैल 2011

⁴⁴ पत्र सं.: 275 दिनांक 13 मार्च 2010, 487 दिनांक 19 अप्रैल 2010, 684 दिनांक 18 मई 2010 और 1570 दिनांक 4 नवम्बर 2010; प्रेस नोट: 838 दिनांक 10 जून 2010 और 152 दिनांक 19 फरवरी 2011

भुगतान की जाने वाली राशि को प्रमाणित नहीं किया। प्रमण्डल ने किए गए कार्य तथा निर्गत सामग्री का अंतिम माप लिया (मई 2012) तथा पाया कि संवेदक को ₹ 0.50 करोड़ का⁴⁵ अधिक भुगतान किया गया था जो उससे वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पुनः उद्घटित हुआ कि अनुबंध के अनुसार प्रमण्डल ने, एस.बी.डी. के खण्ड 53.1 के अनुसार संविदा खत्म होने पर संवेदक से वसूले जाने वाला जुर्माना तथा अधिक्य भुगतान की राशि की गणना (जनवरी 2014) नहीं की थी। संविदा की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा ने संवेदक से ₹ 1.47 करोड़ वसूलनीय राशि की गणना की थी जैसा नीचे की तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

इकरारनामा मूल्य	किए गए कार्य का मूल्य	शेष कार्य का मूल्य	प्रतिभूति जमा, आई.टी.ए स.टी. रॉयलटी के कारण होने वाली कटौतियाँ	संवेदक को सकल भुगतान	संवेदक को अधिक्य भुगतान	अपूर्ण कार्य का मूल्य का 20 प्रतिशत	परिसमापन क्षति ए का 10 प्रतिशत	संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा भग होने पर वसूलनीय राशि (एफ+जी+एच)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई
4.42	1.76	2.66	0.43	2.26	0.50	0.53	0.44	1.47

हमने पाया कि संवेदक ने बयाना राशि एवं प्रारंभिक जमानत राशि, ₹ 0.22 करोड़ डाकघर के पासबुक के रूप में जमा किया था और ₹ 0.22 करोड़ प्रतिभूति जमा जिसे चलांत लेखा विपत्र से काट लेना था उसे जुलाई 2014 तक जब्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.03 करोड़⁴⁶ की राशि संवेदक से वसूलनीय था।

कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया और कहा (जुलाई 2014) कि उपलब्ध प्रतिभूति/जमानत राशि का समायोजन किया जा रहा है। बाकी राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रमण्डल द्वारा संविदा खण्डों के पालन न कर ₹ 0.50 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। हालाँकि तीन साल पहले संविदा रद्द की जा चुकी थी (अप्रैल 2011) और अंतिम मापी मई 2012 में ली गयी थी, प्रमण्डल द्वारा अभी तक न तो जमानत राशि को जब्त किया गया और न ही अधिक भुगतान की वसूली की गयी।

इस प्रकार, अनियमित अधिक्य भुगतान और संविदा रद्द होने के पश्चात आगे की कार्यवाही नहीं होने के परिणामस्वरूप संवेदक से ₹ 1.03 करोड़ देय राशि की वसूली नहीं हो पायी।

⁴⁵ ₹ 49.996 (अधिक भुगतान); ₹ 225.769 लाख (कार्य के मूल्य के रूप में संवेदक को भुगतान) ₹ 175.773 लाख (अंतिम मापी के आधार पर कार्य का मूल्य)

⁴⁶ ₹ 1.47 करोड़ (संवेदक से बाकी रकम)-₹ 0.44 करोड़ (प्रमण्डल के पास बयाना राशि एवं प्रतिभूति जमा के रूप में उपलब्ध)।

मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया (जून 2014) गया था; स्मारपत्रों⁴⁷ के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2015)। हालाँकि, सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया (जुलाई 2014) गया था।

3.4.3 अपूर्ण सङ्कों पर निष्फल व्यय

समय कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपूर्ण सङ्कों पर ₹ 1.87 करोड़ का निष्फल व्यय।

भारतीय रोड कॉर्गेस के डब्ल्यू.बी.एम. के मानक विशिष्टताओं की कंडिका 4.8.2 के अनुसार, आधार सतह पर बिटुमिनस सतहीकरण करने का प्रावधान है। डब्ल्यू.बी.एम. कोर्स के पूर्ण रूप से सूखने एवं इस पर यातायात शुरू होने के पहले ही बिटुमिनस सतहीकरण करना था। पुनः मुख्य सचिव के मार्च 1982 में निर्गत निदेशों के अनुसार सभी मर्दों के कार्य एक साथ सीमित लम्बाई में शुरू किये जाए और उस सीमित लम्बाई में कार्य पहले समाप्त किया जाना चाहिए तथा उसके बाद आगे की लम्बाई लिया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमणल, राँची और हजारीबाग के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में उद्घटित हुआ कि दो मामलों में सङ्क कार्यों⁴⁸ का सम्पादन किसी खास लम्बाई की सङ्क को पूर्णरूपेण पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध तरीके से नहीं किया गया। डब्ल्यू.बी.एम. के ग्रेड II/III सतहों⁴⁹ के अपूर्ण सङ्कों की लम्बाई को बिटुमिन सतह द्वारा नहीं ढका गया था और सङ्कों को एक से दो वर्षों के विभिन्न समय अन्तराल के लिए मौसम एवं यातायात के लिए खुला छोड़ दिया गया और ये कार्य अगस्त 2014 तक अपूर्ण थे जैसा की नीचे की तालिका में वर्णित किया गया है:

कार्यकारी एजेंसी	कार्य आरम्भ तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य रुकने की तिथि	जहाँ तक कार्य पूरा हुआ				एकरारनामा की राशि (₹ लाख में)	भुगतान (₹ लाख में)
			ग्रेड II	ग्रेड III	प्रीमिक्स कारपेट ⁵⁰	सील कोट ⁵¹		
ग्रा.कार्य.वि. राँची	फरवरी 2011 नवम्बर 2011	अगस्त 2012	69%	54%	शून्य	शून्य	90.71	47.93
ग्रा.कार्य.वि. हजारीबाग	अक्टूबर 2011 अप्रैल 2013	जुलाई 2013	94%	31%	शून्य	शून्य	251.96	138.57

⁴⁷ अनुस्मारक: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/107 दिनांक 8 अगस्त 2014, 214 दिनांक 18 सितम्बर 2014 और 304 दिनांक 30 अक्टूबर 2014।

⁴⁸ (i) कोचो से हरिहर मेला सङ्क, 2.4 कि.मी. सङ्क की लम्बाई राँची में (ii) सुकुलकड़ा से दुधिगढ़ा सङ्क, 9.0 कि.मी. की लम्बाई हजारीबाग में राज्य सम्पोषित योजना के तहत।

⁴⁹ ये डब्ल्यू.बी.एम. के भाग हैं और पत्थरों के आकार ग्रेड- II पथ के लिए 45 मी.मी. से 63 मी.मी. तक तथा ग्रेड- III के लिए 22.40 मी.मी. से 53 मी.मी. का इस्तेमाल।

⁵⁰ प्रीमिक्स-बिटुमीन को सही पैमाना के उपयुक्त बॉयलर में गर्म करना जो अभियंता प्रमुख के स्वीकृति के साथ उचित तापमान में किया गया हो।

⁵¹ सील कोट-छेदों को भरने के लिए सील कोट करने का कार्य शामिल है जो उचित स्तर, ग्रेड और क्रॉस फॉल (कैम्बर) पर हो।

लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, राँची ने कहा (दिसम्बर 2013) कि स्थानीय व्यवधानों के कारण जमीन की अनुपलब्धता के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो रही थी और मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग से कार्य बन्द करने का अनुरोध किया गया था (जुलाई 2014) जिन्होंने पुनः अभियंता प्रमुख, ग्रा.कार्य विभाग से संविदा को बंद करने का अनुरोध किया था (जुलाई 2014)। इसी प्रकार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग ने कहा (दिसम्बर 2013) कि ठेकेदार द्वारा धीमे तरीके से कार्य करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका और कार्य रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इस प्रकार, डब्ल्यू.बी.एम. के पश्चात बिटुमिनस सतहों का कार्य नहीं किया गया जो विशेषताओं के अनुसार जरूरी था और संबंधित प्रमण्डल, संहिता के प्रावधानों के अनुसार खास लम्बाई में चरणबद्ध रूप से पूर्ण रूपेण निर्माण करवाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप सड़कों के निर्माण पर खर्च हुए ₹ 1.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सभी मौसम में सम्पर्क प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

मामले को राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था (जुलाई 2014); स्मारपत्रों⁵² के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

पथ निर्माण विभाग

3.4.4 निरर्थक व्यय

कर्मचारियों को कार्य प्रदान नहीं करने और उनकी सेवा का लाभदायी उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों पर ₹ 8.28 करोड़ का निरर्थक व्यय साथ ही ₹ 1.71 करोड़ के यंत्र एवं संयंत्र निष्क्रिय पड़े रहे।

(i) यांत्रिक पथ प्रमंडल, साहेबगंज

सचिव, पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने एक निर्देश निर्गत किया (जनवरी 2002) कि पूर्व से स्थापित हॉट मिक्स प्लांट (एच.एम.पी.) के 40 कि.मी. के दायरे में अलकतरा का कार्य विद्यमान एच.एम.पी. के द्वारा विभागीय रूप से किया जाएगा और इसके लिए निविदा आमंत्रित नहीं की जाएगी। विभाग के संबंधित यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा उस कार्य को किया जाएगा, जब तक कि वे उस कार्य के क्रियान्वयन में अपनी अक्षमता व्यक्त न करते हों।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), यांत्रिक पथ प्रमंडल, साहेबगंज के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2013) से उद्घटित हुआ कि प्रमण्डल के पास ₹ एक करोड़ का दो हॉट/इम मिक्स प्लांट और संबंधित उपकरण थे। ये यंत्र एवं संयंत्र कार्य के अभाव में निष्क्रिय पड़े हुए थे क्योंकि 2008-13 की अवधि के दौरान यांत्रिक प्रमण्डल, साहेबगंज को

⁵² अनुस्मारक: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/190 दिनांक 1 सितम्बर 2014, 228 दिनांक 7 अक्टूबर 2014 और 321 दिनांक 12 नवम्बर 2014.

सिर्फ दो कार्य⁵³ आवंटित (2009-10 और 2010-11) किए गए थे जिस पर प्रमण्डल ने ₹ 2.19 करोड़ का व्यय किया।

आगे, हमने देखा कि यांत्रिक प्रमण्डल, साहेबगंज में 2008-09 से 2012-13 के दौरान 48 से 68 कर्मचारी कार्यरत थे। चूंकि पाँच वर्षों के दौरान सिर्फ दो कार्य आवंटित किए गए थे, अतः वे वस्तुतः निष्क्रिय थे और उनके वेतन पर ₹ 8.28 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। कर्मचारियों के वेतन पर व्यय और निष्क्रिय यंत्र का मूल्य प्रमण्डल द्वारा किए गए कार्य का लगभग चार गुणा था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2013), कार्यपालक अभियंता, आर.सी.डी., साहेबगंज ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि विभाग को निष्क्रिय मानवबल की जानकारी थी क्योंकि प्रमण्डल को कार्य आवंटित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, कार्य आवंटित नहीं किये जाने और प्रमण्डल द्वारा निष्क्रिय कर्मचारियों के सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन पर ₹ 8.28 करोड़ का व्यय निरर्थक हुआ। इसके अलावे, हमने यह भी पाया कि निष्क्रिय मशीनों को भी बहुत एवं लघु मरम्मत की आवश्यकता थी।

(ii) यांत्रिक पथ अंचल, राँची

अधीक्षण अभियंता (अधी.अ.), यांत्रिक अंचल, राँची के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित (दिसंबर 2013) हुआ कि पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.) ने दो सेट गुणवत्ता नियंत्रण/मापक यंत्र⁵⁴ को क्रय करने के लिए ₹ 73.03 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2006) की और अधी.अ. को राशि का आवंटन (सितम्बर 2006) किया। यंत्र और सम्बद्ध सामग्री का क्रय ₹ 71.17 लाख⁵⁵ की तागत पर किया गया (सितम्बर 2006 और अक्टूबर 2006)।

हमने देखा कि यंत्र और सम्बद्ध सामग्री का उपयोग प्राप्ति के चार वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी मई 2011 तक किसी भी गुण नियंत्रण/जाँच कार्य में नहीं किया गया। बाद में अभियंता प्रमुख (अ.प्रमु.), आर.सी.डी. ने अधी.अ. को क्रय किये गये यंत्र “रफोमीटर” से पथ प्रमण्डल, राँची के 10 पथों के खुरदुरापन की जाँच के लिए आदेश (मई 2011) दिया। हालाँकि, जैसा कि अधी.अ., पथ निर्माण विभाग, पथ यांत्रिक अंचल ने बताया (अगस्त 2014) कि केवल पाँच पथों की जाँच की जा सकी और उसके बाद रफोमीटर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद, अधी.अ., यांत्रिक अंचल राँची द्वारा आपूर्तिकर्ता को क्षतिग्रस्त रफोमीटर की मरम्मत के लिए बारंबार निवेदन

⁵³ दुमका-हंसडीहा पथ का विशेष मरम्मति और बरहेट-बरहरवा पथ के विशेष मरम्मति का सिर्फ पी.सी.सी. कार्य।

⁵⁴ 1. ए.आर.आर.बी. रफोमीटर (ऑस्ट्रेलिया), 2. ट्रांस्टेक पेभमेंट क्वालिटी इंडिकेटर (यू.एस.ए.), 3. कामेकुरा कंक्रीट टेस्ट हैमर (जापान), 4. ए.एन.डी. इन्फ्रारेड थर्मोमीटर, 5. टी.ए.आई.एस.ई.आई. गुण नियंत्रक किट, 6. नन-कंटैक्ट मिनि इन्फ्रारेड थर्मोमीटर, 7. स्कॉर्पिओ एस.टी.डी., सी.आर.डी.ई. वाहन और 8. सभी सामानों के साथ एच.पी. मेक लैपटॉप।

⁵⁵ लैपटॉप-₹ 1.15 लाख, यंत्र-₹ 56.42 लाख और स्कॉर्पिओ-₹ 13.60 लाख।

किया गया, परंतु आपूर्तिकर्ता जुलाई 2014 तक इसे चालू स्थिति में लाने में असफल रहा।

इस प्रकार, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपकरण का उपयोग नहीं किये जाने के कारण निष्क्रिय उपकरण पर ₹ 71.17 लाख का व्यय अलाभदायक हो गया एवं इसके अलावे गुणवत्ता जाँच के उद्देश्य की प्राप्ति उनके क्रय के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुई।

मामले सरकार को संदर्भित (जून 2014) किये गये; स्मारपत्रों⁵⁶ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2015)।

राँची,
दिनांक 16 अप्रैल 2015

मृदुला सपूर्ण
(मृदुला सपूर्ण)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक 22 अप्रैल 2015

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁵⁶ स्मारपत्र: पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2013-14/109 दिनांक 8 अगस्त 2014, 215 दिनांक 18 सितंबर 2014 और 305 दिनांक 30 अक्टूबर 2014।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भित कंडिका संख्या 1.1.7; पृष्ठ 5)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी एवं संबद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

सामाजिक क्षेत्र					आर्थिक एवं सामान्य क्षेत्र			
वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुभाग अ	अनुभाग ब	संबद्ध राशि	नि.प्र.	अनुभाग अ	अनुभाग ब	संबद्ध राशि
2003-04	46	80	313	77.32	0	0	0	0.00
2004-05	126	312	844	194.96	73	52	166	225.78
2005-06	214	338	1243	607.54	108	94	490	694.58
2006-07	226	432	843	749.73	126	143	540	361.71
2007-08	192	381	761	346.77	110	119	452	452.77
2008-09	208	175	974	486.52	109	169	410	633.86
2009-10	221	157	1185	373.51	92	64	293	957.88
2010-11	227	239	1161	1257.03	95	104	407	1132.56
2011-12	229	141	1260	2353.91	34	37	260	264.35
2012-13	201	71	1349	1884.42	83	127	614	777.92
2013-14	142	117	999	2003.62	55	59	302	5680.08
कुल	2032	2443	10932	10335.33	885	968	3934	11181.50

परिशिष्ट-1.1.2

(संदर्भित कंडिका संख्या 1.1.7; पृष्ठ 5)

लंबित कंडिकाओं में अनियमितता के प्रकार को दर्शाती विवरणी

सामाजिक क्षेत्र-I

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	गबन/दुर्विनियोग/हानि/चोरी	विवरण										कुल
			आधिकार्य भुगतान/वस्तुली यारेय/कर का गैर कटौती	ठेकेदार का अनुचित सहायता	आधिकार्य भुगतान	निष्पत्ति एवं अपत्यय	निधियों का विचलन	निधियों का प्रतिधारण	उद्देश्यों का पूरा न होना	योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब	विविध		
2003-04	44	30	23	27	50	38	61	34	21	20	82	386	
2004-05	29	20	18	20	30	20	24	16	8	8	39	203	
2005-06	96	58	46	30	79	76	75	49	42	38	91	584	
2006-07	96	43	35	28	58	53	48	49	46	43	98	501	
2007-08	87	34	30	20	46	44	45	48	47	32	52	398	
2008-09	100	33	28	18	37	44	46	28	27	26	71	358	
2009-10	136	56	52	29	89	81	68	62	61	57	128	683	
2010-11	158	58	52	44	83	71	74	72	88	79	125	746	
2011-12	151	61	55	35	98	80	79	71	86	58	133	756	
2012-13	106	37	35	41	64	62	74	47	63	35	140	598	
2013-14	70	12	15	22	32	37	27	34	47	33	152	411	
कुल	1073	442	389	314	666	606	621	510	536	429	1111	5624	

सामाजिक क्षेत्र -II

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	विवरण										कुल
		गबन/दुर्विनियोग/हानि	वस्तुली यारेय/आधिकार्य भुगतान	ठेकेदार का अनुचित सहायता	आधिकार्य व्यय/टालने योजना व्यय	निष्फल व्यय	नियमों का गैर अनुसरण/अनियमित व्यय/वैट का गैर कटौती/अगिर्मों का असमायोजन	निधियों का अवरोध एवं अप्रयुक्त निधि	लक्ष्य की गैर प्राप्तिविना काम का भुगतान	विस्तृत का योजना एवं विलम्ब से योजनाओं का क्रियान्वयन	विविध	
2003-04	2	0					7					7
2004-05	97	0	110	197	17	55	167	21	150	209	27	953
2005-06	118	0	170	160	24	23	183	20	181	205	31	997
2006-07	130	0	102	149	14	39	158	27	153	109	23	774
2007-08	105	0	98	51	8	18	150	20	173	190	34	742
2008-09	108	0	142	152	19	25	166	18	105	135	29	791
2009-10	85	0	116	118	15	15	110	17	124	120	20	655
2010-11	69	0	113	91	15	17	119	15	141	136	7	654
2011-12	78	0	130	110	5	11	134	30	110	95	21	646
2012-13	95	0	151	135	19	31	162	22	161	126	15	822
2013-14	72	0	105	109	28	49	126	39	113	105	36	710
कुल	959	0	1237	1272	164	283	1482	229	1411	1430	243	7751

आर्थिक एवं सामान्य क्षेत्र

वर्ष	नि.प.	लिफल व्यय	असफल व्यय	दायित्वों का सुना	कार्यों का संतुष्टपूर्ण क्रियान्वयन/खरीद	अनियमित व्यय/खरीद	अधिमानों का असमायोजन/लंबित अस्थायी अधिम	गैर कानूनी खनन/ऐड की कटाई/आतिक्रमण/चराई इत्यादि	कार्यों का अपूर्ण होना/ धीमी प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003-04									
2004-05	73	13	5	3	2	10	4	12	4
2005-06	108	33	9	12	14	27	12	29	11
2006-07	126	32	16	14	14	33	14	31	14
2007-08	110	35	9	14	16	29	12	28	12
2008-09	109	35	14	9	12	27	12	28	12
2009-10	92	22	6	9	7	18	7	17	7
2010-11	95	30	12	11	9	25	10	24	11
2011-12	34	18	8	12	6	14	3	14	6
2012-13	83	39	13	11	15	32	13	32	2
2013-14	55	34	10	3	8	26	1	8	0
कुल	885	291	102	98	103	241	88	223	79

वर्ष	मांग नहीं उठानाकृत मांग उठाना/क्षतिपूरक वनाचाहादन एवं निवल वर्तमान मूल्य के लिए मांग की गेंर बमूली सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन बिना कार्य सम्पादन	अनियमित वापसी	कार्य की अनियमित प्रदेयताठेकरारों को अनुचित लाभ	मोबाइलईजेशन अधिस का असमायोजन	अधिकाय व्यय/भुगतान	कमगेंर कठोरीस्वामित्व का उपाधी/आ.क./वि.क्रय/मञ्जरू उपकर	संदेहस्पद दुर्विनियोग/दुरुपयोग	नियियों का अवरोधन	अन्य	कुल कंडिकार्य
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2003-04										
2004-05	8	3	2	4	2	8	5	4	6	123
2005-06	24	6	6	12	6	17	12	9	14	331
2006-07	26	14	26	8	7	14	7	21	13	379
2007-08	23	6	5	12	6	18	11	13	11	311
2008-09	23	6	5	12	5	18	11	9	10	331
2009-10	14	2	4	7	3	10	9	7	11	197
2010-11	19	5	7	10	5	12	9	11	14	287
2011-12	12	2	5	6	3	9	8	6	109	56
2012-13	26	6	8	13	6	19	12	9	12	473
2013-14	22	6	10	10	5	15	3	2	5	193
कुल	197	56	78	94	48	140	87	91	205	2681
										4902

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.7.1 और 2.1.7.3; पृष्ठ 15 एवं 16)

2009-14 के दौरान नमूना- जाँचित जिलों में कम उपयोग और असमान उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

जिले	प्रारंभिक शेष	ब्याज सहित विमुक्ति	उपलब्ध निधि	व्यय		अंत शेष	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	अधिक प्रतिवेदित व्यय
				राशि	प्रतिशत			
धनबाद	6.67	12.45	19.12	5.15	27	13.97	7.90	2.75
द्रमका	1.73	26.25	27.98	15.00	54	12.98	20.16	5.16
गढवा	6.66	19.77	26.43	12.21	46	14.22	11.30	- 0.91
गढला	5.04	9.62	14.66	3.31	23	11.35	3.85	0.54
रामगढ़	0.85	7.95	8.80	7.68	87	1.12	7.87	0.19
राँची	12.97	43.37	56.34	33.45	56	25.03	--	
कल	33.92	119.41	153.33	76.82	50	78.67		

(स्रोत: डी.डब्ल्यू.एस.एम.का 2009-13 के ऑफिट रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र और 2013-14 के व्यय प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.9.4; पृष्ठ 21)

भौतिक सत्यापन का परिणाम

क्रम. सं.	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	सत्यापित आईएचएचएल लाभुको की संख्या	उपयोग में लाई जा रही आईएचएचएल की संख्या	ध्वस्त आईएचएचएल की संख्या	अस्तित्वविहिन आईएचएचएल की संख्या	अपूर्ण आईएचएचएल की संख्या
1	धनबाद	गोविंदपुर	जामड़ीहा	14	4	7	3	शून्य
2			अमरपुर	11	8	3	शून्य	शून्य
3			जयनगर	17	4	13	शून्य	शून्य
4			नगर कियारी	11	शून्य	11	शून्य	शून्य
5			आशनबानी-2	12	शून्य	12	शून्य	शून्य
6			बारवा ईस्ट	12	3	8	1	शून्य
7			माहबानी	15	3	12	शून्य	शून्य
8			बागसुमा	11	4	6	1	शून्य
9			उदयपुर	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
10		बलियापुर	सुरंगा	15	10	5	शून्य	शून्य
11			जगदिश	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
12			अलकड़ीहा	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
13			बलियापुर पश्चिम	10	7	3	शून्य	शून्य
14			बलियापुर पूर्व	11	5	6	शून्य	शून्य
15			दलाबार	11	6	5	शून्य	शून्य
		उप-योग		180	74	101	5	शून्य
16	राँची	माण्डर	जिनजिरी	21	17	4	शून्य	शून्य
17			मण्डरो	14	8	6	शून्य	शून्य
18			मालती	22	9	13	शून्य	शून्य
19			करगे	13	12	1	शून्य	शून्य
20			सरबा	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
21		चान्हो	सिलागाई	11	शून्य	9	2	शून्य
22			चामा	13	शून्य	7	6	शून्य
23			ताला	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
24			लुन्डरी	10	1	9	शून्य	शून्य
25		नामकुम	लालसंगा	10	1	6	शून्य	शून्य
26			सिठियो	11	9	शून्य	शून्य	2
27			बन्धवा	11	शून्य	11	शून्य	शून्य
28			हरूवा	11	शून्य	11	शून्य	शून्य
29			रामपुर	11	2	9	शून्य	शून्य
30			झुमरी	8	शून्य	शून्य	8	शून्य
31		सिल्ली	पतरहात्	9	3	शून्य	शून्य	1
32			बिसारीया	8	शून्य	शून्य	शून्य	8
33			हलमाद	10	शून्य	2	1	5
34			हांकेदाग	14	शून्य	3	शून्य	11
35			मुरी पश्चिम	9	शून्य	2	शून्य	7
		उप-योग		236	72	103	09	42
36	गढ़वा	गढ़वा	जाटा	10	2	8	शून्य	शून्य
37			मधेईया	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
38			पीपरा	10	2	8	शून्य	शून्य
39			परीहारा	10	3	7	शून्य	शून्य
40			कल्याणपर	10	9	1	शून्य	शून्य
41			तिलदाग	10	3	7	शून्य	शून्य
42		मङ्गांव	सोनपुरवा	10	3	7	शून्य	शून्य
43			रामपुर	10	2	8	शून्य	शून्य
44			करमाड़ीह	10	2	8	शून्य	शून्य

क्रम. सं.	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	सत्यापित आईएचएचएल लाभ्यों की संख्या	उपयोग में लाई आईएचएचएल की संख्या	ध्वस्त आईएचएचएल की संख्या	अस्तित्वविहिन आईएचएचएल की संख्या	अपूर्ण आईएचएचएल की संख्या
45	मेराल		खरसौता	10	3	7	शून्य	शून्य
46			गोन्डा	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
47			हसनदाग	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
48			गारुआ	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
49			ओखारगारा पश्चिम	10	5	5	शून्य	शून्य
50			अरंगी	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
51		नगरउटारी	चितबीसराम	10	3	7	शून्य	शून्य
52			गरबंधा	10	1	9	शून्य	शून्य
53			कुसदाग	10	1	9	शून्य	शून्य
54			नगरउटारी	10	2	8	शून्य	शून्य
		उप-योग		190	41	149	शून्य	शून्य
55	रामगढ़	पतरातु	देबराईबस्ती	10	1	9	शून्य	शून्य
56			घटवा	9	3	6	शून्य	शून्य
57			तालाटाँड़	15	6	8	1	शून्य
58			तालयातु	15	शून्य	15	शून्य	शून्य
59			बारकाकाना	11	4	6	1	शून्य
60			बालकूद्रा	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
61			लबगा	11	11	शून्य	शून्य	शून्य
62			हरिहरपुर	10	शून्य	5	शून्य	5
63			चैनगडा	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
64			पाले	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
65		मुण्डु	मनुआ	11	9	2	शून्य	शून्य
66			तापीन	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
67			बारूगूटु ईस्ट	10	4	6	शून्य	शून्य
68			करमाउटारी	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
69			बोंगाबार	14	14	शून्य	शून्य	शून्य
70			माण्डडीह	10	3	7	शून्य	शून्य
71			नवाडीह	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
72			करमा दक्षिण	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
73			मझलाच्चंबा	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
74			डमरी	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
		उप-योग		216	115	94	2	5
75	दुमका	जामा	लगला	10	2	8	0	शून्य
76			बारा	13	2	8	3	शून्य
77			थानपुर	10	शून्य	3	7	शून्य
78			सिकिटिया	13	शून्य	11	2	शून्य
79			नावाडीह	14	शून्य	शून्य	14	शून्य
80			भटनियाँ	11	शून्य	11	शून्य	शून्य
81		जरमुण्डी	हथनामा	13	शून्य	12	1	शून्य
82			बनवारा	12	शून्य	12	शून्य	शून्य
83			चमरा बहियार	11	शून्य	3	8	शून्य
84			भालकी	10	3	6	1	शून्य
85			गारदा अमरकूण्डा	10	10	शून्य	शून्य	शून्य
86			बारमासा	13	शून्य	8	5	शून्य
87			कसमाहा चेखनिया	13	1	7	5	शून्य
		उप-योग		153	18	89	46	शून्य
88	गुमला	भरनो	तरीअम्बा	10	2	8	शून्य	शून्य
89			दंधिया	10	1	9	शून्य	शून्य
90			अमलिया	10	शून्य	10	शून्य	शून्य

क्रम. सं.	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	सत्यापित आईएचएचएल लाभुको की संख्या	उपयोग में लाई जा रही आईएचएचएल की संख्या	धवस्त आईएचएचएल की संख्या	अस्तित्वविहिन आईएचएचएल की संख्या	अपूर्ण आईएचएचएल की संख्या
91	घाघरा	नवाडीह	नवाडीह	10	1	9	शून्य	शून्य
92			देबाकी	10	3	7	शून्य	शून्य
93			कुगाँव	10	3	7	शून्य	शून्य
94			चुन्दरी	10	1	9	शून्य	शून्य
95			शिवरागपुर	10	2	8	शून्य	शून्य
96		गुमला	करोन्दी	10	2	8	शून्य	शून्य
97			विरिन्दाह	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
98			कसेरा	10	3	7	शून्य	शून्य
99			खरका	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
100			खोरा	10	शून्य	10	शून्य	शून्य
101			टोटो	10	1	9	शून्य	शून्य
		उप- योग		140	19	121	शून्य	शून्य
		कुल योग		1115	339	657	62	47

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.15.1; पृष्ठ 26)

रोकड़ बही और बैंक शेष के बीच विसंगतियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिले के नाम	शेष	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
राँची	रोकड़ बही	7.30	2.83	9.79	23.37	23.78
	बैंक	7.23	2.59	9.80	23.26	23.28
दुमका	रोकड़ बही	2.56	0.38	4.32	11.90	10.84
	बैंक	3.06	0.48	5.10	12.03	11.90
गढ़वा	रोकड़ बही	4.64	2.37	6.49	12.51	13.14
	बैंक	3.86	2.36	6.47	10.63	9.76
धनबाद	रोकड़ बही	7.19	7.66	10.55	7.04	7.82
	बैंक	7.30	7.51	10.65	7.52	5.51
कुल	रोकड़ बही	21.69	13.24	31.15	54.82	55.58
	बैंक	21.45	12.94	32.02	53.44	50.45
अंतर		0.24	0.30	0.87	1.38	5.13

परिशिष्ट-2.1.4
(संदर्भित कंडिका 2.1.15.2; पृष्ठ 27)
असमायोजित अग्रिमों की विवरणी

(रुलाख में)

क्रम. सं.	जिला	एजेन्सी	असमायोजित अग्रिम	अग्रिम की अवधि	टिप्पणी
1	राँची	डीएसई, राँची	189.58	सितम्बर 2009	स्कूल शौचालय का निर्माण
2		बीड़ीओ, काँके	2.91	मार्च 2010 से पूर्व	शौचालय का निर्माण
3		बीड़ीओ, रातू	1.15	यथा	-वही-
4		बीड़ीओ, लापूंग	18.04	यथा	-वही-
5		बीड़ीओ, चान्हो	9.30	यथा	-वही-
6		बीड़ीओ, सिल्ली	7.50	यथा	-वही-
7		बीड़ीओ, सोनाहातू	1.06	यथा	-वही--
8		बीड़ीओ, बुण्डू	10.70	यथा	वही-
9		कनीय अभियंता, तमाङ	0.50	यथा	-वही-
10	धनबाद	कनीय अभियंता, झारिया	14.89	फरवरी 2009	स्कूल शौचालय
11	गढ़वा	जिला साक्षरता समिति, एनजीओ	2.92	मार्च 2010	घरेलू शौचालय का निर्माण
12	रामगढ़	बीड़ीओ, रामगढ़	14.00	जनवरी 2011	स्कूल शौचालय
13		बीड़ीओ, माण्डू	19.60	जनवरी 2011	-वही-
14		बीड़ीओ, गोला	14.00	जनवरी 2011	-वही-
15		बीड़ीओ, पतरातू	3.36	जनवरी 2011	-वही-
16		रजरप्पा ग्रामीण (एनजीओ)	1.65	मई 2012	-वही-
17		एनएचईएसडीओ (एनजीओ)	0.35	जून 2012	-वही-
18		युवा जागृति (एनजीओ)	0.65	जून 2012	-वही-
19		युवा विकास (एनजीओ)	0.30	जून 2012	-वही-
20		डीडीसी, रामगढ़	47.72	मार्च-2013	इंदिरा आवास लाभुक का आई.एच.एच.एल.
21	हाजारीबाग	सी.ओ.	8.10	नवम्बर 2007	स्कूल शौचालय
22		झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	16.00	नवम्बर 2007	यथा
23		बीड़ीओ	7.74	नवम्बर 2007	आँगनबाड़ी शौचालय के लिए
24	गुमला	आदिवासी आश्रय केन्द्र, एनजीओ	1.32	2006-07	
25		लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान, एनजीओ	3.90	2006-07	
26		प्रगति मण्डल वेलफेयर ट्रस्ट एनजीओ	2.90	2006-07	
27		अनामिकाजन विमुख संस्थान एनजीओ	4.12	2006-07	
28		ग्राम ज्योति केन्द्र, एनजीओ	3.97	2006-07	
29		ट्राईबल फ्रेडस	4.53	2006-07	
30		आदिवासी उत्थान केन्द्र, एन.जी.ओ	2.71	2006-07	
31	दुमका	सीडीपीओ, जरमुण्डी	0.10	2009-10	आईईसी गतिविधि
32		सीडीपीओ, मसलिया	0.17	2009-10	आईईसी गतिविधि
33		सीडीपीओ, रानेश्वर	0.10	2009-10	आईईसी गतिविधि
34		सीडीपीओ, काठीकुंड	0.10	2009-10	आईईसी गतिविधि
35		सीडीपीओ, सरेयाहाट	0.10	2009-10	आईईसी गतिविधि
36		सीडीपीओ, दुमका	0.45	2009-10	आईईसी गतिविधि

(रुलाख में)

क्रम. सं.	जिला	एजेन्सी	असमायोजित अग्रिम	अग्रिम की अवधि	टिप्पणी
37	दुमका	सीडीपीओ, रामगढ़	0.41	2009-10	आईईसी गतिविधि
38		बीडीओ, दुमका	0.77	2005-06	आईईसी गतिविधि
39		बीडीओ, जामा	0.41	2005-06	आईईसी गतिविधि
40		बीडीओ, रानेश्वर	0.54	2005-06	आईईसी गतिविधि
41		बीडीओ, शिकारीपाड़ा	0.36	2005-06	आईईसी गतिविधि
42		बीडीओ, जरमुण्डी	0.51	2005-06	आईईसी गतिविधि
43		बीडीओ, सरैयाहाट	0.76	2005-06	आईईसी गतिविधि
44		बीडीओ, काठीकुंद	0.24	2005-06	आईईसी गतिविधि
45		बीडीओ, रामगढ़	0.15	2005-06	आईईसी गतिविधि
46		बीडीओ, मसलिया	0.32	2005-06	आईईसी गतिविधि
47		यारा, रानेश्वर, एनजीओ	2.00	2009-10	मार्ट
48		हरिजन आदिवासी खादी ग्रामोदयोग	0.21	2009-10	आईईसी गतिविधि
49		श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट एनजीओ	2.28	2009-10	स्कूल शौचालय
50		सेतु एनजीओ	4.00	2009-10	स्कूल शौचालय
51		परिवर्तन एनजीओ	4.60	2009-10	स्कूल शौचालय
	कुल		434.05		

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भित कंडिका 2.1.15.3; पृष्ठ 27)

14 आई.ए.पी. जिलों में कम प्रावधानों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

मद	एनबीए के तहत प्रति शौचालय प्रोत्साहन		प्रस्तावित शौचालय	मान्य प्रोत्साहन			प्रावधान किया गया		
	अन्य जिले	आईएपी जिले		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल
बीपीएल शौचालय (सीएस:एसएस::3200/3700:1400)	4600	5100	645612	238.88	90.39	329.27	206.60	90.39	296.99
एपीएल आईएचएचएल (सीएस:एसएस::3200/3700:1400)	4600	5100	1230966	455.46	172.34	627.80	393.91	172.34	566.25
स्कूल शौचालय (सीएस:एसएस::70:30)	35000	38500	21237	57.23	24.53	81.76	52.03	22.30	74.33
आगनबाड़ी शौचालय (सीएस:एसएस70:30)	8000	10000	4730	3.31	1.42	4.73	2.65	1.14	3.79
कुल				754.88	288.68	1043.56	655.19	286.17	941.36
कम प्रावधान				₹ 1043.56 करोड़ घटाव ₹ 941.36 करोड़ = ₹ 102.20 करोड़			₹ 754.88 करोड़ घटाव ₹ 655.19 करोड़ = ₹ 99.69 करोड़		
जी.ओ.आई., अंश का कम प्रावधान									

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.2(ब), पृष्ठ 41)

डब्ल्यू.आई.टी.आई. में संयत्रों और उपकरणों की कमी

क्रम सं.	व्यवसाय का नाम	म.आई.टी.आई. राँची			म.आई.टी.आई. हजारीबाग			म.आई.टी.आई. जमशेदपुर		
		निर्धारित (मदों की संख्या)	उपलब्ध (मदों की संख्या)	कमी (मदों की संख्या) (प्रतिशत)	निर्धारित (मदों की संख्या)	उपलब्ध (मदों की संख्या)	कमी (मदों की संख्या) (प्रतिशत)	निर्धारित (मदों की संख्या)	उपलब्ध (मदों की संख्या)	कमी (मदों की संख्या) (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक	160	98	62 (39)	160	66	94 (59)	160	80	80 (50)
2	मेकेनिक रेडियो एवं टी.वी.	97	52	45 (46)	97	38	59 (61)	97	52	45 (46)
3	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	15	7	8 (53)	15	शून्य	15 (100)	15	2	13 (87)
4	कटिंग एवं टेलरिंग	41	9	32 (78)	शून्य	शून्य	शून्य	41	16	25 (61)
5	कोपा	14	4	10 (71)	शून्य	शून्य	शून्य	14	8	6 (43)
6	आई एण्ड इ.एस.एम.	50	16	34 (68)	शून्य	शून्य	शून्य	50	18	32
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	15	7	8 (53)	शून्य	शून्य	शून्य	15	2	13 (87)

(स्रोत: नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई.)

परिविकास-2.2.2

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ 42)

नमूना-जाँचित तीन म.आई.टी. संस्थाओं का स्वीकृत एवं कार्यरत बल

क्रम सं.	पद का नाम	म.आई.टी.आई. हजारिबाग		म.आई.टी.आई. जमशेदपुर		म.आई.टी.आई. राँची		योग	
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
		(2009-10)	(2013-14)	(2009-10)	(2013-14)	(2009-10)	(2013-14)	(2009-10)	(2013-14)
शिक्षण कर्मचारी									
1	प्रचार्या	1	1	1*	1	0	1**	1	1
2	मुख्य अनुदेशक	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अनुदेशक, आशुलिपिक (हिन्दी)	2	0	0	0	0	2	1	0
4	अनुदेशक, आशुलिपिक (अंग्रेजी)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अनुदेशक, कठिग एवं टेलरिंग	0	0	1	1	2	2	1	3
6	अनुदेशक, एम.आर.टी.भी.	2	0	1	2	1	1	2	2
7	अनुदेशक, मेकेनिक इलेक्ट्रॉनिक	2	1	2*	2	0	1	2	5
8	अनुदेशक, कोपा	0	0	1	0	0	0	1	0
9	अनुदेशक, आई.टी.	0	0	2	0	0	0	2	0
10	अनुदेशक, ड्राईंग	0	0	1	1	0	0	1	1
11	अनुदेशक, गणित	0	0	1	0	0	0	1	0
12	कार्यशाला अंडरेट	3	0	2	0	0	0	5	0
	योग	10	2	4	16	3	6	5	37
13	लिपिक	3	2	1	3	2	2	1	8
14	भण्डारपाल	1	0	0	1	0	0	2	0
	योग	4	2	1	4	3	2	1	10
	कुल योग	14	4	5	20	6	8	6	47
						13	8	6	18
								19	

* निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण में एक अनुदेशक प्रतिनियुक्त पर थे

** निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त

परिशिष्ट-2.2.3
(संदर्भित कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ 42)

**नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई. में स्वीकृत व्यवसायों और व्यवसायों का परिचालन
नहीं किए जाने का विस्तृत विवरणी**

वर्ष	म.आई.टी.आई. हजारीबाग			म.आई.टी.आई. जमशेदपुर			म.आई.टी.आई. राँची		
	स्वीकृत व्यवसायों की संख्या (सीटें)		अपरिचालित व्यवसायों/सीटें	स्वीकृत व्यवसायों की संख्या (सीटें)		अपरिचालित व्यवसायों/सीटें	स्वीकृत व्यवसायों की संख्या (सीटें)	अपरिचालित व्यवसायों/सीटें	
	व्यवसायों की संख्या (प्रतिशत)	सीटों की संख्या	व्यवसायों की संख्या (प्रतिशत)	व्यवसायों की संख्या (प्रतिशत)	व्यवसायों की संख्या (प्रतिशत)	व्यवसायों की संख्या		व्यवसायों की संख्या	व्यवसायों की संख्या
2009-10	3(84)	2(67)	63	5(105)	3(60)	63	5(168)	शून्य	शून्य
2010-11	3(84)	2(67)	63	5(105)	4(80)	84	5(168)	शून्य	शून्य
2011-12	3(84)	2(67)	63	5(105)	3(60)	63	5(168)	शून्य	शून्य
2012-13	3(84)	2(67)	63	7(147)	2(29)	42	7(210)	शून्य	शून्य
2013-14	3(84)	2(67)	63	7(147)	2(29)	42	7(210)	4	126
Total	15(420)	10	315	29(609)	14	294	29(924)	4	126

(स्रोत: नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई.)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भित कंडिका 2.2.9.2, पृष्ठ 42)

**नमूना-जाँचित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध
नामांकन एवं रिक्त सीटों का ब्योरा**

वर्ष	म.आई.टी.आई. हजारीबाग				म.आई.टी.आई. जमशेदपुर				म.आई.टी.आई. राँची			
	परिचालित व्यवसायों की संख्या (स्वीकृत सीटें)	नामांकन	रिक्त सीटों की संख्या (प्रतिशत)	पलायन (प्रतिशत)	परिचालित व्यवसायों की संख्या (स्वीकृत सीटें)	नामांकन	रिक्त सीटों की संख्या (प्रतिशत)	पलायन (प्रतिशत)	परिचालित व्यवसायों की संख्या (स्वीकृत सीटें)	नामांकन	रिक्त सीटों की संख्या (प्रतिशत)	पलायन (प्रतिशत)
2009-10	1 (21)	14	7 (33)	शून्य	2 (42)	20	22 (52)	07 (35)	5 (168)	67	101 (60)	15 (22)
2010-11	1 (21)	13	8 (38)	1 (8)	1 (21)	3	18 (86)	01 (33)	5(168)	72	96 (57)	07 (10)
2011-12	1 (21)	5	16 (76)	शून्य	2 (42)	28	14 (33)	03 (11)	5(168)	77	81 (48)	12 (16)
2012-13	1 (21)	11	10 (48)	शून्य	5 (105)	22	83 (79)	शून्य	7 (210)	82	133(63)	07 (8)
2013-14	1 (21)	5	16 (76)	शून्य	5 (105)	36	69 (66)	शून्य	3 (84)	56	28 (33)	01 (2)

(स्रोत: नमूना-जाँचित म.आई.टी.आई.)

परिशिष्ट-2.2.5

(संदर्भित कंडिका 2.2.9.3; पृष्ठ 43)

एस.सी.भी.टी. के साथ संबद्धता में चल रहे व्यवसाय

क्रम सं.	म.आई.टी.आई. का नाम	व्यवसाय का नाम	वर्ष 2009-13 के दौरान कुल स्वीकृत सीटें	वर्ष 2009-13 के दौरान कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	म.आई.टी.आई. राँची	मैकेनिक रेडियो टी.वी.	84	33
		मैकेनिक इलेक्ट्रोनिक्स	84	42
		कोपा	21*	4
		आई.टी. एण्ड ई.एस.एम.	21**	परीक्षा दिए
2	म.आई.टी.आई. हजारीबाग	मैकेनिक इलेक्ट्रोनिक्स	84	31
		मैकेनिक रेडियो टी.वी.	84#	शून्य
		स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	164#	शून्य
3	म.आई.टी.आई. जमशेदपुर	कटिंग एण्ड टेलरिंग	84	9
		कोपा	42*	2
		आई.टी. एण्ड ई.एस.एम	42**	परीक्षा दिए
			710	121

*वर्ष 2011-12 के दौरान म.आई.टी.आई. राँची एवं वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 म.आई.टी.आई., जमशेदपुर में कोपा संचालित था।

**वर्ष 2012-14 के दौरान आई.टी. एण्ड ई.एस.एम. के प्रशिक्ष्याओं का परिणाम प्रकाशित नहीं किये गए थे (जुलाई 2014)

#हजारीबाग में इन व्यवसायों के स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन नहीं था।

परिचय-2.2.6

(संदर्भित कंडिका 2.2.12.3; पृष्ठ 46)

गजकीय महिला पॉलिटेक्निकों में मरीन एवं उपकरण की कमी

पाठ्यक्रम	कार्यशाला/ प्रयोगशाला	बोकारो		जमशेतपुर			राँची		कुल (तीन, जी.इब्ल्यू.पी.)			
		कुल आवश्यक मात्रा	कुल उपलब्ध मात्रा	कुल कमी की मात्रा (प्रतिशत)	कुल आवश्यक मात्रा	कुल कमी की मात्रा (प्रतिशत)	कुल आवश्यक मात्रा	कुल उपलब्ध मात्रा	कुल कमी की मात्रा (प्रतिशत)	कुल आवश्यक मात्रा	कुल उपलब्ध मात्रा	
इलेक्ट्रोकल	लैव	335	67	268 (80)	516	80	436(84)	294	140	154(52)	1145	287
	कार्यशाला	1058	366	692(65)	75	16	59(78)	418	402	16(04)	1551	784
इलेक्ट्रोनिक	लैव	672	263	409(61)	235	16	219(91)	508	365	143(28)	1415	644
	कार्यशाला	180	63	117(65)	436	183	233(58)	616	464	152(25)	1232	710
मेक्सिकल	लैव	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	17	शैल्य	17(100)	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	17	शैल्य	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	17	शैल्य	17(100)
	कार्यशाला	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	206	05	201(98)	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	206	05	शाखा स्वीकृत नहीं की गई	206	05	201(98)
कम्प्यूटर	लैव	339	109	230(68)	211	27	184(87)	70	60	10(14)	620	196
	कार्यशाला	कार्यशाला मौजूद नहीं था	883	107	776(88)	539	207	332(62)	1422	1422	314	1108(78)

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भित कंडिका 2.2.13; पृष्ठ 46)

**नमूना-जाँचित तीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निकों में दाखिला के विरुद्ध स्वीकृत सीटों
के विरुद्ध नामांकन एवं उनके प्लेसमेंट**

जी.डब्ल्यू.पी. जमशेदपुर

बैंच	शाखा का नाम	स्वीकृत सीटें	दाखिलें (प्रतिशत)	सफल हुए (प्रतिशत)	अनुत्तीर्ण/ छोड़े गए (प्रतिशत)	प्लेसमेंट (प्रतिशत)
2009-12	मैकेनिकल (एम.इ.)	41	41(100)	41(100)	शून्य	शून्य
	इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन (ई.सी.इ.)	81	81(100)	81(100)	शून्य	शून्य
	कम्प्यूटर साईंस (सी.एस.)	30	30(100)	30(100)	शून्य	शून्य
	ए.ए.एस.*	20	15(75)	15(100)	शून्य	शून्य
2010-13	मैकेनिकल (एम.इ.)	60	57(95)	47(82)	10(18)	04(09)
	इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन (ई.सी.इ.)	60	60(100)	57(95)	03(05)	01(02)
	कम्प्यूटर साईंस (सी.एस.)	60	56(93)	50(89)	06(11)	शून्य
	ए.ए.एस.*	60	53(88)	39(74)	14(26)	शून्य
2011-14	मैकेनिकल (एम.इ.)	62	62(100)	परीक्षा दिए	--	--
	इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन (ई.सी.इ.)	62	62(100)	परीक्षा दिए	--	--
	कम्प्यूटर साईंस (सी.एस.)	62	62(100)	परीक्षा दिए	--	--
	ए.ए.एस.*	60	43(72)	परीक्षा दिए	--	--

*आर्किटेक्चरल सहायक पोत (ए.ए.एस)

जी.डब्ल्यू.पी. राँची

बैंच	शाखा का नाम	स्वीकृत सीटें	दाखिलें (प्रतिशत)	सफल हुए (प्रतिशत)	अनुत्तीर्ण/ छोड़े गए (प्रतिशत)	प्लेसमेंट (प्रतिशत)
2009-12	ई.सी.इ.*	61	58(95)	49(84)	09(16)	शून्य
	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	31	31(100)	27(87)	04(13)	शून्य
	सूचना प्रौद्योगिकी	31	30(97)	23(77)	07(23)	शून्य
2010-13	ई.सी.इ.*	67	65(97)	51(78)	14(21)	शून्य
	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	67	65(97)	49(75)	16(25)	शून्य
	सूचना प्रौद्योगिकी(ई.इ.)	67	61(91)	46(75)	15(25)	शून्य
2013-14	ई.सी.इ.*	70	69(99)	परीक्षा दिए	--	--
	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	70	68(97)	परीक्षा दिए	--	--
	सूचना प्रौद्योगिकी(आई.टी.)	70	65(93)	परीक्षा दिए	--	--

*इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार (ई.सी.इ.)

जी.डब्ल्यू.पी. बोकारो

बैच	शाखा का नाम	स्वीकृत सीटें	दाखिले (प्रतिशत)	सफल हुए (प्रतिशत)	अनुत्तीर्ण/ छोड़े गए (प्रतिशत)	प्लसमेंट (प्रतिशत)
2009-12	इलेक्ट्रोकल इंजीनियरिंग	64	61(95)	60(98)	01(02)	शून्य
	ई.सी.ई.*	64	62(97)	57(92)	05(08)	शून्य
	कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग	64	62(97)	40(65)	22(35)	शून्य
	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)	30	29(97)	24(83)	05(17)	शून्य
2010-13	इलेक्ट्रोकल इंजीनियरिंग	64	61(95)	50(82)	11(18)	शून्य
	ई.सी.ई.*	64	61(95)	44(72)	17(28)	शून्य
	कम्प्यूटर साईंस इंजीनियर (सी.एस.ई.)	64	58(91)	47(81)	11(19)	शून्य
2013-14	इलेक्ट्रोकल इंजीनियरिंग	64	64(100)	परीक्षा दिए	--	--
	ई.सी.ई.*	64	63(98)	परीक्षा दिए	--	--
	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)	64	64(100)	परीक्षा दिए	--	--

परिशिष्ट-2.2.8(अ)

(संदर्भित कंडिका 2.2.13.1; पृष्ठ 47)

**ए.आई.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार, जुलाई 2014 तक राज्य स्तर के शिक्षण
संवर्ग के आवश्यक स्वीकृत पद, कार्यरत बल और कमी का व्यौरा**

जी.डब्ल्यू.पी. का नाम	संकाय का नाम	ए.आई.सी.टी. ई. के मानदंडो के अनुसार आवश्यकता	स्वीकृत बल	मानदंडों के विरुद्ध कार्यरत बल की कमी (प्रतिशत)	कार्यरत बल	मानदंडों के विरुद्ध कार्यरत बल की कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल में कमी (प्रतिशत)
जी.डब्ल्यू.पी., बोकारो	प्राचार्य	1	1	0	0	1 (100)	1 (100)
	एच.ओ.पी./ वरिष्ठ व्याख्याता/ व्याख्याता	40	21	19 (48)	5	35 (88)	16 (76)
जी.डब्ल्यू.पी., जमशेदपुर	प्राचार्य	1	1	0	0	1 (100)	1 (100)
	एच.ओ.पी./ वरिष्ठ व्याख्याता/ व्याख्याता	51	11	40 (78)	9	42 (82)	2 (18)
जी.डब्ल्यू.पी., राँची	प्राचार्य	1	1	0	0	1 (100)	1 (100)
	एच.ओ.पी./ वरिष्ठ व्याख्याता/ व्याख्याता	30	10	20 (67)	8	22 (73)	2 (20)

(स्रोत: संबंधित जी.डब्ल्यू.पी.)

परिशिष्ट-2.2.8(ब)

(संदर्भित कंडिका 2.2.13.2; पृष्ठ 48)

**जुलाई 2014 तक राज्य स्तर के जी.डब्ल्यू.पी. में गैर शैक्षणिक/सहयोगी कर्मचारी
संवर्ग के आवश्यक स्वीकृत पद, कार्यरत बल और कमी का ब्यौरा**

क्रम संख्या	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के नाम	स्थिति	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/एनालिस्ट	अनुदेशक	फोरमैन	कार्यशाला सहायक
1	जी.डब्ल्यू.पी., बोकारो	स्वीकृत बल	2	10	2	4
		कार्यरत बल	0	0	0	4
		कमी (प्रतिशत)	2 (100)	10 (100)	2 (100)	0
2	जी.डब्ल्यू.पी., जमशेदपुर	स्वीकृत बल	2	5	2	0
		कार्यरत बल	0	0	0	0
		कमी (प्रतिशत)	2 (100)	5 (100)	2 (100)	0
3	जी.डब्ल्यू.पी., राँची	स्वीकृत बल	0	4	1	1
		कार्यरत बल	0	2	1	1
		कमी (प्रतिशत)	0	2 (50)	0	0

(स्रोत: संबंधित जी.डब्ल्यू.पी.)

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भित कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 53)

नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम
1	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	बी.एस.सिटी महाविद्यालय, बोकारो चास महाविद्यालय, चास जे.जे. महाविद्यालय, झुमरी तिलैया के.बी. महिला महाविद्यालय, हजारीबाग मार्खम वाणिज्य महाविद्यालय, हजारीबाग पी.के.राय मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़
2	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाईबासा	ए.बी.एम. महाविद्यालय, जमशेदपुर बहरागोरा महाविद्यालय, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला टाटा महाविद्यालय, चाईबासा
3	गीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर	जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेदिनीनगर वाई.एस.एन. महिला महाविद्यालय, मेदिनीनगर जे.एस. महाविद्यालय, मेदिनीनगर एस.एस.जे.एस.एन. महाविद्यालय, गढ़वा

परिशिष्ट-2.3.2

(संदर्भित कड़िका 2.3.7.4; पृष्ठ 57)

बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंदरी से कम परीक्षा शुल्क जमा को दर्शाने वाली

विवरणी

क्र.सं.	चालान संख्या के साथ जमा राशि	अवधि/दिनांक	छात्रों की कुल संख्या से परीक्षा शुल्क जमा	जमा करने योग्य राशि ¹	विश्वविद्यालय के खाता में जमा राशि ²	कम जमा या जमा नहीं की गई राशि	अभ्युक्ति
1	42017	12.8.09	15	22500	12000	10500	
2	44178	1.8.09	36	54000	28800	25200	
3	44752	29.5.09	2136	3204000	1708800	1495200	
4	8212	21.12.09	2941	4411500	2353000	2058500	
5	5221	20.05.10	2230	3345000	1784000	1561000	
6	46810	7.10.09	505	757500	404000	353500	
7	7987	31.8.10	354	531000	283200	247800	
8	8081	9.9.10	380	570000	304000	266000	
9	4231	23.11.10	1573	2359500	1258400	1101100	
10	6311	3.12.10	1470	2205000	1176000	1029000	
11	18261	27.4.11	1559	3897500	2338500	1559000	
12	21581	13.5.11	1517	3792500	2275500	1517000	
13	13534	6.7.11	96	240000	144000	96000	
14	28695	25.8.11	256	640000	384000	256000	
15	27563	10.8.11	83	207500	124500	83000	
16	21975	16.8.11	232	580000	348000	232000	
17	7161	18.11.11	1457	3642500	2185500	1457000	
18	8275	23.11.11	92	230000	138000	92000	
19	9340	9.12.11	1494	3735000	2241000	1494000	
20	6686	25.4.12	726	1815000	1089000	726000	
21	7224	4.5.12	805	2012500	1207500	805000	
22	8733	17.5.12	1514	3785000	2271000	1514000	
23	2809	13.7.12	49	122500	73500	49000	
24	12384	18.8.12	88	220000	132000	88000	
25	15567	10.9.12	675	1687500	1012500	675000	
26	20517	12.12.12	1537	3842500	2305500	1537000	
27	21857	22.12.12	1557	3892500	2335500	1557000	
28	31665	30.1.13	1	2500	1500	1000	
29	906	7.5.13	800	2000000	1200000	800000	
30	907	7.5.13	1	2500	1500	1000	
31	29048	8.5.13	443	1107500	664500	443000	
32	33858	23.5.13	2233	5582500	3349500	2233000	
33	47486	19.7.13	78	195000	117000	78000	
34	45026	3.8.13	330	825000	495000	330000	
35	45027	3.8.13	5	12500	7500	5000	
36	1241	7.9.13	382	955000	573000	382000	
37	4853	11.11.13	100	250000	150000	100000	
38	7275	17.12.13	1555	3887500	2332500	1555000	
39	7280	17.12.13	219	547500	328500	219000	
40	7323	24.1.14	1628	4070000	2442000	1628000	
41	16835	22.5.14	1535	3837500	2302500	1535000	
42	16562	15.4.14	166	415000	249000	166000	
43	24725	7.7.14	126	315000	189000	126000	
44	27249	14.7.14	44	110000	66000	44000	
45	27739	21.7.14	504	1260000	756000	504000	
कुल			35527	77177500	45142700	32034800	

¹ 9 अप्रैल 2011 से पूर्ण परीक्षा शुल्क ₹ 1500 था जिसे 9 अप्रैल 2011 में अभिषद द्वारा बढ़ोत्तरी कर ₹ 2500 किया गया।

² दर पुर्णनिर्धारण से पूर्व, परीक्षा शुल्क ₹ 800 की दर से वसूलना था और पुर्णनिर्धारण के पश्चात इसे ₹ 1500 की दर से वसूली की गयी।

परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भित कंडिका 2.3.7.5; पृष्ठ 57)

संग्रहित राशि के नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी (वि.भ.वि.)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विभाग/महाविद्यालय का नाम	अवधि	भंडार से लिये गये प्रपत्र की संख्या (₹ 100 प्रति प्रपत्र)	भंडार से लिये गये परीक्षा/प्रोवीजनल/पंजीकरण/प्रवास प्रपत्र की संख्या	प्रपत्र बेचने के कुल राशि जो प्राप्त होनी चाहिए थी या चालान/मनी रसीद के द्वारा खाते में प्राप्ति	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा की गई राशि	जमा नहीं/कम जमा
1.	वाणिज्य, वि.भा.वि.	2009-14	2200	2180	315250	0	315250
2.	राजनीति विज्ञान, वि.भा.वि.	2009-14	1400	2050	230000	0	230000
3.	अर्थशास्त्र, वि.भा.वि.	2009-14	1100	1900	191250	0	191250
4.	भूगोल, वि.भा.वि.	2009-14	1200	825	154875	0	154875
5.	मानव-विज्ञान, वि.भा.वि.	2009-14	400	750	72500	0	72500
6.	मनोविज्ञान, वि.भा.वि.	2009-14	500	720	79750	0	79750
7.	तर्कशास्त्र, वि.भा.वि.	2009-14	150	200	22500	0	22500
8.	अंग्रेजी, वि.भा.वि.	2009-14	350	900	72500	0	72500
9.	संस्कृत, वि.भा.वि.	2009-14	300	460	44625	0	44625
10.	रसायनशास्त्र, वि.भा.वि.	2009-14	200	500	38750	0	38750
11.	भूगर्भशास्त्र, वि.भा.वि.	2009-14	121	325	27850	0	27850
12.	गणित, वि.भा.वि.	2009-14	800	1200	141250	0	141250
13.	प्राणिविज्ञान, वि.भा.वि.	2009-14	208	500	40800	0	40800
14.	एम.बी.ए., वि.भा.वि.	2009-14	0	1170	50500	0	50500
15.	एम.सी.ए., वि.भा.वि.	2009-14	0	1183	54675	0	54675
16.	हिन्दी, वि.भा.वि.	2009-14	1100	2250	208750	91050	117700
17.	वनस्पति विज्ञान, वि.भा.वि.	2009-14	200	440	36750	21600	15150
18.	उर्दू वि.भा.वि.	2009-14	0	600	25000	9450	15550
			10229	18153	1807575	122100	1685475

परिचय-2.3.4

(संदर्भित कंडिका 2.3.11.1; पृष्ठ 60)

विनोबा भावे विश्वविद्यालय अन्तर्गत नमना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी

महाविद्यालयों के नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात
दी.एस.सिटी महाविद्यालय, बोकारो	33	19115	1.579	33	19966	1.605	33	21252	1.644	33	20679	1.627	33	20710	1.628
चास महाविद्यालय, चास	51	20112	1.394	51	18967	1.372	51	17082	1.335	51	17225	1.338	51	17532	1.344
पी.के.आर.एम. महाविद्यालय, धनबाद	43	27647	1.643	43	25053	1.583	43	24914	1.579	43	27279	1.634	43	29196	1.679
के.बी.वर्मस महाविद्यालय, हजारीबाग	25	3717	1.149	25	3704	1.148	26	3293	1.127	28	3397	1.121	28	3164	1.113
रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़	31	14892	1.480	25	18040	1.722	29	17614	1.607	32	18980	1.593	28	19346	1.691
जे.जे. महाविद्यालय, झुमरीतीलेया	24	7679	1.320	23	7927	1.345	18	8567	1.476	21	6372	1.303	20	8918	1.446
मारखम महाविद्यालय, हजारीबाग	56	3328	1.59	56	3136	1.56	73	3413	1.47	41	3722	1.91	55	4038	1.73

परिशिष्ट-2.3.5

(संदर्भित कंडिका 2.3.11.2; पृष्ठ 60)

**विनोबा भावे विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा अन्तर्ग्रहण क्षमता
का कम उपयोग किए जाने का विवरण**

विषय (स्नातकोत्तर)	2009-14 के दौरान अन्तर्ग्रहण की क्षमता	2009-14 के दौरान पंजीकृत किए छात्रों की संख्या	अन्तर्ग्रहण क्षमता अप्रयुक्त (प्रतिशत में)
हिन्दी	676	513	163(24)
अंग्रेजी	320	315	5(2)
बंगला	0	0	0
ऊर्दू	320	129	191(60)
क्षेत्रीय एवं जनजातिय भाषा	0	0	0
राजनीति विज्ञान	640	516	124(19)
अर्थशास्त्र	800	738	62(8)
इतिहास	800	633	167(21)
गणित	480	416	64(13)
दर्शन शास्त्र	240	69	171(71)
वाणिज्य	800	800	-
भूगोल	320	320	-
मानव विज्ञान	240	221	19(8)
मनोविज्ञान	240	235	5(2)
भौतिकी	240	231	9(4)
रसायन विज्ञान	240	177	63(26)
वनस्पति विज्ञान	240	110	130(54)
वन्यप्राणी विज्ञान	240	233	7(3)
समाज शास्त्र	0	0	-
संस्कृत	160	59	101(63)
भूविज्ञान	160	87	73(46)
गृहविज्ञान	200	56	144(28)

परिशिष्ट-2.3.6

(संदर्भित कंडिका 2.3.15.4; पृष्ठ 69)

संग्रहित राशि के नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी (नी.पी.वि.)

क्र.सं.	विभाग/महाविद्यालय का नाम	अवधि	प्रपत्र बेचने के कुल राशि जो प्राप्त होनी चाहिए थी या चालान/मनी रसीद के द्वारा खाते में प्राप्ति	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा की गई राशि	जमा नहीं/कम जमा
1.	वाई.एस.एन.एम. महाविद्यालय नी.पी.वि., मेदिनीनगर	2009-14	1604500	1394555	209945
2.	जी.एल.ए. महाविद्यालय नी.पी.वि., मेदिनीनगर	2009-14	5183535	5035390	148145
		कुल	6788035	6429945	358090

परिविकास-2.3.7

(संदर्भित कंडिका 2.3.18.1; पृष्ठ 70)

नी.पी.वि. के अन्तर्गत नमना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी

महाविद्यालयों के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14						
	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की अनुपात संख्या	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या					
जे.एस. महाविद्यालय, मेटिनीनगर	10	4451	1.445	10	2854	1.285	9	4063	1.451	9	4851	1.539	9	3436	1.382
वाई.एस.एन.एम. महाविद्यालय, मेटिनीनगर															
जी.एल.ए. महाविद्यालय, मेटिनीनगर	57	5824	1.102	55	2957	1.54	54	4794	1.89	54	5361	1.99	53	2165	1.41
एस.एस.जे.एन. महाविद्यालय, गढ़वा	65	5504	1.85	42	4142	1.99	43	4641	1.108	43	5858	1.136	38	5813	1.153

परिशिष्ट-2.3.8

(संदर्भित कंडिका 2.3.18.2; पृष्ठ 71)

नी.पी.वि. के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा पंजीकृत/अन्तर्ग्रहण की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का विवरण

विषय (स्नातकोत्तर)	2009-14 के दौरान अन्तर्ग्रहण की क्षमता	2009-14 के दौरान पंजीकृत किए छात्रों की संख्या	अन्तर्ग्रहण क्षमता अप्रयुक्त (प्रतिशत में)
हिन्दी	400	292	108(27)
अंग्रेजी	400	132	268(67)
बंगला	0	0	0
ऊर्दू	400	90	310(78)
क्षेत्रीय एवं जनजातिय भाषा	0	0	0
राजनीति विज्ञान	400	400	0
अर्थशास्त्र	400	318	82(21)
इतिहास	400	338	62(16)
गणित	500	265	235(47)
दर्शन शास्त्र	400	46	354(89)
वाणिज्य	शून्य	शून्य	शून्य
भूगोल	400	289	111(28)
मानव विज्ञान	0	0	0
मनोविज्ञान	400	157	243(61)
भौतिकी	150	98	52(35)
रसायन विज्ञान	150	43	107(71)
वनस्पति विज्ञान	150	22	128(85)
वन्यप्राणी विज्ञान	150	120	30(20)
समाज शास्त्र	शून्य	शून्य	शून्य
संस्कृत	400	19	381(95)
भूविज्ञान	150	23	127(85)
गृहविज्ञान	0	0	0

शून्य: विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए

परिशिष्ट-2.3.9

(संदर्भित कंडिका 2.3.22.4; पृष्ठ 77)

संग्रहित राशि के नहीं/कम जमा को दर्शाने वाली विवरणी (कोल्हान विश्वविद्यालय)

क्र.सं.	विभाग/महाविद्यालय का नाम	अवधि	प्रपत्र बेचने के कुल राशि जो प्राप्त होनी चाहिए थी या चालान/मनी रसीद के द्वारा खाते में प्राप्ति	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा की गई राशि	जमा नहीं/कम जमा
1	को-ऑपरेटिव महाविद्यालय, को.वि. जमशेदपुर	2009-14	101094	0	101094
2	टाटा महाविद्यालय, को.वि. चाईबासा	2009-14	532903	0	532903
3	घाटशिला महाविद्यालय, को.वि. घाटशिला	2009-14	55854	14842	41012
			689851	14842	675009

परिशिष्ट-2.3.10

(संदर्भित कंडिका 2.3.25.1; पृष्ठ 79)

कोलहान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नमूना-जाँचित महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की विवरणी

महाविद्यालयों के नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात	शिक्षकों की संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात
को-ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर	75	4699	1:68	65	4475	1:60	63	3926	1:58	68	4514	1:66	65	4544	1:75
ए.बी.एम. महाविद्यालय, जमशेदपुर	35	2753	1:79	35	2460	1:70	35	1821	1:52	32	2983	1:93	31	2983	1:96
बहरागोरा महाविद्यालय, बहरागोरा	11	1566	1:142	12	1400	1:117	8	1297	1:162	7	1616	1:231	7	1833	1:262
घाटशिला महाविद्यालय, घाटशिला	21	4395	1:209	20	4618	1:231	17	3686	1:217	16	5090	1:318	14	4138	1:296
टाटा महाविद्यालय, चाईबासा	41	3227	1:79	37	2833	1:77	31	2213	1:71	28	3074	1:110	24	3151	1:131

परिशिष्ट-2.3.11

(संदर्भित कंडिका 2.3.25.2; पृष्ठ 79)

**कोल्हान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों द्वारा पंजीकृत/अन्तर्ग्रहण
की क्षमता का कम उपयोग किए जाने का विवरण**

विषय (स्नातकोत्तर)	2009-14 के दौरान अन्तर्ग्रहण की क्षमता	2009-14 के दौरान पंजीकृत किए छात्रों की संख्या	अन्तर्ग्रहण क्षमता अप्रयुक्त (प्रतिशत में)
हिन्दी	600	306	294(49)
अंग्रेजी	600	63	537(90)
बंगला	600	20	580(97)
ऊर्दू	600	56	544(91)
क्षेत्रीय एवं जनजातिय भाषा	600	449	151(25)
राजनीति विज्ञान	600	459	141(24)
अर्थशास्त्र	600	288	312(52)
इतिहास	600	425	175(29)
गणित	600	331	269(45)
दर्शन शास्त्र	600	95	505(84)
वाणिज्य	600	223	377(63)
भूगोल	300	189	111(37)
मानव विज्ञान	300	102	198(66)
मनोविज्ञान	300	79	221(74)
भौतिकी	300	100	200(67)
रसायन विज्ञान	300	30	270(90)
वनस्पति विज्ञान	300	15	285(95)
वन्यप्राणी विज्ञान	300	26	274(91)
समाज शास्त्र	600	8	592(99)
संस्कृत	600	17	583(97)
भूविज्ञान	300	20	280(93)
गृहविज्ञान	600	शून्य	600(100)

परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भित कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 88)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित इकाईयों का विवरण

इकाईयों की सूची	
कोलियरी	
क्रम.सं.	इकाई का नाम
1	मेसर्स गोधर कोलियरी, पो. कुसुण्डा, धनबाद
2	मेसर्स गॉडौहीह कोलियरी, कुस्टोर एरिया 6, धनबाद
3	मेसर्स कुसुण्डा कोलियरी, पोस्ट कुसुण्डा, धनबाद
4	मेसर्स घानडौह कोलियरी, पोस्ट झरिया, धनबाद
5	मेसर्स दोवारी कोलियरी, पोस्ट झरिया, एरिया-X, धनबाद
6	मेसर्स राजापुर ओ.सी.पी., पोस्ट झरिया, धनबाद
7	मेसर्स लोदना कोलियरी, पोस्ट लोदना, धनबाद
8	मेसर्स बागडीगी कोलियरी, पोस्ट लोदना, धनबाद
9	मेसर्स नार्थ साउथ तिसरा (ओ.सी.पी.) कोलियरी, पोस्ट खासजीनागोरा, धनबाद
10	मेसर्स महलबानी भौंरा साउथ (ओ.सी.पी.), 3 पीट, पोस्ट बोरवा, धनबाद
11	मेसर्स चन्दन ओ.सी.पी., भौंरा, धनबाद
12	मेसर्स मुरुलीडीह कोलियरी, बरोरा एरिया, पोस्ट नावागढ़, धनबाद
13	मेसर्स हरियाजाम कोलियरी, ई.सी.एल, मुगमा, धनबाद
14	मेसर्स लखीमाता कोलियरी, ई.सी.एल, मुगमा, धनबाद
15	मेसर्स मन्दमान कोलियरी, ई.सी.एल, मुगमा, धनबाद
16	मेसर्स राजपुरा कोलियरी, ई.सी.एल, चिरकुण्डा, धनबाद
17	मेसर्स जामाडोबा कोलियरी (6 तथा 7 पीट) (टिस्को)
हाई कोक संयंत्र	
1	मेसर्स अरूण फ्युल, चिरकुण्डा
2	मेसर्स ब्लेक डाईमड इंडस्ट्रीजस्ट्रीज, जेलगोडा, गोविंदपुर
3	मेसर्स माँ भद्रकाली कोकइंडस्ट्रीज, पी.भी.टी., देवली, गोविंदपुर
4	मेसर्स प्रभु कोक मेनुफेक्चरींग कम्पनी, के.जी.आश्रम, गोविंदपुर
5	मेसर्स प्रियष कोक इंडस्ट्रीज, जलगारा, गोविंदपुर
6	मेसर्स शर्मा बी हाइब प्लांट, तेतुलिया, बरवा
7	मेसर्स श्री गोपाल कोक इंडस्ट्रीज बागसुमा, गोविंदपुर
8	मेसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज. एण्ड कम्पनी, कुमारडुबी
9	मेसर्स श्री अरविंदो फ्युल लिमिटेड, के.जी. आश्रम, गोविंदपुर
10	मेसर्स पी.डी.के.जे. कोमर्शियल कम्पनी (पी) लिमिटेड, भेलाटाड, गोविंदपुर
सोफ्ट कोक संयंत्र	
1	मेसर्स सुमित फ्यूल, स्टेशन रोडमुगमा, धनबाद
2	मेसर्स चीफ फ्यूल इन्डस्ट्रीज, प्रभात, परतादीह, धनबाद
3	मेसर्स रोयल कोक बेरिक्युट इन्डस्ट्रीज, बरवा ईस्ट, गोविंदपुर, धनबाद
4	मेसर्स माँ शारदा सोफ्ट कोक इन्डस्ट्रीज, निरसा, धनबाद
5	मेसर्स प्रदीप भालोटीया दुमदामी, ईस्टबरवा, गोविंदपुर, धनबाद

इकाईयों की सूची	
6	मेसर्स एक्ससिलेंट सॉफ्टकोक, दुमदामी, ईस्टबरवा, गोविंदपुर, धनबाद
रिफेक्ट्री संयंत्र	
1	मेसर्स एसोसियेट सेरामिक लिमिटेड, चिरकुण्डा, धनबाद
2	मेसर्स मैथन सेरामिक लिमिटेड, चिरकुण्डा, धनबाद
3	मेसर्स शारद रिफेक्ट्री (पी) लिमिटेड, चिरकुण्डा
4	मेसर्स अरुण रिफेक्ट्री, चिरकुण्डा
5	मेसर्स झरिया फायर ब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड, धनसरा
6	मेसर्स मुमताज सेरामिक, बरवा ईस्ट, गोविंदपुर
स्टोन क्रशर युनिट	
1	मेसर्स प्रदीप स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
2	मेसर्स मोहसीन अंसारी स्टोन क्रशर, जगलपुर, गोविंदपुर
3	मेसर्स मुकेश ईन्टरप्राइजेस, बारापीचारी, कलायणपुर, गोविंदपुर
4	मेसर्स एस.के. स्टोन माईन्स, बागसुमा, गोविंदपुर
5	मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
6	मेसर्स आर.एन. चौबे स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
7	मेसर्स चन्द्रशेखर शाही स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
8	मेसर्स रमेश स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
9	मेसर्स सुमान स्टोन क्रशर, बागसुमा, गोविंदपुर
10	मेसर्स मनू आलम स्टोन क्रशर, जगलपुर, गोविंदपुर
11	मेसर्स सदानंद स्टोन क्रशर, देवली, गोविंदपुर
12	मेसर्स हुसेन स्टोन क्रशर, जगलपुर, गोविंदपुर
13	मेसर्स हिना इंटर प्राइजेस, देवली, गोविंदपुर

परिशिष्ट-2.4.2

(संदर्भित कंडिका 2.4.6; पृष्ठ: 89)

धनबाद कार्य योजना के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्रम. सं.	कार्यकारी एजेंसी	प्रस्तावित गतिविधियाँ	वित्तीय (₹ लाख में)
1	बी.सी.सी.एल., टाटा स्टील, आई.आई.एस.सी.ओ. इत्यादि	प्रमुख परिवहन गलियारे में शोर घटाने के लिए ग्रीन बेल्ट का विकास जमीन और जल की संरक्षण माप नदी के सामने का विकास- दामोदर नदी (ओबी ढेर तथा वाशरी के कचरे का हटाव)	75.00 100.00 15000.00
2	कोलियरी प्रबंधन	पक्का हॉल पथ का निर्माण	50.00
3	निगम	सीवर नेटवर्क का बिछाव एसटीपी का निर्माण प्राकृतिक नाला/नहर का सुदृढ़िकरण	19000.00 10000.00 2000.00
4	निगम तथा पी.डब्ल्यू.डी.	पथ का उन्नयन तथा चौड़ीकरण	20000.00
5	पी.डब्ल्यू.डी	बाईपास पथ का सुत्रीकरण	50000.00
6	दामोदर घाटी निगम (डी.भी.सी.) तथा जिला प्रशासन	मैथन डैम और बेकारबांध का सोंदर्यीकरण तथा नौकायन सुविधा	1200.00
7	धनबाद नगर निगम	वनीकरण, झील/तालाब जलग्रहण क्षेत्र बिरसा मुंडा उद्यान तथा धांगीपहाड़ में जैविक उद्यान	200.00 2000.00
8	धनबाद नगर निगम	पर्यावारण मास्टर प्लान की तैयारी	50.00
9	वन विभाग	दामोदरपुर, धनबाद में परिस्थिति की उद्यान	--
10	हार्ड कोक प्लाट मालिक	बीहाईव कोक प्लाण्ट के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन 126 यूनिट @ ₹ 20.00 लाख/यूनिट	2520.00
11	अस्पताल (सरकारी तथा निजी)	एम.डब्ल्यू.एम. के लिए ईसीनरेसन प्लांट	25.00
12	झा.रा.प्र.नि.प.	अनुश्रवण नेटवर्क का उन्नयन	100.00
13	माडा	तोपचांची झील-सोंदर्यीकरण, पहुँच पथ का सुधार तथा उद्यान का विकास राजलिबांध में मनोरंजन उद्यान का विकास तोपचांची झील के गाद को हटाना	1500.00 12000.00 800.00
14	माडा तथा निगम	प्राथमिक संग्रह वाहनों (ठेलागाड़ी और कंटेनरीकृत तिपहिया) दृवितीयक संग्रह दुलाई के लिए दोहरी डम्पर पलैसर लैडफिल स्थल का विकास	400.00 150.00 340.00 3700.00
15	माडा तथा पी.एच.ई.डी.	परित्यक्त खुले खादान को पेयजल हेतु जलाशय में परिवर्तन करना	1000.00
16	खनन कंपनियाँ तथा वनविभाग	शहरी वन तथा ग्रीन बेल्ट के निर्माण के लिए बेकार भूमि(परित्यक्त ओपन कास्ट माइंस) का सुधार करना	1000.00
17	पी.एच.ई.डी. तथा खनन कंपनी	जलाशय का निर्माण पीट जल का पुर्णपयोग	3000.00 100.00
कुल			146310.00

(स्रोत: झा.रा.प्र.नि.प.)

परिशिष्ट-2.4.3

(संदर्भित कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 90)

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्धारित जल का गुणवत्ता मानक

पैरामीटर	के.प.नि.प्र. के द्वारा निर्धारित मानक			
	ए	बी	सी	डी
पी एच	6.5 से 8.5	6.5 से 8.5	6 से 9	6.5 से 8.5
डीओ	6 मि.ग्रा/ली. या अधिक	5 मि.ग्रा/ली. या अधिक	4 मि.ग्रा/ली. या अधिक	4 मि.ग्रा/ली.
बीओडी	2 मि.ग्रा/ली. या कम	3 मि.ग्रा/ली. या कम	3 मि.ग्रा/ली. या कम	--
कुल कोलिफोर्म	एम.एन.पी./100 मिली. 50 या कम	एम.एन.पी./100 मि.ली. 500 या कम	एम.एन.पी./100 मिली. 5000 या कम	--
मुक्त अमोनिया (एन जैसा)	--	--	--	1.2 मि.ग्रा/ली.

(स्रोत: झा.रा.प्र.नि.प. द्वारा दी गयी सूचना)

ए- पेयजल श्रोत पारंपरिक उपचार के बिना लेकिन कीटाणुशोधन के बाद;

बी- बाह्य स्नान (संगठित);

सी- पेयजल श्रोत पारंपरिक उपचार और कीटाणुशोधन के बाद;

डी- वन्य जीवन और मत्स्य पालन का प्रचार-प्रसार।

(ख) दामोदर नदी के जल की गुणवत्ता की वर्षवार विवरणी

मिलीग्रा.म/लीटर

वर्ष	पैरामीटर	स्थल (दामोदर नदी) वर्ष के लिए 2009-14							
		तेलमच्चो (धारा के प्रतिकूल प्रथम बिंदु)		डोमागढ़		जामाडोबा		पंचेत (धारा के अनकूल अन्तिम बिंदु)	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2009-10	पी.एच.	6.5	7.6	7.4	7.5	7.2	7.5	7.2	7.5
	डी.ओ.	5.0	7.6	6.8	7.8	6.7	7.4	7.2	8.2
	बी.ओ.डी.	1.6	3.2	1.9	2.6	2.0	2.8	1.0	1.4
2010-11	पी.एच.	6.5	7.5	7.4	8.0	7.2	7.8	7.0	7.7
	डी.ओ.	5.0	7.4	6.2	7.6	6.5	7.6	6.7	7.8
	बी.ओ.डी.	2.0	7.2	2.0	2.5	2.3	2.9	0.4	1.2
2011-12	पी.एच.	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.5
	डी.ओ.	5.2	7.4	7.1	7.4	7.0	7.4	7.2	8.0
	बी.ओ.डी.	1.8	6.6	2.5	2.9	2.1	2.8	0.8	1.2
2012-13	पी.एच.	7.2	7.6	7.2	7.5	7.4	7.6	7.3	7.6
	डी.ओ.	6.5	7.7	6.8	7.4	7.0	7.5	6.8	8.2
	बी.ओ.डी.	1.6	2.6	2.5	3.0	1.8	2.5	0.7	1.2
2013-14	पी.एच.	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	डी.ओ.	4.9	7.2	7.2	7.6	7.1	7.7	7.2	8.0
	बी.ओ.डी.	2.5	8.2	2.8	3.5	2.0	3.5	0.7	2.3
	कुल कोलिफोर्म	माप नहीं लिया गया							
	मुक्त अमोनिया (एन जैसा)								

(स्रोत: क्षे.प. झा.रा.नि.प. धनबाद द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट-2.4.4

(संदर्भित कंडिका 2.4.8.1; पृष्ठ 92)

धनबाद में एस.पी.एम. तथा आर.एस.पी.एम की माप

(माइक्रोग्राम/घन मीटर में)

स्थान का नाम	स्टेशन का प्रकार	रेज	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	2013-14
			एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.
क्षे.प.धनबाद पीडीआईएल, सिन्दरी	आवासीय	न्यूनतम	128.31	76.34	183.32	111.13	369.63	143.70	91.09	79.88
		अधिकतम	596.32	230.00	442.80	390.29	390.24	284.52	247.48	243.74
		न्यूनतम	199.84	155.72	203.36	153.28	312.69	140.02	131.54	71.98
		अधिकतम	468.00	329.00	448.74	327.23	357.18	292.00	273.27	240.11
धनबाद आवासीय में कुल मिलाकर		न्यूनतम	128.31	76.34	183.32	111.13	312.69	140.02	91.09	71.98
		अधिकतम	596.32	329.00	448.74	390.29	390.24	284.52	273.27	243.74
माडा, झारिया	औद्योगिक	न्यूनतम	282.71	229.60	315.08	262.99	359.95	205.08	160.74	168.32
		अधिकतम	633.00	546.00	436.24	369.58	388.60	313.91	269.26	304.82
		न्यूनतम	246.68	175.15	301.48	231.00	352.05	191.17	166.00	177.43
		अधिकतम	783.18	654.55	434.82	377.75	372.67	302.23	257.51	277.16
सी.जी.एम. ओ., कुसुण्डा		न्यूनतम	231.00	193.01	305.83	238.47	324.95	234.89	195.58	176.98
		अधिकतम	492.46	356.52	520.27	422.98	352.20	271.42	272.93	291.97
धनबाद औद्योगिक में कुल मिलाकर		न्यूनतम	231.00	175.15	301.48	231.00	324.95	191.17	160.74	168.32
		अधिकतम	783.18	654.55	520.27	422.98	388.60	313.91	272.92	304.82

नोट: 2012-13 तथा 2013-14 में एस.पी.एम. तथा आर.एस.पी.एम की माप नहीं की गयी

परिशिष्ट-2.5.1 ए
(संदर्भित कंडिका: 2.5.5; पृष्ठ 102)

20 नमूना-जाँचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की सूची

जिला	बाल विकास पदाधिकारी	बाल विकास पदाधिकारी की संख्या
बोकारो	चास शहरी, नवाडीह और कसमार	3
पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर सदर, गोलमुरी और डुमरिया	3
रामगढ़	माण्डू और पतरातू	2
हजारीबग	बरकागाँव, बरही और ईचाक	3
राँची	अनगढ़ा, नामकुम, राँची सदर और सिल्ली	4
दुमका	जरमुंडी, काठीकुण्ड और सरैयाहाट	3
पाकुड़	आमरापारा और पाकुड़	2
कुल		20

परिशिष्ट-2.5.1 बी
(संदर्भित कंडिका 2.5.5 एवं 2.5.7; पृष्ठ 102 एवं 108)

100 आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

के.एस.वार्ड. जिले	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	क्रम संख्या	आँगनबाड़ी केन्द्र का कोड	आँगनबाड़ी केन्द्रों का नाम
बोकारो	चास(शहरी)	1	19	सोलागिडीह 3
		2	18	सोलागिडीह 2
		3	20	न्यूपेनर गोडिया
		4	87	बावरी मोहल्ला 3
		5	125	रामनगर कोलनी 4
	कसमार	6	31	ओरमो 1 पटिया टाँड
		7	49	बगदा 2 महतो टोला
		8	90	रंगा माटी
		9	103	खिजारा
		10	104	हिसिम 2 कथाल टोला
	नवाडीह	11	18	अरगामो
		12	61	पपलो
		13	75	कोरिया बेड़ा
		14	146	असना टाँड
		15	214	कोचा कुल्ही
दुमका	जरमुंडी	16	107	बेलटिकरी 1, 2
		17	196	चोर खेदा
		18	158	मदनपुर
		19	69	पहाड़पुर 1
		20	39	तिलौना
	काठिकुण्ड	21	17	बड़ा भालकी

		22	12	बजरी कोल
		23	60	चिन्चरो
		24	16	मसनिया
		25	85	पहाड़पुर
पूर्वी सिंहभूम	सरैयाहाट	26	107	बेल टिकरी
		27	161	जमुआ हरिजन टोला
		28	80	मंडलडीह 1
		29	171	संगामपुर टोंगी
		30	57	तेतरिया
पाकुड़	डुमरिया	31	7	आड़ापाही
		32	79	कालीयान
		33	5	खादीदा 1
		34	66	मादोतिलया
		35	72	नीचे बाकी सोल
	गोलमुरी	36	139	बड़ा गोविन्दपुर (ह.) बस्ती
		37	156	बंधा टोला
		38	152	बयागबिल 2
		39	3	दुखु टोला
		40	7	झारखण्ड नगर
	जमशेदपुर सदर	41	18	10 नम्बर हरिजन बस्ती
		42	28	बिरसा नगर 04
		43	4	खादगाङ्गार टेल्को
		44	137	न्यूकपाली बस्ती 1
		45	134	राम नगर
रामगढ़	आमरापारा	46	9	कोलखि पाड़ा 1
		47	22	जबजीत पुर
		48	43	टुटरा पहाड़
		49	49	छोटा पहाड़पुर 1
		50	112	पातर टोला
	पतरातू	51	129	चालकी पाड़ा (ऊतर)
		52	140	गूरुकुण्डा
		53	160	किस्मत लखनपुर
		54	202	नया बाहिवाजपुर
		55	275	सुंदर पहाड़ी
सरैयाहाट	माण्डु	56	94	चटनिया बस्ती
		57	108	मुरपा मुस्लिम टोला
		58	163	पड़सिया
		59	242	अम्बेडकर नगर
		60	257	हथमारा मुस्लिम टोला
	पतरातू	61	15	पालू मुस्लिम टोला
		62	31	गंजू टोला तालाटाँड़
		63	89	बालकुदरा पुराना टोला
		64	121	आकाशदीप कॉलोनी
		65	190	बिरसा नगर दुदुम्बा

के.एस.वाई. जिले (आ)		65			
सबला जिले	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	क्रम संख्या	आँगनबाड़ी केंद्र का कोड	आँगनबाड़ी केन्द्रों का नाम	
राँची	अनगड़ा	1	52	चमधारी	
		2	59	लेपसर	
	खिजरी (नामकुम)	3	98	तुरूप	
		4	118	बेहराटोली	
		5	154	पुरनाडीह	
	राँची सदर	6	31	लाधमा 1	
		7	42	गडसूल	
		8	125	विटीर	
		9	130	सिथियो 2	
		10	140	हुडिगड़ाँग	
	सिल्ली	11	30	सराईटोड	
		12	38	कोकर	
		13	171	एदलहातु उपर टोला	
		14	194	पीरी टोला बरियातु	
		15	316	हटिया तलाब चुटिया	
हजारीबाग	बड़कागाँव	16	6	निसिर होटाँग	
		17	9	बरवा टोली	
		18	33	मोटीडीह	
		19	87	हजाम 2	
		20	95	वारीडीह 2	
	बरही	21	96	देवगढ़	
		22	99	गडसूल सिखाबरे डॉ आदिटोला	
		23	32	जुगरा पंचायत भवन	
		24	107	पोटाँग बार टोला	
		25	23	सिन्दुबरी मंदिर के पास	
	ईचाक	26	120	बेलहरा	
		27	14	खेराँन	
		28	96	महुगड़ा	
		29	119	पासवान टोला विजेया	
		30	92	श्रीनगर 1	
सबला जिले (ब)		35			
कुल (के.एस.वाई. एवं सबला)		100			

परिशिष्ट-2.5.2

(सन्दर्भित कंडिका- 2.5.6.3, 2.5.6.4 एवं 2.5.6.5; पृष्ठ 105 एवं 106)

निधि का आवंटन, अभ्यर्पण/व्यपगत एवं बैंक खातों में अवरुद्ध राशि का विवरण

(₹ लाख में)

योजना का नाम	इकाईयों का नाम	वर्ष	आवंटित निधि	व्यपगत निधि	बैंक खातों में पड़ी निधि	अभ्यर्पित निधि
किशोरी शक्ति योजना/ किशोरी मंडल, किशोरी शक्ति कार्ड	सभी जिले	2009-10 2012-13	00 00			
	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (जि.स.क.पदा.), सिंहभूम और बोकारो	2010-11 2013-14	3.98 3.98			3.98 3.98
	जि.स.क.पदा. पाकुड़	2011-12 2013-14	1.17 1.17	1.17		1.17
	बालिका विकास परियोजना पदाधिकारी (बा.वि.प.पदा.) पतरातू (रामगढ़) और काठीकुड़ (दुमका)	2010-11 2013-14			√	
	बा.वि.प.पदा.पाकुड़,	2010-11			√	
	बा.वि.प.पदा., सरैयाहाट (दुमका)	2010-11 2011-12 2013-14			√	
किशोरी शक्ति योजना / किशोरी किट	सभी जिले	2009-10 2012-13 2013-14	00 00 00			
	जि.स.क.पदा., सिंहभूम और बोकारो	2010-11	11.93			11.93
	जि.स.क.पदा. पाकुड़	2011-12	3.50	3.50		
	बा.पि.प.पदा. पतरातू (रामगढ़)	2010-11 2011-12			1.72	
	बा.पि.प.पदा. सरैयाहाट (दुमका)	2011-12			√	
	बा.वि.प.पदा. पाकुड़ (पाकुड़)	2010-11			√	
के.एस.वाई/आई.ई.सी.	सभी जिले	2009-10 2012-13	00 00			
	जि.स.क.पदा., सिंहभूम और बोकारो	2010-11 2013-14	1.00 1.00			1.00 1.00
	जि.स.क.पदा. पाकुड़	2011-12 2013-14	0.30 0.30	0.30		0.30
	बा.वि.प.पदा. आमरापाड़ा (पाकुड़)	2010-11			√	
	बा.वि.प.पदा. काठीकुड़ (दुमका)	2013-14			√	
	बा.वि.प.पदा. पतरातू (रामगढ़)	2010-11 2011-12 2013-14			√	
	बा.वि.प.पदा. सरैयाहाट (दुमका)	2010-11 2011-12 2013-14			√	
	बा.वि.प.पदा.पाकुड़ (पाकुड़)	2010-11			√	

(√): संकेत यह दर्शाता है कि निधि बैंक में अवरुद्ध कर रखी गई थी पर वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि दूसरे मद की निधि मिलाकर रखी गई थी।

परिशिष्ट-2.5.3

(संदर्भित कंडिका 2.5.10.2; पृष्ठ 119)

विभाग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की कमी की स्थिति

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत स्टाफ	कमी (प्रतिशत)
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	24	23	1 (4)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	224	113	111 (50)
महिला पर्यवेक्षिका	1344	695	649 (48)
सांख्यिकी सहायक	248	84	164 (66)
लिपिक टंकक/टाईपिस्ट	312	173	139 (45)

परिशिष्ट-2.6.1
(संदर्भित कंडिका 2.6.6; पृष्ठ 124)

(अ) भा.स. द्वारा निधि की विमुक्ति

(₹ लाख में)

वर्ष	विमुक्त राशि	एस.पी. एम.सी	क्षमता निर्माण संरचना	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	एस.पी. एम.यू	एस.आई	नेटवर्क	ओ. एवं एम.
2009-10	311.38	93.75	178.00	39.63	-	-	-	-
2010-11	375.20	-	26.00	-	60.42	288.78	-	-
2011-12	677.01	-	-	-	-	592.75	84.26	-
2012-13	971.09	-	-	-	-	971.09	-	-
2013-14	2730.40	-	-	-		2730.40		
कुल	5065.08	93.75	204.00	39.63			4727.70	

(ब) झा.स. द्वारा निधि की विमुक्ति

(₹ लाख में)

वर्ष	विमुक्त राशि	एस.पी. एम.सी	क्षमता निर्माण संरचना	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	एस.पी.ए म.यू	एस.आई	नेटवर्क	ओ. एवं एम.
2009-10	-	-	-	-	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-	-	-	-	-
2011-12	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-
2012-13	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-
2013-14	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-
कुल	500.00	-	-	-	-		500.00	-

(स) भा.स. तथा झा.स. द्वारा विमुक्त राशि के विरुद्ध व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	व्ययित राशि	एस.पी. एम.सी	क्षमता निर्माण	एस.पी.ए म.यू	एस.आई	नेटवर्क	ओ. एवं एम.
2009-10	-	-	-	-	-	-	-
2010-11	76.16	56.26	19.90	-	-	-	-
2011-12	314.03	32.81	181.85	-	99.37	-	-
2012-13	2197.00	-	41.71	40.83	1689.55	424.91	-
2013-14	1311.87	-	-	51.04	1108.20	152.63	-
कुल	3899.06	89.07	243.46	91.87	2897.12	577.54	-

परिशिष्ट-2.6.2

(संदर्भित कंडिका 2.6.7; पृष्ठ 125)

विभिन्न गतिविधियों को एस.आई. के द्वारा दर्शाती विवरणी

क्रम. संख्या	विवरणी	रकम (₹ करोड़ में)
1	478 थानों में हाईवेर एवं स्थान तैयारी तथा पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव	14.57
2	150 उ.का. में हाईवेर एवं स्थान तैयारी पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव	3.02
3	हस्तग्राह एवं तकनीकी सहायता	6.35
4	क्षमता निर्माण सहायता	6.42
5	आँकड़ा डिजिटाइजेशन	2.19
6	परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन	0.67
7	प्रमाणीकरण	0.23
8	आँकड़ा केन्द्र संचालन मानव-क्षमता	1.65
9	थानों एवं उ.का. स्तर पर अतिरिक्त (उपलब्ध) नेटवर्क संयोजन (माँगनुसार 400 स्थान)	1.36
10	थानों एवं उ.का. पर जेनरेटर	7.93
11	थानों एवं उ.का. स्तर पर वी-सैट संयोजी उपकरण (माँगनुसार 400 स्थान)	3.83
12	आँकड़ा केन्द्रों में हाईवेर एवं स्थल तैयारी पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव	9.57
13	कैस अनुकूलन, अतिरिक्त कार्यक्षमता एवं राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों का विकास एवं एकीकरण पाँच वर्षों के लिए	2.03
14	क्षमता निर्माण सू.प्र. संरचना का वार्षिक रखरखाव अनुबंध चार वर्षों के लिए तथा	0.63
15	नेटवर्क संरचना का वार्षिक रखरखाव अनुबंध	0.44

परिशिष्ट-2.6.3

(संदर्भित कंडिका 2.6.7 (पाद-टिप्पणी-6); पृष्ठ 126)

कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत राज्य विशेष अतिरिक्त क्रियाओं को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	मॉड्यूल	राज्य-विशेष आवश्यकताएं जिन्हें अनुकूलित किया जाना था
1.	पंजीकरण मॉड्यूल	<ul style="list-style-type: none"> शिकायत/प्राथमिकि दर्ज करने के दौरान पुलिस कर्मियों को अधिनियम, धारा तथा स्थानीय धाराओं को प्रदान/ जोड़ने/हटाने के लायक बनाना चाहिये। अपराध पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अगर किसी रजिस्टर में कोई परिवर्तन होने से प्रणाली को सभी संबंधित रजिस्टरों को अद्यतन करना चाहिये। प्रणाली को सभी संबंधित सेलों/विभाग/शाखा यथा सी.आई.डी., एस.बी., एस.आई.वी. को नई शिकायत/प्राथमिकि के संदर्भ में चेतावनी भेजनी चाहिये। प्रणाली को अपराध के संबंधित धारा की पहचान करने के लायक होना चाहिये। अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में पंजीकरण के दौरान प्रणाली को गुमशुदा लोगों के मामलों से जोड़ना चाहिये। नागरिक को प्राथमिकि/शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन जाँच करने की स्थिति होनी चाहिये। प्रणाली द्वारा एम.आई.एस. रिपोर्ट उत्पन्न करना चाहिए। प्रणाली द्वारा वर्धित चेतावनी उत्पन्न करनी चाहिये।
2.	जाँच मॉड्यूल	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली को सभी संभावित अन्वेषण अधिकारियों (आई.ओ.) को उनके द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किये जा रहे मामलों की संख्या/ प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिये। प्रणाली को सर्वोत्तम सुझाव 10 का देना चाहिए जो अनुभव तथा सक्सेस अनुपात पर आधारित हो। प्रणाली को वाह्य ऐजेन्सियों को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से निवेदन भेजना चाहिये। प्रणाली को अपराध की धाराओं पर आधारित संभावित साक्ष्यों को टेम्प्लेट पर जारी करना चाहिये। प्रणाली को खोज/गिरफ्तारी आदेश संबंधित निवेदन, उच्च अधिकारियों को गिरफ्तारी से संबंधित विवरण, वांछित अपराधियों से संबंधित चेतावनी भेजने, भगौड़ों की सूची को रख-रखाव, पुलिस रिमान्ड की चेतावनी इत्यादि उत्पन्न करना चाहिये।
3.	अभियोजन मॉड्यूल	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली को डी.पी.ओ. तथा आई.ओ. के बीच ई-मेल एस.एम.एएस. के जरिये सूचना का आदान-प्रदान करने के लायक होना चाहिये, सम्मन कार्यालयों में निरस्तन सम्मन संबंधित विवरणों का अद्यतन जैसे ही अपराधी जेल से छूटे तो सभी पुलिस स्टेशनों को चेतावनी/एस.एम.एस. भेजने, कोर्ट केश की द्वारा भेजा जाना चाहिये। प्रणाली को एस.एम.एस./ई-मेल के जरीये सभी संबंधित विभागों, गवाह तथा बाह्य ऐजेन्सियों को सुनवाई तिथि की सूचना भेजनी चाहिये। प्रणाली में अन्वेषण अधिकारी द्वारा बेल विवरणों को अद्यतन करने के लायक होना चाहिये।
4	खोज मॉड्यूल	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली को क्वेरी बिल्डर के माध्यम से सर्चेबल डाटा के लिये क्वेरी बनाने में सहायता प्रदान करना चाहिये तथा उपभोगकर्ता को इन क्वेरियों को भंडारित, लोड तथा हटाने के लायक होना चाहिये ताकि आसानी से सुधार किया जा सके।

परिशिष्ट-2.6.4

(संदर्भित कंडिका 2.6.7.3; पृष्ठ 129)

एस.आई. के सहायता-डेस्क के द्वारा शिकायत-निराकरणों की नमूना-स्थिति

क्र.सं.	टिकट सं.	सेवा वर्ग	जिला	स्थल	खुलने की तिथि	बंद की तिथि	विलंब दिनों में
1	13981	यू.पी.एस	गोड़डा	मेहर्मा	09-05-2014	22-05-2014	13
2	13980	यू.पी.एस	गोड़डा	टाटिजहरिया	09-05-2014	22-05-2014	13
3	13975	यू.पी.एस	पलामू	हैदरनगर	09-05-2014	22-05-2014	13
4	13968	यू.पी.एस	चाईबासा	कुमार्डुगी	08-05-2014	22-05-2014	14
5	13966	यू.पी.एस	चाईबासा	नोआमुंडी	08-05-2014	22-05-2014	14
6	13917	वायरिंग	राँची	सोनाहातु	06-05-2014	23-05-2014	17
7	13898	यू.पी.एस	गढ़वा	नगर थाना	05-05-2014	20-05-2014	15
8	13869	यू.पी.एस	चाईबासा	गुआ	02-05-2014	22-05-2014	20
9	13833	यू.पी.एस	गोड़डा	चुर्चु	29-04-2014	22-05-2014	23
10	13790	यू.पी.एस	गोड़डा	बसंतराइ	26-04-2014	22-05-2014	26
11	13718	यू.पी.एस	चाईबासा	जगन्नाथपुर	24-04-2014	20-05-2014	26
12	13504	यू.पी.एस	गिरिडीह	गाण्डे	21-04-2014	23-05-2014	32
13	13503	यू.पी.एस	गिरिडीह	गावाँ	21-04-2014	23-05-2014	32
14	13392	यू.पी.एस	चतरा	बशिष्टनगर	17-04-2014	23-05-2014	36
15	12746	डेस्कटॉप	जमशेदपुर	गुराबंडा	31-03-2014	22-05-2014	52
16	12587	मॉनिटर	धनबाद	नगर थाना	28-03-2014	07-04-2014	10
17	12469	डेस्कटॉप	जमशेदपुर	कमलपुर	26-03-2014	10-04-2014	14
18	12385	नेटवर्क	साहेबगंज	राजमहल	25-03-2014	07-05-2014	42
19	8541	वायरिंग	बोकारो	चन्द्रपुरा	21-12-2013	26-04-2014	126
20	7881	नेटवर्क	गिरिडीह	बिरनी	06-12-2013	08-05-2014	153
21	6812	प्रिंटर	गढ़वा	मेरल	29-10-2013	09-04-2014	133
22	6400	प्रिंटर	बोकारो	महाआठांड	09-10-2013	11-03-2014	153

परिशिष्ट-2.6.5

(संदर्भित कंडिका 2.6.9.1; पृष्ठ 131)

रिक्त सामान्य दैनिकी संख्या एवं तिथि के कुछ उदाहरण

क्र.स.	एफआइआर-रजि.-संख्या	पीएस-कोड	रजि.-वर्ष	एफआइआर.-क्र.सं	रजि.-तिथि	जीडी-संख्या	जीडी-इंट्री-तिथि
1	34107019140111	34107019	2014	111	31/05/2014		
2	34107024140006	34107024	2014	6	09/01/2014		
3	34107031130001	34107031	2013	1	13/11/2013		
4	34107032140013	34107032	2014	13	19/02/2014		
5	34107042140028	34107042	2014	28	23/03/2014		
6	34107052130002	34107052	2013	2	24/12/2013		
7	34107052130003	34107052	2014	3	06/01/2014		
8	34107052140001	34107052	2014	1	10/01/2014		
9	34110002130045	34110002	2013	45	27/11/2013		
10	34110002140003	34110002	2014	3	25/01/2014		
11	34110015140009	34110015	2014	9	02/02/2014		
12	34110019130002	34110019	2013	2	26/12/2013		
13	34110019140025	34110019	2014	25	01/06/2014		
14	34110025140086	34110025	2014	86	01/06/2014		
15	34111030140001	34111030	2014	1	10/02/2014		
16	34111057140007	34111057	2014	7	21/01/2014		
17	34111057140008	34111057	2014	8	21/01/2014		
18	34112018130001	34112018	2013	1	05/12/2013		
19	34112018130002	34112018	2013	2	06/12/2013		
20	34112018130003	34112018	2013	3	07/12/2013		
21	34112028140002	34112028	2014	2	08/01/2014		
22	34112029140065	34112029	2014	65	08/05/2014		
23	34112048140025	34112048	2014	25	20/05/2014		
24	34112057140005	34112057	2014	5	04/02/2014		
25	34116009130001	34116009	2013	1	28/11/2013		
26	34116009130002	34116009	2013	2	04/12/2013		
27	34116009130003	34116009	2013	3	04/12/2013		
28	34116009130004	34116009	2013	4	05/12/2013		
29	34116009130005	34116009	2013	5	05/12/2013		
30	34116009130006	34116009	2013	6	05/12/2013		
31	34116009130007	34116009	2013	7	05/12/2013		
32	34116009130008	34116009	2013	8	06/12/2013		
33	34116009130009	34116009	2013	9	06/12/2013		
34	34116009130010	34116009	2013	10	07/12/2013		
35	34116009130011	34116009	2013	11	07/12/2013		
36	34116009130012	34116009	2013	12	07/12/2013		
37	34116009130013	34116009	2013	13	07/12/2013		
38	34116009130015	34116009	2013	15	10/12/2013		
39	34116009130017	34116009	2013	17	13/12/2013		
40	34116009130018	34116009	2013	18	14/12/2013		
41	34116009130019	34116009	2013	19	14/12/2013		
42	34116009130020	34116009	2013	20	15/12/2013		
43	34116009130021	34116009	2013	21	16/12/2013		
44	34116009130022	34116009	2013	22	17/12/2013		

परिशिष्ट-2.6.6

(संदर्भित कंडिका 2.6.9.2; पृष्ठ 131)

एफ.आइ.आर.- रजि.-संख्या में उत्पन्न वर्ष कोड के साथ बेमेल एफ.आइ.आर. वर्ष के मामले

क्र.सं.	एफ.आइ.आर.-रजि.-संख्या	भाषा-कोड	राज्य-कोड	जिला-कोड	पीएस-कोड	रजि.-वर्ष	एफ.आइ.आर.-क्र.सं	रजि.-तिथि	जीडी-संख्या	जीडी-इंट्री-तिथि
1	34107024130011	6	34	34107	34107024	2014	11	01/01/2014		31/12/2013
2	34107026130001	6	34	34107	34107026	2014	1	02/01/2014		01/01/2014
3	34107045130001	6	34	34107	34107045	2014	1	07/01/2014		06/01/2014
4	34107052130003	6	34	34107	34107052	2014	3	06/01/2014		
5	34110013130001	6	34	34110	34110013	2014	1	11/02/2014		28/01/2014
6	34110019130016	6	34	34110	34110019	2014	16	22/01/2014		31/12/2013
7	34112021130001	6	34	34112	34112021	2014	1	15/01/2014		15/01/2014
8	34112048130004	6	34	34112	34112048	2014	4	02/02/2014		02/02/2014
9	34112056130002	6	34	34112	34112056	2014	2	06/05/2014		04/02/2014
10	34116025130001	6	34	34116	34116025	2014	1	03/02/2014		
11	34116032130001	6	34	34116	34116032	2014	1	12/02/2014		
12	34116051130001	6	34	34116	34116051	2014	1	19/01/2014		
13	34116054130001	6	34	34116	34116054	2014	1	15/01/2014		
14	34119008130001	6	34	34119	34119008	2014	1	11/01/2014		11/01/2014
15	34119054130022	6	34	34119	34119054	2014	22	28/01/2014		30/12/2013
16	34119061130002	6	34	34119	34119061	2014	2	06/01/2014		17/12/2013
17	34122009130050	6	34	34122	34122009	2014	50	08/01/2014		19/12/2013
18	34122015130001	6	34	34122	34122015	2014	1	26/02/2014		24/02/2014
19	34122032130001	6	34	34122	34122032	2014	1	11/01/2014		09/01/2014
20	34122051130001	6	34	34122	34122051	2014	1	17/01/2014		24/12/2013
21	34131001130124	6	34	34131	34131001	2014	124	02/01/2014		02/01/2014
22	34777038130043	6	34	34777	34777038	2014	43	04/01/2014		22/12/2013
23	34778004130018	6	34	34778	34778004	2014	18	02/01/2014		
24	34778005130001	6	34	34778	34778005	2014	1	24/02/2014		03/01/2014
25	34780089130001	6	34	34780	34780089	2014	1	02/02/2014		27/12/2013
26	34786008130001	6	34	34786	34786008	2014	1	30/01/2014		09/12/2013
27	34786052130028	6	34	34786	34786052	2014	28	03/01/2014		27/12/2013
28	34795008130039	6	34	34795	34795008	2014	39	25/01/2014		16/12/2013
29	34871003130018	6	34	34871	34871003	2014	18	07/01/2014		23/12/2013
30	34871006130018	6	34	34871	34871006	2014	18	03/01/2014		
31	34872012130002	6	34	34872	34872012	2014	2	10/01/2014		10/01/2014

परिशिष्ट-2.6.7

(संदर्भित कंडिका 2.6.9.2; पृष्ठ 131)

एक ही थाने में विभिन्न प्राथमिकियों के लिये एक ही एफ.आइ.आर. क्रम-संख्या तथा

एफ.आइ.आर. वर्ष के मामले

क्र.स.	एफ.आइ.आर.-रजि.-संख्या	पीएस-कोड	रजि.-वर्ष	एफ.आइ.आर.-क्र.सं	रजि.-तिथि	जीडी-संख्या	जीडी-इंट्री-तिथि
1	34107024130011	34107024	2014	11	01/01/2014		31/12/2013
2	34107024140011	34107024	2014	11	13/01/2014		09/01/2014
3	34107026130001	34107026	2014	1	02/01/2014		01/01/2014
4	34107026140001	34107026	2014	1	04/01/2014		04/01/2014
5	34107045130001	34107045	2014	1	07/01/2014		06/01/2014
6	34107045140001	34107045	2014	1	11/01/2014		06/01/2014
7	34107052130003	34107052	2014	3	06/01/2014		
8	34107052140003	34107052	2014	3	18/01/2014		10/01/2014
9	34110013130001	34110013	2014	1	11/02/2014		28/01/2014
10	34110013140001	34110013	2014	1	11/02/2014		11/02/2014
11	34110019130016	34110019	2014	16	22/01/2014		31/12/2013
12	34110019140016	34110019	2014	16	25/02/2014		25/02/2014
13	34112021130001	34112021	2014	1	15/01/2014		15/01/2014
14	34112021140001	34112021	2014	1	22/01/2014		22/01/2014
15	34112048130004	34112048	2014	4	02/02/2014		02/02/2014
16	34112048140004	34112048	2014	4	05/03/2014		05/03/2014
17	34112056130002	34112056	2014	2	06/05/2014		04/02/2014
18	34112056140002	34112056	2014	2	07/05/2014		07/05/2014
19	34116032130001	34116032	2014	1	12/02/2014		
20	34116032140001	34116032	2014	1	17/02/2014		
21	34116051130001	34116051	2014	1	19/01/2014		
22	34116051140001	34116051	2014	1	16/02/2014		
23	34116054130001	34116054	2014	1	15/01/2014		
24	34116054140001	34116054	2014	1	28/01/2014		
25	34119061130002	34119061	2014	2	06/01/2014		17/12/2013
26	34119061140002	34119061	2014	2	13/01/2014		08/01/2014
27	34122015130001	34122015	2014	1	26/02/2014		24/02/2014
28	34122015140001	34122015	2014	1	10/03/2014		10/03/2014
29	34122032130001	34122032	2014	1	11/01/2014		09/01/2014
30	34122032140001	34122032	2014	1	12/01/2014		12/01/2014
31	34122051130001	34122051	2014	1	17/01/2014		24/12/2013
32	34122051140001	34122051	2014	1	20/01/2014		20/01/2014
33	34131001130124	34131001	2014	124	02/01/2014		02/01/2014
34	34131001140124	34131001	2014	124	04/06/2014		03/06/2014
35	34778004130018	34778004	2014	18	02/01/2014		
36	34778004140018	34778004	2014	18	09/02/2014		11/01/2014
37	34778005130001	34778005	2014	1	24/02/2014		03/01/2014
38	34778005140001	34778005	2014	1	27/02/2014		22/01/2014
39	34780089130001	34780089	2014	1	02/02/2014		27/12/2013
40	34780089140001	34780089	2014	1	05/02/2014		01/02/2014
41	34786008130001	34786008	2014	1	30/01/2014		09/12/2013
42	34786008140001	34786008	2014	1	30/01/2014		08/01/2014
43	34786052130028	34786052	2014	28	03/01/2014		27/12/2013

क्र.सं.	एफ.आइ.आर.-रजि.-संख्या	पीएस-कोड	रजि.-वर्ष	एफ.आइ.आर.-क्र.सं	रजि.-तिथि	जीडी-संख्या	जीडी-इंटी-तिथि
44	34786052140028	34786052	2014	28	02/06/2014		31/05/2014
45	34795008130039	34795008	2014	39	25/01/2014		16/12/2013
46	34795008140039	34795008	2014	39	26/03/2014		25/02/2014
47	34871003130018	34871003	2014	18	07/01/2014		23/12/2013
48	34871003140018	34871003	2014	18	11/04/2014		11/04/2014
49	34871006130018	34871006	2014	18	03/01/2014		
50	34871006140018	34871006	2014	18	12/04/2014		10/04/2014
51	34872012130002	34872012	2014	2	10/01/2014		10/01/2014
52	34872012140002	34872012	2014	2	20/02/2014		20/02/2014

परिशिष्ट-2.6.8

(संदर्भित कंडिका 2.6.9.3; पृष्ठ 132)

सामान्य दैनिकी तिथियों में पाये गये रिकित के कुछ उदाहरण

से	तक	दिनों की संख्या
बाघमारा थाना, धनबाद		
03/01/2014	07/01/2014	5
18/01/2014	21/01/2014	4
23/01/2014	23/01/2014	1
29/01/2014	02/02/2014	5
07/02/2014	09/02/2014	3
11/02/2014	11/02/2014	1
13/02/2014	15/02/2014	3
18/02/2014	18/02/2014	1
23/02/2014	23/02/2014	1
25/02/2014	25/02/2014	1
28/02/2014	13/03/2014	14
15/03/2014	21/03/2014	7
26/03/2014	26/03/2014	1
29/03/2014	30/03/2014	2
04/04/2014	09/04/2014	6
13/04/2014	30/04/2014	18
04/05/2014	06/05/2014	3
08/05/2014	13/05/2014	6
15/05/2014	17/05/2014	3
20/05/2014	30/05/2014	11
01/06/2014	01/06/2014	1
बलियापुर थाना, धनबाद		
03/03/2014	18/03/2014	16
17/04/2014	18/04/2014	2
23/04/2014	27/04/2014	5

परिचय-२.७.१

(संदर्भित कंडिका २.७.५; पृष्ठ १३८)

जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत लेखापरिका पद्धति और नमूना चयन की सूची

क्रम सं.	जिला	प्रखण्ड	विद्यालयों के नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
1.	दुमका	रामगढ़, शिकारीपाड़ा	प्रा.वि.- चंदनपहाड़ी, पटसार, सुंदरफलान, काठपहाड़ी उ.प्रा.वि.- घंटी, कृष्णी, जम्बाद और हसपत्थर उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)-नौनिहाट, रामगढ़, शिकारीपाड़ा और चकलता	रामगढ़, शिकारीपाड़ा	डारो, करबिन्धा
2.	पर्वा सिंहभूम	चाकुलिया, गोलमुरी-मह. जगसलाई-पोटका	प्रा.वि.- तलपल, बेन्दू, बड़ा गोविन्दपुर, शिवनगर कदमा, तिरिंग एवं बीरगाम उ.प्रा.वि.- चकुलिया, बेन्दू, हीरचुली, सुन्दरनगर, बाघमारा एवं नावा उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)- साकाची, बर्मामाइन्स, हल्दीपोखरी, चकुलिया एवं हल्दी पोखर	चाकुलिया, गोलमुरी-मह. जगसलाई, पोटका	श्यामसुन्दरपुर, बेलजुरी, घोड़ाबालंधा, हल्दीपोखर, मानपुर
3.	गुमला	घाघरा, गुमला सदर, सिसई	प्रा.वि.- चहीं, आदर, पिठवरठाली, पुसो, सरनाटोली सरईठोली, हुन्डरा टोली एवं काजी टोली। उ.प्रा.वि.- कचापारा, बदरी करमठोली, गुमला, सिसई, नवाईह एवं सिलाफरी। उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)-आदर, सिसई, टोटो कर्जठोली एवं गुमला।	घाघरा, गुमला सदर, सिसई	पुटो, टोटाम्बी, कोरी, कोटाम, कुर्गी, नवर सिसई
4.	खंटी	कर्ण, खंटी सदर	प्रा.वि.- मानपुर, इये, बेलांगी एवं बड़का सिलदा। उ.प्रा.वि.- चलांडू, हुतब, हुतब, रेवा एवं खंटी। उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)- लोधमा, मुर्गी, खंटी एवं रा.कु.वि. खंटी	कर्ण, खंटी सदर	गोविन्दपुर, मारंगहादा
5.	राँची	बेड़ी, कांके, माण्डर, नामकुम	प्रा.वि.- रतनठोली, लेहटोली, मदनपुरजारा, पंचकेरिया, कुमहरिया, रानाटोली, तुन्जु मुन्डा टोली, सोसई एवं हुहटोली। उ.प्रा.वि.- मार्सु, मान्दरी, काठमकुली, सुकरहुट, हेसलठोली, महिलोंग, मरमानी एवं मुडमा। उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)-बेड़ी, रा.अ.वि. बेड़ी, नामकुम, टाटीसिल्वर्ट, कांके बोइचा एवं माण्डर।	बेड़ी, कांके, माण्डर, नामकुम	नरकोपी, तुको, पिठोरिया
6.	सिमडेगा	सिमडेगा सदर, ठेठईटांगर	प्रा.वि.- बाजारठोली, मांझाघाट, मेरोमडेगबरस्ती एवं कासडेगा। उ.प्रा.वि.- खिजरी, मैनाबेड़ा, ठेठईटांगर एवं गुरुगुठोली। उ.वि.(गा.सा.शि.अ.)-बीरन, सिमडेगा, रा.कु.वि. सिमडेगा एवं ठेठईटांगर।	सिमडेगा सदर, ठेठईटांगर	सेवई, बन्बालकेरा, सलगापोश

क्रम सं.	जिला	प्रखण्ड	विद्यालयों के नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
7.	पश्चिमी सिंहभूमि	बंदगांव, चाईबासा सदर, चक्रधरपुर खुटपानी	प्रा.वि.- दलकी, किशनपुर, ऊंगरी, जोमरो, बैंका कुयुहातु, चाईबासा एवं गुणबासा उ प्रा.वि.- इटोर, चक्रधरपुर, घाघरा, जोनरो, रंगरुड गराराजबासा, टी.सी.सी. एवं चाईबासा। उ.वि.(ग.मा.वि.अ.)- बंदगांव, कराईकेला , चाईबासा, गो.कु.वि. चक्रधरपुर, ग.कु.वि. चक्रधरपुर, खुटपानी एवं बटकेला।	बंदगांव, चाईबासा सदर, चक्रधरपुर खुटपानी	दृधकुपड़ी, कराईकेला, हटिया

परिशिष्ट-2.7.2

(संदर्भित कंडिका 2.7.6; पृष्ठ 139)

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त राशि एवं जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

योजनाओं के नाम	वर्ष	भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विमुक्त निधियाँ	राज्य अंशदान के रूप में विमुक्त राशि	कुल (2+4)	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6
स.शि.अ.	2011-12	124.87	177.00	301.87	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	164.07	244.39	408.46	
	2013-14	130.71	104.08	234.79	
	कुल योग	419.65	525.47	945.12	
मध्याह्न भोजन	2011-12	80.21	51.71	131.92	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	76.27	37.34	113.61	
	2013-14	60.87	53.06	113.93	
	कुल योग	217.35	142.11	359.46	
रा.मा.शि.अ.	2011-12	17.94	0	17.94	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	0	0	0	
	2013-14	118.83	0	118.83	
	योग	136.77		136.77	
एन.पी.सी.डी.सी. एस.	2011-12	1.42	0	1.42	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	0	0.33	0.33	
	2013-14	0.87	0	0.87	
	कुल योग	2.29	0.33	2.62	
एन.पी.एच.सी.ई.	2011-12	0	0	0	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	0	0.34	0.34	
	2013-14	0	0	0	
	कुल योग	0	0.34	0.34	
आई.एम.एल.	2011-12	17.95	0	17.95	15.07
	2012-13	30.61	0	30.61	
	2013-14	34.58	0	34.58	
	कुल योग	83.14	0	83.14	60.97
आर.सी.एच. फ्लेक्सीपूल	2011-12	0	0	0	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संधारित नहीं थी।
	2012-13	0	0	0	
	2013-14	0.14	0.03	0.17	
	कुल योग	0.14	0.03	2.62	
प्रतिरक्षण	2011-12	2.79	0.42	3.21	जनजातीय उपयोजना की निधियों में से किए गए व्यय अलग से संघटित नहीं थी।
	2012-13	143.62	35.90	179.52	
	2013-14	113.01	28.25	141.26	
	कुल योग	259.42	64.57	323.99	

परिशिष्ट-2.7.3

(संदर्भित कंडिका 2.7.6; पृष्ठ 140)

**जनजातीय उपयोजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार और राज्य
सरकार द्वारा विमुक्त राशि**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विमुक्त राशि	भारत सरकार के अंशदान के प्रप्ति की तिथि (कॉलम-2)	राज्य के अंशदान का विमुक्त राशि (कॉलम-2 की राशि के संदर्भ में)	राज्य के अंशदान का विमुक्ति की तिथि	योग (2+4)	राज्य के अंशदान के विमुक्ति में विलम्ब
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	25.69	23.05.2011	70.00	02.10.2011 06.03.2012 12.03.2012	301.87	3 माह
	32.12	24.06.2011	32.00			
	28.52	19.07.2011	75.00			
	38.54	28.07.2011	177.00			7 माह
कुल	124.87					
2012-13	27.35	17.05.2012	164.40	14.09.2012 10.12.2012	408.46	3 माह
	26.83	11.07.2012	79.99			
	109.89	20.09.2012	244.39			
कुल	164.07					
2013-14	130.71	06.05.2013	104.08	20.09.2013	234.79	3 माह
सकल योग	419.65		525.47		945.12	

परिशिष्ट-2.7.4

(संदर्भित कंडिका 2.7.10; पृष्ठ 145)

प्रतिरक्षण आच्छादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति

(आँकड़े लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि				पूर्णतः प्रतिरक्षित	डी टी		टी टी (16)		टी टी (10)	
		बी सी जी	मीजल्स	डी पी टी	ओ पी भी		ल	उ	ल	उ	ल	उ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2011-12	2.54	2.09	2.32	2.89	2.51	1.99	2.04	0.25	1.63	1.17	1.98	1.11
2012-13	2.50	2.00	1.99	2.81	2.40	1.90	2.01	0.36	1.60	1.03	1.95	0.99
2013-14	2.51	2.00	1.92	2.94	12.98	1.83	2.03	0.61	1.61	1.11	1.97	0.98
कुल	7.55	6.09	6.23	8.64	17.89	5.72	6.08	1.22	4.84	3.31	5.90	3.08

(स्रोत: झा.रा.स्वा.मि.सो.) (ल: लक्ष्य और उ: उपलब्धि)

परिशिष्ट- 2.7.5

(संदर्भित कंडिका 2.7.11; पृष्ठ 146)

नमूना-जाँचित प्रखण्डों में लोक एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसवों की स्थिति

जिला का नाम	सी एच सी का नाम	सुविधा का स्तर	2011-12			2012-13			2013-14		
			संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या	संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या	संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या
दुमका	रामगढ़	पी एच एफ	4779	1565	0	4992	1026	0	5072	1357	0
	शिकारीपाड़ा	पी एच एफ	डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
गुमला	गुमला सदर	पी एच एफ	3386	472	0	3579	322	0	3390	315	4
	घाघरा	पी एच एफ	3047	1882	0	3182	2021	0	3267	1957	0
	सिसई	पी एच एफ	1712	1328	2	2091	1549	2	2121	1634	8
खूंटी	कर्ता	पी एच एफ	3083	931	6	3210	1181	5	2960	1358	8
	खूंटी सदर	पी एच एफ	648	286	2	648	122	3	648	131	9
पूर्वी सिंहभूम	चाकुलिया	पी एच एफ	3348	1593	1	3361	1665	0	3375	1926	2
	गोलमुरी सह जगसालाई	पी एच एफ	0	1962	2	0	2419	0	0	2653	0
	पोटका	पी एच एफ	3648	1622	0	3996	1766	0	3768	1262	0
राँची	बेड़ो	पी एच एफ	4351	2678	2	4257	2698	6	4300	2069	4
	कांके	पी एच एफ	लागु नहीं	538	1	5625	621	8	5625	692	8
	माण्डर	पी एच एफ	डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
	नामकुम	पी एच एफ	1973	777	2	3026	900	2	3075	922	5
सिमडेंगा	सिमडेंगा	पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ठेठ्ठांगर	पी एच एफ	लागु नहीं	146	1	लागु नहीं	297	1	लागु नहीं	258	1
पश्चिम सिंहभूम	बन्दगांव	पी एच एफ	2080	1011	0	2132	1192	3	2184	1128	8
	चाईबासा	पी एच एफ	3174	81	शून्य	3629	130	शून्य	3724	298	शून्य
	चक्रधरपुर	पी एच एफ	4800	1743	0	5000	2092	5	5300	2372	7
	खुंटपानी	पी एच एफ	2130	982	0	2190	1146	3	2407	1163	3
दुमका	रामगढ़	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	शिकारीपाड़ा	पी ए एच एफ	डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
गुमला	गुमला सदर	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	घाघरा	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सिसई	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खूंटी	कर्ता	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	खूंटी सदर	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वी सिंहभूम	चाकुलिया	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	गोलमुरी सह जगसालाई	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पोटका	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राँची	बेड़ो	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कांके	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जिला का नाम	सी एच सी का नाम	सुविधा का स्तर	2011-12			2012-13			2013-14		
			संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या	संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या	संभावित प्रसवों की संख्या	कराये गये प्रसवों की संख्या	सूचित मातृ मृत्यु की संख्या
माण्डर	पी ए एच एफ		डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
नामकुम	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिमडेगा	सिमडेगा	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ठेठिंटांगर	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम सिंहभूम	बन्दगांव	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चाईबासा	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चक्रधरपुर	पी ए एच एफ	0	1681	0	0	0	0	0	0	0	0
खुंटपानी	पी ए एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुमका	रामगढ़	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	शिकारीपाड़ा	ओ पी एच एफ	डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
गुमला	गुमला सदर	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	घाघरा	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सिसई	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खूंटी	कर्रा	ओ पी एच एफ	0	1138	0	0	643	0	0	536	0
	खूंटी सदर	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वी सिंहभूम	चाकुलिया	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	गोलमुरी सह जुगसालाई	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पोटका	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राँची	बेंडो	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कांके	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	140	0	0	658	0
माण्डर	ओ पी एच एफ		डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया								
	नामकुम	ओ पी एच एफ	लागु नहीं	1452	0	लागु नहीं	851	0	लागु नहीं	886	0
सिमडेगा	सिमडेगा	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ठेठिंटांगर	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम सिंहभूम	बन्दगांव	ओ पी एच एफ	0	544	0	0	590	0	0	553	0
	चाईबासा	ओ पी एच एफ	शून्य	955	शून्य	शून्य	566	शून्य	शून्य	561	शून्य
	चक्रधरपुर	ओ पी एच एफ	0	0	0	0	1135	0	0	740	0
	खुंटपानी	ओ पी एच एफ	48	25	0	52	30	0	60	28	0
	कुल	37428	23827	19	45978	24076	38	46204	24100	67	

नोट: लोक स्वास्थ्य सुविधा (पी एच एफ), निजी स्वास्थ्य सुविधा (पी ए एच एफ) और अन्य निजी स्वास्थ्य सुविधा (ओ पी एच एफ)

परिशिष्ट-2.8.1

(संदर्भित कंडिका 2.8.7, पृष्ठ 154)

(अ) एस.पी.जी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष
		केन्द्रीय	राज्य एवं लाभुक	ब्याज			
2009-10	7.78	2.97	4.40	0.87	16.02	1.28 (8)	14.74
2010-11	14.74	1.07	12.80	0.98	29.59	7.19 (25)	22.40
2011-12	22.40	3.53	26.03	1.01	52.57	6.47 (12)	46.50
2012-13	46.50	6.18	84.52	0.94	138.14	35.55 (26)	102.59
2013-14	102.59	00	14.29	0.38	117.26	28.54 (24)	88.72
कुल		13.75	142.04	4.18		79.03	

(टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाए गये अंक उपलब्ध निधियों का प्रतिशत)

(ब) सौर जल ताप कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष
		केन्द्रीय	राज्य एवं लाभुक	ब्याज			
2009-10	00	00	1.00	00	1.00	00 (0)	1.00
2010-11	1.00	00	2.10	00	3.10	1.15 (37)	1.95
2011-12	1.95	00	2.63	00	4.58	1.61 (35)	2.97
2012-13	2.97	0.50	2.00	00	5.47	1.78 (33)	3.69
2013-14	3.69	00	0.50	00	4.19	1.13 (27)	3.06
कुल		0.50	8.23	00		5.67	

(टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाए गये अंक उपलब्ध निधियों का प्रतिशत)

(स) दूरस्थ ग्राम विद्युतिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष
		केन्द्रीय	राज्य एवं लाभुक	ब्याज			
2009-10	10.99	5.76	3.48	0.43	20.66	0.93 (5)	19.73
2010-11	19.73	0.01	3.00	0.62	23.35	0.26 (1)	23.09
2011-12	23.09	13.96	6.00	0.04	43.09	7.28 (17)	35.81
2012-13	35.81	00	1.50	0.74	38.05	20.78 (54)	17.27
2013-14	17.27	00	0.05	0.38	17.70	7.42 (36)	10.28
कुल		19.73	14.03	2.21		36.67	

(टिप्पणी: कोष्ठक में दिखाए गये अंक उपलब्ध निधियों का प्रतिशत)

© भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in